लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 34 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXXIV contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupee

विषय सूची CONTENTS

अंक 30, शुक्रवार, 21 दिसंबर, 1973/30 अग्रहायण 1895 (शक)

No. 30, *Friday, December* 21, 1973/*Agrahayana* 30, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
589	अच्छी नस्ल के चूंजों का निर्यात	Export of Pure Strain Chicks .	1–2
590	दिल्ली में एक आयकर अधिकारी का लापता हो जाना	Disappearance of an Income Tax Officer in Delhi . .	3–4
591	बम्बई की फर्मों द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences by Bombay Firms . .	4–7
592	राष्ट्रीकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े व्यापार गृहों को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance granted by Nationalised Banks LIC. and other Financial Institutions to large Business Houses	7–13
593	पड़ौसी देशों से व्यापार	Trade with Neighbouring Countries	13–15
594	संकटग्रस्त चाय बागानों की स्थिति में सुधार करना	Rehabilitation of Sick Tea Gardens	15–17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. No.			
595	वन्य जीव शरण्य स्थल और क्रीड़ा स्थलों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की शिकायत	Complaint of Foreigh Tourists Visiting wild Game Parks and Sanctuaries . . .	18
596	योरोपीय देशों द्वारा मुद्रा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सुधारों के लिए पैरिस में की गई बैठक	Meeting held by European Countries in Paris on International Monetary Reforms	18
597	बैंकों द्वारा गृह निर्माण के लिए ऋण की मंजूरी	Sanction of Loan by Banks for House Construction . .	19

---

*किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign +marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—35 L. S. S.(N.D)/73

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
598	उपहार कर का निर्धारण	Assessment of Gift Tax . .	19
599	चीथड़ा कांड	Rags Scandal .	19–20
600	राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा गुजरात में नलकूप सिंचाई योजनाओं के लिए धनराशि का दिया जाना	Finance Advanced by Nationalised Banks for Tube Well Irrigation Schemes in Gujarat	20
601	मोटर गाड़ियों के टायर बनाने वाली फर्मों द्वारा लाभ की राशि अपने देशों को भेजना	Repatriation of Profits by Automobile Tyre Firms .	20–21
602	इंडियन एयरलाइंस को तालाबंदी के कारण हुई क्षति	Loss suffered by Indian Airlines Due to Lock out	21
603	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए रूस से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from USSR for Public Sector Projects	21–22
604	बिडला इंस्टीट्यूट आफ टैकनालाजी एंड साइंस, पिलानी को बिड़ला बंधुओं द्वारा दी गई धनराशि पर आयकर की अदायगी से छूट	Exemption from Payment of Income Tax on sums contributed by Birlas to Birla Institute of Technology and Science, Pilani . . .	22–23
605	उचित मूल्यों की दुकानों पर सूती धागा का उपलब्ध न होना	Non-Availability of Cotten Yarn at Fair Price Shops .	23
606	भारतीय जीवन बीमा निगम की पुंजी निवेश नीति	Investment Policy of Life Insurance Corporation of India	23–25
607	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर को हुई हानि	Losses suffered by State Bank of Bikaner and Jaipur .	25
608	इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधको को दिया गया कानूनी नोटिस	Legal Notice Served on Management of Indian Airlines .	25
609	पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए अनुग्रह-पूर्वक मुआवजा	*Ex-Gratia* Compensation for Properties Left over in Pakistan	26

अता० प्र० संख्या U.Q.S. Nos.			
5708	पत्रकारो के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित योजनाये	Scheme sponsored by Nationalised Banks for Journalists .	26
5709	बाढ़ राहत कार्यों के लिए केरल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि	Increased financial assistance to Kerala for flood Relief Works	26–27

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5710	बुहरहानपुर, मध्य प्रदेश द्वारा उत्तम किस्म के कपड़े का निर्माण	Manufacture of high quality cloth by weavers of Burhanpur, M. P. . . .	27
5711	मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में तस्करों की गिरफ्तारी	Arrest of smugglers in Chhatisgarh (Madhya Pradesh) .	27
5712	मध्य प्रदेश में मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices in Madhya Pradesh	27–28
5713	मध्य प्रदेश में "लीड बैंकों" द्वारा कार्य करना	Functioning of "Lead Banks" in Madhya Pradesh . .	28
5714	इंडियन एयर लाइंस द्वारा टी० यू० 154 विमान के क्रय के लिये प्रस्ताव	Proposal for purchase of TU-154 aircraft by Indian Airlines	28
5715	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की दिल्ली तथा नई दिल्ली की शाखाओं में टैलर पद्धति	Teller system in Delhi and New Delhi Branches of Central Bank of India .	28–29
5716	जीवन बीमा निगम के एजंटों और विकास अधिकारियों को वाहन के लिये ऋण देने के बारे में नियम	Rules for granting conveyance advance to agents and Development officers by LIC .	29–30
5717	ऋण के रुप में रूस द्वारा दिये गये खाद्यान्न के कारण बचे धन का खर्च	Spending of amount saved as a result of foodgrains given by Russia on loan . .	30
5718	तालाबंदी के फलस्वरुप हवाई अड्डा प्रवेश शुल्क के रुप में हुई हानि	Loss suffered in the form of Airport entry fee as a result of lock out . .	30–31
5719	जीवन बीमा निगम की योजनाओं के अंतर्गत जमा धनराशि पर रुपये की क्रयशक्ति में कमी का विपरीत प्रभाव	Adverse effect of reduced purchasing power of rupee on Money deposited with LIC Schemes. . . .	31
5720	इंडियन एयरलाइंस के विरुद्ध नागर विमानन विभाग को प्राप्त शिकायतें	Complaints received by Civil Aviation Department against Indian Airlines . . .	31–32
5721	हिमाचल प्रदेश में बनाये जाने वाले होटलों तथा पर्यटक विश्राम गृहों की संख्या .	Number of hotels and tourist rest houses proposed to be constructed in Himachal Pradesh	32
5722	राष्ट्रीयकृत बैंकों में फार्मों का मुद्रण	Printing of forms in nationalised banks	32–33
5723	अनेक फाईव स्टार होटल स्थापित करने के लिए इंडिया टोबेको कम्पनी को अनुमति देना	Permission to India Tobacco Company to set up a chain of Five Star Hotels . .	33–34
5724	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राज्य व्यापार निगम के रिकार्डों की जांच	Examination of STC records by CBI	34

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5725	समाजवादी देशों को निर्यात	Export to socialist countries .	34
5726	भारत पर्यटन विकास निगम में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में श्रीराम औद्यागिक संबंध केन्द्र द्वारा प्रस्तुत सेवा नियम	Service Rules submitted by Shri Ram Centre for Industrial Relations for employees working in ITDC .	35
5727	भारतीय पर्यटन विकास निगम में भर्ती तथा पदोन्नति की प्रक्रिया	Procedure for recruitment and promotion in ITDC . .	35
5728	दिल्ली में व्यापारियों के घरों पर आयकर अधिकारियों के छापे	Raids by Income Tax authorities on Residence of Businessmen in Delhi . .	35–36
5729	चिड़ियाघर, नई दिल्ली में चाय बोर्ड का स्टाल	Tea Board Stall at Zoo, New Delhi	36–37
5730	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बारे में वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय लेना	Decision on Pay Commission Report Relating to class I Officers	37–38
5731	सीमा शुल्क निरीक्षकों की नियुक्ति	Posting of Customs Inspectors	38
5732	भारत-पाक सीमा पर तस्करी	Smuggling on Indo-Pak Border	39
5733	निम्न-आय पर्यटकों के लिये रिहायशी आवास	Residential Accommodation for Low-Income Tourists .	39–40
5734	वूलन मिल्स फेडरेशन, बम्बई को कच्ची ऊन की खरीद के लिये धन-राशि का नियतन	Allocation of Funds to Woollen Mills Federation, Bombay for purchase of Raw Wool	40
5735	कोयला उद्योग में और पुंजी लगाना	Fresh Investment in Coal Industry	40
5736	केन्द्रीय करों में राज्यों का भाग	Share of States from Central Taxes	40
5737	खनन उद्यमों को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण दिया जाना	Loan disbursed by Punjab National Bank to Mining Enterprises . . .	41
5738	भारतीय व्यापार सेवा का गठन करना	Setting up of Indian Trade Service	41
5739	आयकर के बारे में सूचना देने वालों को इनाम	Rewards to Informers of Income Tax	41–42
5740	नये स्वर्ण व्यापारी लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध	Ban on Issue of New Gold Dealers Licence . . .	42–43
5741	वाणिज्य मंत्रालय में विरूद्ध आरोप	Allegations against Commerce Ministry	43

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5742	बुलगारिया से उर्वरक का आयात	Import of Fertilizer from Bulgaria	43
5743	समाजवादी देशों के साथ नये व्यापार समझौते	New Trade Agreements with Socialist Countries . .	43-44
5744	सरकारी क्वार्टरों के सरकारी कर्मचारियों के अलाटियों के बच्चों को गृह मकान किराया भत्ता	House Rent Admissible to the Children of Government Employees Allottees of Government Accommodation	44
5745	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का मूल्यांकन प्रतिवेदन	Evaluation Report on the Indian Institute of Public Administration . . .	44-45
5746	पुनरोपण तथा बीजों की खरीद के लिए ऋण	Loans for Replantation and Purchase of Seeds . .	45
5747	लारसन और टोउब्रो लिमिटेड को विदेशी पूंजी भागिता कम करने के निदेश	Instructions to Larsen and Toubro Limited to reduce its Foreign Holdings . .	45
5748	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये कनाडा से सहायता	Assistance from Canada for Fifth Plan . . .	45-46
5749	ग्रामीण विकास के लिये पश्चिमी जर्मनी से सहायता	Aid from West Germany for Rural Development . .	46
5750	पांचवीं योजना के लिये डेनमार्क द्वारा सहायता दिये जाने का प्रस्ताव	Offer of Assistance by Denmark for Fifth Plan . .	46-47
5751	विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का विशेषज्ञ दल	Expert Group of UNO on Technical Cooperation among Developing Countries	47
5752	युगोस्लाविया को निर्यात करने के लिये वैगनों के निर्माण की धीमी गति	Low outturn of wagons for export to Yugoslavia . .	47-48
5753	क्वाला लामपूर में भारत-मलैशियायी इस्पात फाउन्डरिया	Indo-Malaysian Steel Foundrics in Kuala Lampur . .	48
5754	पड़ौसी देशों के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़ करना	Strengthening India's Relations with Neighbouring countries	48-49
5755	पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए अनुग्रह के रूप में मुआवजे की राशि	*Ex-Gratia* Compensation for Properties left over in Pakistan	49-50
5756	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे	Foreign Tours by Officials of Central Government . .	50
5757	तसकरी के लिए पंजाब के गुरुद्वारों का उपयोग	Use of Gurdwaras in Punjab for Smuggling Purposes .	50

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5758	अशोक होटल कर्मचारी संघ के महासचिव और पदाधिकारियों द्वारा एक होटल कर्मचारी के साथ मारपीट किया जाना	Assault on Hotel Employees by General Secretary and Office bearers of Ashoka Hotel Karamchari Sangh .	50–51
5759	बिहार में जूट के स्थान पर दूसरी फसलों का बोया जाना	Shifting from Jute Cultivation to other Crops in Bihar .	51
5760	पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन के डाक्टरों द्वारा आयकर के निर्धारण के लिये भरी गई आयकर विवरणियां	Statement of Income filed by Doctors of Dhanbad Division of Eastern Railways for Income Tax Assessment .	51–52
5761	मंत्रालयों को खर्च में, विशेष तौर से पेट्रोल की खपत में कमी के निदेश	Directives to Ministries to effect economy especially in petrol consumption . . .	52
5762	विदेशी संयंत्रों का स्थानान्तरण	Shifting of Foreign Plants .	52–53
5763	केरल की कपड़ा मिलों को हो रही कठिनाइयां	Difficulties faced by Textile Mills in Kerala . . .	53
5764	पेंशन प्राप्त करने वालों को आर्थिक परियोजनाओं के लिये सहकारी समितियां संगठित करने का सुझाव	Suggestion to Pensioners for Organising Cooperatives for Economic Projects . .	53
5765	कपड़ा उद्योग का विस्तार	Expansion of Textile Industry	54
5766	चीथड़ा कांड	Rags Scandal . . .	55
5767	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कलकत्ता में बरामद की गई जाली करैंसी	Fake Currency seized by CBI in Calcutta . . .	55
5768	बालयोगेश्वर से बरामद किये गये सामान को जब्त करना	Confiscation of Goods seized from Balyogeshwar .	55–56
5769	पाली में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों द्वारा मकान किराया भत्ते के बारे में ज्ञापन देना	Submission of a Memorandum by Central Government Employees working in Pali re: House Rent Allowance .	56
5770	केन्द्रीय सरकार के पैन्शन पाने वालों की संख्या	Number of Central Government Pensioners . .	56
5771	होटल उद्योग के इस समय प्राप्त वित्तीय एवं अन्य प्रोत्साहन की पुनरीक्षा के लिये समिति का गठन करना	Setting up of a Committee to Review the Existing Fiscal and other in centives for Hotel Industry . . .	56–57
5772	बंगला देश को कोयले की सप्लाई	Supply of coal to Bangladesh	57
5773	मनीपुर जाने वाले विदेशी पर्यटकों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना	Relaxation in Restrictions on Foreign Tourists visiting Manipur	58

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5774	देशों के साथ समझौता	Agreement with Countries .	58
5775	पी० एल० 480 निधियों के संबंध में भारत-अमरीका समझौता	Indo-US Agreement about PL-480 Funds	58–59
5776	कर्मचारियों को बोनस न देने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings not paying Bonus to Employees	59
5777	इंडियन एयर लाइंस में विमान चालकों की कमी	Shortage of Pilots in Indian Airlines	59–60
5778	बर्ड-हेलगर कम्पनी समूह के अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट	Trusts owned by the Chairman of Bird Heliger Group of Companies . . .	60
5779	नार्थ ब्रुक जूट कम्पनी	North Brooke Jute Co. . .	60
5780	वित्तीय संस्थानों की ऋण नीति में परिवर्तन का प्रस्ताव	Proposal to change credit policy of Financial Institutions	61
5781	संयुक्त क्षेत्र के एककों के संबंध में राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों को मार्ग निर्देशक सिद्धांत जारी करना	Issuing of Guidelines to State Governments and Financial Institutions in regard to Joint Sector Units . . .	61–62
5782	आयकर की बकाया राशि की वसूली	Recovery of Arrears of Income Tax	62–63
5783	सरकारी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादों के लिए मूल्य-अधिमान	Price preference for products of Public Sector Units .	64
5784	विभिन्न देशों को रबड़ का निर्यात	Export of Rubber to various Countries	64–65
5785	वर्ष 1972-73 और चालू वर्ष के दौरान स्वनियोजन के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	Credit given by Nationalised Banks for Self-Employment during 1972-73 and current year	65–66
5786	मछली का निर्यात	Fish Export .	66–67
5787	हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रेजीडेंट द्वारा अपनी मास्को की यात्रा में साथ ले जायी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange carried by Congress President of Himachal Pradesh during his visit to Moscow . . .	67
5788	भारत-बंगला देश सीमा पर मुद्रा की तस्करी	Smuggling of Currency on India-Bangladesh Border	67–68
5789	नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में कमी	Decrease in Production of Controlled Cloth . .	68–69
5790	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के अधिकारियों द्वारा झूठे चिकित्सा बिल प्रस्तुत करके प्राप्त की गई राशि	Payment received against presentation of false Medical Bills by Officers of State Bank of Bikaner and Jaipur	69

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5791	सोवियत संघ और पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार	Trade with USSR and East Europe Countries . .	69–70
5792	हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय	Security measures at Airports	70
5793	डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर (आल इंडिया हैंडिक्राफ्टस बोर्ड)	Design Development Centre (All India Handicrafts Board)	70
5794	मैसर्स जे० के० सिंथेटिक्स द्वारा जर्मन संघीय गणराज्य (एफ० आर० जी०) को तकनीकी जानकारी देना	Provision of know-how by M/s J. K. Synthetics to Federal Republic of Germany .	70–71
5795	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारी	Staff working in Central Excise and Customs Department .	71
5796	पश्चिम बंगाल के जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Loan advanced by Nationalised Banks in Districts of West Bengal . . .	72–73
5797	पश्चिम बंगाल के पांच बीघे से कम भूमि वाले किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण	Loan given by Nationalised Banks to Agriculturists of West Bengal having less than Five Bighas of Land . .	73
5798	कलकत्ता में तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested on charges of smuggling in Calcutta .	73–74
5799	पश्चिम बंगाल में सहकारी, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों को रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देना	Grant of Financial Assistance by Reserve Bank to Cooperative, Agricultural and Industrial Sector in West Bengal	74
5800	दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार करार	Trade agreement with South Korea	74
5801	विदेशी तकनीशियनों को आयकर से छूट	Income Tax exemption granted to Foreign Technicians .	74–75
5802	रुपये के मूल्य में गिरावट और उसका विभिन्न जमा राशियों, ऋण पत्रों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली जाने वाली पेंशन पर प्रभाव	Fall in value of rupee and its effects on various deposits, security, and pension drawn by Govt. Employees . .	75–76
5803	उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of consumer goods	76
5804	बैंकिंग संस्थाओं, जीवन बीमा निगम और वित्त मंत्रालय में नियोजन के लिए तामलुक स्वाधीनता सेनानी एसोसिएशन के लिए आयु सीमा में छूट देना	Relaxation of age limits for Tamluk Freedom Fighters Association for employment in Banking Institutions, L.I.C. and Ministry of Finance .	76–77

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5805	तालाबंदी के दौरान इंडियन एयर लाइंस द्वारा एयर इंडिया के विमानों के प्रयोग के लिये शर्तें	Terms and Conditions for using Air India Planes by Indian Airlines during Lock Out	78
5806	भारत-जर्मनी संयुक्त उद्यम द्वारा निर्यात की गई गैर परम्परागत वस्तुओं का मूल्य	Value of Non-traditional items exported by Indo-German Joint Ventures . . .	78
5807	फलों का निर्यात	Export of Fruit	79
5808	कनाडा से ऋण के लिये करार	Agreement for Loan from Canada	79
5809	आवश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities	79–80
5810	उत्तर प्रदेश के विद्युत् बोर्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पंजाब नेशनल बैंक से ऋण की मांग	Loan asked for by Electricity Board of U. P. for Rural Electrification from Punjab National Bank . . .	80
5811	सहकारी बकों में काम कर रहे कर्मचारियों के संबंध में एक मांग पत्र पेश करना	Submission of Charter of Demands in regard to Employees working in Co-operative Allied Banks . . .	80
5812	पटना में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centre in Patna .	80–81
5813	जीवन बीमा निगम के काम करने वाले इंस्पेक्टरों के वतन-मानों में अंतर	Disparity in pay-scales of Inspectors working in LIC .	81
5814	बाढ़ों से हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिये केन्द्रीय दलों का दौरा	Visit by Central Teams to Orissa to assess damage caused by floods . .	81–82
5815	कृत्रिम धागों के बारे में टेरिफ आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Tariff Commission on Man-made Fibres . . .	82
5816	हथकरघों तथा विद्युत करघों को धागे की सप्लाई	Supply of yarns to handlooms and power looms . .	82–83
5817	इंडियन एयर लाइंस के लिये "एयर बस" की खरीद	Purchase of 'Air Bus' for Indian Airlines	83–84
5818	वाणिज्य मंत्री की योरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की यात्रा	Visit by Commerce Minister to EEC Countries . .	84
5819	विश्व बैंक से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from World Bank	84–85
5820	एवरो विमानों का प्रयोग आरंभ कर देने के पश्चात उनमें पाई गई त्रुटिया	Snags in Avro planes after they were put into service . .	85
5821	विदेशों में भारतीय साइकिलों की मंडी	Indian Market for Bicycles Abroad	85

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5822	अन्य देशों को पेट्रोल डिस्पेंसिंग पम्प और अन्य गैराज उपकरणों आदि की सप्लाई	Supply of Petrol dispensing pumps and other garage equipment etc. to other countries	85-86
5823	न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत का योगदान	India's performance in New Zealand International Trade Fair	86
5824	गत तीन वर्षों में कच्चे रबड़ का निर्यात	Export of Crude Rubber during last three years . .	86-87
5825	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आय का लक्ष्य	Return targets for Public Sector Undertakings . .	87
5826	20 बड़े उद्योग-गृहो द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण	Loans taken by 20 large Industrial Houses from Financial Institution . .	87-88
5827	विदेशी सहायता में कमी	Reduction in Foreign Aid	88
5828	मुद्रा परिचालन में कमी के लिए की गई कार्यवाही	Steps taken to bring down the Currency in Circulation .	88-89
5829	एकाधिकार गृहों के पक्ष में लाईसेंस नीति का उदार बनाया जाना	Liberalisation of Licensing Policy in Favour of Monopoly Houses . . .	89
5830	स्वस्थ व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देना	Advancing of loans by Nationalised Banks to persons having sound health . . .	90
5831	टैक्स सर्टिफिकेट स्कीम	Tax Certificate Scheme .	90
5832	महाराष्ट्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित पर्यटन-केन्द्रों पर व्यय.	Expenditure on Tourists Centres in Maharashtra looked after by the Central Government	90-91
5833	स्टाक एक्सचेंजों के प्रेज़ीडेंटों द्वारा इक्विटी शेयरों के वायदा व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग	Demand made by Presidents of Stock Exchanges to Lift ban on Forward Trading in Equities . . .	91
5834	भारत में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक	Scheduled and Unscheduled Banks in India . . .	92-93
5835	एवरो विमान के बारे में धवन समिति की रिपोर्ट	Dhawan Committee Report on Avro Aircraft . .	93
5836	वाणिज्य मंत्री का विदेशों का निर्यात संवर्धन दौरा	Export promotion tour by Commerce Minister to Foreign Countries . .	93-94
5837	कोटा (राजस्थान) को विमान-सेवा नक्शे पर लाने का प्रस्ताव	Proposal to put Kota (Rajasthan) on Air Map . . .	94

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5838	भारत की सूती मिलों के व्यापार मंडल द्वारा रूस का दौरा	Visit by Trade Delegation Representing Textile Mills of India to USSR . .	94
5839	भारत के व्यापार-भुगतान पर येन के अवमूल्यन का प्रभाव	Impact of Devaluation of Yen on India's Trade Payments	94
5840	राजधानी में होटल परियोजनायें	Hotel Projects in the Capital	95
5841	अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह की पर्यटन क्षमता	Tourist Potential of Andaman-Nicobar Islands . . .	95
5842	केन्द्रीय पर्यटन निदेशालय के क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से पर्यटकों को दी जाने वाली जानकारी	Information supplied to Tourists through Regional Centres of Central Tourist Directorate	95-96
5843	केन्द्र में बजट बनाने की नई पद्धति तैयार करने का प्रस्ताव	Proposal to evolve New Pattern of Budgeting in the Centre	96-97
5844	भारत में उत्पादित मिल के धागों की तस्करी	Smuggling of Mill Yarn produced in India . . .	97-98
5845	सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात	Exports to USSR and East European Countries . .	98
5846	प्रायोगिक जांच घर (पायलट टेस्ट हाउस)	Pilot Test House . .	99
5847	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल	Hotels managed by ITDC .	99-100
5848	पटसन का निर्यात	Export of Jute . .	101
5849	सांताक्रुज निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना	Setting up of Industries in Santa Cruz Export Processing Zone . . .	101
5850	छपाई के श्वेत कागज का निर्यात	Export of White Printing Paper	101-102
5851	दिल्ली से जामनगर के बीच विमान-सेवा	Air Service from Delhi to Jamnagar	102
5852	विभिन्न मंत्रालयों की स्टाफ कारों द्वारा खपत किए गए पेट्रोल पर व्यय	Expenditure incurred on petrol consumed by staff cars of various Ministries . .	102
5853	वर्ष 1973-74 के दौरान विदेशों को निर्यात किए गए माल का मूल्य	Value of goods exported to foreign countries during 1973-74	102-103
5854	बम्बई में बरामद किया गया तस्करी का माल	Smuggled goods seized in Bombay	103

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5855	बम्बई के इंडियन इंस्टीटयूज़ आफ पैकेजिंग के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत	Complaint against three employees of Indian Institute of Packaging at Bombay .	104
5856	धागा नियंत्रण आदेश पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court judgement on Yarn Control Order . .	104
5857	मुंगफली के बदले में रूस से खाद्य तेलो का आयात	Imports of Edible Oils in Exchange for Groundnuts from USSR . . .	104
5858	फिजी के साथ विमान-सेवा संबंधी करार	Air Agreement with Fiji	105
5859	कनाड़ा से ऋण के लिए करार	Agreement for loan from Canada	105
5860	राज्यों को दिया गया ऋण	Loans given to States . .	105–106
5861	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दादरा तथा नगरहवेली में किसानों को दिए गए ऋण	Loan advanced by Nationalised Banks to Farmers in Dadra and Nagar Haveli . .	107
5862	दादरा और नगर हवेली में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Dadra and Nagar Haveli . .	107
5863	बम्बई हवाई-अड्डे के यातायात विभाग में काम कर रहे कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against some employees working in Traffic Department at Bombay Airport	107–108
5864	फ्लाइंग क्लबों द्वारा उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद करना	Discontinuance of Flight Training Programme by Flying Clubs	108
5865	जस्ते के आयात पर प्रतिबंध	Curbs on Zinc imports . .	108
5866	पर्वतीय क्षेत्रों के शिक्षित नवयुवकों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि तथा स्वनियोजन के प्रयोजन हेतु सुविधापुर्वक ऋण दिया जाना	Easy flow of credit for Industrial, Commercial, Agricultural and Self-employment purposes to educated youth of Hilly Regions . .	109
5867	आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities	110
5868	इंडियन एयरलाइंस के अधिकारियों को मिले भत्ते पर आयकर की अदायगी से छूट	Exemption from payment of Income Tax on Allowance Received by Officials of Indian Airlines . . .	110
5869	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगों/संस्थाओं को एक करोड रुपये से अधिक ऋण दिया जाना	Advance of Loans by Nationalised Banks to Industries Institutions for more than Rupees one crore . .	111

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5870	भारतीय जीवन बीमा निगम की कैपिटल राशि	Capital Amount of Life Insurance Corporation of India	111
5871	महाराष्ट्र तथा गुजरात में सेंट्रल बैंक की श्री कुंटा और पेठ शाखाओं में हुई जालसाजी	Fraud committed in Srikuntta and Peth Branches of Central Bank in Mahaiashtra and Gujarat	112–113
5872	भारतीय जीवन बीमा निगम के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन	Salary of Employees of different categories in Life Insurance Corporation of India . .	113
5873	नागर विमानन विभाग द्वारा विमान-चालन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिये गये ऋण	Loans given for undertaking pilot training by the Civil Aviation Department . .	113–114
5874	पश्चिमी जर्मनी द्वारा पूंजी निवेश	Investment by West Germany	114–115
5875	'बेनेलक्कस' देशों द्वारा भारत में पूंजी निवेश	Investment in India by Benelux Countries	115–116
5876	स्कैन्डिनेवियन देशों द्वारा पूंजी निवेश	Investment by Scandinavian countries	116–117
5877	विदेशी द्वारा पूंजी निवेश	Investment of Foreign Countries	118–120
5878	रूस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों द्वारा भारत में किया गया पूंजी निवेश	Investment made by USSR and other East European countries in India . . .	120–121
5879	सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Cotton Textiles	121
5880	राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States .	121–122
5881	इंडियन एयरलाइंस में तालाबंदी होने के कारण काम चलाऊ विमान सेवा के संचालन में गैरसरकारी कम्पनियों का सहयोग	Cooperation by private Companies in the operation of Skeleton Air Service due to lock out in Indian Airlines .	122
5882	नई दिल्ली में खनिज तथा धातु-व्यापार तथा राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण पर हुआ व्यय	Amount spent on construction of MMTC/STC Staff Quarters in New Delhi . .	122–124
5883	दिल्ली में आने वाले पर्यटकों तथा दर्शकों को कुशल परिवहन की सुविधा देने का प्रस्ताव	Proposal for Providing Efficient Transport to Tourists and Visitors arriving in Delhi .	124
5884	युरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से आयात तथा उनको निर्यात	Export to and Import from EEC Countries . . .	124–125

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5885	सरकारी व्यय में मितव्ययता	Economy in Governmental Expenditure . . .	125
5886	पर्यटक होस्टलों का निर्माण करने का प्रस्ताव	Proposal to Build Tourists Hostels	125–126
5887	चालू वर्ष के दौरान बचत का लक्ष्य	Target of Savings during Current Year . . .	126
5888	मारुति लिमिटेड के शेयरधारियों पर करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes against shareholders of Maruti Ltd. .	126
5889	आयुर्वेदिक औषधियों के निर्यातकों को दी गई नकद सहायता	Cash Assistance given to Exporters of Ayurvedic Medicines	127
5890	छोटे किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋण देने के लियें योजनाएं बनाना	Formulation of Schemes to give Loans to various categories of Small Farmers .	127–128
5891	व्यय में कमी	Reduction in Expenditure .	128
5892	शाहबाद में आयकर अधिकारि ों द्वारा मारे गये छापों के दौरान बरामद किया गया सोना और नकद धन	Seizure of Gold and Currency during Raid by Income Tax Authorities in Shahbad .	128–129
5893	भारतीय वायु सेना तथा इंडियन एयरलाइंस में तकनी ी कर्मचारिओं के वेतंन	Emoluments of Technicians in Indian Air Force and Indian Airlines . . .	129
5894	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में लघु उद्योगों को दिया गया ऋण	Advancing of Credit by Nationalised Banks for Small Scale Industries in Bihar .	129–130
5895	जीवन बीमा निगम द्वारा "अपना घर बनाओ योजना" के अंतरगत राज्यों को दिये गये ऋणों की राशी	Amount of Loans Granted to States by LIC under "Own Your House Scheme" .	130–131
5896	भारत और बेल्जियम के बीच सहायता करार	Aid Agreement between India and Belgium . . .	132
5897	1972-73 में चिथड़ों का आयात	Import of Rags during 1972-73	132
5898	विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के विमानों का पालम हवाई अड्डे पर फंस जाना	Aircraft belonging to various International Airlines Bogged Down at Palam Airport .	132–133
5899	24 मार्च, 1973 को अन्य व्यक्तियों की टिकटों पर यात्रा करने के संबंध में जांच	Investigation in Connection with Travelling on other People's Tickets on 24-3-1973	133
5900	सूती धागे का वितरण	Distribution of Cotton Yarn .	133

अता० प्र०संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
5901	बम्बई और मंगलोर के बीच बोइंग-737 विमान की उड़ान	Boeing-737 Flight between Bombay and Mangalore .	134
5902	विदेशो में भारतीय पटसन वस्तुओं के लिए कड़ी प्रतियोगिता	Stiff Competion for Indian Jute Goods Abroad .	134
5903	मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत के विदेश व्यापार में 1.85 करोड़ रूपये का अधिक व्यापार	Trade Surplus of Rs. 185 crore in India's Foreign Trade during the year ended March, 1973 . . .	134
5904	अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Rajasthan under the Famine Relief Programme . .	135
5905	लघु सिंचाई परियोजनाओं कि लिए जर्मन सहायता	German Assistance for Minor Irrigation Projects . .	135
5906	हंगरी के शिष्टमंडल द्वारा भारत का दौरा	Visit by a Hungarian Delegation to India . . .	135–136
5907	रेयन टायर यार्न का उत्पादन	Manufacture of Rayon Tyre Yarn	136
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Adjournment Motion (Query)	136–137
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	137–143
	अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों का संशोधन	Amendments to Directions by the Speaker—Laid . .	143
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	144
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	32 वी से 35 वी बैठकों के कार्यवाही सारांश-सभा पटल पर रखा गया	Minutes of Thirty Second to Thirty Fifth Sittings—Laid	144
	35वां प्रतिवेदन स्वीकृत	Thirty fifth Report-Adopted	144 & 161
	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति—	Joint Committee on Offices of of Profits—	
	सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।	Seventh Report–Presented .	144

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
47 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	48th Report-Presented .	144-145
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
43 वां 45 वां और 46 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये .	Forty third, Forty Fifth and Forty sixth Reports-Presented	145
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
15 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Fifteenth Report-Presented .	145
महालेखाकार के कार्यालय त्रिवेन्द्रम में होने वाली हड़ताल के बारे में	Re. Impending strike in A.G.'s Office, Trivandrum . .	145
आपात स्थित संबंधी उद्घोषणा के वापस लिए जाने के बारे में	Re. Withdrawal of Proclamation of Emergency . .	146
संसद् निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक पुरःस्थापित	Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill—Introduced . .	146-147
नियम 377 के अंतर्गत मामला	Matters under Rule 377 .	147-148
अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. International Situation—	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	148-152 & 153-154
आयकर (संशोधन) विधेयक—	Income Tax (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh . .	154-155 & 158-159
श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . . .	155
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda . .	156
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve . .	156
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Birendra Agarwal .	157
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	157
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	158
श्री मूल चन्द्र डागा	Shri M. C. Daga	158
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	159
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh . .	159
दिल्ली नगर कला आयोग विधेयक—	Delhi Urban Art Commission Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री भोला पासवान शास्त्री	Shri Bhola Paswan Shastri	160
खंड 2 से 27	Clauses 2 to 27 . . .	160
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री भोला पासवान शास्त्री	Shri Bhola Paswan Shastri	160
श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजुरी के बारे में संकल्प	Resolution re. Need based Minimum Wages for Workers—	
डा० सरदीश राय	Dr. Sardish Roy . .	161–162 & 170–171
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . .	162–163
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	163
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	163–164
श्री था किरुतिनन	Shri Tha Kiruttinan .	164–166
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . . .	166
श्री मूल चन्द्र डागा	Shri M. C. Daga . .	166
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	167
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik . .	167
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	167
श्री पन्ना लाल बारुपाल	Shri Panna Lal Barupal .	167
श्री मुल्की राज सेनी	Shri Mulki Raj Saini .	167–168
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	169
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma .	169–170
सभा के अपमान के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. Contempt of the House—	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramiah .	168
स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के बारे में संकल्प—	Resolution Re. Free and Fair Elections—	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	172

2—35 L33(ND)/73

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 1973/30 अग्रहायण, 1895 (शक)
Friday, December 21,1973/Agrahayana 30, 1895 (Saka)

लोकसभा ग्यारह बजकर दो मिनिटपर समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Two Minutes past Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों कें मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अच्छी नस्ल के चूजों का निर्यात

*589. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मुर्गे–मुर्गियों का आयात करने के बजाये पड़ोसी देशों को अच्छी नस्ल के चूजों का निर्यात करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां तो कसे और क्या भारत ने अमरीका के पार्क पोल्ट्री फार्म से सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। तथापि, प्रजनन प्रयोजनार्थ प्योर लाइन स्टाक आयात करने की अभी आवश्यकता है।

(ख) एक गैर सरकारी भारतीय पार्टी ने पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म स्थापित करने के लिए 1971 में एक विदेशी पार्टी के साथ सहयोग किया था। इसकी विस्तृत रूपरेखा यह थी:–

1. स्टाक का आयात

(क) प्योर लाइन्स : भारतीय पार्टी द्वारा मै0 पार्क पोल्ट्री फार्म से 410 नर व 1800 मादा तथा 3,000 मादा व 300 नर पेरेन्ट स्टाक का आयात।

(ख) कार्यचालन के प्रथम वर्ष में केवल पेरेन्ट स्टाक का आयात।

2. निर्यात

कार्यचालन के तृतीय वर्ष के पश्चात उत्पादन के 10 प्रतिशत तक स्टाक का निर्यात किया जायेगा तथा उसके पश्चात उसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

श्री जी० वाई० कृष्णन : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नहीं दिया गया है, अर्थात् क्या भारत पड़ोसी देशों को अच्छी नस्ल के चूजों का निर्यात करने की स्थिति में है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : चूजों का निर्यात किया गया है। हाइब्रिड इण्डिया ने वर्ष 1968–69 में 1,31,447 रुपये के मूल्य के और वर्ष 1969–70 में 1,66,440 रुपये के मूल्य के चूजों का निर्यात किया है, एक अन्य सहयोगकर्ता अदबोर एकर्स पालट्री ब्रीडिंग फार्म ने वर्ष 1971 में 3.60 लाख रुपये के और वर्ष 1972 में 19,11,000 रुपये के मूल्य के चूजों और मुर्गी दाने का निर्यात किया।

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या निर्यात बढ़ाने के लिये भी कोई योजना बनाई गई है ?

प्रो० शेर सिंह : जब केन्द्रीय क्षेत्रों में तीन फार्मों और राज्य क्षेत्र में राज्यों द्वारा संचालित 16 फार्मों के माध्यम से हम अपनी नस्लों का विकास कर लेंगे तब हम निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I would like to know the name of the firm which is importing Chickens. It has been stated in the Statement that 410 males and 1800 females have been imported. Should they not import them in due proportion ?

Prof. Sher Singh : Both males and females have been imported keeping in view the productivity.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What is the name of the party ?

Prof. Sher Singh : Kegg Farm Private Ltd., Gurgaon.

श्री के० लकप्पा : अमरीका के पार्क पालट्री फार्म के साथ सहयोग के सम्बन्ध में मुझे पता चला है कि सहयोग के नाम पर पंजाब और कर्नाटक के कुछ लोगों के साथ पक्षपात किया गया है; इन फर्मों के नाम क्या हैं और क्या वे नियत धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं।

प्रो० शेर सिंह : पंजाब और कर्नाटक का कोई सहयोगकर्ता नहीं है, नई दिल्ली की दो या तीन फर्में है और कुछ हरियाणा की हैं। कर्नाटक और पंजाब की कोई फर्म नहीं है।

श्री के० लकप्पा : वहां की दो फर्में है। मुर्गी दाने के नाम पर और इस चूजों के प्रजनन के नाम पर वे इन लोगों के साथ परोक्ष रुप से सहयोग कर रहे हैं। कुछ कम्पनियां कर्नाटक में काम कर रही हैं और वे धन का दुरुपयोग कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

You have given information. That is alright.

No one allows to export Chickens in Punjab.

Shri Shankar Dayal Singh : I do not know whether male or female Chickens are being exported or not but there is great demand of 'Tandoori' Chicken. I would like to know whether steps have been or are being taken to export them ?

Mr. Speaker : They can be exported only if 'Tandoors' are also exported.

दिल्ली में एक आयकर अधिकारी का लापता हो जाना

*590. **श्री वी० मायावन :**

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मयूर भवन, नई दिल्ली में नियुक्त एक आयकर अधिकारी लापता है;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार को आयकर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध लाये गये गम्भीर आरोपों की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ङ) सदन की मेज पर एक विवरण-पत्र रखा गया है।

विवरण

श्री एस० एल० चुघ, आयकर अधिकारी, के बारे में, जो आयकर आयुक्त, दिल्ली (केन्द्रीय) के अधीन तैनात थे, यह रिपोर्ट मिली है कि 14-11-1973 की प्रात: उनके पुत्र ने उन्हें सुपर बाजार के बाहर, कार्यालय परिसर के समीप उतारा था किन्तु वे वापस घर नहीं लौटे। कार्यालय में किसी ने भी यह सूचना नहीं दी है कि उसने उन्हें उस दिन अथवा बाद के किसी भी दिन देखा हो। श्री चुघ के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस आवश्यक जांच-पड़ताल कर रही है। निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त ने भी पुलिस प्राधिकारियों को लिखा जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि एक वरिष्ठ अधिकारी की सतत अनुपस्थिति से प्रशासन को बहुत अधिक चिन्ता हो रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने रुड़की में भी पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया है, जहां से पता चला है कि उनके परिवार को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके बारे में विश्वास है कि वह श्री चुघ के हाथ से लिखा गया है।

श्री चुघ के बारे में यह रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने 24 और 25 नवम्बर 1973 को हरद्वार में परिवार के गुरू से भेंट की। कोई पता नहीं है कि वे इस समय कहां है और वह किन कारणों से अपना घर छोड़ कर लापता हो गये हैं, उनको सिद्ध नहीं किया जा सका है। सरकार का ध्यान एक संकल्प की ओर दिलाया गया है जो आयकर राजपत्रित सेवा संस्था दिल्ली द्वारा 24-11-1973 को संस्था की कार्यकारी की आपातकालीन बैठक में पारित किया गया था। इस संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ, ये आरोप लगाये हैं कि किसी भी सबंधित प्राधिकारियों में से किसी ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की और यह कि यद्यपि उक्त अधिकारी कार्यालय परिसर से लापता हो गया था, फिर भी पुलिस प्राधिकारियों के पास शिकायत तक दर्ज नहीं कराई गई। इनमें से कोई भी आरोप न्याय संगत नहीं है। संकल्प में यह सुझाव भी दिया गया था कि जिस प्रकार के मामलों पर श्री चुघ द्वारा कार्यवाही की जा रही थी उनको ध्यान में रखते हुए उनके "लापता होने" में जाल-साजी का संदेह करने का कारण था। पुलिस की जानकारी में मामले के इस पहलू को भी लाया गया है।

श्री वी० मायावन : जो विवरण सभापटल पर रखा गया है मैंने उसे ध्यान से पढ़ा है। क्या पुलिस अधिकारियों ने गायब होने के कारणों के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला है।

श्री के० आर० गणेश : पुलिस अधिकारियों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच चल रही है। अधिकारी का अभी पता नहीं चला है।

श्री वी० मायावन : क्या, जसाकि संघ ने आरोप लगाया है पुलिस अधिकारियों ने किसी षड़यंत्र का सुझाव देने वाली सामग्री उनका कोई शपथपत्र तैयार किया है ?

श्री के० आर० गणेश : उनके पुत्र ने जो एफ. आई. आर दर्ज कराई है उसमें भी षड़यंत्र की कोई बात नहीं है। इसके विपरित उनके पुत्र ने एफ. आई. आर में कुछ बातें कही है। आपकी अनुमति से मैं एफ. आई. आर का कुछ भाग पढ़ना चाहता हूं क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं एफ. आई. आर. में कहा गया है :

(एक) करीब दो महीने से उन्हें दिमागी परेशानी रहती थी जिसकी वजह से वह बिल्कुल गुमसुम रहने लगे थे। उन्होंने यह भी कहा है :

(दो) करीब 7,6 साल पहले ही उनको ऐसी दिमागी तकलीफ हो गयी थी, वह स्वयं एक दिन बाद आ गये थे। इसके पश्चात उन्होंने कहा हैं।

(तीन) मुझे किसी किस्म का शक व शुबहा नहीं है।

बम्बई की फर्मों द्वारा आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

***591. श्री ज्योतिर्मय बसु † :**
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री बम्बई में उन फर्मों के बारे में जिन पर सितम्बर, 1973 तक आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के लिये मुकदमा चलाया गया था, 23 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1834 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक फर्म के विरुद्ध दुरुपयोग के विशिष्ट आरोप क्या क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितना धन अन्तर्गस्त है ; और

(ख) कितने मामलों में अपराधियों को दण्ड दिया गया है और प्रत्येक मामले में किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) जिस अतारांकित प्रश्न का उल्लेख किया गया है वह बम्बई में उन फर्मों को संख्या से संबंधित था जिनपर वर्ष 1973 के दौरान आयात लाइसेंस के दुरुपयोग के लिए मुकदमा चलाया गया था। उन मुकदमों में जिनका निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है, आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के विषिष्ट आरोपों के साथ अपराधी व्यक्तियों के नामों, प्रत्येक मुकदमें मे अन्तग्रस्त राशि तथा दिया गया दण्ड दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6087/73**]

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है अथवा नही की केन्द्रीय जांच ब्युरो की रिपोर्ट के अनुसार केवल 1971 में ही 86 फर्मो ने 2.5 करोड़ रुपये के मूल्य के 279 औद्योगीक अथवा आयात लाईसेसों का गलत ढंग से उपयोग किया 48 फर्मो ने 184 लाख रुपये के मूल्य के वास्तविक उपभोक्ता लाईसेंसों का दुरुपयोग किया तथा 34 फर्मो ने जाली कागज़ी के आधार पर गलत अभ्यावेदन करके लाईसेस प्राप्त किये यदि यह सच है तो इन फर्मो के विरुद्ध क्या निश्चित कदम उठाये गये है तथा कितनी फर्मो के विरुद्ध कदम उठाये गये हैं और कितनी फर्मों को छोड दिया गया हैं तथा उन्हे छोड देने के क्या कारण है ?

प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय : मूल प्रश्न बम्बई की फर्मों के बारे में था इन विशिष्ट मामलों में जो आरोप लगाये गये हैं जो व्यक्ति उत्तरदायी हैं तथा जितनी धन राशि लिप्त है और जो निर्णय कियें गये हैं सभी कुछ न्यायलय के सामनें है। माननीय सदस्य ने सारा मामला उठा लिया है। यह मूल प्रश्न में नहीं था। जिस जानकारी में उनकी रुचि थी वह विस्तार से दे दी गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस मामले में बम्बई की एक प्रमुख फर्म, दी एशियन केबल्स कारपोरेशन, जिसने बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदारों, मित्रों और बच्चों को रोजगार दिया है, जिसके बारे में मैं अगले सभा में किसी दिन चर्चा उठाऊंगा, के बारे में यह सच है कि नहीं कि इन्होंने 2500 टन पालीथीन 3.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आयात की थी और इसे 7.50 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से बेचकर 88 लाख रुपये की राशि लाभ के रुप में कमायी? क्या मंत्री महोदय-यह बतायेंगे कि लाइसेंस पर कितनी मात्रा अंकित की गई है, और सिमाशुल्क के अनुसार प्रतिदिन तथा साप्ताहिक सूची में कितनी मात्रा दिखाई गई है, कितने मूल्य के लाइसेंसों का उपयोग किया गया, दूसरे प्रतिस्पर्धी यूनियन कारबाइडने कितनी मूल्य का आयात किया? दूसरे, फर्म के निदेशकों की सूची में मैसर्स एशियन केबल्स कारपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष के रुप में श्री गिरधारीलाल का नाम है, श्री पोपटलाल आदि के नाम हैं। परन्तु इनकन ब्रदर्स के श्री आर० पी० गोयन्का, जो वास्तविक अपराधी हैं, का नाम नहीं है। क्या ऐसा इसलिये है कि वह सत्तारुढ़ दल के बहुत निकट हैं? श्री आर० पी० गोयन्का, जो इसमें मूल रुपसे अन्तंग्रस्त है, का नाम क्यों नहीं है? केन्द्रीय जांच ब्यूरों के कागजात में गोलमाल करके उन्होंने अपना नाम निकालकर लिया है। नाम सूची में है।

प्रो० डो० पी० चट्टोपाध्याय : एशियन केबल्स के विरुद्ध 80,56,500 रुपये की राशि के गोलमाल के आरोप हैं। उनके विरुद्ध दो मामलें न्यायालय में दायर किये गये हैं। तीसरा आरोप भी केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भेज दिया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरों महान्यायाधिकर्ता से सम्पर्क कर रही है। वे मामले पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी सम्बन्ध है, हमने जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरों को दिया है और कहा है कि यदि आवश्यक हो तो उनके विरुद्ध मामला बनाये। गोयन्का का नाम इसलिये नहीं है क्योंकि कि उस समय गोयन्का एशियन केबल्स के स्वामी नहीं थे। संभवतया, वह बाद में इसके स्वामी बने। इसी कारण सूची में गोयन्का का नाम नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सही नहीं है। हमनें सदन में गोयन्का के विरुद्ध विशिष्ट कागजात पेश किये हैं। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री गोयन्का में सत्तारुढ़ कांग्रेस को धनराशि दी है। इसी कारण उनका नाम निकाला गया है। उन्होंने बड़े बड़े लोगों के सम्बन्धियों को रोजगार दिया है **(व्यवधान)** ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that there is a C. B. I. inquiry in progress for the favour show to a Bombay firm by two big officers of the office of Controller of Exports and Imports? May I know the names of those officers from the hon. Minister or should I reveal their names here in the House ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जब फर्म का नाम ही नहीं बताया गया है तो प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया जा सकता है?

Mr. Speaker : Is it relating to the original question or you want to know something new separately.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Then, should I tell their names...

Mr. Speaker : No, no what I meant was......

Shri Atal Bihari Vajpayee : My question is that for the favour shown to a Bombay firm......

Mr. Speaker : If you want to ask a Question you should give names and a notice for that.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Should I give the name of the firm or the names of the officers of Controller's office There is an inqury in his office, C. B. I. has examined those officers and the hon. Minister is not awaie of it.

Mr. Speaker : You have asked it out of the refernce in the first part of the Question or you have asked something new.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am asking about the Starred Question, on which supplementaries are being asked.

Mr. Speaker : Does this arise fiom the reply ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am asking about that. I am giving their names.

There are two officers, Shri Manocha and Miss Usmani employed in the office of exports and Imports. Is it a fact that there is a C. B. I. inquiry in progress against them for the favour shown to a firm in Bombay ? Is the hon. Minister aware of it ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे इन अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे इतना पता है कि ये मंत्रालय के अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : He has not said even this much that the information will be collected.

Mr. Speaker : When you have referred to it, he will tiy to collect the information.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इसका निश्चय ही पता करूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Tomorrow is the last day of this session.Will he inform the House by tomorrow that there is inquiry in progress or not? I have got evidence and would like to produce it in the House.

Mr. Speaker : Parliament will continue for another three years .It must cease to function tomorrow.

श्री विश्वनारायण शास्त्री : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि बम्बई की कुछ फर्मों ने आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग किया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच तथा न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्रालय कमियो का पता लगाने के लिये तथा इस मामले में अधिक सतर्कता बरतने के लिये तैयार है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां।

श्री जगन्नाथ राव : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि आयात लाइसेंसों का बार-बार दुरुपयोग किया जाता है, क्या मंत्रालय खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयात की व्यवस्था करने की कोई योजना बना रहा है। जिससे कि ऐसे कदाचार न हों।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यरूप देने के लिये एक सुझाव मात्र है।

श्री सेझियान : विवरण में 12 मामलों का संदर्भ दिया गया है, जिनमें से दो मामलों संख्या 2 और 6, में आरोप सिद्ध हो चुके हैं और दंड दिया जा चुका है। मामला संख्या 2 संख्या श्री सीताराम पुरुषोत्तमदास महेश्वरी आदि के बारे में है और 34,000 रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है। पहले अपराधी को एक दिन

की कैद तथा 1100 रुपये जुर्माना जिसे अदा न करने पर 2 महीने की कड़ी कैद का दंड दिया गया है। मामला संख्या (6) मैसर्स वायरलैस मैन्युफैक्चरिंग (इंडिया) आदि का है और इसमें 4.5 लाख रुपये की राशि अन्तर्गस्त है। । मूल अपराधी श्री एस० आर० चोपड़ा को एक दिन की साधारण कैद का दंड दिया गया है क्या इन मामलों में दिया गया दंड पर्याप्त है और यदि कानून में और अधिक कठोर दंड की व्यवस्था नहीं है, तो क्या मंत्रालय उन मामलों के लिये जिनमें आरोप सिद्ध हो गया है और कठोर दंड की व्यवस्था करेगा?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : न्यायालयों के निर्णय तथा उनके द्वारा दिये गये दंड से मेरे संतुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह देश के कानून के अनुसार है परन्तु मेरा विचार यह है कि इस प्रकार के आरोपों के लिये दंड व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि श्री आर० पी० गोयन्का वर्ष 1967 से प्रबन्ध निदेशक थे। फर्म 1967 में डन्कन ब्रादर्स ने ले ली थी। अतः श्री आर० पी० गोयन्का इस मामले में अन्तर्गस्त है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना उत्तर ठीक कीजिये। अन्यथा बाद में वह विशेषाधिकार का प्रश्न उठायेंगे।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने केवल इतना कहा है कि वहां अपराधियों के अमुक नाम दिये गये हैं। मुझे यह पता नहीं कि श्री गोयन्का ने इसे कब से अपने अधिकार में लिया। मैंने केवल इतना ही कहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये। अगला प्रश्न।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रमाण पेश करूंगा कि मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत खतरनाक हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु केवल बुरे आदमियों के लिये।

राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़े व्यापार गृहों को दी गयी वित्तीय सहायता

*592. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1973 के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने बड़े व्यापार गृहों को कितनी वित्तीय सहायता दी ;

(ख) इन संस्थाओं द्वारा दी गयी कुल सहायता में उक्त सहायता का अनुपात कितना है ; और

(ग) उक्त सहायता किस किस प्रकार की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क), (ख) और (ग) : अखिल भारतीव दीर्घावधिक सरकारी वित्त संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय युनिट ट्रस्ट और भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम द्वारा बड़े और उपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक घरानों (जिनकी सूची औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति की रिपोर्ट में दी गयी है) के औद्योगिक उपक्रमों के लिए जनवरी, 1973 से 30 नवम्बर, 1973 दौरान स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता की कूल राशि, सीसमी ऋण-कर्ताओं को दी गई कूल सहायता की प्रतिशतता सहित नीचे दी गई है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	स्वीकृत	वित्तीय सहायता वितरित*
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक . .	4727·00 (29.8%)	2356.00 (21.7%)
2.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम . .	409.21 (9.4%)	565.09 (19.9%)
3.	भारतीय जीवन बीमा निगम . .	614.56 (33.87%)	468.72 (1.76%)**
4.	भारतीय युनिट ट्रस्ट . .	386.33 (53.79%)	396.82 (51.11%)
5.	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम .	1381.00 (26.9%)	1349.00 (36.5%)

*वितरणों में पहले की स्वीकृतियों के संबंध में किये गये वितरण भी शामिल है।

**यह सभी क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये कुल निवशों से संबंधित हैं। निजी निगमित क्षेत्र को दी गयी सहायता से संबंधीत निवेश केवल 49.27% है।

कोष्ठ को में दिये गये आंकड़े सभी ऋण-कर्ताओं को दी गयी सहायता की प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं। बड़े औद्योगिक घरानों को उपर्युक्त अवधि के दौरान स्वीकृत वित्तीय सहायता मुख्यत: प्राथमिकता प्राप्त आधारभूत परियोजनाओं तक सीमित थी। मुख्यत: निम्नलिखित उद्यमों को सहायता दी गयी थी :— लुगदी और कागज, विद्युत उत्पादन, प्रेषण और वितरण प्रणाली, खेती के टैक्टर सेल बेटरी, कालीन/हसिन का अस्तर, इलैक्ट्राड्स, इस्पात की पट्टीयाँ और ढलवां इस्पात, चीनी, रेलवे वेगनों का निर्यात, वस्त्र, लोह और अलोह धातु उत्पाद, आटोमोबाइल प्राड्क्ट्स, रासायनिक पदार्थ और पैट्रो-रासायनिक पदार्थ, सीमेंट, इलेक्ट्रानिक हिस्से, जहाजरानी रबड़ आदि।

जहाँ तक राष्ट्रीकृत बैंकों का संबंध है, वे सामान्यत: कार्यकारी पुंज़ीगत ऋण देते है ज़ो विभिन्न प्रकार की ऋण सीमाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है और इस सीमा तक न केवल औद्योगिक उपक्रम बल्कि सभी किस्म के व्यापारिक उपक्रम समय-समय पर धन से ज़ोड़ने से है और इनकी सामान्यत: समय समय पर समीक्षा की जाती है और उपयुक्त निरस्तीकरण/कटौतियाँ/वृद्धियाँ/परिवर्तन किये जाते है ज़ो उपक्रमों के कार्य और विशेष प्रकार की सुविधा के लिए उनकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसलिए किसी खास समय में किसी उपक्रम को दी गयी ऋण-सुविधा निश्चित करना बहुत कठिन होता है। साथ ही, बैंकरों के मध्य प्रचलित कानून और व्यवहार तथा प्रथा के अनुसार, किसी बैंक के लिए उसके ग्राहकों के संबंध में सूचना देना संभव नहीं है किन्तु 18-7-69 और 29–3–73 को सभी ऋणकर्ताओं से बकाया कुल रकम के संबंध में कुल मिला कर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों के सभी उपक्रमों को दी गई सहायता की शेष राशि नीचे दी गयी है :—

करोड़ रुपयों में

ब्यौरा	निम्नलिखित तारीखों को बकाया कुल रकम	
	18–7–1969	29–3–1973
1. बड़े औद्योगिक घराने	437.94	383.44
2. सभी ऋणकर्ताओं से बकाया कुल रक़म से 1 की प्रतिशतता	23.8%	17.6%

इनमें से अधिकांश अग्रिम संबंद्ध ऋणकर्ताओं की कायकारी पुंज़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति, कच्चे माल, परिष्करणाधीन स्टाक, तयार माल, उपर्युक्त उद्योगों सहित सभी उद्योगों, व्यापार आदि के प्राप्तकों आदि के लिए दिये गये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विवरण से यह पता लगता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय ज़ीवन बीमा निगम, भारतीय युनिट ट्रस्ट और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवश निगम के द्वारा व्यापारिक घरानों को आर्थिक सहायता के रूप में 75 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की जा चकी है, जिसमें से 11 महीनो के दौरान 51 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। यह राशि उस राशि के अतिरिक्त है ज़ो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गयी। विवरण से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के मामले के अतिरिक्त, यह राशि 26 प्रतिशत से 53.79 प्रतिशत के बीच है। अत:, यह स्पष्ट है कि बड़े व्यापारिक घारानों के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिय सरकारी धन का उपयोग किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि जब सरकारी वित्त एंज़ेसियों द्वारा इस प्रकार के बड़े पूंज़ी-निवेश किये जा रहे हैं, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि फर्मों के निमंत्रण का उचित रूप से ध्यान रखा जाये और इन फर्मों के, जहां भारी धन निवेश हुआ है, प्रबन्ध तथा नियंत्रण के मामलों में हिस्सा लेने के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जहां तक सांख्यिकी सूचना का संबंध है, यह विवरण में दे दी गयी है और मेरे विचार में दी गयी प्रतिशतता वास्तविक ही है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। माननीय सदस्य ने यह पूछा है, कि सरकार की नीति इस बारे में क्या है जहां वित्तीय संस्थायें इक्विटी पुंजी में शेयर देती हैं। हमारी नीति यह सुनिश्चित करने की है कि वित्तीय संस्थाओं को बोर्ड में एक निदेशक नियुक्त करन की अनुमति दी गयी हो और वे प्रबंध में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नहीं बताया गया है कि इस नीति को अतीत में कहां तक कार्यान्वित किया गया है।

मेरा दुसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि की सहायता दी गयी? इसके आंकड़े नहीं दिये गये है। मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्रीयकृत बैक यह नहीं बता सकती कि गत 11 महीनों के दौरान कितनी धनराशि दी गयी। इस में केवल यह बताया गया है कि 18 जुलाई, 1973 को और 29 मार्च, 1973 को कुल कितनी राशि काफी समय से बकाया थी।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि कितने समय से यह राशियां बकाया हैं। 29 मार्च, 1973 को बकाया राशि में वृद्धि अधिक मात्रा में सहायता देने के कारण हुई अथवा काफी समय से इन राशियों के चुकाये न जाने के कारण हुई?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मेरे लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि कब से यह राशियां बकाया है क्योंकि उनमें अधिकांश दी गयी राशियां कार्यकर पुंजी ऋण हैं। अत: उनके काफी समय तक बकाया रहने की सम्भावना है। दिये गये आंकड़ों से यह पता लगेगा कि 18 जुलाई, 1969 को इस विशेष ग्रुप में सभी ऋण लेने वालों के प्रति 1969 में कुल बकाया राशि 437 करोड़ रुपयां थी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 29 मार्च, 1973 को कुल बकाया राशि बढ़कर 583 करोड़ रुपया हो गयी है।

जहां तक कुल राशियों के संबंध में इन राशियों के अनुपात अथवा प्रतिशत का संबंध है, यह 23.8 प्रतिशत से कम होकर 17.6 प्रतिशत रह गयी है।

श्री पी० आर० शिनाय : मै यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन बड़े व्यापारिक घरानों पर कोई नियंत्रण रख रही है जिन्हे वह वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता दे रही है और यदि हां, तो सरकार का किस प्रकार का नियंत्रण है?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जैसा कि मैंने कहा है, केवल मात्र नियंत्रण यह होगा कि वित्तीय संस्थायें प्रबंध में प्रभावी ढंग से हिस्सा लेंगी और उनकी नीतियों को प्रभावित करन का प्रयास करगी।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : औद्योगिक नीति संकल्प का एक मौलिक आधार यह है कि यथासम्भव बड़ घरानों को महत्वपूर्ण क्षेत्र में आने की अनुमति न दी जाये। विवरण से यह पता चलता है कि 'उक्त अवधि के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों के लिये स्वीकृत की गयी आर्थिक सहायता मुख्यतया प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं तक ही सीमित रखी गयी थी'। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार इस स्थिति का औद्योगिक नीति संकल्प से कैसे समाधान करेगी?

दूसरे क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि बड़े व्यापारिक घरानों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस प्रकार की सहायता देना अर्थव्यवस्था को औद्योगिक नीति संकल्प से भिन्न दिशा में ले जाना होगा।

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूँगा कि बड़े घराने महत्व-पूर्ण क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। केवल इसी क्षेत्र में उन्हे प्रवेश करने की अनुमति दी गयी है। यह स्वाभाविक ही है कि वित्तीय संस्थायें उनकी सहायता करती है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में क्या स्थिति है?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मेरे विचार में दूसरा भाग प्रथम भाग पर ही आधारित है।

श्री समर गुह : मैं यह जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, युनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकांश मुख्यालय बम्बई में स्थित है जिस कारण बड़े औद्योगिक घराने और मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्यम अपने प्रार्थना-पत्रों के शीघ्र निपटान के लिये वित्तीय संस्थाओं से न्याय प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस संबंध में सरकार को कई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों को उचित तथा समय पर आर्थिक सहायता देने के लिये विचार करेगी?

श्री यशवंतराव चव्हाण : यह केवल संयोग की बात है कि उनमें से कुछ मुख्यालय बम्बई में स्थित है...

श्री समर गुह : लगभग 90 प्रतिशत।

श्री यशवंतराव चव्हाण : यह संयोग की ही बात है। किसी ने भी जानबूझ कर इन मुख्यालयों को बम्बई में ही रखने का प्रयास नहीं किया। किन्तु वे वहां पर है। परन्तु यह तो सच ही है। किन्तु, मैं माननीय सभा को आश्वासन देता हूं कि वित्तीय संस्थामें उद्योगों को उनके स्थान के अनुसार सहायता नहीं देती। यदि कोई विशेष शिकायतें हों, तो मैं उन पर विचार करने के लिये तयार हूँ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : पहला प्रश्न मैं यह पुछना चाहूँगा कि इन संस्थाओं के कुल ऋणों के कितने प्रतिशत भाग को इक्विटी शेयरों में बदला जा चुका है। दुसरी बात यह है कि हम संस्था 2 और 3 के संबंध में दिये गये आंकड़ों को कैसे समझे। भारतीय औद्यागिक वित्त निगम के मामले में स्वीकृत आर्थिक सहायता 9.4 प्रतिशत है और वितरित की गयी आर्थिक सहायता 19.9 प्रतिशत है और स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि पूर्व स्वीकृतियां भी इसमें शामिल हैं। क्या यह तब दुगुनी हो सकती है? मैं वास्तव में ही इसे समझने में असमर्थ हूँ। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम के संबंध में, इन के आंकड़े 33.87 प्रतिशत और 1.76 प्रतिशत है और यहां यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि यह गैर-सरकारी क्षेत्र से भी संबंधित है। किन्तु श्रीमान् जी प्रश्न यह है कि यह अनुपात किस प्रकार बढ़ रहा है अथवा कम हो रहा है। इसके बारे में हम सभा पटल पर रखे गये विवरण से अनुमान लगाने में असमर्थ है।

श्री यशवंतराव चव्हाण : जहां तक वितरित की गयी राशियों का संबंध है, इस में उस अवधि से पूर्व स्वीकृत ऋणों की वितरित की गयी राशियां भी सम्मिलित हैं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : किन्तु क्या ये इस प्रकार दुगुनी हो सकती है? 9.9 और 18।

श्री यशवंतराव चव्हाण : कई बार ऐसा हो सकता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इन राशियों को पहले वितरित क्यों नहीं किया गया?

श्री यशवंतराव चव्हाण : कई बार ऋणों की स्वीकृति दी जाती है और योजना के वास्तविक कार्यान्वयन में अनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती है और इस प्रकार काफी समय लग जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि अधिक समय लगता है । इसमें अधिक समय लगना चाहिये अथवा नहीं, निश्चय ही इसके बारे में दो मत हो सकते है।

माननीय सदस्य के अन्य प्रश्न के संबंध में, इस समय किसी राशि को इक्विटी शेयरों में नहीं बदला गया है, किन्तु बदलने संबंधी खण्ड को इस समझौते में शामिल किया गया है ।

श्री वसन्त साठे : मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि क्या कोई ऐसी नीति अपनायी गयी है जिससे इन बड़े घरानों द्वारा किये गये निवेश तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता के बीच अनुपात निर्धारित किया जा सकें? क्या कोई सीमा निश्चित है?

दूसरे आप इक्विटी शेयरों को धारण करने के अतिरिक्त इन संस्थाओं के प्रबंधक बोर्डों में किसी वित्तीय संस्था द्वारा नाम-निदेशित निदेशकों की नियुक्ति के बारे में किस प्रकार का ठोस नियंत्रण लागू करना चाहते हैं?

श्री जगन्नाथ राव : यह ऋण की एक शर्त है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने ऋणों की प्रतिशतता के बारे में पूछा है क्या कोई प्रतिशतता निर्धारित की गयी है। मेरे पास निश्चित सूचना नहीं है। , किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वित्तीय संस्थायें अवश्य ही इस बात की ओर ध्यान दे रही होंगी कि पुंजी निर्माण के लिये स्वयं उद्योग कितना वास्तविक अंशदान कर रही हैं। किन्तु मेरे पास सही प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है।

धूसरी बात के संबंध में, उन्होंने निदेशकों की अपनी सूची तैयार की हुई होती है, जिसे वे वित्तीय संस्थाओं तथा सामान्य औद्योगिक नीति की दृष्टि से बनाते हैं। उनमे से वे प्रतिनिधियों की नियुक्ति करत हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध चन्द्र ।

श्री वसंत साठे : उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक पुरानी कहानी है। मैंने दूसरे सदस्य को अपना प्रश्न पुछने के लिए कहा है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मै माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने के बहाने सरकार गैर-सरकारी उद्यमियों को कई अपने नामांकित लोगों को निदेशकों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दे देती है, यद्यपि उनका पुंजी निवेश केवल 5 प्रतिशत ही हो?

श्री यशवंतराव चव्हाण : यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है। मैं 'हां' या 'नहीं' में उत्तर नहीं दे सकता। यदि मुझे कोई विशेष मामला बताया जाये, तो सम्भवतः मैं कुछ कह सकुं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the Honb'le Minister whether the financial institutions acquire partnership by investing in equity shares in the new companies which are being started during these day by larger business houses? For example, Government have invested huge amounts in Modi Rubber. If no divident is declared for 5 years, the Government won't earn a single paisa. If the Government had advanced loans, they would have earned at least 10, 12 or 13 per cent as interest on the amount of loan. Have any guidlines been formulated in this regard ?

Shri Yashwantrao Chavan : Specifically no guidelines have been formulated in this regard. But we have to see that we should only advance loans or we should think in terms of interest and dividend or invest in equity shares. If we acquire shares, we have to wait for some time for getting dividend.

Shri Madhu Limaye : If capital is invested in the equity shares of new companies no dividend would be earned.

Shri Yashwantrao Chavan : We have to see in terms of dividend or capital investment of shares. we think, at present we have to consider for capital investment.

डा० रानेन सेन : क्या मै यह जान सकता हूँ कि सरकार का ध्यान आल इंडिया बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन के जो अखिल भारतीय बैंक कर्मचारियों का सब से शक्तिशाली संगठन है, प्रस्ताव की ओर गया है जिसमें यह बताया गया है कि इस समय भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल निवेश का 85 प्रतिशत भाग बड़े व्यापारिक घरानों को जाता है और केवल 15 प्रतिशत भाग ही छोटे व्यापारियों को मिलता है? यदि मंत्रालय का ध्यान इस वक्तव्य की और गया है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस वक्तव्य के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस संबंध में वास्तविक तथ्य क्या है?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जहां तक औद्योगिक घरानों का संबंध है, माननीय सदस्य द्वारा बतायी गयी प्रतिशतता सही प्रतीत नहीं हो रही है। मैं इसे सुधार सकता हूं क्योंकि यह सूचना मुझे 29-3-1970 को सभी ऋण लेने वालों के प्रति कुल बकाया राशि के संबंध में मिली है यह लगभग 583 करोड़ रुपया बनती है जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से कुल ऋणों का 17.6 प्रतिशत है।

Shri R. P. Yadav : Mr. Speaker, Sir, it appears from the statement laid on the Table of the House that Industrial Financial Corporation of India has sanctioned the amount of Rs. 409.21 lacs and the amount disbursed against it is Rs. 565.09 lacs. Industrial Credit & Investment Corporation of India sanctioned the amount of Rs. 1381 lacs and disbursed the amount of Rs. 1349 lacs. If so, whether is it a fact that small industrialists would also be given this facility ? The Hon'ble Minister has said that "Financial assistance sanctioned for the above period is mainly to the core sector projects." In this context, I want to know whether their corporate industries are also included in the core sector ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : जहां तक भारतीय वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश-निगम का संबंध है, मेरे विचार में श्री मिश्र ने भी यही प्रश्न पूछा था, कुछ मामलों में स्वीकृत राशि की तुलना में प्रतिशतताएं अधिक प्रतीत हो सकती है। यह इसी कारण से है कि स्वीकृत राशि के लिये वितरण इस अवधि से पूर्व हो जाता है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : कालीन उद्योग के बारे में क्या स्थिति है?

श्री यशवंतराव चव्हाण : यदि इसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योग के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा हो सकता है। कालीन अस्तर उद्योग निर्यातोन्मुख महत्वपूर्ण उद्योग है और यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

पड़ोसी देशों से व्यापार

*593. **श्री के० लकप्पा :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार अपने पडौसी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने में अधिक रुचि लेने का है; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में नीति संबंधी निर्णय ले लिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का संकेत संभवत: अफगानिस्तान, बंगला देश, बर्मा, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के पड़ौसी देशों की ओर है। 1965 से पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं है। सभी अन्य देशों के साथ भारत के निकट व्यापार संबंध और पारस्परिक सहयोग है। व्यापार करार भी है जिनका उद्देश्य अफगानिस्तान, बंगला देश, बर्मा, ईरान, नेपाल तथा श्रीलंका के साथ व्यापार विस्तार तथा निकटतर आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग करना है। नेपाल के साथ एक संयुक्त पुनरीक्षण समिति, श्रीलंका के साथ आर्थिक सहयोग के लिए एक संयुक्त समिति और ईरान के साथ आर्थिक सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग है। अफगानिस्तान, बंगला देश तथा बर्मा के साथ निकट द्विपक्षीय परामर्श भी है।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, व्यापार में कूटनीति भी एक महत्वपूर्ण योग्यता होती है जिसका हमें निर्माण करना है।

अध्यक्ष महोदय : भूमिका मत बांधिये। आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री के० लकप्पा : हमें अपने पड़ौसी देशों के साथ व्यापार संबध स्थापित करने है। अपने पड़ौसी देशों की अपेक्षा अन्य लैटिन अमेरिकन देशों के साथ हमारे व्यापार संबंध अधिक स्थापित हुये हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार ने इस स्थिति को सुधारने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कोई विशेष प्रयास किया है कि अच्छे व्यापार संबंध स्थापित किये जाये क्योंकि माननीय मंत्री ने हमारे हाल के व्यापार करार के बारे में कहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्हे परामर्श देने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा कर के प्रश्न पूछिये

श्री के० लकप्पा : यैं यह जान सकता हूँ कि क्या व्यापार संबंधो को सुधारने के लिये हाल ही में कोई विशेष प्रयास किये गये हैं और यदि हां, तो हम उनमें कहा तक सफल हुये हैं? क्या माननीय मंत्री इस के बारे में विवरण दे सकते हैं?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसा कि मुख्य उत्तर में बता दिया गया है, पाकिस्तान के अतिरिक्त हमारा व्यापार तथा आर्थिक संबंध एवं सहयोग दिन प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। इन पड़ौसी देशों के साथ निर्यात और आयात के कुल आंकड़े ये है :—

1968–69	217 करोड़ रुपये
1969–70	241 करोड़ रुपये
1970–71	234 करोड़ रुपये
1971–72	242 करोड़ रुपये
1972–73	395 करोड़ रुपये

श्री के० लकप्पा : चीन-नेपाल के, जो हमारा पड़ौसी देश है बाजार में अपने माल भारी मात्रा में भेज रहा है और इन वस्तुओं की तस्करी भारत में की जाती है और उनकी बिक्री यहां हो रही है। इस पड़ौसी देश में और हमारी सीमा पर एक गिरोह काम कर रहा है। क्या नेपाल के साथ अपने व्यापार संबंधों को सुधारने और अपने माल को नेपाल के बाजार में भारी मात्रा में भेजने की ओर कोई विशेष ध्यान दिया गया है? शिमला समझौते के बाद क्या पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार संबंधों को सुधारने के लिये कोई विचार किया गया है और यदि हां, तो इस दिशा में कौन कौन से प्रयास किये गये है?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि नेपाल हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ौसी है और चीन भी नेपाल का एक पड़ौसी है। चीन के द्वारा नेपाल के बाजारों में चीनी माल को भारी मात्रा में भज दने तथा नेपाल के माध्यम से चीनी माल की भारत में तस्करी विशेष पहलू के संबंध में स्थिति यह है कि हम एसी सम्भावनाओं को रोकने के लिए उपाय कर रहे हैं और व्यापार और परिवहन के बारे में हाल ही में हुयी संधि में एक बहुत ही सख्त शर्त रखी गयी है कि तीसरे दश के स्रोतों से आये माल पर रोक लगायी जायेगी और सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जायेगी।

श्री के० लकप्पा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय मंत्री ने स्वयं ही इसका उत्तर देना पसंद नहीं किया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : कुछ समय पूर्व वित्तीय विषयों के लेखकों के मंच को सम्बोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री ने एक नीति सबंधी वक्तव्य दिया था कि हम व्यापार बढ़ाने के लिय पडौसी देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उस संबंध में उन्होंने एक ग्रुप बनाने का भी उल्लेख किया था। मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि क्या सांझा बाजार के विचार के आधार पर पड़ौसी देशों का कोई ग्रुप बनाया गया है?

श्री ए० सी० जार्ज : सरकार फिलहाल इस प्रकार के तंत्र के बारे में विचार नहीं कर रही है, किन्तु हम इन में से त्येक देश के साथ अपने आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के बारे में सोच रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अभी अभी मेरे माननीय मित्र श्री लकप्पा ने एक अनपूरक प्रश्न पूछा था और कहा था कि नेपाल हमारा पड़ौसी देश है और चीन और नेपाल के बीच व्यापार होता है और चीनी माल हमारे देश में आ रहा है . . .

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने यह नहीं कहा।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : श्री लकप्पा ने यह कहा है। चीन भी हमारा पड़ौसी है और हमारी सरकार ने बार-बार यह घोषणा की है कि वह चीन के साथ सामान्य संबंध स्थापित करना चाहती है। क्या सरकार चीन के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के बारे में सोच रही है?

श्री ए० सी० जार्ज : विदेश मंत्री द्वारा इस विशेष प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, हमारी चीन के साथ कोई विशेष शत्रुता नहीं है।

संकटग्रस्त चाय बागानों की स्थिति में सुधार करना

*594. **श्री रानेन सेन :** क्या वाणिज्य मंत्री 24 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4166 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्द तथा संकटग्रस्त चाय बागानों की स्थिति सुधारने के लिये कार्यकारी दल की सिफारिश पर आगे कार्यवाही करने के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) बंद पड़े तथा संकटग्रस्त चाय बागानों के सुधार के लिए टास्क फोर्स की सिफारिश सरकार के विचाराधीन हैं।

3—35 LSS (ND)/73

डा० रानेन सेन : यह बहुत ही टालने वाला उत्तर है। 24 अगस्त को मैंने यही प्रश्न पूछा था कि 'टास्क फोर्स' की सिफारिशें क्या है। इस का उत्तर यह दिया गया था कि यह सरकार के विचाराधीन हैं। अब लगभग दिसम्बर का अन्त आ गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि (क) इस संबंध में 'टास्क फोर्स' की वास्तविक सिफारिशें क्या है; (ख) क्या सरकार 'टास्क फोर्स' की सिफारिशों को सभा-पटल पर रखने के लिये तैयार है; और (ग) सरकार 'टास्क फोर्स' की सिफारिशों पर विचार करने के लिये कितना समय लेगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : अन्य बातों के साथ साथ 'टास्क फोर्स' से बन्द पड़े तथा संकटग्रस्थ चाय बागानों, चाय तथा चाय उद्योग के लिये सहायक वस्तुओं को प्रोत्साहन देने की समस्या पर विचार करने के लिये कहा गया था। उसने समस्याओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि हमने क्या किया है, क्योंकि सरकार ने इस मामले के संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। ऐसी सिफारिशों के संबंध में मुझे माननीय सदस्य को यह बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 'टास्क फोर्स' ने इन बातों के साथ यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को उन चाय बागानों के कार्यकरण की जांच करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये जो अस्थायी अथवा स्थायी रूप से बन्द पड़े हुये है अथवा जिन्हे इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संकटग्रस्त समझा गया है। मानदण्ड निर्धारित भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस में बताया गया है कि सरकार को संकटग्रस्त तथा बन्द पड़े चाय बागानों के प्रबन्ध संबंधी पहलुओं और अन्य कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये और इसे ऐसे चाय बागानों को या तो चाय व्यापार निगम को अथवा किसी अन्य एजेंसी को सौंप देना चाहिये जिसे उद्योग द्वारा बताया जाये। ये कुछ बुनियादी बाते हैं। इन बातों पर विचार करने के लिये कुछ समय लगेगा। अतः हमारे द्वारा अगस्त में दिये गये उत्तर तथा अब दिये जा रहे उत्तर में भेद है, क्योंकि हमने इस मामले को और आगे चलाया है, यद्यपि अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

डा० रानेन सेन : अपने पहले प्रश्न में मैंने पूछा था कि क्या सरकार विशिष्ट संकटग्रस्त मामलों के संबंध में इस विशेष सिफारिश को सभा-पटलपर रखने के लिये तैयार है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : चुंकि हम इस मामले पर विचार कर रहे है और 'टास्क फोर्स' की सिफारिशों के संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिये गये है, इस लिये इस चरण पर हम इसे सभा-पटल पर नहीं रखना चाहते। किन्तु इस मामले के संबंध में निर्णय लेते ही इसे सभा-पटल पर रख देंगे।

डा० रानेन सेन : चुंकि बंगाल और असम क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या में चाय बागान पहले ही बन्द हो चुके हैं और काफी बड़ी संख्या में बागान बन्द होने की स्थिति में है और इस तथ्य को देखते हुये कि असम और पश्चिम बंगाल की सरकारे इन बन्द पड़े और संकटग्रस्त बागान को ले लेना चाहती है जिस के लिये उन्होंने इस वर्ष के आरम्भ में भारत सरकार से अनुमति मांगी थी, इसलिये क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि भारत सरकार विशेषकर वाणिज्य मंत्रालय के मार्ग में ऐसी कौनसी बाधा है जिसके कारण उसने राज्य सरकारों के द्वारा संकटग्रस्त और बन्द पड़े बागानों को ले लेने की अनुमति देने से इंकार किया है। उन्हे ले लेने से हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और इसका अध्ययन भी कर रहे हैं अतः इंकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री डी० के० नायक : क्या मैं सामान्य रूप से सरकार से और विशेष रूप से इस मंत्रालय से एक बात जान सकता हूं ? भारी उद्योग मंत्रालय ने एलकाक एशडाउन जैसे कारखानों को अपने अधीन ले लिया है। इस के साथ ही उड़िसा में कुछ कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण

समाप्त किया जा रहा है । क्या हम राष्ट्रीयकरण के संबंध में कोई स्थायी नीति बना सकते हैं जिससे केवल एक मंत्रालय द्वारा इसे निपटाया जाय न कि अनेक मंत्रालयों द्वारा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह टिप्पणी है न कि प्रश्न । अतः मेरे द्वारा इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है ।

श्री त्रिदिब चौधरी : मंत्री महोदय ने इस बात का संकेत दिया है कि 'टास्क फोर्स', की एक सिफारिश यह भी है कि सरकार के पास संकटग्रस्त और बन्द पड़े चाय बागानों के मामलों की जांच करने की शक्ति होनी चाहिये । यह कोई नया अथवा अनोखा विचार नहीं है । यद्यपि यह सिफारिश की गई है, तथापि उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही वह शक्ति सरकार को प्राप्त है । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विशेष कारणों से उस शक्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा है । यदि संकटग्रस्त तथा बन्द पड़े बागानों के प्रबन्ध को कुछ स्वतंत्र संगठन ले लेते है, तो उन्हे चलाने के लिये वित्तीय प्रबंध क्या होंगे ? क्या 'टास्क फोर्स' ने इस के संबंध में कोई सिफारिश की है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है । वाणिज्यिक ऋण उपलब्ध हैं । चाय बोर्ड भी कुछ ऋण उपलब्ध करता है । यदि यह निर्णय कर लिया जाता है कि प्रबंध का देखरेख चाय व्यापार निगम अथवा किसी राज्य सरकार की एजेंसी अथवा विभिन्न स्वरूपों में संगठित स्वयं उद्योग के द्वारा की जाती है, तो स्वयं उसके द्वारा ही इस समस्या पर विचार किया जायेगा । उस कल्पना के आधार पर मैं इस चरण पर कोई वचन नहीं दे सकता, क्योंकि यह एक काल्पनिक बात है । मैं इस चरण पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह बात कार्यवाही वृत्तान्त में है कि मंत्री महोदय ने पश्चिमी बंगाल में सोनाली और रूपाली नाम के दो संकटग्रस्त बागान को आश्वासन दिया था कि उनके प्रबंध को नियंत्रण में ले लिया जायेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि वह आश्वासन क्या है जो उन्होंने दिया है और उन बागानों को ले लेने के मार्ग में क्या बाधा है ?

अध्यक्ष महोदय : इस से यह प्रश्न पैदा नहीं होता । यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यदि सरकार इन्हें लेने में असमर्थ है, तो मंत्री महोदय ने गरीब श्रमिकों को इस प्रकार का आश्वासन क्यों दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

Shri Hukum Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I want to know whether it is a fact that these are the same sick and closed gardens which are 40-50 years old and they have not been provided with modern technical know how and they could improve if they are provided with this know how? Secondly, whether it is a fact that the amount taken by the gardens was invested by them in other industries ? Are you aware about this ?

Mr. Speaker : The question asked by you does not arise out of it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वन्य जीव शरण्य स्थल और क्रीड़ा स्थलों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की शिकायत

*595. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे वन्य जीव शरण्य स्थलों और क्रीड़ा स्थलों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की यह एक आम शिकायत है कि वे प्रायः सामान्य पशुओं को छोड़कर, किसी भी वन्य जीव को देखे बिना ही वापस लौट जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि वन्य जीव पर्यटन संबंधी सुविधाओं के और आगे सुधार के लिये अनेक उपाय किये जा रहे हैं । इन में वन लाजों का निर्माण, वन्य जीवों को देखने व चित्र लने के लिये विशेष सुविधाओं से सुसज्जित मिनी बसों की, वन्य जीवों को देखने के लिये गाइड़ों सहित प्रशिक्षित हाथियों तथा लांचों की व्यवस्था शामिल है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों, केन्द्रीय और राज्य वन विभागों की दुर्लभ जीव-जन्तुओं के प्रजनन, संरक्षण और परिरक्षण, तथा देश में समान निवास-स्थानों पर वन्य जीवों के स्थानान्तरण की योजनायें हैं ।

युरोपीय देशों द्वारा मुद्रा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सुधारों के लिए पैरिस में की गई बैठक

*596. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री मधु दण्डवते :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पैरिस में हाल ही में अमरीका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी के बीच मुद्रा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सुधारों के बारे में हुई गुप्त बातचीत की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार नवम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह में, पैरिस में, पांच देशों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधियों की एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली और मुद्रास्फीती की समस्याओं और तेल संकट की पैचीदगियों के संबंध में विचार विनियम किया गया था ।

(ख) सरकार का यह विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी विषयों पर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और "बीस की समिति" जैसे पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त मंचों पर बहस होनी चाहिये जिनमें भारत को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है ।

(ग) चूंकि बैठक द्वारा कोई औपचारिक विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी इसलिये सरकार इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती कि हम पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ।

बैंकों द्वारा गृह निर्माण के लिये ऋण की मंजूरी

*597. **श्री अम्बेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के नाम क्या हैं जो जनता को गृह निर्माण हेतु ऋण देते हैं; और

(ख) ऐसे ऋण मंजूर किये जाने की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे यूनाइटेड कर्मशियल बैंक, सिण्डिकेट बैंक और इंडियन बैंक, ने कुछ विशेष योजनाएं चलाई हैं ताकि उनके ग्राहक अपने मकान बना सकें या प्राप्त कर सकें ।

2. प्रत्येक योजना की शर्तें भिन्न-भिन्न होती है । कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं :

इंडियन बैंक की "अपने मकान के लिये बचत करें योजना" के अन्तर्गत, जिसमें खातेदार की बचतों को बैंक द्वारा मकान की प्राप्ति के निमित्त ऋण स्वीकार करने के लिये दिये गये अग्रिम बचत के साथ संयुक्त किया गया है । 50 रुपए या 10 के गुणितों में अधिक राशि की मासिक किस्तें जमा कराई जा सकती हैं और बचतकर्ता जमा के लिये 3, 4, 5, 6 या 7 वर्षों में से कोई वर्ष चून सकते हैं । इन जमाओं पर 4 प्रतिशित वार्षिक की दर से ब्याज लगता है और स्वीकृत अवधि के अन्त में मकान बनाने या खरीदने के लिये जमा के बराबर रकम ऋण के रूप में स्वीकार की जायेगी । ऋण की वापसी अदायगी उन्हीं अवधियों की मासिक किस्तों में की जायेगी जो संबद्ध जमा के लिये स्वीकृत हुई हों । ऋण की अधिकतम राशि 30,000 रुपए होगी जिसकी ब्याज दर शेष पर घटते हुए क्रम से 8 प्रतिशत वार्षिक होगी ।

यूनाइटेड कर्मशियल बैंक की "आवासन आवृत्ति जमा योजना", और सिंडिकेट बैंक की "वर्तमान-एवं-आवासन जमा योजना" तथा "आवासन ऋण योजना" में कुछ परिवर्तनों के साथ इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं ।

Assessment of Gift Tax

*598. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the amount of Gift Tax assessed during 1972-73 is less as compared to that assessed during 1970-71 by Income-tax Officers; and

(b) if so, the State-wise break up ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) No Sir.

(b) Does no to arise.

चीथडा कांड

*599. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष हुए ऊनी चीथड़ा कांड की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) क्या सरकार को गत वर्ष सीमा-शुल्क विभाग द्वारा छोड़ी गयी उनी चीथड़ों की गांठों के उपयोग के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है और यदि हां, तो इसकी वास्तव में कितनी मात्रा शोड़ी बुनाई तथा कताई उद्योग को पहुंची ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) आयातित चिथड़ों के दुरुपयोग की पुनरावृत्ति रोकने के विचार से उनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अब केवल वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा शाड़ी कम्बलों के निर्यात पर अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त चिथड़ों के रूप में आयातित पुराने परिधान भारत को पोत लदान करने से पूर्व अनिवार्यतः विकृत कर दिये जाते हैं। चिथड़ों के रूप में पहनने योग्य परिधानों का आयात न होने देने के लिये उनी चिथड़ों की परिभाषा में भी संशोधन किया गया है।

(ख) जी नहीं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गुजरात में नलकूप सिंचाई योजनाओं के लिये धनराशि का दिया जाना

***600. श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों ने नलकूप सिंचाई योजनाओं के वित्तपोषण हेतु सामूहिक पद्धति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार, कुल कितनी धनराशि दी गयी;

(ग) उक्त योजनाओं के वित्तपोषण के लिये और क्या पद्धति अपनाई गई है; और

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अब तक वित्त पोषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) गुजरात राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नलकूप सिंचाई योजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिये कोई संघ पद्धति नहीं अपनाई गई है। वे छोटे सिंचाई प्रस्तावों के लिये जिनकी तकनीकी तौर पर स्वीकृति राज्य भूमिजल निदेशालय द्वारा दी जाती है वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इस धन के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये ऋण दौर में दिया जाता है और व्यापारियों को उपकरणों के लिये रकम का भुगतान किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक भी कई अन्य कृषि संबंधी कार्यों के लिये वित्त प्रदान करते है। कुओं में बिजली लगाने के लिये भी बिजली बोर्डों को ऋण दिया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान, नलकूप सिंचाई योजनाओं के संबंध में अलग से आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, गुजरात राज्य में मार्च 1973 के अन्त तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए सांवधिक ऋणों के आधुनिकतम उपलब्ध आंकड़ें यह है :

(राशि लाख रुपयों में)

	बकाया राशि
कुओं और नलकूपों को खोदने और गहरा करने के लिये .	498.35
लघु सिंचाई योजनाएं	271.69
बिजली बोर्डों के लिये ऋण	858.05

मोटर गाड़ियों के टायर बनाने वाली फर्मों द्वारा लाभ की राशि अपने देशों को भेजना

***601. श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर गाड़ियों के टायर बनाने वाली विभिन्न फर्मों द्वारा वर्ष 1971-72 और 1972-73 में, वर्ष-वार और फर्म-वार लाभांश की कुल कितनी राशि घोषित की गई;

(ख) उनके द्वारा अपने देशों को कितनी राशि भेजी गई;

(ग) प्रत्येक कर्म के विस्तार के अनुपात में विदेशी पूंजी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(घ) इसके क्या कारण हैं कि उन विदेशी कम्पनियों को तकनीक अथवा सहयोग शुल्क दिया जा रहा है जिनके मुख्य कार्यालय विदेशों में हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय फर्मों और इन विदेशी फर्मों के लाभ में भारी अन्तर के कारणों की जांच की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें सबसे हाल की उपलब्ध सूचना दी गयी है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6086/73**]

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) टायर प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और भारतीय निर्माताओं तथा सुप्रसिद्ध विदेशी फर्मों के बीच सहयोग के प्रबंधों से भारतीय निर्माताओं को अद्यतन तकनीकों और आधुनिक ड़िजाइनों से परिचित होने का लाभ प्राप्त होता है तथा इन निर्माताओं को अपने निर्यात प्रयत्नों में सहायता मिलती है ।

(ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी उपलब्ध होगी उतनी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इंडियन एयरलाइन्स को तालाबंदी के कारण हुई क्षति

***602. श्री पी० आर० शिनाय :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की तालाबन्दी के कारण इंडियन एयरलाइन्स को अब तक कुल कितनी क्षति हुई है;

(ख) तालाबन्दी के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को कुल कितनी क्षति हुई; और

(ग) तालाबन्दी के परिणामस्वरूप इस कारपोरेशन के कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हुए ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 24-11-73 से 18-12-73 तक लगभग 153 लाख रुपए ।

(ख) उसी अवधि के लिये लगभग 130 लाख रुपए ।

(ग) 14,441 ।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए रूस से वित्तीय सहायता

***603. श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुस सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में स्थित कुछ परियोजनाओं के विस्तार के लिये कोई वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन सी परियोजनाएं है; और

(ग) कितनी वित्तीय सहायता का वचन दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) में माननीय सदस्य का ध्यान भारत और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के बीच 29 नवम्बर 1973 को हस्ताक्षरित 15-वर्षीय करार/संधि के अनुछेद 2 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसकी एक प्रति 30 नवम्बर 1973 को सभा पटल पर रख दी गयी थी । सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सरकार नयी परियोजनाओं और नए उपक्रमों का निर्माण करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ से पहल से सहायता प्राप्त उन परियोजनाओं का विस्तार करने के प्रयोजन से ऋण देने के लिये सहमत हो गई है जिनमें भिलाई और बोकारो स्थित लोहे और इस्पात के कारखानों का क्रमश: 70 लाख टन और 100 लाख टन तक विस्तार करना, तेल की खोज, उसके उत्पादन और परिशोधन के क्षेत्र की परियोजनाओं, अलोह धातूओं, बिजली आदि की परियोजनाओं का विस्तार करना शामिल है । ऋण की रकम और इसकी शर्तें अलग-अलग करार के अनुसार दोनों देशों की सरकारों के बीच तय की जानी है ।

बिड़ला इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी एण्ड साइन्स, पिलानी को बिड़ला बन्धुओं द्वारा दी गई धनराशि पर आयकर की अदायगी की से छूट

604. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिड़ला बन्धुओं को उनके द्वारा, बिड़ला इंस्टीटचूट आफ टैक्नालाजी एंड साइन्स, पिलानी को दी गई धनराशि पर पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर की अदायगी से कुल कितनी छूट दी गयी और उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : बिड़ला परिवार के किसी भी सदस्य ने 31-3-71, 31-3-72 तथा 31-3-73 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान इस संस्था को कोई अदायगी नहीं की है । तथापि इस संस्था को ऐसी विभिन्न कम्पनियों और न्यासों से अदायगियां की हैं जिनमें बिड़लाओं के हित है जैसा कि सदन-पटल पर रखे गए विवरणपत्र में दिखाया गया है ।

विवरण

निम्नलिखित रकमों में से प्रत्येक को दाता की आय की संगणना करने में घटौती के रूप में स्वीकार किया गया है अथवा स्वीकार किया जायेगा और इसलिये ये रकमें पूर्णत: कर-मुक्त हैं :

	31-3-1971 को समाप्त होने वाला वर्ष	31-3-1972 को समाप्त होने वाला वर्ष	31-3-1973 को समाप्त होने वाला वर्ष
1. ग्वालियर रेंयन सिल्क मैनूफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०	20,00,000	20,00,000	20,00,000
2. बिड़ला कन्सलटेन्ट्स प्रा० लि० .	2,25,000	1,00,000	5,00,000
3. हिन्दुस्तान अल्यूनियम कारपोरेशन लि० .	20,00,000	20,00,000	20,00,000
4. सेंचुरी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि० . .	20,00,000	..	20,00,000
5. पिलानी इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि० .	..	5,00,000	5,00,000
6. जियाजी राव काटन मिल्स लि० . .	..	20,00,000	20,00,000

उपर्युक्त के अलावा, बिड़लाओं से संबंधित निम्निलिखित संस्थाओं ने भी अंशदान दिये हैं जो नीचे बताये गये हैं :—

	31-3-71 को समाप्त होने वाला वर्ष	31-3-72 को समाप्त होने वाला वर्ष	31-3-73 को समाप्त होने वाला वर्ष
1. बिड़ला अकादमी आफ आर्ट्स एंड कल्चर .	40,000		
2. बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट	..		32,84 500
3. श्री कृष्णार्पण चेरिटी ट्रस्ट . . .	..	..	39,85,400

उचित मूल्यों पर सूती धागे का उपलब्ध न होना

***605. श्री पुरुषोत्तम काकोड़कर :**
श्री श्री किशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों पर सूती धागा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में हौजरी का सामान बनाने वाले 200 एकक बंद हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे 10,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने छोटे हौजरी एककों को नियंत्रित मूल्यों पर सूती धागे की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिय कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) 80 एस काउंटों तक के किसी भी सूत पर कोई वितरण नियंत्रण नहीं है । 80 एस काउंटों से पर के सूत के वितरण प्रबंधों पर विभिन्न मिलों द्वारा प्राप्त किए गए स्थगन आदेशों से प्रभाव पड़ा था । चुंकि होजरी क्षेत्र अत्यंत विकेंद्रीकृत है, दिल्ली में जो हौजरी एकक बंद हो गए हैं उनकी संख्या और जो श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं उनकी संख्या संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सूत की कीमतों तथा वितरण संबंधी स्कीम का पुर्नविलोकन किया जा रहा है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम की पूंजी निवेश नीति

***606. श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 नवम्बर, 1973 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के लेख की ओर दिलाया गया है कि जीवन बीमा निगम की पुंजी निवेश-नीति असंतुलित है जिस पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और जीवन बीमा निगम की पुंज़ी निवेश नीति का पुर्नविलोकन करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 23 नवम्बर 1973 के "इकानामिक टाइम्स" में छपा "जीवन बीमा निगम की बेढंगी निवेश नीति जिसके पुनरीक्षण की आवश्यकता है" संबंधी लेख सरकार के देखने में आया है ।

उस लेख में जीवन बीमा निगम की निवेश नीति की आलोचना मुख्यत: निम्नलिखित आधार पर की गई है :—

(i) गैर सरकारी क्षेत्र में निवेश के अंश में कुछ इधर उधर गिरावट आते हुए भी 10 बड़े उद्योग गृहों में निवेश का रुख सतत उपर ही उठता रहा है ; 1967 से 1973 तक की अवधि में 75 में बड़े घरानों के समग्र हिस्से में भी वृद्धि ही हुई है ।

(ii) गृह निर्माण के लिये राज्यों को दी जाने वाली शुद्ध अग्रिम राशि में भी कमी आई है ।

(iii) गृह निर्माण के लिये वित्त पोषक मुख्य सहकारी संस्थाओं को उनकी पूरी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण देने में भी कमी हुई है, विशेषत: महाराष्ट्र अपेक्स कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनन्स सोसाइटी लि० के मामले में ।

(iv) अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्रों और राज्यों में निवेश का केन्द्रीकरण ।

गैर सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के निवेश की राशि में ठोस रूप में वृद्धि परंतु प्रतिशत अनुपात में कमी इस बात की द्योतक है कि जीवन बीमा निगम की निवेश योग्य निधि में तेजी से वृद्धि हुई जब कि गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है और जीवन बीमा निगम ने समाजोद्दिष्ट योजनाओं में निवेश पर अधिक बल दिया ।

गैर सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में जीवन बीमा निगम के निवेश 15.3 प्रतिशत से घट कर 14 प्रतिशत रह गए हैं। इन निवेशों में से 10 उद्योग गृहों में निवेश 37.05-प्रतिशत से बढ़ कर 38.57 प्रतिशत अंशत: तो इसलिये हुआ है कि कुछ बैंक व्यापार करने वाली कंपनियां अन्य कंपनियों में मिल गई और अंशत: इसलिये हुआ कि 10 बड़े उद्योग गृहों ने चुकता पुंजी तथा ऋणपत्रों का अधिक विस्तृत आधार बनाकर निवेश के अधीक अवसर प्रदान किए । जीवन बीमा निगम की निवेश नीति यथासंभव अधिकतम परिणाम प्राप्ति के साथ साथ पुंजी की सुरक्षा पर आधारित है ।

गृह निर्माण के लिये राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष ऋण के रूप में दी जाने वाली रकम का निर्णय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर आवास मंत्रालय द्वारा किया जाता है । गृह निर्माण के लिये राज्यों को दिये जाने वाले शुद्ध ऋणों की राशि में गिरावट ऋणों की वापसियों के कारण हुई है । गृह निर्माण कार्य में जीवन बिमा निगम का अंशदान आंकने का सही तरीका यह है कि सभी विभिन्न योजनाओं के अधीन दिये गये ऋणों की कुल रकम को हिसाब में लिया जाय, जैसे राज्य सरकारों को ऋण, मुख्य सहकारी आवास वित्त पोषक समितियों को ऋण, मकानों को रहने रखने पर ऋण, "अपनी मालिकी का घर बनाओ" योजना के अंतर्गत ऋण, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को ऋण, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की सहकारी संस्थाओं को ऋण, निगम कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं को ऋण, निगम के अलग अलग कर्मचारियों को ऋण और स्वयं अपने भवन-निर्माण (जिसमें टाउनशिप विकास शामिल है) । यह रकम वर्ष प्रति वर्ष सतत बढ़ती रही है और 31 मार्च 1973 को इसमें नियंत्रित निधि का 11 प्रतिशत अंश लगा हुआ था । महाराष्ट्र अपेक्स कोआपरटिव हाउसिंग सोसाइटी को 1972-73 में लेख में उल्लिखित 5 करोड़ नहीं, वरना 10 करोड़ रुपए मंजूर किये गये थे, और 1973-74 में जीवन बीमा निगम, महाराष्ट्र अपेक्स कोआपरटिव हाउसिंग फाइनन्स सोसाइटी को 10 करोड़ रुपए की रकम वस्तुत: दे भी चुका है ।

जीवन बीमा निगम के नीवेश विभिन्न राज्यों में समान ढंग से दिये गये अथवा नहीं इस प्रश्न की जांच उन अभिकरणों की ऋण लेने की क्षमता के संदर्भ में की जानी चाहिये जो पर्याप्त बड़े ऋण खपा सकते हो। कई राज्यों में मुख्य सहकारी आवास वित्त पोषक संस्थाओं जैसे अभिकरणों का निर्माण ही नहीं हुआ है और यदि निर्माण हुआ भी है तो वे काफी सक्रिय नही है। कुछ राज्यों में नगरपालिकाओं में और जिला परिषदों में अपनी जल-पूर्ति और मल निकास योजनाओं के लिये ज़ीवन बीमा निगम से ऋण रुपी सहायता लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को हुई हानि

*607. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर को घाटा हो रहा है;

(ख) क्या इसके पिछले वर्ष इसे लाभ हो रहा था; और

(ग) इस घाटे के क्या कारण है और इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ग) स्टेट बैंक आफ वीकानेर एंड जयपूर सहित सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिये, पूरे साल के लिये हानि अथवा लाभ का निर्धारण, लेखा-परीक्षकों दवारा 1973 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा और सामान्य तथा आवश्यक व्यवस्थाएं करने के पश्चात् किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस समय चालू वर्ष में बैंक कार्य का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ा है बताना कठिन है। अपने कार्य परिणामों में सुधार करने के दृष्टि से बैंक लगातार अपने कार्यों की समीक्षा कर रहा है।

(ख) प्रकाशित लेखों के अनुसार 31-12-1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बैंक को 7.60 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ।

इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकों को दिया गया कानूनी नोटिस

*608. श्री के० एम० मधुकर :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन कर्मचारियों की कुछ यूनियनों, एसोसियशनों तथा फेडरेशनों ने नवम्बर, 1973 में घोषित तालाबन्दी समाप्त करने के लिए प्रबन्धकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को कानूनी नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) तालाबन्दी की वैधता को चुनौती देने के लिये भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ तथा वायुनिगम कर्मचारी संघ ने क्रमश: कलकत्ता और दिल्ली के उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाए दायर की है। इन याचिकाओं का प्रतिवाद किया जा रहा है।

पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए अनुग्रह पूर्वक मुआवजा

*609. **श्री त्रिदिब चौधरी :**

डा० सरदीश राय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों और व्यापारियों की जो सम्पत्ति पाकिस्तान में शत्रु सम्पत्ति के रुप में जब्त कर ली गई थी, उसके लिए अनुग्रहपूर्वक सहायता के रुप में अब तक कितने मामलों में 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक के 25 प्रतिशत का पूरा भुगतान न्यायसंगत होने के आधार पर कर दिया गया है; और

(ख) ऐसी न्यायसंगत अदायगी के लिए क्या मानदंड निर्धारण किए गए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केवल एक मामले में ।

(ख) ऐसे मामलों को निपटाने में अन्य कारणों के साथ ऐसे कारणों, जैसे वे कम्पनियां जिनके पंजीकृत कार्यालय भारत में है किन्तु जिनकी सारी अस्तियों की क्षति हो गई है अथवा वे कम्पनियां जिनके एकक भारत में है परन्तु जहां भारतीय एकक घाटे में हैं, आदि पर भी ध्यान दिया जाता है ।

पत्रकारों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित योजनाएं

5708. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों की सहायता के लिये राष्ट्रियकृत बैंकों द्वारा कुछ योजनाएं प्रायोजित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इन योजनाओं के प्रति पत्रकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक द्वारा पत्रकारों की सहायता के लिए इस प्रकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गयी है ।

(ख) और (ग) यह प्रश्न उपस्थित ही नही होता ।

बाढ़ राहत कार्यों के लिये केरल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि

5709. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री वयालार रवि :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से राज्य में बाढ़ राहत कार्यों के लिये दी जानेवाली सहायता में वृद्धि करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने यह प्रार्थना की है कि केन्द्रीय सहायता के लिए 1.35 करोड़ रुपये की स्वीकृत अधिकतम सीमा के मुकाबले 4.50 करोड़ रुपये तक राहत पर किया गया व्यय केन्द्रीय

सहायता के लिए पात्र होना चाहिये। केन्द्रीय दल से कहा गया है कि वह केन्द्रीय सहायता के लिए अर्हता प्राप्त व्यय की समीक्षा करेंगे।

Manufacture of high quality cloth by weavers of Burhanpur, MP

5710. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether high quality cloth is manufactured by the weavers of Burhanpur city of East Nimar District of Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether fine quality of yarns (every type of silken fabric, fibre, nylon etc.) will be supplied to them; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The Central Government do not have definite information in the matter as detailed information regarding decentralised sector is not available.

(b) & (c) It is understood that powerlooms in Burhanpur run mainly on cotton. It may, however, be added that nylon and viscose filament yarn is distributed to actual users under voluntary agreement between the spinners and weavers and viscose staple fabre yarn is distributed by the Manmade Fibre Spinners Association, through the State authorities. The Central Government does not, therefore, come into the picture regarding allotments to the individual users.

Arrest of Smugglers in Chhatisgarh (Madhya Pradesh)

5711. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of smugglers arrested during 1972-73 in Chhatisgarh region of Madhya Pradesh; and

(b) the value and the nature of goods seized from them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) Three smugglers were arrested during the year 1972-73 in Chhatisgarh region of Madhya Pradesh and gold with foreign marking worth about Rs. 12,400/- (Market value) was seized from them.

Rise in Prices in Madhya Pradesh

5712. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there has been an unprecedented price rise in Madhya Pradesh during the last 12 months ;

(b) if so, whether according to a survey conducted by the Central Government it has been revealed that the prices have gone up considerably in Madhya Pradesh alone;

(c) if so, the reasons for the steep rise in prices in that state ; and

(d) the action taken by Government to check the prices ?

The Minister of Finance (Shri Yeshvantrao Chavan) : (a) & (b) The Central Government collects information from various parts of the country in order to compile indices of Wholesale Prices and Consumer Prices. According to the Consumer Price Index for Industrial Workers (base : 1960 = 100), the Centres in Madhya Pradesh recorded a price increase of about 28 per cent between October 1972 and October 1973. During the same period, the All India Index has risen by 21.5 per cent.

(c) & (d) The reasons for the price rise in Madhya Pradesh are the same as in other parts of the country, namely, the drought conditions during the past year which have led to shortfalls in the production of such essential commodities as foodgrains and vegetable oilseeds. The Government has been taking all possible measures to augment supplies of essential commodities and to curb excess demand in the economy with a view to bringing about a better balance betweean aggregate supply and aggregate demand. The good crop prospects in this year will also have a moderating influence on prices.

Functioning of Lead Banks in Madhya Pradesh

5713. **Shri C. G. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Lead Banks functioning in Madhya Pradesh ;

(b) whether they have formulated any special and beneficial projects for increasing production in the rural areas ; and

(c) if so, the main features of the projects ?

The Minister of Finance (Shri Yeshvantrao Chavan) : (a) to (c) Eight public sector banks *viz.*, The State Bank of India, State Bank of Indore, Central Bank of India, Punjab National Bank, Dena Bank, Bank of Baroda, Bank of India and Allahabad Bank have lead responsibility in Madhya Pradesh.

Under the 'Lead Bank Scheme' the banks having lead responsibility carry out survey of the districts allotted to them so as to locate growth centres with potential for opening of offices and identify credit gaps and organise District-Level Consultative Committees, to secure a coordinated approach among the financial institutions in extending banking facilities in the district. Apart from layng stress on extending credit to priority sectors such as Agriculture etc., the banks also extend credit support for such bankable developmental schemes as are formulated by them as well as by the State Government agencies.

इंडियन एयरलाइंस द्वारा टी० यू० 154 विमान के क्रय के लिये प्रस्ताव

5714. **श्री वयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री टी० यू०-154 विमान के संबंध में भारतीय विमानन दल के प्रतिवेदन के बारे में 3 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1886 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी० यू०-154 विमान के क्रय के लिये इंडियन एयरलाइंस के प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या है और क्या सरकार ने इन प्रस्तावों के संबंध में जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) पाँचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विमान खरीदने के इंडियन एयरलाइंस के प्रस्तावों की अभी जांच की जा रही है ।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की दिल्ली तथा नयी दिल्ली की शाखाओं में टेलर पद्धति

5715. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की दिल्ली तथा नई दिल्ली शाखाओं में टेलर प्रणाली के बारे में 16 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 901 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे "अन्य शाखाए" कौन-कौन सी है जहां 'टेलर प्रणाली' लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(ग) क्या सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की गोल मार्कीट शाखा में, 'टेलर प्रणाली' लागू करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित उसकी दरयागंज, पटेल नगर, कनाट सर्कस, ग्रेटर कैलास, ग्रीन पार्क, गोल मार्किट, झन्डेवाला, कलका जी, तथा करोल बाग शाखाओं में टेलर पद्धति लागू करने के प्रस्ताव उसके विचाराधीन हैं। यह बात कि इन शाखाओं में टेलर पद्धति किस तारीख से लागू की जाएगी, टेलर पद्धति शुरू करने के लिये आवश्यक तैयारियां और प्रबन्ध पर निर्भर करती है ।

जीवन बीमा निगम के एजेंटों और विकास अधिकारियों को वाहन के लिये ऋण देने के बारे में नियम

5716. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एजेंटों और विकास अधिकारियों की श्रेणीवार वाहन (मोटर साइकिल अथवा मोटर कार) के लिये ऋण देने के नियम क्या हैं ;

(ख) जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन में एजेंटों अथवा विकास अधिकारियों द्वारा वाहन ऋण के लिये दिये गये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और उक्त आवेदन पत्र कब से विचाराधिन हैं और इनके कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम के पास अपने एजेंटों को आबंटित करने के लिये स्कूटरों का कुछ प्राथमिकता कोटा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस कोटे से स्कूटर लेने हेतु किस-किस श्रेणी के एजेंट आवेदन पत्र देने के अधिकारी हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम अपने विकास अधिकारियों और एजेंटों को तेज वाहन की खरीद के लिए पेशगियां देता है ।

एजेंटो के मामले में पेशगी की रकम उनकी एजेंसी के पूर्ववर्ती वर्ष के नवीकरण कमीशन की कमाई तक सीमित रहती है और इसमें एक शर्त यह भी है कि पेशगी की रकम नये वाहनों के मामले में खरीद मूल्य के तीन-चौथाई तक और पुराने वाहनों के मामले में खरीद मूल्य के दो-तिहाई तक सीमित रहेगी । पेशगी वापस करने की अवधि मोटर-गाड़ियों के मामले में पांच वर्ष और मोटर-साईकिल/स्कूटरों के मामले में तीन वर्ष है ।

पेशगियां ऐसे स्थायी विकास अधिकारियों को दी जाती हैं जो निर्दिष्ट न्यूनतम मूल वेतन पाते हों और उन्हें कारोबार और एजेंटों की न्यूनतम संख्या के संबंध निर्दिष्ट सीमाओं का भी पालन करना होता है ।

ये पेशगियां बिना ब्याज दी जाती हैं ।

एजेंट क्लब के सदस्यों के मामले में खरिद की पूरी कीमत तक की पेशगी भी दी जाती है परंतु पेशगी की रक्कम एजेंट के पूर्ववर्ती दो वर्षों के नवीकरण कमीशन की कमाई की रकम से अधिक नहीं हो सकती । पेशगी की वापसी भी अधिक लम्बी अवधि में अर्थात नई मोटर-गाड़ियों के मामले में आठ वर्ष में और नई मोटर-साईकल/स्कूटरों के मामले में पांच वर्ष में की जाती है । यदि एजेंट, पेशगी वापस अदा करने की अवधि के बीच, एजेंट क्लब का सदस्य नहीं रह जाता है और इस कारण उसकी पेशगी की रकम सामान्य सीमा से अधिक रहे तो जितनी रकम सीमा से अधिक होती है उस पर ब्याज लिया जाता है ।

(ख) दिल्ली मंडल में किसी एजेंट अथवा विकास अधिकारी की वाहन पेशगी के लिए कोई दख्वास्त विचाराधीन नहीं पड़ी है ।

(ग) जीवन बीमा निगम को मुख्यत: अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के प्रयोग के लिए हर तिमाही में प्राथमिकता के आधार पर कुछ स्कूटर मिलते हैं। ये स्कूटर विकास अधिकारियों और एजेंटों को दिये जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और मंडलों को बांट दिये जाते हैं और इनका आबंटन अलग अलग प्रार्थी की तुलनात्मक प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। जीवन बीमा निगम को केवल अपने एजेंटों को आबंटन के लिए स्कूटरों का अलग से कोई कोटा नहीं मिलता।

Spending of amount saved as a result of Foodgrains given by Russia on Loan

5717. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether as a result of 20 lakh tonnes of foodgrains loaned by Russia, India will save a sum of Rs. 255 crores ; and

(b) the manner in which this amount is proposed to be spent ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) and (b) The wheat loan of 2 million tonnes from USSR is repayable in wheat and, therefore, no specific value has been put on the quantity of wheat which will be shipped to India under the loan. The wheat loan has relieved pressure on free foreign exchange, which would have arisen had the same quantity been paid commercially by payment in free foreign exchange. But this does not mean that there is a "saving" which is available for expenditures elsewhere.

Loss suffered in the form of Airport entry fee as a result of lock-out

5718. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether lock-out in the Indian Airlines is resulting in the loss of Rs. 5,000 per day in the form of airport entry fee in Bombay alone ;

(b) if so, total amount of loss being suffered per day in the form of this fee on other airports of the country ;

(c) the total income earned from this fee since the introduction of this fee to-date ; and

(d) the purpose for which this amount is utilised ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) No, Sir. The loss at Bombay is estimated at Rs. 840 per day on an average.

(b) The loss per day at the other three international airports, Delhi, Calcutta and Madras, is estimated at about Rs. 900, Rs. 500 and Rs. 600 respectively.

This fee is also levied at the domestic airports of Hyderabad and Bangalore. At Hyderabad the loss per day is estimated at Rs. 500, while at Bangalore, the fee has been introdued only from 1-12-1973. No such fee is levied at the remaining domestic airports.

(c) *Income earned from this fee at the four international airports.*—

1968—69	Rs. 20.95 lakhs.
1969—70 1970—71 1971—72	Figures of earning not readily available.
1972—73	Rs. 28.82 lakhs.
1973—74 (1-4-73 to 31-10-73)	Rs. 18.31 lakhs.

Income earned from this fee at the domestic airports.—

Hyderabad—

(15-4-72 to 10-12-73) . . Rs. 4.06 lakhs.

Bangalore—

(1-12-73 to 10-12-73) . . . Rs. .03 lakhs.

(d) The amount realised from this fee at the four international airports goes into the general revenues of the International Airports Authority of India and is utilised towards the development and maintenance of the international airports and for providing better amenities and services.

The amount realised from this fee at the domestic airports is credited to the consolidated Fund of India and is not earmarked for any specific purpose.

Adverse effect of reduced purchasing power of rupee on money deposited with L. I. C. Schemes

5719. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether as a result of the purchasing power of one rupee, based on the price-index prepared in 1949, has reduced to 36 paise during the period from January to September 1973, which has adversely affected the value of money being deposited by the people in Life Insurance Scheme ; and

(b) if so, the extent thereof and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) and (b) Life Insurance policies are financial contracts and do not stipulate any compensation for depreciation in money value. However, in the case of with profit policies bonuses serve to provide some relief.

इंडियन एयरलाइन्स के विरुद्ध नागर विमानन विभाग को प्राप्त शिकायतें

5720. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के संबंध में 1973 के दौरान 30 नवम्बर, तक नागर विमानन विभाग द्वारा कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) ये आंकड़ें 1972 और 1971 की इसी अवधि की तुलना में क्या है ;

(ग) ये शिकायतें सामान्य रूप से किस प्रकार की हैं ; और

(घ) इन शिकायतों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इंडियन एयरलाइंस के संबंध में 31 अक्तूबर, 1973 तक 1360 शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) पूववर्ती वर्षों के लिये तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार है :—

1971 (जनवरी-अक्तूबर)	1972 (जनवरी-अक्तूबर)
1140	1355

(ग) शिकायतें सामान्यतः आरक्षणों, खान-पान, विमान क्षेत्र हैंडलिंग, उड़ानगत सेवा, तथा उड़ानों में देरियों से संबंधित थीं।

(घ) यात्रियों से प्राप्त समस्त शिकायतों की तुरंत प्राप्ति स्वीकार की जाती है, उनकी पूर्ण जांच की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है तथा जहां कहीं आवश्यक पाया जाता है उपचारी कार्यवाही की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में बनाये जाने वाले होटलों तथा पर्यटक विश्राम गृहों की संख्या

5721. श्री विक्रम महाजन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : हिमाचल प्रदेश में आगामी दो वर्षों के दौरान कितने होटल तथा विश्राम गृह बनाये जाने का प्रस्ताव है, वे कहां-कहां बनाये जायेंगे तथा उनका निर्माण संबंधी कार्यक्रम क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : पर्यटन विभाग द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं को अभी अंतिम रूप दिया जायेगा, तथापि इसके धर्मशाला स्थित पर्यटक बंगले व डलहौजी स्थित युवा होस्टल का, जिनका इस समय निर्माण चल रहा है, 1974 के दौरान बन कर पूरा हो जाने की आशा है।

भारत पर्यटन विकास निगम का जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, कुल्लू और मनाली स्थित अपने लाजों-लाजों में 25–25 कमरों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में फार्मों का मुद्रण

5722. श्री विक्रम महाजन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में उन बैंकों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या है जिनके फार्म और निदेश केवल अंग्रेजी में **है ;**

(ख) इन बैंकों द्वारा फार्मों को राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय भाषा अथवा दोनों भाषाओं में मुद्रित न करने के क्या कारण है ;

(ग) क्या राष्ट्रीयकरण से पूर्व पंजाब नैशनल बैंक जैसे कुछ बैंक द्विभाषी फार्मों का प्रयोग कर रहे थे और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उक्त पद्धति समाप्त कर दी गयी है ; और

(घ) क्या सरकार ने उन्हें ऐसे निदेश दिये है, और यदि हां, तो सब राष्ट्रीयकृत बैंकों में फार्म, पुस्तिकाएं हिन्दी/क्षेत्रीय भाषा में भी कब तक उपलब्ध होने लगेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) निम्नलिखित 11 बैंकों ने हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में रुपया जमा कराने की पर्ची, रुपया निकालने के फार्म, चालू खाता खोलने के फार्म, ऋण आवेदन पत्र फार्म, विशेष रूप से कृषि ऋण आदि के फार्म जैसे कई फार्म हिन्दी और अंग्रजी दोनों में शुरू किये हैं :—

1. सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
2. बैंक आफ इण्डिया
3. पंजाब नेशनल बैंक
4. बैंक आफ बड़ौदा
5. युनाइटेड कमर्शियल बैंक
6. युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया

7. देना बैंक

8. सिण्डीकेट बैंक

9. युनियन बैंक आफ इण्डिया

10. इलाहाबाद बैंक

11. बैंक आफ महाराष्ट्र

शेष तीन बकों, अर्थात् कनारा बैंक, इण्डियन बैंक और इण्डियन ओवरसीज बैंक ने भी इन फार्मों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाने के प्रबंध कर लिये हैं।

(ग) द्विभाषी फार्मों के इस्तेमाल करने की प्रथा राष्ट्रीयकरण के बाद नहीं छोड़ी गयी है। वास्तव में पंजाब नैशनल बैंक जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व हिन्दी भाषी क्षेत्रों में केवल कुछ द्विभाषी फार्मों का इस्तेमाल करता था, राष्ट्रीयकरण के बाद उसने जनता द्वारा इस्तेमाल किये जाने के लिये 30 से अधिक द्विभाषी फार्म शुरू कर दिये हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1968 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को कृषि ऋणों से संबंधित साहित्य, फार्म आदि को प्रादेशिक भाषाओं में छपवाये जाने की वांछनीयता पर विचार करने की हिदायत दी थी। राज भाषा अधिनियम, 1963 (संशोधित) की धाराओं का पालन करने के लिये हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जनता के द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सभी फार्म हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में और यदि आवश्यक हो तो गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिये अंग्रेजी और सम्बद्ध प्रादेशिक भाषाओं में सभी फार्म उपलब्ध करने के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंक को सलाह दी गयी है। आशा है कि जब बैंक अपने अपने विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी अनुवादकों, हिन्दी टंककों की नियुक्ति और कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था अपने संगठन में कर लेंगे तो हिन्दी में फार्म आदि शुरू करने की प्रगति में और तेजी आ जायेगी।

इस सम्बन्ध में की जाने वाली प्रगति पर बैंकिंग विभाग की राज भाषा क्रियान्वयन समिति द्वारा नजर रखी जाती है।

अनेक फाईव स्टार होटल स्थापित करने के लिए इंडिया टोबैको कम्पनी को अनुमति देना

5723. श्री विक्रम महाजन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक फाईव स्टार होटल स्थापित करने के लिए इंडिया टोबैको कम्पनी को अनुमति दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर उन्हें होटल स्थापित करने की अनुमति दी गयी है; और

(ग) देश में किन-किन स्थानों पर इन होटलों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है और आगामी दो वर्षों के दौरान निर्माण कार्यक्रम क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) इण्डियन टोबेको कम्पनी द्वारा दिल्ली, आगरा और मद्रास में 3 होटल बनाने संबंधी प्रस्ताव का सिद्धांत रूप में अनुमोदन कर दिया गया है तथा आगरा में बनने वाले होटल की प्रायोजना का पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिए इसकी उपयुक्तता की दृष्टि से अनुमोदन कर दिया है।

(ख) यह अनुमोदन इस शर्तों के साथ किया गया है कि प्रायोजनाओं की वास्तविक लागत का 60% केवल भारतीयों के लिए ही रखी गयी अतिरिक्त इक्विटी के रूप में इकट्ठा किया जाएगा; भारतीयों को

कैपिटल इश्यू करने का काम अनुमोदन-पत्र जारी करने के दो वर्ष के अन्दर अन्दर पूरा कर लिया जायेगा; तथा भारत के बाहर रहने वाले ऐसे शेयरधारियों के विदेश भेजे जाने वाले डिविडेंड की मात्रा में वृद्धि नहीं होने दी जायेगी ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राज्य व्यापार निगम के रिकार्डों की जांच

5724. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह पता लगाने के लिए, कि क्या चीथड़ा कांड में राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों ने कोई भूमिका निभायी है, राज्य व्यापार निगम के रिकार्ड की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक जांच पूरी कर ली गयी है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रिकार्डों की जांच की जा रही है ।

(ख) अभी तक पूरी नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समाजवादी देशों को निर्यात

5725. श्री नवल किशोर सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 और वर्ष 1973-74 में 31 अक्तूबर, 1973 तक समाजवादी देशों को, देशवार, कुल कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अप्रैल 1972 से मार्च 1973 तक की अवधि के दौरान इन देशों को किये गये निर्यातों का कुल मूल्य निम्नोक्त प्रकार था :

	मूल्य करोड़ रु० में
सोवियत संघ	304.8
पोलैंड	44.2
चेकोस्लोवाकिया	46.1
जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	15.1
हंगेरी	12.3
बुल्गारिया	18.9
रूमानिया	15.2
युगोस्लाविया	12.4
अन्य समाजवादी देश	1.0
योग	470.0

अप्रैल-अक्तूबर, 1973 की अवधि के निर्यात आंकड़ें अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

भारत पर्यटन विकास निगम में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में श्रीराम औद्योगिक संबंध केन्द्र द्वारा प्रस्तुत सेवा नियम

5726. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5459 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के हेतु श्रीराम औद्योगिक संबंध केन्द्र द्वारा भेजे गये सेवा नियम किस रूप में अपर्याप्त पाये गये हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से ऐसे उपक्रम हैं जिनके नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा "नये सेवा नियमों" में शामिल कर लिया गया है और क्या वे अब भारत पर्यटन निगम के मुख्यालय के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं और क्या 'नये सेवा नियमों' को लागू करने से पूर्व संबंधित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कब से 'नये सेवा नियमों' को लागू/मंजूर किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) श्रीराम औद्योगिक संबंध केन्द्र द्वारा ड्राफ्ट किए गए सेवा नियम निगम की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं थे ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के किन्ही उद्यमों के सेवा नियमों को नहीं अपनाया गया है । श्रीराम केन्द्र के ड्राफ्ट नियमों तथा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नियमों एवं विनियमों को ध्यान में रखते हुए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सेवा नियमों का एक नया सेट ड्राफ्ट किया गया है ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा औद्योगिक रोजगार (स्थायी नियम) अधिनियम 1946 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित पृथक स्थायी नियम बनाए गए हैं तथा प्रमाणक अधिकारी के पास भेज दिये गए है ।

(ग) इन नियमों का 1970-71 से अनुसरण किया जा रहा है यद्यपि उनका औपचारिक रूप से संकलन एवं संग्रहण बाद में किया गया ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम में भर्ती तथा पदोन्नति की प्रक्रिया

5727. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री 4 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9210 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम में इसके खान-पान तथा गैर खान-पान युनिटों दोनों के लिए भर्ती तथा पदोन्नति के बारे में क्या कोई स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी, हां । प्रक्रियाएं निगम के विभिन्न नियमों एवं विनियमों में निर्धारित की गयी हैं ।

दिल्ली में व्यापारियों के घरों पर आयकर अधिकारियों के छापे

5723. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में आय-कर अधिकारियों ने अगस्त और सितम्बर, 1973 में कुछ साड़ी व्यापारियों तथा अन्य व्यापारियों के व्यापार स्थलों, घरों और लाकरों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों का ब्यौरा क्या है और इन छापों के परिणाम-स्वरूप पकड़े गए छिपे धन और आभूषणों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छिपे धन पर आयकर वसूल करने और ऐसे कर न देने वालों के विरुद्ध विधि के दण्डात्मक उपबन्ध लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । मेसर्स रामचन्द्र कृष्णचन्द्र साड़ी व्यापारियों और उनकी सम्बद्ध संस्थाओं के रिहाइशी और व्यापार परिसरों की आयकर प्राधिकारियों द्वारा अगस्त और सितम्बर, 1973 में तलाशी ली गई थी ।

(ख) जिन पार्टियों के यहां तलाशी ली गई उनके नाम ये हैं :—

1. मेसर्स रामचन्द्र कृष्णचन्द्र, गली परांठेवाली, दिल्ली-6
2. मेसर्स बंगलौर एम्पोरियम गली परांठेवाली, दिल्ली-6
3. मेसर्स हैंडलूम साड़ी भवन, गली परांठे वाली, दिल्ली-6
4. मेसर्स रूप साड़ी केन्द्र, गली चोबन, चांदनी चौक, दिल्ली-6
5. मेसर्स रामचन्द्र कृष्णचन्द्र साड़ी स्टोर, करोल बाग, नई दिल्ली
6. 24, दरियागंज, उपर्युक्त फर्मों के भागीदारों का निवासस्थान ।
7. 2/20, अनसारी रोड, मेसर्स बंगलौर एम्पोरियम के भागीदारों का निवासस्थान ।
8. नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक, एच-ब्लाक, कनाट प्लेस, पंजाब नेशनल बैंक, दरियागंज, और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, चांदनी चौक, दिल्ली-6 में लाकर ।

11,76,700 रु० की नगदी जिसमें पौंड, डालर और नेपाली तथा पाकिस्तानी रुपये में कुछ विदेशी मुद्रा भी शामिल हैं, और 24 किलोग्राम चांदी पकड़ी गई । 5,93,843 रु० के मूल्य के जवाहरात भी विभिन्न स्थानों पर सील कर दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत, पकड़ी गई नकदी और मूल्यवान वस्तुऐं रोक रखने के आदेश पारित किये गये हैं । कानून के अन्तर्गत यथापेक्षित आगे कार्यवाही यथा समय की जायगी ।

चिड़िया घर, नई दिल्ली में चाय बोर्ड का स्टाल

5729. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने चिड़ीया घर, नई दिल्ली में एक स्टाल खोला है और यदि हां, तो इसे खोलने का निर्णय कब किया गया था और कब से इस स्टाल को चालू किया गया;

(ख) चिड़िया घर स्थित स्टाल पर कर्मचारियों के बारे में कब तय किया गया तथा उन्हें कब भेजा गया तथा नियुक्त कर्मचारियों के विवरण क्या हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों के लिये कुछ महीनों तक कोई काम नहीं था और इस स्टाल पर बिल्कुल ही काम नहीं हुआ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को ठीक प्रकार से योजना न बनाने की कोई जिम्मेवारी निश्चित की गयी है जिसके परिणामस्वरूप राजकोष पर बकार का व्यय पड़ा; और

(ङ) कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से लेकर संस्थापना तथा अन्य मदों पर कितना खर्च हुआ और स्टाल को वस्तुतः कब चालू किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) जी हां, दिल्ली चिड़ियाघर कैंटीन को चाय बोर्ड द्वारा चलाये जाने के लिये सरकार की मंजूरी 4-7-1973 को जारी की गई थी। यह कैंटीन चाय बोर्ड द्वारा 17-11-1973 को दिल्ली चिड़ियाघर प्राधिकारियों के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर करने के बाद 18-11-1973 को खोली गई।

(ख) तथा (ग) चाय कैंटीन खोलने सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य की विभिन्न मदों के लिये एक निरीक्षक तथा एक डिमांसट्रेटर को उनके अन्य कार्यों से 5 जुलाई, 1973 को हटाकर वहां नियत किया गया। बाद में, एक सहायक अधीक्षक को भी उसके अन्य कार्यों से हटाकर इस कार्य के लिये 4 सितम्बर, 1973 को प्रतिनियुक्त किया गया। उद्धृत डिमांसट्रेटर तथा निरीक्षक क्रमश: 9-7-1973 तथा 13-9-1973 को अपने कार्य पर वास्तव में तैनात हो गये थे और सहायक अधीक्षक 8 अक्तूबर, 1973 से। इस बीच स्थायी स्टाफ में से कुछ कर्मचारी लम्बी छुट्टी पर रहे अर्थात् डिमांसट्रेटर 22-9-1973 से 15-10-1973 तक लम्बी छुट्टी पर था और निरीक्षक 4-6-73 से 7-9-73 तक लम्बी छुट्टी पर था, सहायक अधीक्षक 5-10-1973 से 19-10-1973 तक और जारहट में न्यायालय में साक्ष्य के लिये दिल्ली से बाहर थे।

काफी प्रारम्भिक कार्य किया जाना था जैसे कि परिसर की सफाई, सफेदी, परिवहन तथा उपस्करों व फर्नीचर का लगाना, विभिन्न स्नैक्स, पेय पदार्थों, क्राकरी, बिजली उपस्करों, वर्दियों आदि के लिये प्राप्त कीमत सूचियों का प्रोसेस किया जाना, स्नेक्स तथा खाद्य पदार्थों की सप्लाई का प्रबन्ध, दूध की सप्लाई की व्यवस्था करना, अन्दरूनी सजावट के सम्बन्ध में वास्तुविद के साथ परामर्श करना आदि।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कोई नियमित अथवा स्थायी स्टाफ भर्ती नहीं किया गया था। 18-11-1973 को चाय कैंटीन खुलने से पूर्व 17-11-1973 तक विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किये गये खर्च की मुख्य मदें इस प्रकार हैं :—

	रु०
1. नैमित्तिक कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी	625.50
2. उपस्कर तथा फर्नीचर की ढुलाई का खर्च	407.95
3. केश मीमो की छपाई तथा प्रासंगिक व्यय	583.16
4. इन्ग्रेडियेन्टस् तथा कन्फैक्शनरी	1640.89
5. वास्तुविद की फीस	400.00
6. प्रतिभूति जमा	150.00
योग	3807.50

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बारे में वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय लेना

5730. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री के० जी० देशमुख :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बारे में वेतन आयोग की प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय को कब तक घोषित करने का विचार है और क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई तिथि निर्धारित की है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आम सिफारिशों, जैसे छुट्टी यात्रा रियायत, महीने के अंतिम दिन को सेवानिवृत्ति आदि के बारे में अपनी स्वीकृति बिना अधिक विलम्ब किये घोषित करने का है जैसा कि

उसने द्वितीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक कर्मचारियों के मामले में किया है ताकि कम से कम सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति लाभान्वित हो सकें; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) श्रेणी-I अधिकारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें विचाराधीन है, और आशा है कि उनके संबंध में निर्णय, चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, यथासम्भव शीघ्र ही घोषित कर दिया जायगा।

(ग) और (घ) जैसा कि केन्द्रीय सरकार के श्रेणी II, III और IV के कर्मचारियों के मामले में किया गया है, श्रेणी-I अधिकारियों के संबंध में आयोग की विविध किस्म की सिफारिशों पर निर्णय की घोषणा उनके वेतनमानों से सम्बन्धित निर्णयों के साथ ही की जायेगी।

सीमाशुल्क निरीक्षकों की नियुक्ति

5731. **श्री सुख देव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें सीमाशुल्क निरीक्षकों को एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक नियुक्त किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निरीक्षकों की संख्या क्या है और उन्हें उस स्थान विशेष से स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सीमाशुल्क विभाग में बम्बई कलकत्ता और मद्रास के प्रत्येक बड़े सीमाशुल्क गृह के सम्बन्ध में सीमा शुल्क निरीक्षकों का एक पृथक संवर्ग है और चूंकि ये अधिकारी अन्य संवर्गों में स्थानान्तरण योग्य नहीं है, इसलिये वे सहजत: अपने अपने सीमाशुल्क गृहों में तैनात रहते हैं। गोआ सीमाशुल्क गृह के सीमाशुल्क निरीक्षक बम्बई सीमाशुल्क गृह के संवर्ग में है तथा कोचीन और विशाखापत्तनम के निरीक्षक मद्रास सीमाशुल्क गृह के संवर्ग में है।

चूंकि लघुतर बड़े सीमाशुल्क गृहों में तैनाती के इच्छुक अधिकारियों की संख्या प्राय: अपर्याप्त होती है तथा विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों में शिक्षा-संबंधी कठिनाइयों को देखते हुए, अन्य लघुतर बड़े सीमाशुल्क गृहों में तैनाती के लिए इच्छुक अधिकारियों को प्राय: वहीं बने रहने की अनुमति दे दी जाती है।

एयर कस्टम पूल में सीमाशुल्क निरीक्षक के रूप में तैनात किये जाने वाले अधिकारी सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभागों में विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों से लिये जाते है। इन निरीक्षकों का सामान्य कार्य-काल तीन वर्ष है, लेकिन यदि किसी अधिकारी का कार्य विशेष रूप से अच्छा रहा होता है और चुनाव समिति उसकी सिफारिश करती है तो उसे और अधिक अवधि के लिए बना रहने दिया जाता है।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग में वे निरीक्षक जो निवारक एककों, भू-सीमाशुल्क केन्द्रों और छोटे पत्तनों पर सीमाशुल्क संबंधी कार्य करते हैं, सामान्यतया, प्रत्येक तीन वर्ष के बाद उसी सीमाशुल्क समाहर्ता-कार्यालय में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित किय जा सकते हैं। लेकिन, स्थानान्तरण-यात्रा-भत्ता पर प्रशासनिक व्यय में कमी करने की दृष्टि से सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि कुछ विशिष्ट कारणों को छोड़कर नेमी प्रकार के स्थानान्तरण नहीं किये जाये।

चूंकि अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए सूचना एकत्रित करना कठिन होगा।

भारत पाक सीमा पर तस्करी

5732. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जम्मू तथा काश्मीर की भारत-पाकिस्तान सीमा पर वस्तुओं की तस्करी में वृद्धि होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां तस्करी बन्द करने के लिये सरकार का विचार कौन सी ठोस कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सरकार द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि जम्मू-कश्मीर की भारत-पाकिस्तान सीमा पर माल के तस्कर-व्यापार में वृदिध हो रही है । फिर भी, तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) सीमा पर सीमासुरक्षा दल के अधिकारीयों को लगाया जाता है और सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन उन्हें तस्कर-व्यापारियों को रोकने तथा माल को पकड़ने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं । सीमासुरक्षा दल के अधिकारी गश्त लगाते हैं और सीमा पर निरन्तर सतर्कता बरतते हैं ।

(ii) राज्य में तस्कर-व्यापारियों के कार्य-कलापों के संगठनात्मक केन्द्र समझे जाने वाले महत्वपूर्ण केन्द्रों अथवा निषिद्ध वस्तुओं के वितरण-स्थलों पर सीमा-शुल्क कर्मचारी निरन्तर सतर्कता बरतते ह तथा संदिग्ध तस्कर-व्यापारियों और उनकी गतिविधियों के बारे में इकट्ठी की गयी गुप्त सूचना से सम्बन्धित एजेन्सियों को सूचित किया जाता है ।

(iii) सूचना का आदान-प्रदान करने और तस्कर-व्यापार को रोकने के कारगर तरीकों पर विचार करने के लिए सीमाशुल्क तथा सीमासुरक्षा दल के अधिकारियों के बीच बार-बार उच्च-स्तरीय बैठकें की जाती है ।

(iv) तस्कर-व्यापार-विरोधी कार्य पर लगे व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

निम्न-आय पर्यटकों के लिए रिहायशी आवास

5733 श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आने वाले निम्न-आय पर्यटकों के लिये रिहायशी आवास देश में पर्यटकों के उत्तरोत्तर बढ़ रही संख्या की दृष्टि से अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) देश में पर्यटकों के लिए आवास-स्थान की बहुत कमी है । भारत का भ्रमण करने वाले निम्न आय वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, सरकार ने युवा होस्टलों तथा पर्यटक बंगलों के निर्माण ो पहले ही हाथ में ले लिया है । उपलब्ध निधियों की सीमाओं के अन्तर्गत, निम्न-आय के पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त प्रायोजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हाथ में लिया जाएगा । भारत पर्यटन विकास निगम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यतया 3-स्टार वाले

एवं उससे नीचे की श्रेणी के होस्टल आवास पर ध्यान देगा जो कि निम्न आय वर्गीय पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ।

वूलन मिल्स फेडरेशन, बम्बई को कच्ची ऊन की खरीद के लिये धनराशि का नियतन

5734. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन वूलन मिल्स फेडरेशन, बम्बई ने वित्त मंत्रालय को अनुरोध किया है कि कच्ची उन की खरीद के लिये कम से कम 15 करोड़ रु० की धनराशि शीघ्रता से उपलब्ध की जायं जो कि सामान्यता उपलब्ध की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां । यह विनिश्चय किया गया था कि पिछले वर्षों से आगे बढ़ायी गई 23 करोड़ रु० की बकाया विदेशी मुद्रा को देखते हुए उनके आयात के लिये विदेशी मुद्रा का आबंटन तुरन्त आवश्यक नहीं था । तथापि, मामले पर विचार किया जा रहा है ।

कोयला उद्योग में और पूंजी लगाना

5735. **श्री राम प्रकाश : क्या वित्त** मंत्री कोयला उद्योग में और पूंजी लगाने के बारे में 22 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5405 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तृत जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गयी है ; और

(ख) उल्लिखित वर्षों में 31 मार्च और 31 दिसम्बर, को शेयरों का बाजार-मूल्य कितना था और किन किन दिन स्टाक एक्सचेंजों में ये शेयर उपलब्ध हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां, इस बीच इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित कम्पनियों के संबंध में सूचना अनुबन्ध में दे दी गयी है । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-6089/73**]

केन्द्रीय करों में राज्यों का भाग

5736. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1962-63 तथा 1972-73 में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को प्रत्येक केन्द्रीय कर में से कितना-कितना भाग मिला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : एक विवरण संलग्न है जिसमें 1962-63 से 1972-73 तक के दौरान प्रत्येक राज्य को उसके हिस्से के रूप में केन्द्रीय करों तथा शुल्कों की दी गयी रकमों का ब्यौरा दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6090/73**] संविधान के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में से संघीय राज्य क्षेत्रों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता ।

खनन उद्योगों को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण दिया जाना

5737. **श्री एम० पुदर्शनम :** क्या **वित्त** मंत्री यह 4 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 811 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक दवारा 35 लाख रुपये के ऋण दिये गये थे, क्योंकि फर्म ने 1969-70 में 17 लाख रुपये से अधिक की हिस्सेदारों की बराबर पूंजी प्राप्त की थी और सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बराबर राशि नहीं दे सका क्योंकि उस फर्म ने हिस्सेदारों की पूंजी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं की थी।

(ख) फर्मों द्वारा, जिन्हें ऋणों की मंजूरी मिली थी, 1969-70 में हिस्सेदारों से सही राशि कितनी प्राप्त की गयी थी और ऋण कब दिये गये और यदि फर्म द्वारा ऋण की शर्तों में परिवर्तन की मांग की गयी है, तो किन परिवर्तनों की मांग की गयी है; और

(ग) किस फर्म ने स्वतंत्र सलाहाकार से परामर्श किया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) (क) से (ग) : जैसा कि पहले दिये गये उत्तर में बताया गया था कि पंजाब नैशनल बैंक तो पहले ही ऋण दे चुका है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक ऋण नहीं दिया है क्योंकि सम्बद्ध पार्टी भुगतान सम्बन्धी बैंक की जरूरतों को पुरा नही कर सकी है। बैंकों में विद्यमान व्यवहार और प्रणाली के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 में की गई व्यवस्था के अनुसार बैंक कानूनी तौर पर अपने असामियों के बारे में सूचना नहीं दे सकता और इसीलिए माननीय सदस्य द्वारा जिस प्रकार का ब्यौरा मांगा गया है वह बैंकों के लिए देना सम्भव नहीं है।

भारतीय व्यापार सेवा का गठन करना

5738. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार सेवा के नाम से एक सेवा का गठन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था पर है ; और

(ग) क्या सरकार उक्त सेवा के गठन के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) मामले को सम्बन्धित विभागों के साथ परामर्श करके प्रोसेस किया जा रहा है। सरकार यथासंभव शीघ्र सेवा का गठन करने के लिये प्रयत्नशील है।

आयकर के बारे में सूचना देने वालों को इनाम

5739. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के तथा इस वर्ष में अब तक ऐसे कितने मामले है जिनमें आयकर संबंधी सूचना देने वालों को इनाम दिया जाना था परन्तु अभी तक नहीं दिया गया है;

(ख) अदायगी में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) कितने मामलों में इनाम की अदायगी के बारे में अन्तिम फैसला नहीं किया गया है ; और

(घ) उक्त मामलों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सरकार द्वारा सूचना देने वालों को दिये गये पुरस्कार कतिपय मार्गदर्शक सिदधांतों के अनुसार अनुग्रह पूर्वक अदायगी के रूप में होते हैं और जब वे देय होते है उनकी अदायगी की जाती है । वर्ष 1970-71 से 1972-73 के दौरान पुरस्कारों की अदायगी निम्नानुसार की गई है :—

वित्तीय वर्ष	सूचना देने वालों की संख्या	पुरस्कार के रूप में दी गई रकम
		रूपये
1970-71 . . .	104	3,19,949
1971-72	110	4,39,109
1972-73	122	4,99,125

नये स्वर्ण व्यापारी लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध

5740. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये स्वर्ण व्यापारी लाइसेंस जारी करने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) क्या स्वर्ण लाइसेंस एक राज्य से दुसरे राज्य में हस्तान्तरित करने की अनुमति है ;

(ग) गत 9 महीनों से अधिक अवधि के दौरान दिल्ली, बम्बई और मद्रास में कितने हस्तान्तरण आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं ; और

(घ) ऐसे मामलों में विभागीय विलम्ब दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । परन्तु, कोई लाइसेंसधारी स्वर्ण व्यापारी किसी शहर, कस्बे अथवा गांव में अपना लाइसेंस अधिकारियों को वापस कर सकता है, और अन्य किसी शहर, कस्बे अथवा गांव में नया लाइसेंस लेने के लिये दरख्वास्त दे सकता है । लाइसेंस जारी करने वाला अधिकारी उसकी दरख्वास्त पर, स्वर्ण नियंत्रण (व्यापारी लाइसेंस देना) नियमावली 1969 में निर्दिष्ट उपबन्धों को ध्यान में रखकर विचार करेगा, और इसमें वह अन्य बातों के साथ साथ, किसी शहर, कस्बे अथवा यदि मामला किसी गांव से सम्बन्धित हो तो उस गाँव के जिले में लाइसेंसधारी स्वर्ण व्यापारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता का भी विचार करेगा ।

(ग) बम्बई और मद्रास में ऐसे कोई मामले विचाराधीन नहीं हैं । दिल्ली में ऐसे दो मामले विचाराधीन हैं ।

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये गये है कि वे विचाराधीन मामलों को उनके गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से निपटायें ।

वाणिज्य मंत्रालय के विरुद्ध आरोप

5741. श्री बी० बी० नायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'ब्लिट्ज' के 20 अक्तूबर, 1973 में उनके मंत्रालय पर लगाये गये आरोपों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) उन साफ करने की क्षमता तथा सूती वस्त्र के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप निराधार हैं ।

बुलगारिया से उर्वरक का आयात

5742. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुलगारिया के साथ वरियता के आधार पर उर्वरकों का आयात करने के लिये किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का आयात किया जाना है और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां । तीन वर्षों की अवधि अर्थात 1973 से 1975 के दौरान 4,60,000 मे० टन की कुल मात्रा के लिये जून 1972 में खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा बुलगारिया के साथ एक संविदा की गई थी । यूरिया की इस मात्रा का मूल्य प्रचलित कीमतों पर निर्भर करेगा जो कि वर्ष प्रति वर्ष तय की जानी हैं ।

समाजवादी देशों के साथ नये व्यापार समझोते

5743. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व समाजवादी देशों के साथ नये व्यापार समझौते किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) भारत को उनसे कितना वित्तीय लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार है जिनमें पारस्परिक व्यापार को विनियमित करने के लिये वार्षिक व्यापार योजनाओं की व्यवस्था है । अभी हाल में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, रुमानिया, हंगेरी तथा बलगारिया के

साथ 1974 के लिये व्यापार योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है। वर्ष 1974 के दौरान इन देशों के साथ लगभग 652 करोड़ रुपये का व्यापार होने की सम्भावना है।

इन देशों से अन्य मदों के साथ साथ इन का आयात किया जायेगा। पूंजीगत उपस्कर तथा मशीनें, इस्पात, अलौह धातुएं, उर्वरक, रासायनिक पदार्थ आदि जो कि देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक वस्तुएं हैं। विभिन्न परम्परागत मदों के अतिरिक्त भारत से इन देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में ये शामिल हैं: इंजीनियरी माल विनिर्मित तथा उपभोक्ता वस्तुएं, भेषज तथा औषधियों, विभिन्न रासायनिक पदार्थ, टेक्सटाइल की वस्तुएं आदि।

सरकारी क्वार्टरों के सरकारी कर्मचारियों के अलाटियों के बच्चों को गृह मकान किराया भत्ता

5744. **श्री नरेन्द्र सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों के पुत्र/पुत्रियां यदि वे अपने मां बाप के साथ रहते हों, कर्मचारियों को देय मकान किराये भत्ते के अधिकारी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आयें हैं जिनमें अलाटियों के पुत्र/पुत्रियों ने स्वयं को मां बाप से पृथक रहते हुए दिखाकर मकान किराया भत्ता लिया है जब कि वास्तव में वे अपने मां बाप के साथ ही रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं; और

(घ) कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मकान किराये भत्ते की मंजूरी का नियमन, नियमों के अनुसार, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है और उन अधिकारियों के अधीन काम करने वाले कर्मचारी आवास आदि का आवश्यक विवरण इस निमित्त उन अधिकारियों को पेश करते हैं। जिन मामलों में यह बात अधिकारियों के ध्यान में आती है कि मकान किराये भत्ते का दावा करते हुए गलत विवरण दिया गया है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करना उक्त अधिकारियों का काम है। वित्त मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

Evaluation Report of the Indian Institute of Public Administration

5745. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a seminar was organised on all India basis to discuss the evaluation report of the Indian Institute of Public Administration prepared in co-operation with the National Forum of the Institute of Civil Administration Training and Research and if so, the main recommendations thereof;

(b) whether the recommendations made in the seminar were kept in view while formulating the schemes for inclusion in the Fifth Plan, and

(c) if not, the reasons therefore and if so, the main features of the schemes formulated ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) According to information furnished by the Indian Institute of Public Administration, no such seminar was organised by them nor have they prepared any evaluation report in co-operation with the National Forum of the Institute of Civil Administration Training

& Research. It is also indicated by the Indian Institute of Public Administration that the Institute of Civil Administration Training & Research in not identifiable.

(b) & (c) Do not arise.

पुनरोपण तथा बीजों की खरीद के लिये ऋण

5746. श्री के० मालन्ना :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पुनरोपण तथा विशेष वीज तथा कृषि उपकरणों की खरीद के लिये ऋण देने की कोई विशेष योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्हें इलायची के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये ऋण दिया गया है तथा ऋण की धनराशि कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केरल, तामिलनाडु तथा कर्नाटक के इलायची उत्पादक राज्यों में इलायची (छोटी) के उत्पादक को प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ इलायची बोर्ड 1969-70 से एक पुनरोपण वित्त स्कीम और स्प्रिकलर तथा अन्य कृषि सम्बन्धी उपस्करों की सप्लाई करने के लिय 1968-69 से एक किराया खरीद स्कीम चलाता आ रहा है। अब तक पुनर्रोपण वित्त स्कीम तथा किराया खरीद स्कीम के अन्तर्गत क्रमशः 12,24,850 रु० की राशि और 2,09,835 रु० की राशि ऋणों के रूप में संवितरित की जा चुकी है।

लारसन और टोउब्रो लिमिटेड को विदेशी पूंजी भागिता कम करने के निदेश

5747. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लारसन और टोउब्रो लिमिटेड को विदेशी पूंजी भागिता कम करके 40 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में निर्देश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस निदेश का पालन किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) चूंकि लार्सन ऐण्ड टूब्रो लिमिटड में इस समय विदेशियों की शेयर पूंजी 3 प्रतिशत से कुछ ही अधिक है इसलिए ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

पांचवो पंचवर्षीय योजना के लिये कनाडा से सहायता

5748. श्री मान सिंह भौरा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये भारत को किसी प्रकार की सहायता करने का आश्वासन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कनाडा द्वारा किस-किस प्रकार की सहायता दिये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) नवम्बर 1973 में, नई दिल्ली में भारत और कनाडा के बीच आर्थिक विषयों के बारे में जो विचार-परामर्श किया गया

उसमें कनाडा के प्रतिनिधी मण्डल ने पांचवीं आयोजना में भारत को दी जाने वाली आर्थिक और तकनीकी सहायता को जारी रखने तथा उसके क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की थी। पांचवीं आयोजना की उन परियोजनाओं का पता लगाया जाएगा जिसके लिए कनाडी सहायता उपयुक्त रहेगी और इसके बाद उससे और आगे बातचीत की जायगी।

ग्रामीण विकास के लिये पश्चिमी जर्मनी से सहायता

5749. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने भारत में ग्रामीण विकास हेतु सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में सहायता के लिये भारत ने उसके साथ करार किया है ;

(ग) क्या कुछ संयुक्त औद्योगिक उपक्रम भी इसके अन्तर्गत चालू किये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के आर्थिक सहयोग मंत्री डॉ० एरहर्ड एपलर ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान भारत के उन ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए जो पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में हाथ में लिये जायंगे, सहायता देने में अपनी रूचि तथा पश्चिम जर्मनी सरकार की इच्छा व्यक्त की थी। जर्मन संघीय गणराज्य से मिलने वाली इस प्रकार की सहायता का उपयोग किन क्षेत्रों में और कैसे किया जाना है, ये बातें इस समय दोनों सरकारों के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) दोनों सरकारें, किन्हीं विशिष्ट संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के प्रश्न पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है।

पांचवीं योजना के लिये डेनमार्क द्वारा सहायता दिये जाने का प्रस्ताव

5750. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क ने पांचवीं योजना में भारत को सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी हां, डेनमार्क ने 1974-75 से 1978-79 तक अर्थात् पांचवी योजना की अवधि के लिये सहायता का प्रस्ताव किया है।

(ख) लगभग 25 करोड़ डनिश क्रोनर (लगभग 34.25 करोड़ रुपए) की यह प्रस्तावित सहायता खुले अनुदानों के रूप में है। यह सहायता जो पहले से चल रही और नई, दोनों प्रकार की परियोजनाओं के लिए है, जिन मुख्य क्षेत्रों के लिए है, वे है—पशुपालन, लघु उद्योग, वन पालन, परिवार नियोजन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। सहायता का एक अंश, "भूख से मुक्ती

अभियान समिति" (जिसे अब विकास के लिये जन आन्दोलन कहा जाता है) द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये होगा। जून, 1966 और मार्च, 1968 के दो डनिश खाद्य ऋणों के संबधं में 1974-78 के दौरान ऋण राहत के रूप में 168 लाख डनिश क्रोनर (17.52 लाख रुपये) की रकम अलग रख दी गई है।

विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेषज्ञ दल

5751. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ दल का प्रतिनिधित्व करने के लिय भारत को चना गया है कि वह विकासशील देशों के लिये उनकी क्षमताओं और विकास सहायता के लिये एक दूसरे के अनुभव में हिस्सा बांटने के लिय सर्वोत्तम ढंग की सिफारिश करे;

(ख) क्या उक्त विशेषज्ञ दल विकासशील देशों के बीच सापक्षिक संभावनाओं और क्षेत्रीय अन्तर्क्षेत्रीय तकनीकी सहयोग के हितों की भी जांच करेगा ; और

(ग) क्या हमारा प्रतिनिधि इस विशेषज्ञ दल में मनोनीत किया गया है अथवा संयुक्त राष्ट्र में हमारा प्रतिनिधि ही इस पर कार्य करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ महा सभा के संकल्प और संयक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद् के निर्णय के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक ने एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है जिसमें, निम्नलिखित कार्य करने के लिये, चुने हुए सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं :—

(i) विकास संबंधी सहायता में वृद्धि तथा सुधार करने के उद्देश्य से विकासशील देशों की क्षमताओं और अनुभव में हिस्सा बाटने के सर्वोत्तम ढंग की जांच करना और उस संबंध में सिफारिशें करना; और

(ii) विकासशील देशों के बीच सापेक्षित सम्भावनाओं और क्षेत्रीय तथा अन्तक्षेत्रीय तकनीकी सहयोग के लाभों की जांच करना।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासकने जिन बारह देशों को इस कार्यकारी दल में भाग लेने के लिये निमंत्रण दिया है उनमें भारत भी एक है तथा निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) इस कार्यकारी दल में, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी को हमारा प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है।

युगोस्लाविया को निर्यात करने के लिये वैगनों के निर्माण की धीमी गति

5752. श्री नरेन्द्र कुमार सोंघी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युगोस्लाविया को निर्यात करने के लिये वैगनों के निर्माण की धीमी गति के कारणों की जांच करने हेतु 13 नवम्बर, 1973 को सभी वगन निर्माताओं की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) क्या डिलीवरी की अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद अभी तक केवल 15 प्रतिशत वैगनों की सप्लाई की जा सकती है और यदि हां, तो क्या डिलीवरी की अवधि और बढ़ाए जाने की मांग की गई है; और

(ग) वैगन निर्माताओं को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उत्पादन को वृद्धि में रुकावटों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणीज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) संविदा किए हुए माल डिब्बों की लगभग 11 प्रतिशत संख्या अर्धखूली अवस्था में सुपूर्दगी के लिए भेज दी गई हैं और उन्हें युगोस्लाविया में संयोजित किया जायेगा । विभिन्न वर्निर्मित माल के लिये 6-1/2 मास से 17-1/2 मास तक की अतिरिक्त मौहलत प्राप्त कर ली गई है ।

(ग) मुख्य कठिनाइयां उत्पादन से संबंधित हैं, जैसे कि बिजली की कमी, स्टील कास्टिंग एक्सेल बक्सों आदि की सप्लाई में देरी आदि । सप्लाई की गति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है । यदि बिजली की सप्लाई नियमित रूप से सुनिश्चित हो जाए तो उत्पादन सुधार जाएगा ।

क्वाला लामपुर में भारत-मलेशियायी इस्पात फाउन्डरियां

5753. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-मलेशियायी इस्पात क्या फाऊंडरियों संबंधी पहला संयुक्त उद्यम क्वाला लामपुर में इस वर्ष जून में चालू कर दिया गया था;

(ख) क्या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में यह संयुक्त उद्यम भारत सरकार द्वारा चलाया गया अथवा किसो गैर-सरकारी फर्म द्वारा; और

(ग) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें तथा शर्तें क्या हैं और इस उद्यम में मलेशियायी सरकार और भारत सरकार का कितना-कितना हिस्सा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) संयुक्त उद्यम एक गैर-सरकारी पार्टी अर्थात् मुकुन्द आयरन एंड स्टील वर्क्स लि०, बम्बई द्वारा प्रायोजित है ।

भारतीय पार्टी का ईक्विटी शेयर पूंजी में 35 प्रतिशत भाग है जोकि भारत से संयंत्र तथा मशनरी के निर्यात तथा छोटी राशि के तकनीकी सेवा शुल्कों के पूंजीकरण के रूप में है ।

लाभांश के अतिरिक्त, भारतीय पार्टी विक्रियों पर तकनीकी जानकारी शुल्कोंकी हकदार है ।

पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ़ करना

5754. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे उन पड़ौसी देशों के नाम क्या है जिनके साथ भारत ने व्यापार संवर्धन में रुचि दिखाई है;

(ख) क्या भारत ने इस बीच इन देशों के साथ सभी अनिर्णित समस्याओं का हल कर दिया है और यदि नहीं, तो भारत उनके साथ अपने संबंधों में किस प्रकार सुधार करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) क्या इन देशों के साथ कोई नए समझौते किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का संकेत शायद अफगानिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका जैसे पड़ौसी देशों की ओर है । भारत, पाकिस्तान को छोड़ कर, इन देशों के साथ बहुत निकट व्यापार संपर्क तथा सहयोग बनाए हुए है । भारत ने अफगानिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, ईरान तथा श्रीलंका के साथ व्यापार करार/व्यापार प्रबंध किए हैं । नेपाल के साथ एक दीर्घावधि व्यापार तथा परिवहन संधि है । इसके अलावा श्रीलंका के साथ आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त समिति तथा भारत और ईरान के बीच आर्थिक सहयोग हेतु एक संयुक्त आयोग स्थापित किया गया है । व्यापार के विकास में उठाने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श करने तथा उन्हें सुलझाने के लिए इन देशों के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक विचार विमर्श किया जाता है । सरकार ने, पड़ौसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने तथा आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को दृढ़ करने के उद्देश्य से उपाय किए हैं और बराबर कर रही है ।

पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए अनुग्रह के रूप में मुआवजे की राशी

5755. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् शत्रु संपत्ति घोषित की गई, भूतपूर्व पाकिस्तान सहित, पाकिस्तान में संपत्ति के लिये किये गये दावों और अनुग्रह के रूप में मुआवजे की कुल राशि के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है;

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान की संपत्तियों के अनुमानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और दावों की सत्यता का आंकलन करने की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने दावे क्रमश: पिछले 7, 6, 5, और 4 वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं और भूतपूर्व पाकिस्तान के दोनों भागों के लिये इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 1971-72 और 1973 में क्रमश: पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित कितने दावों पर निर्णय किया गया; और

(ङ) क्या इन दावों का शीघ्रता से निपटान करने के लिये कोई विशेष सैल स्थापित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के पास दर्ज कराये गए दावों के अनुसार भारत-पाक संघर्ष 1965 के दौरान तथा उसके पश्चात् पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई भारतीय राष्ट्रिकों की परिसंपत्ति/संपत्ति के मूल्य का अनुमान लगभग 109 करोड़ रुपए लगाया गया है ।

(ख) अलग-अलग ब्यौरे का तभी पता चलेगा जब सभी दावों की, जिनकी संख्या लगभग 6,000 है, जांच कर ली जाएगी । दावों की जांच दस्तावेजी/गौण प्रमाण के आधार पर की जाती है ।

(ग) अनुग्रह के रूप में अनुदान देने के भारत सरकार के विनिश्चय की घोषणा 10-4-1971 को दी गई थी । इस लिये गत 7, 6, 5 व 4 वर्षों से दावों के अनिर्णीत पड़े रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) अब तक भूतपूर्व पूर्व-पाकिस्तान में स्थित परिसंपत्ति/संपत्ति के लिये 1.42 करोड़ रुपए मूल्य के तथा पश्चिम पाकिस्तान में इसके लिए 1.05 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान कर दिया गया है ।

(ङ) दावों की जांच शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के कार्यालय में की जाती है जिसे इन दावों की जांच करने के लिये पहले से ही बढ़ाया जा चुका है ।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे

5756. **श्री वयालार रवि :**
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के अवर सचिव के स्तर के ऊपर के कितने अधिकारियों ने गत तीन वर्षों में विदेशों के सरकारी दौरे किए और उन पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) उनमें से कितने अधिकारी एक से अधिक बार विदेश गए और प्रत्येक अधिकारी कितनी बार विदेश गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी ।

Use of Gurdwaras in Punjab for Smuggling purposes

5757. **Shri Hukam Chand Kachwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the reported statement of the Chief Minister of Punjab that the Gurdwaras in Punjab are being used by anti-social elements and smugglers for smuggling purposes ; and

(b) Government's reaction thereto and the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The news item appearing in Hindustan dated 23rd September, 1973 wherein the Chief Minister of Punjab is stated to have said that some of the Gurdwaras in Punjab are being used by smugglers and other anti-social elements has come to the notice of the Government.

(b) Enquiries made in the matter reveal that there was one case in 1973 wherein two bad characters, who had stayed inside a Gurudwara and the Sarai attached to it, were apprehended by the Police for being in possession of some illicite liquor and opium. In addition to the usual measures taken by the Government for checking smuggling the management Committees of the Gurudwaras and other shrines were asked to ensure that their precincts are not used for anti-social or unlawful purposes.

अशोक होटल कर्मचारी संघ के महासचिव और पदाधिकारियों द्वारा एक होटल कर्मचारी के साथ मारपीट किया जाना

5758. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल कर्मचारी संघ के महासचिव और अन्य पदाधिकारियों ने होटल के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की थी और उनके विरुद्ध एक पुलिस केस दर्ज किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधकों ने उक्त पदाधिकारियों को अभीतक निलम्बित नहीं किया है जबकि मार्च, 1973 के महीने में ऐसे ही एक मामले में प्रबंधकों ने आल इंडिया आई० टी० डो० सी० इम्पलाइज़ यूनियन के पदाधिकारियों को निलम्बित कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पयटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) यह अरोप लगाया गया है कि अशोक होटल कर्मचारी संघ के महासचिव तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने 22 अक्तूबर, 1973 को अशोक होटल के कुछ कर्मचारियों पर हमला किया । शिकायत प्राप्त होने पर, पुलिस ने हस्तक्षेप किया तथा अभिकथित हमलावरों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहित की धारा 107(1) के अन्तर्गत एक स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई उन्हें प्रतिभूति देने पर जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

(ख) और (ग) मार्च 1973 की घटना अक्तूबर 1973 की घटना से भिन्न थी । दूसरी घटना में केवल शांति भंग की आशन्का थी तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत प्रत्यक्षतः कोई फौजदारी जुर्म नहीं बनता था । अतः अब तक उन्हें प्रबन्धक वर्ग द्वारा निलम्बित नहीं किया गया है ।

Shifting from Jute Cultivation to other Crops in Bihar

5759. **Shri Bibhnti Mishra** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) where Jute producers i n Bihar have paid a price of Rs. 20.30 per maund for Jute ;

(b) if so, whether the Jute producers are thinking of shifting from Jute production tn future ; and

(c) if so, his reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. Gorge) : (a) No., Sir.

(b & c) Does not arise .

पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन के डाक्टरों द्वारा आयकर के निर्धारण के लिये भरी गई आयकर विवरणियां

5760. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता लेने वाले रेल्वे के डाक्टर आयकर के उचित निर्धारण के लिये विवरणियां भरते समय घर जाने की फीस की राशियां भी अपनी आय में सम्मिलित करके दिखाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन के प्रत्येक डाक्टर ने 1970, 1971 और 1972 में घर जाने की फीस के रूप में प्राप्त राशियां अपनी वार्षिक आयकर विवरणियों में सम्मिलित की थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कलकत्ता में निर्धारित रेलवे डाक्टरों की आय विवरणियों की एक नमूना जांच से पता चलता है कि इनमें से कुछ डाक्टरों ने अपनी वेतन से हुई आय के अलावा अपने व्यवसाय से हुई आय को अलग से घोषित किया, किन्तु उस आय में उन्होंने घर पर जाकर मरीजों को देखने के लिये ली गयी फीस के ब्यौरे नहीं दिये ।

(ख) पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन के डाक्टरों द्वारा दाखिल की गई आय-विवरणियों में मरीजों को घर पर जाकर देखने की फीस के रूप में कोई आय नहीं दिखाई गई है।

मंत्रालयों को खर्च में, विशेष तौर से पेट्रोल की खपत में कमी के निदेश

5761. **श्री विश्वानाथ झंझुनवाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदयमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए सब मंत्रालयों को अपने बजट में कमी करने के निदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो खर्च में की गई वास्तविक कमी का मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या स्टाफ कार में पैट्रोल के प्रयोग में कमी करने के बारे में कोई निदेश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो व्यय का वर्तमान मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है; और वास्तव में खर्च में कितनी कमी हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) से (ग)** एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी--6091/73]

विदेशी संयंत्रों का स्थानान्तरण

5262. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री मधु दन्डवते :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार विदेशी फर्मों द्वारा अपने संपूर्ण संयंत्रों का भारत में स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कौन-कौन से संयंत्र और उद्योग स्थापित किये जाने हैं;

(ग) उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिये उठाए गए सरकारी कदमों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) राजस्थान में यदि कोई संयंत्र स्थापित किया जायेगा तो कहां पर ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) स्पष्टता दिनांक 26 नवम्बर, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'फोर फोरेन आफर्स टू शिफ्ट प्लांटस टु इंडिया' (भारत को मशीनें अंतरित करने के चार विदेशी प्रस्ताव) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर संकेत है । इस समाचार में उल्लिखित चार प्रस्थापनाओं में से दो प्रस्थापनाएं वस्तुत: भारत को संयंत्र स्थानांतरित करने के लिए नहीं हैं बल्कि पुरानी ममीने आयात करने के संबंध में हैं । भारत को अमेरिका से संयंत्र स्थानांतरित करने के संबंध में केवल एक ही स्थापना प्राप्त हुई है जोकि एक अमेरिकी फर्म के सहयोग में 100 प्र० श० निर्यात अभिमुख आधार पर बढ़िया डीजल ट्रालर याट के विनिर्माण के संबंध

में है। जहां तक उपर उल्लिखित दिनांक 26 नवम्बर, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित स्टैनलैस स्टील कटलरी के डेनमार्क विनिर्माण की प्रस्थापना का संबंध है, उस विषय में अभी तक कोई ठोस प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) बढ़िया याट बनाने संबंधी संयंत्र के स्थानांतरण की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जी नहीं।

केरल की कपड़ा मिलों को हो रही कठिनाइयां

5763. श्री एन० श्रीकान्तन नायर :
श्री वरके जार्ज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि केरल की कपड़ा मिलों को स्टेपल फाइबर की अपर्याप्त सप्लाई के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण कच्चे माल का उदारतापूर्ण आबंटन सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। प्रमुख लुगदी उत्पादक एकक में तालाबन्दी के कारण हाल के महीनों में विस्कोस स्टेपल रेशे के उत्पादन में गिरावट आती रही है और सभी विस्कोस स्टेपल रेशा कताई एककों पर एक कटौती लागू करनी पड़ी।

(ख) आशा है कि ज्यों ही विस्कोस स्टेपल रेशे का उत्पादन सामान्य हो जाएगा, कटौतियों को बहाल कर दिया जाएगा और आबंटन, वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किए जाएंगे।

पेंशन प्राप्त करने वालों को आर्थिक परियोजनाओं के लिये सहकारी समितियां संगठित करने का सुझाव

5764. श्री वेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेन्शन प्राप्त करने वालों को कुछ आर्थिक परियोजनाओं के लिये सहकारी समितियां संगठित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों के अनुसार ऐसा लगता है कि किसी संगठन द्वारा आयोजित बैठक में पेंशनरों को दिये गए सुझावों में एक यह भी था कि वे सहकारी समितियों और ऐसी ही अन्य आर्थिक योजनाओं का संगठन कर सकते हैं। वैसे सरकार की ओर से ऐसा कोई सुझाव दिया गया नहीं लगता और इस निमित्त कोई योजना विशेष भी सरकार के पास नहीं है।

कपड़ा उद्योग का विस्तार

5765. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाला चरतराम तथा भरतराम समूहों के, जिनमें उनके बहुमत के शेयर हैं, डी० सी० एम० तथा अन्य उद्योगों की कितनी विस्तार योजनाओं को मंजूरी दी गई हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने 1973 में कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में भरतराम और चरतराम, गोयनका और बिरला समूहों की कोई नई विस्तार योजना मंजूर की है; और

(ग) यदि हां, तो उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) वर्ष 1973 में भरतराम तथा चरतराम, गोयनका तथा बिड़ला समूहों के संबंध में सूती वस्त्रों के क्षेत्र में निम्नलिखित विस्तार योजनायें अनुमोदित की गई है तथा इन मामलों में औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं :—

समुह का नाम	लाइसेंस नं० तथा दिनांक	सूत के निर्माण हेतु लाइसेंस क्षमता
भरतराम तथा चरतराम समूह†		
दिल्ली क्लाथ एंण्ड जनरल मिल्स कं० लि०, दिल्ली	सी० आई० एल० 12(73) दिनांक 30-11-73	7,480 तकुए
गोयनका समूह††		
बसंती काटन मिल्स लि०, कलकत्ता .	एल०/23(1)/1149/73-टैक्स (एच), दिनांक 4-9-1973	7,956 तकुए
बिड़ला समूह††		
चिनाब टैक्सटाइल्स मिल्स लि०, कथुआ (जम्मू तथा काश्मीर)	एल०/23(1)/1135/73 टैक्स (एच०), दिनांक 23-5-73	12,400 तकुए
आसाम काटन मिल्स लि०, चारीद्वार (आसाम)	एल०/23(1)/1136/73-टैक्स (एच), दिनांक 23-5-73	12,500 तकुए
ईस्टर्न काटन मिल्स लि०, कलकत्ता .	एल०/23(1)/1137/73-टैक्स (एच), दिनांक 23-5-73 ।	10,312 तकुए
भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, नन्जुनगड (म०प्र०)	एल०/23(1)/1138/73-टैक्स (एच), दनांक 23-5-73	4,656 तकुए
जयश्री टैक्सटाइल्स एण्ड इडस्ट्रीज लि०, मदनापुर (प० बंगाल)	एल०/23(1)/1139/73-टैक्स (एच), दिनांक 23-5-73	13,000 तकुए

†इस मामले में मिल की बुनाई तथा कताई क्षमता को संतुलित करने के लिये लाइसेंस दिया गया था ।

††इन मामलों में मिलों में 25,000 तकुओं के लाभकारी स्तर तक तकुओं की संख्या बढ़ाने के लिये लाइसेंस दिये गये थे ।

चिथड़ा कांड

5766. श्री पी० गंगादेव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने "चीथड़ा कांड" के संबंध में अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कलकत्ता में बरामद की गई जाली करेंसी

5767. श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वरा 24 परगना जिले, कलकत्ता में मध्यम ग्राम के निकट 15 अक्टूबर, 1973 को बहुत अधिक मात्रा में जाली करेंसी नोट बरामद किये गए थे;

(ख) यदि हां, तो जाली करेंसी नोट का मूल्य क्या है और वे कितने कितने रुपए के नोट हैं; और

(ग) क्या कोई छपाई मशीन तथा अन्य साज-सामान भी बरामद किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) से (ग) 15 अक्टूबर, 1973 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में विवेकानन्द नगर के विजय सरकार नामक एक व्यक्ति के घर पर छपा मारा और उन्होंने 1.5 लाख रुपए के मूल्य के भारतीय तथा 3.5 लाख रुपए के मूल्य के बंगला देश के कथित जाली करेंसी नोट बरामद किए थे और संभवतः इन नोटों के बनाये जाने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले मेटल ब्लाक हैंडप्रैस आटो नम्बर मशीनें जैसी वस्तुएं जप्त की थीं । इस संबंध में फौजदारी का एक मामला दर्ज कर लिया गया है और दो व्यक्तियों को गिरफदार किया गया है ।

बालयोगेश्वर से बरामद किये गये सामान को जब्त करना

5768. श्री मधु दण्डवते : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने बालयोगेश्वर द्वारा तस्करी द्वारा लाये गये 3.5 लाख रुपयों के निषिद्ध माल को जब्त कर लिया है;

(ख) यदि हां तो ये समान किन देशों से तस्करी द्वारा भारत में लाया गया था; और

(ग) सरकार ने बालयोगेश्वर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) श्री प्रेम पाल सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर के असबाब से पकड़ी गई निम्नलिखित अघोषित वस्तुओं को जब्त कर लिया गया है : —

1. लगभग 43 हजार रुपए मूल्य के जवाहरात ।
2. लगभग 18 हजार रुपए मूल्य की घडियां ।

3. अमरीकी डालर पौंड स्टर्लिंग स्विस फ्रांक आस्ट्रेलियाई डालर तथा जापानी येन के रूप में विदेशी मुद्रा । } लगभग 1,96 हजार रुपये

4 अमरीका डालरों में यात्री चेक — लगभग 46 हजार रुपये

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका से अपने भक्तों के साथ यहां पहुंचे थे ।

(ग) सीमाशुल्क समाहर्ता, दिल्ली ने रिपोर्ट दी है कि पकड़े गए माल को जब्त करने के अतिरिक्त, जिसके लिये पहले ही आदेश पारित किया जा चुका है, सीमशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अधीन दण्ड लगाने के लिये, बालयोगेश्वर, श्री बिहारी सिंह तथा कुमार जोन ऐप्टर को शीघ्र ही कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे है । प्रवर्तन निदेशक ने भी विदेशी मुद्रण विनिमय विनियमन अधिनियम के अंतर्गत श्री बिहारी सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है ।

पाली में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा मकान किराया भत्ते के बारे में ज्ञापन देना

5769. **श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाली (राजस्थान) में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने मकान किराया भत्ते की मांग करते हुए केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) पाली नगर में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मंजूर करने के प्रयोजन से, उस नगर का "सी" श्रेणी के नगरों में वर्गीकरण करने का निर्णय किया गया है । इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश शीघ्र ही जारी होने की सम्भावना है ।

केन्द्रीय सरकार के पेंशन पाने वालों की संख्या

5770. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वित्त** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में इस समय पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या के आंकड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो गरीबी के स्तर से कम पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन पटल पर रखी जायगी ।

होटल उद्योग के इस समय प्राप्त वित्तीय एवं अन्य प्रोत्साहनों की पुनरीक्षा के लिये समिति का गठन करना

5771. **श्री आर० एस० बर्मन :**

श्री वी० मायावन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटल उद्योग की इस समय उपलब्ध वित्तीय एवं अन्य प्रोत्साहनों की पुनरीक्षा करने के लिये एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस के सदस्य कौन-कौन होंगे एवं निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) इस का गठन कब तक किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) जी, हां। होटल उद्योग के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रकार के प्रोत्साहनों की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक श्री एस० भूतलिंगम की अध्यक्षता में शीघ्र ही एक समिति का गठन किया जा रहा है जिस में पर्यटन के महानिदेशक सदस्य-सचिव तथा वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय वित्त औद्योगिक निगम तथा भारत पर्यटन विकास निगम के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। समिति में होटल उद्योग के प्रतिनिधि भी होंगे।

समिति के विचारणीय विषय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

होटल उद्योग के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहनों के लिए समिति के विचारणीय विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(i) समीक्षा करने के लिए—

(क) 1969-74 की अवधि में पर्यटकों के लिए होटल आवास के विभिन्न वर्गों का विकास की;

(ख) इस अवधि में होटल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहनों के रूप में अंशदान (इस में भू-खंडों तथा विदेशी मुद्रा का आवंटन भी सम्मिलित है) की;

(ग) होटलों के विकास में अवरोधी तत्वों की;

(ii) विचार करने के लिए—

(क) 1974-79 की अवधि में पर्यटकों के लिए होटल आवास के विभिन्न वर्गों के लिए संभाव्य माँग पर;

(ख) इस अवधि में होटल क्षमता का विस्तार करने के लिए वित्त तथा विनियोजन के संभावत साधनों की आवश्यकता पर;

(iii) सिफारिश करने के लिए—

निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में होटल उद्योग की वांछित प्रकृति के अनरूप विकास की निष्पत्ति के लिए अत्यधिक किफायती और उपयुक्त वित्तीय प्रणाली व अन्य आवश्यक प्रोत्साहन के बारे में।

बंगला देश को कोयले की सप्लाई

5772. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलादेश को छः लाख मीटरी टन कोयले की सप्लाई करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि० ने 1974 के दौरान) श्रेणी 1 व 2 स्टीम तथा स्लैक क्वालीटी के 6.60 लाख मे० टन नान-कोकिंग कोयले की सप्लाई के लिए बंगलादेश के साथ संविदाएं की हैं। सप्लाइयां जनवरी, 1974 से प्रतिमास 55,000 मे० टन की दर से शुरु होनी हैं।

मनीपुर जाने वाले विदेशी पर्यटकों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना

5773. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय पर्यटकों पर लगे प्रतिबंधों के कारण मनीपुर में पर्यटन के विकास में गंभीर रुकावटें आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो मनीपुर आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए 'इनर लाइन परिमिट सिस्टम' में कुछ ढील देने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) मनिपुर क्षेत्र में विदेशियों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध अभी समाप्त नहीं किये गये है। यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

Agreement with Countries

5774. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) The names of the countries with which India entered into agreements for 1974; and

(b) the extent to which these agreements are likely to help India in her development and prosperity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) U.S.S.R., Czechoslovakia, German Democratic Republic, Hungary, Bulgaria, Poland, Rumania, North Korea, North Vietnam, Mongolia, Brazil, Peru, Bangladesh and Yougoslavia. Trade agreements existing with West European countries are also valid during 1974 until terminated by either side after due notice.

(b) These trade agreements are intended to promote India's trade and economic prosperity. The extent of increase in the trade transactions for all such countries cannot be forecast.

पी० एल० 480 निधियों के संबंध में भारत–अमरीकी समझौता

5775. **श्री पीलू मोदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की हाउस एण्ड सेनेट फारेन रिलेशन्स कमेटी पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीकी स्वामित्व वाले भारतीय रुपये के लेखे का फैसला करने के लिये भारत अमरीकी समझौते पर लगाये गये सेनेट द्वारा अनुमोदित प्रतिबंध में ढ़ील देने हेतु हाल में सहमत हुई है;

(ख) अमरीका की हाउस एन्ड सेनेट फारेन रिलेशन्स कमेटी द्वारा किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) अमरीकी सीनेट ने विदेशी सहायता संबंधी स्वीकृतियों तथा दो अन्य विधेयकों में यह संशोधन किया था कि "संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, कानून के अन्तर्गत भारत सरकार को बेची गयी वस्तुओं तथा उसे दिये गये ऋणों के संबंध में भारत सरकार द्वारा अमरीकी सरकार को देय रकमों के संबंध में भारत सरकार के साथ तब तक कोई निपटारा नहीं कर सकती जब तक कि :—

(i) उस निपटारे में भारत सरकार द्वारा देय सारी रकमों की अदायगी करने की व्यवस्था न हो; अथवा

(ii) कांग्रेस, कानून द्वारा किसी ऐसी राशि के संबंध में समझौता करने के लिए विशेष रूप से अधिकार न दे, दे जो भारत सरकार द्वारा देय ऐसी सभी रकमों से कम हो। किन्तु, यह संशोधन सीनेट तथा 'हाउस' के एक सम्मेलन में अस्वीकृत हो गया था। इसके परिणाम-स्वरूप, अमरीकी स्वामित्व वाले भारतीय रुपयों के निपटारे के संबंध में भारत-अमरीकी करार को केवल अमरीकी कांग्रेस की कृषि समिति तथा विदेशी सम्बन्ध समिति के पास ही भेजना जरुरी होगा जो उक्त समितियों द्वारा पुनरीक्षित किये जाने के लिए उसके पास 30 दिनों के लिए रहेगा।

जैसाकि 13 दिसम्बर 1973 के वक्तव्य में बताया गया था—ज्योंही यह वैधानिक अपेक्षा पूरी हो जायेगी त्योंही अमरीकी प्रशासन को यह करार करने का अधिकार मिल जायेगा। उसके बाद हम यह करार करेंगे।

कर्मचारियों को बोनस न देने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

5776. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जो अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं देते हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : बोनस की अदायगी अधिनियम 1956, उस सीमा तक जहां तक कि इस बारे में धारा 20 में व्यवस्था की गयी है, केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों पर लागू होता है ; किंतु सरकार ने नीति के रूप में प्रशासकीय आदेशों द्वारा यह व्यवस्था कर रखी है कि उन सरकारी उपक्रमों को भी, जिन पर बोनस अधिनियम की धारा 20 लागू नहीं होती, अपने कर्मचारियों को उसी ढंग से कृपापूर्ण अदायगियां करनी चाहिए जिस प्रकार से बोनस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को की जाती है। इसलिए उन उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों को बोनस की अदायगी न किये जाने का सवाल पैदा नहीं होता। बोनस की अदायगी अधिनियम, 1965 की धारा 16 के अंतर्गत छः वर्ष के बोनस अवकास का लाभ उन उपक्रमों को प्राप्त होता है जो उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। यह रियायत उन उद्यमों सहित, जो अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत नहीं आते, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को भी प्राप्त हैं। वे उपक्रम, जिन्होंने अधिनियम की इस व्यवस्था के अंतर्गत बोनस की अदायगी नहीं की है उनमें हरेक वर्ष बदलाव होता रहेगा जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने निर्धारित शर्तें किस सीमा तक पूरी की हैं।

इण्डियन एयरलाइंस में विमान चालकों की कमी

5777. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में एफ 27 विमान चालकों की कमी है;

(ख) क्या इस निगम के पास एवरो विमान चलाने वाले चालकों की भी कमी है ;

(ग) ऐसे कितने विमान चालक हैं जिन्हें कि गत तीन वर्षों से एवरो विमान चलाने की दक्षता प्राप्त है किन्तु जिन्होंने एक बार भी एवरो विमान नहीं चलाया है ; और

(घ) इस के क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) वर्ष 1970, 1971 और 1972 के दौरान 167 विमानचालकों को एवरो विमान चालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कारपोरेशन के विमान-बेड़े में विभिन्न प्रकार के विमानों पर एन्डोर्समेन्ट प्राप्त विमान-चालकों को परिचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप काम पर लगाया जाता है। केवल एच० एस-748 विमानों पर एन्डोर्समेंट प्राप्त सह-विमानचालकों को दिल्ली रीजन

में सीमित रूप से एच० एस-748 विमान चालन के काम पर लगाया जाता है जबकि एफ-27 तथा एच० एस-748 दोनों ही प्रकार के विमानों पर एन्डोर्समेंट प्राप्त विमानचालकों को केवल एफ-27 के परिचालकों पर लगाया जाता है।

बर्ड-हैलगर कम्पनी समूह के अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन ट्रस्ट

5778. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ड-हैलगर कम्पनी समूह के वर्तमान अध्यक्ष और उन के परिवार के सदस्य अनेक ट्रस्टों के ट्रस्टी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन ट्रस्टों का नाम एवं ब्यौरा क्या है और प्रत्येक ट्रस्ट के अधीन कितने मूल्य की परिसम्पत्तियां हैं ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष एवं उनका परिवार उक्त ट्रस्टों के ट्रस्टी होने के नाते एक और तो इन ट्रस्टों के बीच शेयरों का विक्रय, क्रय और अन्तरण करते है और दूसरी और हैलगर प्राइवेट लिमिटेड और उनके कम्पनी समूहों में नियंत्रक शेयरधारी होने के नाते कम्पनियों के शेयरों का विक्रय, क्रय और अन्तरण ट्रस्टों और कम्पनियों में ट्रस्ट से ट्रस्ट में और कम्पनी से कम्पनी में अपने आप करते हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ.) क्या उक्त अध्यक्ष ने ट्रस्ट अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन किया है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ङ·). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नार्थ ब्रुक जूट कम्पनी

5779. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की नार्थ ब्रुक जूट कम्पनी, जो कि मेसर्स हैलगर (प्राइवेट) लिमिटेड की एक यूनिट है, कलकत्ता की एक जूट ब्रोकिंग फर्म को अवैध रूप से बेच दी गई;

(ख) क्या यह कम्पनी लन्डन में 1,00,000 पौंड में बेची गई और सारा पैसा हैलगर के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री प्रान प्रसाद की सास के नाम लंदन के चार्टर्ड बैंक में जमा कराया गया;

(ग) क्या सौदे का हवाला रिजर्व बैंक को दिया गया था और क्या रिजर्व बैंक ने आवश्यक अनुमति दी है ; और

(घ) क्या यह बिक्री विदेशी विनिमय अधिनियम, 1973 के विरुद्ध हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) नार्थ ब्रुक जूट कम्पनी लिमिटेड के शेयरों की एक बड़ी संख्या का अन्तरण, कलकत्ता के शेयर बाजार के दलालों के माध्यम से, रामगोपाल गनेरीवाला ऐन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और भूवन्धर टी कम्पनी लिमिटेड को किया गया है।

(ख) इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या कोई रकम भारत के बाहर अदा की गयी है, प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) चुंकि शेयरों की बिक्री दो निवासियों के बीच हुई है इसलिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के अधीन रिजर्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम, 1973 पहली जनवरी, 1974 से ही लागू होगा।

वित्तीय संस्थानों की ऋण नीति में परिवर्तन का प्रस्ताव

5780. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बड़े, मध्यम तथा छोटे उद्योगों को वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्यवार कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या छोटे उद्योगों के लाभों को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार बड़े वित्तीय संस्थाओं जैसे जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की ऋण नीतियों में परिवर्तन करने का था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत अखिल भारतीय सांवधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1970-71, 1971-72 और 1972–73 में बड़े, मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए स्वीकृत और उन्हें वितरित कुल वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–6092/73]** भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और संभव सीमा तक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) छोटे पैमाने के उद्योगों की आवश्यकताओं अधिकांश रुप से राज्य वित्त निगम और वाणिज्यिक बैंक पूरी करते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी संस्थाएं केवल निगमित क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र को ही सहायता दे सकती हैं और छोटे पैमाने के उद्योगों में स्थापित अधिकांश एकक स्वामित्व वाली/भागीदारी वाली फर्मों के रूप में हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य वित्त निगमों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए इन संस्थाओं को पुर्नवित प्रदान करके उनकी सहायता करता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऋण स्वीकार नहीं करता। छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिकांशत: ऋणों के रुप में सहायता की आवश्यकता होती है और ऋणपत्रों, हामीदारी-सहायता, गारंटी आदि के रुप में नहीं जिसका उपयोग उपर्यूक्त रुप से निगमित क्षेत्र द्वारा किया जा सकता है। जीवन बीमा निगम बाजार बंधपत्रों में रुपया लगा कर, औद्योगिक सम्पदाओं के विकास के लिए ऋण देकर और अन्य आधारभूत सहायता प्रदान करके अप्रत्यक्ष रुप से छोटे पैमानों के उद्योगों की सहायता करता है। वित्तीय संस्थाओं की नीति यह है कि छोटे और मध्यम पैमानों के उद्योगों, अर्हता प्राप्त उद्यमकर्ताओं द्वारा स्थापित उद्योगों और विशिष्ट पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिए लगातार उदारीकरण किया जाए। बड़ी वित्तीय संस्थाएं, छोटे पैमाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी संभव के उद्योगों सहायता प्रदान करती हैं और साथ ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक खास तौर से इस बात का सुनिश्चयन करता है कि राज्य वित्त निगम और बैंक प्रतिभूति, साधन आदि की बजाए परियोजना की आर्थिक क्षमता और आवेदक की योग्यता तथा अनुभव के आधार पर छोटे पैमाने के उद्योगों को उदारता से अधिक सहायता देते रहें।

संयुक्त क्षेत्र के एककों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों को मार्ग निदेशक सिद्धान्त जारी करना

5781. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र के एककों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों को कोई निर्देशक सिद्धान्त जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों का स्वरूप क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार ने 2 फरवरी 1973 के प्रेस नोट में उल्लिखित औद्योगिक नीति के बारे में अपने निश्चयों को स्पष्ट किया है (जिसकी प्रतियां 21 फरवरी 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के उत्तर में सभा पटल पर रखी गयी थी) कि संयुक्त क्षेत्र के सभी एककों में, सरकार इस बात का सुनिश्चियन करेगी कि नीति निदशन प्रबंध और क्रिया कलाप में उसकी भूमिका प्रभावशाली रहे। राज्य सरकारों को दी गयी हिदायतें मुख्यत: नयी परियोजनाओं के वित्तीय ढांचे और गैर-सरकारी उद्यम कर्ताओं को सम्बन्ध करने से संबोधित है। इन हिदायतों के अनुसार, राज्योय औद्योगिक विकास निगम सरकारी और अर्ध-सरकारी वित्तीय संस्थाओं को, उनके द्वारा हाथ में लिये गये और औद्योगिक उद्यमों में शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण दे सकती है और यदि राज्य सरकार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल मिला कर धारित शेयर 50 प्रतिशत से अधिक होते ह तो बाकी शेयर निजी पक्षों द्वारा ले लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होती। किंतु यदि इस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की हिस्सा पुंजी में भाग लेने की रुचि नहीं होती तो निगम सामान्य चुकता हिस्सा पुंजी के कम से कम 26% तक निधी पुंजी को साथ मिलाने की अनुमति दे सकती है किंतु शर्त यह है कि निगम उचित मात्रा में शेयर अपने पास रखेगा। किंतु निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अन्य उद्यमकर्ता या व्यापारिक दलको आशय पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए, नव निर्मित कंपनी की सामान्य हिस्सा पुंजी में 25% के अधिक शेयर प्राप्त न हों। यदि किसी उद्यमकर्ता को 25% से अधिक सामान्य शेयर देने का प्रस्ताव हो तो केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। यह अनुमति नहीं दी जाएगी कि संयुक्त क्षेत्र का प्रयोग उन उद्यमों में, जिनसे उन्हें अन्यथा पृथक रखा गया हो, बडे घरानों प्रमुख उपक्रमों और विदेशी कंपनियों के प्रवेश के लिए किया जाए। जहां तक वित्तीय संस्थाओं के मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रश्न है, सरकार ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उन बडी परियोजनाओं को जिन्हे सरकारी वित्तीय संस्थाओं से मध्यम और दीर्घावधिक आधार पर पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है, संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं माना जाए नितांत रूप से निजी क्षेत्र की परियोजनाएं न माना जाए इसलिए यह निश्चय किया गया है कि इन मामलों में, अखिल भारतीय दीर्घावधिक वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऐसे नीति स्तर जैसे सहायता प्राप्त कंपनी में नामांकित निदेशक के स्तर पर सौंद्श्य रुप से भाग लेना चाहिए और वित्त प्रबंध के अंग के रुप में उपयुक्त मामलों में, भविष्य में दिये जाने वाले ऋणों और जारी किये जाने वाले ऋण पत्रों को कंपनियों की सामान्य हिस्सा पुंजी में परिवर्तित करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उचित शर्तें तय करनी चाहिए।

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित मार्गदर्शों सिद्धांतों के ब्योरों की प्रतिलिपि 2-7-1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के उत्तर में सभा पटल पर रखी गयी थी।

Recovery of Arrears of Income-tax

5782. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Income-Tax assessed during 1971-72 and 1972-73 has not been realised so far ; and

(b) if so, the reasons therefor and what action has been taken to realise the same?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Out of the Income tax (including Corporation tax) demands raised during 1971-72 and 1972-73. Rs. 173.37 crores and Rs. 248.57 crores were outstanding respectively as on 31-3-1973. The arrears in respect of 1972-73 outstanding amounts to Rs. 230.47 crores as on 30-6-1973. The position about the arrears of 1971-72 as on 30-6-1973 is not available.

(b) The demands are outstanding for one or more of the following reasons :—

(i) Amount claimed to have been paid as advance tax which are awaiting adjustments.

(ii) Demands for which stay has been granted by courts and Income-tax Authorities pending disposal of appeals.

(iii) Demands pending disposal of settlement petitions etc.

(iv) Demands disputed in appeals, though not covered by stay.

(v) Demands covered by instalments.

(vi) Demands pending settlement of Double Income-tax or other relief claims.

(vii) Demands due from companies under liquidation.

(viii) Amounts due from persons who have left India.

All steps provided in law, including the following (depending on the facts and circumstances of each case), have been taken and are being taken to realise the arrears :

(a) Levy of penalty under section 221 of the Income-tax Act, 1961 for non-payment of tax.

(b) Attachment of money due to the assessee under section 226(3).

(c) Attachment of money in courts under section 226(4).

(d) Distraint and sale of movable property under section 226(5).

(e) Issue of recovery Certificates under section 222.

(f) Attachment/sales of movable/immovable property.

(g) Detention of assessee in Civil Prison.

A special Cell has been formed in the Office of the Central Board of Direct Taxes, to scrutinise and review individual cases where arrears of more than Rs. 10 lakhs are outstanding in order to give proper guidance to field officers to take effective follow-up action.

With a view to tackling the problem of tax arrears, and evolve a firm policy, the Minister of State in the Ministry of Finance had discussions with Chairman and Members of the Central Board of Direct Taxes, Commissioners of Income-tax, West Bengal and the representatives of the Officers Associations. As a result of these discussions, the following steps have been taken or are proposed to be taken on priority basis :

(1) Strengthening the cadre of Income-tax Officers and Tax Recovery Officers.

(2) Posting of Appellate Assistant Commissioners to the West Bengal Charge from elsewhere on an ad hoc basis for short periods to clear the backlog of appeals.

(3) Evolving a machinery for the speedy write off of irrecoverable demands.

(4) Expediting the adjustment of taxes already paid, disposal of applications for rectifications and orders to give effect to appellate decisions.

(5) Requesting the appellate authorities to take up all appeals and references where large demands are involved, on a priority basis.

(6) Enlistment of the Co-operation of officers through their respective Association. Member (Budget), Central Board of Direct Taxes, has been holding discussions with the Commissioners of Income-tax, to guide them in tackling this problem with particular reference to cases involving large demands.

6—35 LSS(ND)/73

सरकारी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादों के लिये मूल्य-अधिमान

5783. **श्री पीलू मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालयों, सरकारी विभागों और अन्य सरकारी उपक्रमों द्वारा की जाने वाली खरीद में गैर सरकारी कारखानों की तुलना में सरकारी क्षेत्र कारखानों के उत्पादों के लिये 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान देने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मूल्य प्राथमिकता देने के क्या कारण है,

(ग) क्या इस बारे में अनेक गैर सरकारी कारखानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां । मुख्यत: इन्जीनियरी वस्तुओं के संबंध में जो पुंजीगत स्वरूप की है ।

(ख) मूल्य प्राथमिकता योजना का प्रमुख लक्ष्य सरकारी क्षेत्र में स्थापित क्षमता का अधिक पूरा उपयोग करना है।

(ग) और (घ) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिनकी जांच की जा रही है ।

विभिन्न देशों को रबड़ का निर्यात

5784. **श्री वयालार रवि** :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को कुल कितनी मात्रा में रबड का निर्यात किया गया;

(ख) रबड़ की निर्यात कहां तक देश में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों के स्थिरीकरण में सहायक सिद्ध हुआ है, और

(ग) देश में छोटे रबड उत्पादकों के हितों की सुरक्षा तथा संवर्धन हेतु अपनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या है, और सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए रबड़ बोर्ड को किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों में रबड (प्राकृतिक रबड तथा इसी प्रकार क प्राकृतिक वृक्ष स्त्रावों, संश्लिष्ट रबड तथा पुन: शोधित रबड़) के निर्यात के निम्नोक्त प्रकार है :-

वर्ष	निर्यातित मात्रा (कि० ग्रा० में)
1970-71	2,69,807
1971-72	6,93,980
1972-73	10,81,402
योग .	20,45,189

वर्ष 1973–74 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० ने, जिसको अपने स्टाक से 5,000 मे० टन तक प्राकृतिक रबड़ निर्यात करने के लिए कहा गया था, 14 दिसम्बर, 1973 तक 1,445 मे० टन निर्यात किया है ।

(ख) प्राकृतिक रबड की बाजार कीमत में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

(ग) रबड़ के लघु उपजकर्ताओं के हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु रबड बोर्ड द्वारा निम्नलिखित योजनाएं पहले से चलाई जा रही है जिनके लिए आवश्यक राशि सरकार द्वारा उपकर वसूली में से दी जाती है :—

(1) उत्पादकता बढ़ाने के लिए पुनरोंपण उपदान योजना;

(2) वर्तमान जोतों का लाभकारी एककों के रूप में विस्तार करने के लिए तथा उनके अनुरक्षण के लिए ऋण प्रदान करना;

(3) उच्च उत्पादकता वाले रोपण माल का वितरण;

(4) रियायती दरों पर उर्वरक तथा फफुंदीनाशी पदार्थों का वितरण;

(5) साधित तथा विपणन संबंधी सुधार करने के लिए छोटे उपजकर्ताओं की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना; तथा

(6) उपजकर्ताओं को निःशुल्क तकनीकी परामर्श देना ।

इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे उपजकर्ताओं को अपने उत्पाद की अधिसूचित कीमत मिले केन्द्र सरकार ने अक्तूबर 1970 से भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० को रबड़ बाजार में लगा दिया है । इस दिशा में राज्य व्यापार निगम के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अधिसूचित कीमतों पर छोटे उपजकर्ताओं से रबड़ खरीदने के लिए केरल सरकार को ऋण सहायता भी दी है ।

वर्ष 1972–73 और चालू वर्ष के दौरान स्वनियोजन के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

5785. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 और चालू वर्ष के दौरान स्वनियोजन के लिये 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों दवारा कुल कितने व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्राप्त हुई, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) निम्नलिखित सारणी में 1972 में 1973 के मार्च के अन्त तक ''व्यावसायिक और आत्मनियोजित व्यक्तियों'' की श्रेणी के प्रत्येक ऋण कर्ताओं को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि के आंकडे दिये गये हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंक	मार्च 1972		मार्च 2, 1973*	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
		(लाख रु० में)		(लाख रु० में)
1. इलाहाबाद बैंक	2154	69.60	2200	37.04
2. बैंक आफ बडोदा	1433	35.98	5467	86.98
3. बैंक आफ इंडिया	2282	80.98	6179	133.72
4. बैंक आफ महाराष्ट्र	1623	84.29	3483	209.26
5. कनारा बैंक	4598	64.30	9094	121.08
6. सैन्ट्रल बैंक	5360	142.59	9808	183.22
7. देना बैंक	4680	66.18	7315	81.39
8. इंडियन बैंक	1517	70.53	2028	187.85
9. इंडियन ओवरसीज बैंक	766	17.86	803	52.46
10. पंजाब नेशनल बैंक	1110	13.35	2415	24.74
11. सिंडिकेट बैंक	6721	229.65	17772	276.50
12. यूनियन बैंक आफ इंडिया	3572	77.28	10273	155.63
13. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1814	43.90	2169	60.59
14. युनाइटेड कमर्शियल बैंक	2263	68.40	3361	75.08
जोड.	49883	1064.90	82365	1690.54

*अनन्तिम

इसके अलावा, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार और छोटे व्यापार, सडक और जल परिवहन चालक आदि का काम करने वाले लोगों को दिये जाने वाले बैंक अग्रिम भी, आत्म नियोजित व्यक्तियों को दिए गए बैंक अग्रिमों में शामिल है।

मछली का निर्यात

5786. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में मछली के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ख) मछली का निर्यात बढाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970–71, 1971–72 और 1972–73 के दौरान मछली तथा मछली से बने उत्पादों के निर्यातों का मूल्य क्रमशः 30.53 करोड रु०, 41.39 करोड रु० तथा 53.79 करोड रु० था।

(ख) (1) सरकार ने 1968–69 में 30 मत्सनौकाओं के आयात का अनुमोदन किया और जून 1973 में 50 और मत्स्यनौकाओं के आयात करने के लिए एक अन्य

योजना की घोषणा की । यह निर्यात मांग को पूरा करने हेतु अधिक मछलियां पकडने के लिए किया गया है ।

(2) मछली तथा अन्य समुद्री उत्पादों के निर्यात विकास के विभिन्न पहलुओं की देखभाल करने के लिए 1972 में समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई । उन्होंने जापान में उत्पन्न बाजार स्थिति का स्थानिक अध्ययन करने और हमारे निर्यातों को बढाने के लिए उपचारात्मक सुझाव देने के लिए सितम्बर 1973 में जापान को एक प्रतिनिधिमंडल भेजा।

(3) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने नवम्बर, 1973 के पहले सप्ताह में बम्बई में एक समुद्री खाद्य मेला आयोजित किया, जहां पर विदेशी ग्राहकों को भारतीय साधितकर्ताओं/निर्यातकों के साथ निकट सम्पर्क बनाने और भारत में उद्योग के विषय में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ।

(4) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने सं० रा० अमरीका में श्रिम्पों के विपणन करने और अमरीकी बाजार में भारतीय श्रिम्पों के लिए कम इकाई मूल्य प्राप्ति के कारणों को जानने के लिये एक संभाव्यता अध्ययन किया।

(5) मछली तथा मछली उत्पादों की नई मदों जैसे सार्डीन, टुना, मेकेरेल्स आदि के जिनके निर्यात की अधिक संभावनाएं विद्यमान है, निर्यातों को प्रोत्साहन दने के लिए कदम उठाये जा रहे है ।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रेसीडेंट द्वारा अपनी मास्को की यात्रा में साथ ले जायी गई विदेशी मुद्रा

5787. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बारे में कोई शिकायतें मिली है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रेसीडेंट अपनी मास्को (रूस) की यात्रा पर अपने साथ विदेशी मुद्रा की भारी राशि ले गए थे;

(ख) क्या इस बारे में रूसी अधिकारियों ने गम्भीर आपत्ति उठाई; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है जिनकी जांच की जा रही है । जांच के परिणाम अभी प्राप्त होने हैं।

भारत बंगला देश सीमा पर मुद्रा की तस्करी

5788. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1400 किलोमीटर लम्बी भारत बांगला देश सीमा पर मुद्रा की तस्करी सम्बन्धी गतिविधियां जारी है;

(ख) यदि हां, तो सीमा शुल्क विभाग द्वारा वर्ष 1972 और 1973 म कुल कितनी राशि जब्त की गई और उसमें भारतीय मुद्रा कितनी थी; और

(ग) क्या उपमहाद्विप के तीनों देशों के बडे तस्करों की आपस में गहरी सांठ-गां है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत बांगला देश सीमा पर तस्कर व्यापार की वस्तुओं में से एक वस्तु मुद्रा है ।

(ख) 1972 और 1973 के अगस्त तक भारत बांगला देश सीमा पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकडी गई मुद्रा का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

	भारतीय मुद्रा	अन्य मुद्रा	जोड़
	रु०	रु०	रु०
1972 . .	67,700	8,35,000	9,02,700
1973 . . (अगस्त तक)	35,700	5,66,000	6,01,700

(ग) भारत–बांगला देश सीमा के आर पार तस्कर आयात निर्यात करने के लिए भारत और बांगला देश के तस्कर व्यापारी प्रत्यक्षतः एक दूसरे से सम्बन्धित है । सरकार के पास एसी कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तान के तस्कर व्यापारी भी इसमें सम्बन्धित है ।

नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में कमी

5789. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित कपडे का उत्पादन अभी भी पिछड़ा हुआ है;

(ख) जून, 1972 से अक्तूबर, 1973 तक की अवधि में कितने वर्ग मीटर नियंत्रित कपडे का वास्तव में उत्पादन हुआ और उत्पादन के सरकारी तौर पर निर्धारित कोटे के आंकडे क्या हैं ;

(ख) कम उत्पादन होने के क्या कारण है और जनता के हित में नियंत्रित कपडे का उत्पादन बढाने हेतु क्या उपाय किए गए है; और

(ग) क्या नियंत्रित कपडे के मूल्य बढाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) प्रत्येक तिमाही में 1000 लाख वर्ग मोटर नियंत्रित कपडा उत्पादित करने की उद्योग की वचनबद्धता के आधार पर जुलाई, 1972 से नियंत्रित कपडे का उत्पादन निम्न प्रकार से हुआ है:—

अवधि	दस लाख वर्ग मीटरों में
जुलाई/दिसम्बर, 1972	164
जून/मार्च, 1973	64
अप्रैल/जून, 1973	146
जुलाई/सितम्बर, 1973	96.42
अक्तूबर, 1973	16.00

(ग) इस अवधि के दौरान नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में गिरावट मुख्यतया विभिन्न राज्यों में 1972 की अन्तिम तिमाही तथा 1973 की प्रथम छमाही में बिजली में कटौतियां करने के कारण आई । भारतीय सूती मिल संघ को 1973 की अन्तिम तिमाही के दौरान कमी पूरी करने का अनुरोध किया गया है ।

(घ) नियंत्रित कपड़े से संबंधित वर्तमान नीति पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है कि उसमें यदि कोई परिवर्तन करने है तो कौन कौन से परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अधिकारियों द्वारा झूठे चिकित्सा बिल प्रस्तुत करके प्राप्त की गयी राशि

5790. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बेंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली, को स्टेट बेंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के कुछ अधिकारियों द्वारा झूठे चिकित्सा बिल पेश करके धन प्राप्त करने संबंधी शिकायतें मिली है; और

(ख) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सोवियत संघ और पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार

5791. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दशक में सोविएत संघ और पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापार में वृद्धी हुई है;

(ख) यदि हां, तो रूस के साथ हमारे व्यापार में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या भारत से उस देश को विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है;

(घ) क्या देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से सोवियत संघ से परम्परागत मशीनों के आयात में कमी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) सोविएत संघ के साथ व्यापार 1962–63 में लगभग 97 करोड रुपये से बढ़कर 1972–73 में 411 करोड रुपये का हो गया।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां।

(ङ) सोविएत संघ से परम्परागत मशीनों का आयात 1968–69 में 85.3 करोड रुपये से घटकर 1972–73 में 43.7 करोड रुपये का रह गया है।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय

5792. **श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री वी० मायावन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से हवाई अड्डों पर तब तक सुरक्षा उपाय कड़े करने को कहा है जब तक कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करने के बारे में में निर्णय नहीं ले लिया जाता;

(ख) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) औद्योगिक सुरक्षा बलों को हवाई अड्डों पर कब तक तैनात कर दिया जायेगा?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) राज्य सरकारें नागर विमानन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशक सिद्धान्तों का पहले ही अनुसरण कर रही है।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दिल्ली विमान क्षेत्र पर 10 अगस्त, 1973 से तैनात कर दिया गया है तथा उसे तीन अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर भी एक क्रमिक योजना के अनुसार यथा शीघ्र तैनात कर दिया जाएगा।

Design Development Centre (All India Handicrafts Board)

5793. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether some employees of the Design Development Centre (All India Handicrafts Board) have recently been relieved from duty ;

(b) if so, the number thereof ;

(c) whether several employees working in this Centre are still temporary even though their period of service is sufficiently long ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (d) The type of work at the Regional Design Centre of the All India Handicrafts Board at Delhi, necessitates employment of workers on daily wages. Their employment depend upon the requirement of work from time to time relating to the development of designs. Recently 20 such workers had to be dispensed with. Some of the remaining daily wage workers have been on the rolls of the Centre for long periods. The Government is trying to create some regular posts.

Provision of know-how by M/s. J. K. Synthetics to Federal Republic of Germany

5794. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether M/s. J. K. Synthetics a, firm in Kanpur, has provided know-how of Et hylene Glycol to the Federal Republic of Germany ;

(b) If so, whether Government have granted permission therefore and the broad outlines thereof ; and

(c) the amount of foreign exchanges earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) The information is being collected, and will be laid on the Table of House on receipt.

Staff working in Central Excise and Customs Department

5795. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number and names of Class I, Class II and Class III officers of the Customs and Central Excise Department who have been in Delhi for more than 15 years indicating the reasons therefor ;

(b) the numbers of officer at present who got promotion from Class III to Class II and Class I and whether any one of them has been serving continuously in Delhi for more than 15 years ; and

(c) if so, whether any proposal is under consideration of Government to transfer the with a view to clean the administration and if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesa): (a), (b) & (c) There is no Class I officer of the Customs and Central Excise Department, who has been at Delhi for more than 15 years.

2. The following Class II officers have been working at Delhi for more than 15 years (This includes service in Class II and Class III). This does not include the Class II officers in certain formations located at Delhi who are not transferable out of Delhi.

(a) *Shri R. L. Khanna* : Since November, 1954. He was promoted to Class II in October, 1966 when he was working in the Directorate of Revenue Intelligence. After reversion from the Directorate of Revenue Intelligence in August, 1971, he was transferred out of Delhi in July, 1973. As he is an office bearer of the Delhi and Chandigarh Class II Executive Officers Association, a request has been made by that Association that Shri Khanna should not be transferred out of Delhi. This request has been rejected.

(b) *Shri Y. G. Patil Kulkarni* : Since September, 1956. He was promoted to Class II in October, 1966. He is at present looking after some very important work in the Tax Research Unit of the Central Board of Excise and Customs. He is in the zone for consideration for promotion to Class I and he is likely to be so promoted, when his shift out of Delhi will be considered.

3. Class III *ministrial* officers working in the various formations of the Custam and Central Excise Department at Delhi are not normally transferable except on administrative considerations. The following Class III *executive* officers have been in Delhi for more than 15 years :

(i) Shri H. R. Gulati, Inspector of Central Excise.

(ii) Shri I. C. Gupta, Inspector of Central Excise.

(iii) Smt. Vidya Gidwani, Inspector of Central Excise.

(iv) Shri B. D. Goswami, Inspector of Central Excise.

Prior to their promotion to the grade of Inspector of Central Excise between 1971 and 1973 all these four officers were working in ministerial grades and as such were not transferable out of Delhi. Shri Goswami has now been transferred to Rajasthan and is likely to be relieved shortly. The question of transfer of Shri Gulati is proposed to be taken up during the general transfers in May, 1974. Shri Gupta and Smt. Gidwani have been retained at Delhi on compassionate grounds.

पश्चिम बंगाल के जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

5796. श्री ए० के० एम० इसहाक :

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं ने कितने ऋण दिये;

(ख) जून, 1972 से जून, 1973 तक जिलावार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा आदिवासी और अनुसूचित जाति के आवेदकों को ऋण नहीं दिये जाते; और

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (घ) दिसम्बर, 1972 के अन्तिम शुक्रवार को पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिले वार बकाया अग्रिमों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

जिला	*बकाया रकम
	(लाख रु० में)
1. बांकुरा	59
2. बीरभूम	55
3. बर्दवान	569
4. कलकत्ता	36909
5. कुच-बिहार	25
6. दार्जिलिंग	140
7. हुगली	198
8. हावडा	676
9. जालपाइगुडी	315
10. मालदा	21
11. मिदनापुर	232
12. मुर्शिदाबाद	66
13. नादिया	195
14. पुरुलिया	41
15. 24–परगना	739
16. पश्चिमी दिनाजपुर	38
जोड	40279

*आंकडे अनन्तिम हैं ।

वाणिज्यिक बेंक जो आंकडे रखते है उनमें जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों आदि के लोगों के दिए जाने वाले ऋणों के अलग से वर्गीकरण करने की कोई व्यवस्था नहीं है । और ना ही इस समय बेंकों में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के बारे में सारणीबद्ध सूचना संकलित करने की कोई प्रणाली है ।

पश्चिम बंगाल के पांच बीघे से कम भूमि वाले किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए ऋण

5797. श्री ए० के० एम० इसहाक :
श्री शंकरनारायण सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बेंकों ने गत दो वर्षों में पश्चिम बंगाल के पांच बीघे से कम भूमि वाले किसानों को ऋण दिये हैं ;

(ख) क्या पांच बीघे से अधिक भूमि वाले किसानों को भी ऋण दिये गये हैं; और

(ग) ये ऋण किन बेंकों द्वारा दिये गये और प्रत्येक बेंक द्वारा दिये गये ऋण की राशि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सच तो यह है कि राष्ट्रीयकृत बेंक तथा स्टेट बेंक आफ इण्डिया पश्चिम बंगाल में कृषकों को, जिनके पास 2.5 एकड तक और इससे अधिक की भूमि है, ऋण दे रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अनन्तिम आंकडों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में, 2.5 एकड तक भूमि रखने वाले कृषकों को राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा दिये गये प्रत्येक अग्रिमों गी कुल बकाया राशि 99.11 लाख रुपये **थी** और लेखों की संख्या 18,343 थी।

मार्च 1972 और मार्च 1973 के अन्त में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा कृषकों को दिये गये प्रत्यक्ष अग्रिमों की कुल बकाया राशि इस प्रकार थी :-

मार्च 1972	7.89 करोड रुपये
मार्च 1973	13.50 करोड रुपये (अनन्तिम)

इन आंकडों में भारतीय स्टेट बेंक द्वारा दिये गये अग्रिमों के आंकडे शामिल नहीं है।

कलकत्ता में तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

5798. श्री ए० के० एम० इसहाक :
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में कलकत्ता में तस्कर के आरोप में ऐसे कितने व्यक्ति गिरफतार किए गए जिन पर मुकदमा नहीं चलाया गया और इसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : कलकत्ता में जिन व्यतिक्यों को वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में तस्कर व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था किन्तु जिन पर मुकदमा नहीं चलाया गया था, उनकी संख्या 27 है ।

इन व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही नहीं करने के कारण निम्नलिखित है :–

16 व्यक्तियों पर मुकदमा इस लिये नहीं चलाया गया था कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं थे अथवा उनके पास से पकडे गए माल का मूल्य इतना कम था कि मुकदमे की आवश्यकता ही नहीं थी। 7 व्यक्तियों को अदालत द्वारा इस लिए छोड दिया गया था कि शिकायत दर्ज करने के लिये अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर उनके विरुद्ध जांच पडताल पूरी नहीं की जा सकी । इन मामलों में चार व्यक्तियों के विरुद्ध जांच पडताल अभी जारी हैं ।

पश्चिम बंगाल में सहकारी, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों को रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देना

5799. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष रिजर्व बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल में सहकारी कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों को, अलग अलग कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : भारतीय रिजर्व बेंक कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं देता, किन्तु केवल पुर्नवित सुविधाएं ही देता है । 1973–74 के लिये रिजर्व बेंक ने मोसमी कृषि कार्यों के निमित्त वित्तीय सहायता देने के प्रयोजनार्थ 17 में से 15 केन्द्रीय सहकारी बेंकों के लिये पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बेंक लिमिटेड को 502 लाख रुपये के ऋण की मंजूरी दी है । यह निश्चित है कि पश्चिम बंगाल में 1973–74 के वर्ष के लिये जुलाहों तथा औद्योगिक सहकारी समितियों के लिये शीर्ष (एपेक्स) बैंक से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

2. भारतीय औद्योगिक विकास बेंक (रिजर्व बेंक का सबद्ध बेंक) ने जुलाई 1964 से जब से उसकी स्थापना हुई, 30 जून 1973 तक पश्चिम बंगाल के विभिन्न औद्योगिक एककों को 91.82 करोड रुपये की कुल वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है ।

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार करार

5800. **श्री प्रबोध चन्द्र :**
श्री एम० सुदर्शनम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। परन्तु एक करार के पाठ पर आद्याक्षर किये गये है ।

(ख) हस्ताक्षर होते ही करार की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी जायेगी ।

विदेशी तकनीकिनों को आयकर से छट

5801. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार को कुछ वर्गों द्वारा विदेशी तकनीशियनों को आयकर से पूरी छूट देने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है, और

(ग) ऐसे निर्णय का औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी तकनीशनों को दी गयी छूट को वापस लेने के लिए कुछ समय पहल एक सुझाव प्राप्त हुआ था।

(ख) तथा (ग) देश के औद्योगिकरण में विदेशी शिल्प विज्ञान और कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस समय पर छूट को वापस लेना वांछनीय नहीं समझा जाता।

रुपये के मूल्य में गिरावट और उसका विभिन्न जमा राशियों, ऋणपत्रों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली जाने वाली पेंशन पर प्रभाव

5802. **श्री समर गुह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुपये का पुनः मूल्यांकन करने का है चूंकि जनवरी-सितम्बर 1973 की अवधि में रुपये की कीमत 36 पैसे रह गई है,

(ख) रुपये की कीमत में उक्त कमी का विभिन्न जमा राशियों ऋण पत्रों और सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली जाने वालीं पेंशन पर क्या प्रभाव पडा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में मुआवजा देने का है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (घ) जनवरी-सितम्बर, 1973 के बीच रुपये के मूल्य में जो गिरावट आयी वह 1972–73 में आये भयंकर सूखे के कारण इस अवधि के दौरान मूल्य स्तर में असाधारण वृद्धि का परिणाम थी और चालू वर्ष में अर्थ–व्यवस्था में उत्पादन स्तरों में वृद्धि होने से इस प्रवृत्ति के बदल जाने की संभावना है। सरकार को यह पता है कि इसका सभी लोगों पर लेकिन पेंशन धारियों सहित निश्चित आय समूहों को अधिक प्रभाव पडा है। इस समूह द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने पहले ही तीसरे वेतन आयोग की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिनके अनुसार सेवा से निवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960-100) के 12 महीने के मासिक औसत में 16 अंकों की वृद्धि होने पर चाहे उनकी पेंशन की राशि कुछ भी हो, पेंशन की राशि के 5 प्रतिशत की दर से राहत दी जायगी जो कम से कम 5 रुपये और अधिक से अधिक 25 रुपये प्रतिमास होगी। इन दरों के अनुसार पहली बार राहत की राशि तब दी जायगी जब इन वृद्धियों का 12 महीने का औसत 216 तक पहुंच जायगा। फिलहाल इस सिफारिश को दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए स्वीकार किया गया है और इसे जनवरी, 1973 से लागू किया जायगा। सरकार पहली जनवरी, 1973 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को भी कुछ राहत देने के एक प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

पेंशन धारियों की वित्तीय सम्पत्तियों के मूल्य में हुई कमी के प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि उनकी ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में कोई आंकडे उपलब्ध नहीं है और वैसे भी यह एक ऐसी बात है जिसका प्रभाव वित्तीय सम्पत्तियों में निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर समान होगा। इसके अलावा, चकि ऐसा देखा गया है कि पेंशनधारियों ने,

अपनी बचतों से भूमि और इमारतों और अन्य भौतिक सम्पत्तियों में भी पूंजी लगाई है अतः ऐसी सम्पत्तियों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है । लेकिन सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिस से पेंशनधारियों को, रुपये के मूल्य में गिरावट के परिणामस्वरूप उन की वित्तीय सम्पत्तियों में होने वाले किसी घाटे की छतिपूर्ति की जाय।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

5803. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का नवीनतम रुप क्या है ।

(ख) क्या कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य (i) स्थिर और कुछ अन्य के (ii) बढ़ गए हैं

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

(घ) क्या सरकार को निकट भविष्य में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों के बारे में अनुकूल वातावरण बनाने की आशा है; और

(ङ) सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या नवीनतम उपाय किए है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण संलन है जिसमें अगस्त और नवम्बर 1973 के बीच, चुनी हुई वस्तुओं के थोक मूल्यों के मासिक सूचक अंक दिए गये है। **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 6093/73]**

(घ) और (ङ) खरीफ की फसल अच्छी होने और इस वर्ष रबी की फसल के अनुकूल आसार होने से मूल्यों पर सन्तुलनकारी प्रभाव पडने की आशा है । सरकार अपनी और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढाने और अर्थ व्यवस्था की अतिरिक्त मांग को रोकने के लिए सभी सम्भव उपाय कर रही है । सकल मांग और सकल पूर्ति में बेहतर सन्तुलन स्थापित होने से भी मूल्य में स्थिरता लाने में सहायता मिलेगी।

बैंकिंग संस्थाओं, जीवन बीमा निगम और वित्त मंत्रालय में नियोजन के लिये तामलुक स्वाधीनता सेनानी एसोसिएशन के लिए आयु सीमा में छूट देना

5804. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 3-2-73 एफ एफ / 11 दिनांक 12 अप्रैल 1973 में तामलुक स्वाधीनता सेनानी एसोसिएशन को अन्य बातों के साथ साथ यह बताया गया था कि "राज्य सरकार ने स्वाधीनता सेनानियों और उनके परिवारों को आयु सीमा में छूट और अन्य उदार रियायतें दी है";

(ख) क्या केंद्रीय सरकार ने भी ऐसे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को वही रियायतें दी है जो स्वाधीनता सेनानी है;

(ग) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम कर्मचारियों, बैंकिंग संस्थाओं के कर्मचारियों और उनके मंत्रालय से संबद्ध अन्य कर्मचारियों के संबंध में आयु सीमा में दी गई छूट तथा अन्य रियायतों का ब्यौरा क्या है।

(घ) उनके मंत्रालय के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिले है और उनकी संख्या कितनी है;

(ङ) यदि नही, तो क्या सरकार इन मामलो पर पुर्नविचार करेगी ; और

(ज) यदि हां तौ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) (i) जीवन बीमा निगम में यदि कोई ऐसा कर्मचारी होता है जो 15 अगस्त 1947 से पहले राजनीतिक कारणों से पाच साल से अधिक अवधि के लिए जेल में रहा हो तो उसकी सामान्य सवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर विचार किया जाता है । उसकी पुनर्नियुक्ति एक बार में एक साल से अधिक अवधि के लिए नहीं की जायगी और पुनर्नियुक्ति की अधिकतम अवधि कुल मिला कर तीन वर्ष की होगी । पुनर्नियुक्ति पर कर्मचारी को वही वेतन दिया जायगा जो उसकी सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख को था।

यह रियायत ऐसे किसी कर्मचारी को नहीं दी जाती है जिसकी जेल में रहने की अवधि कुल मिला कर पांच वर्ष से कम हो अथवा जिसकी जीवन बीमा निगम में कुल सेवा, सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख को 25 वर्ष से कम नहीं रही है ।

(ii) जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रश्न है, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी गयी रियायतों का विवरण संलग्न है, ऐसे कर्मचारी की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(च) यह प्रश्न नहो उठता ।

विवरण

जिन स्वतंत्रता सैनिकों की ऊनकी देशभक्ति के कामों के कारण अथवा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण नौकरी से हटाया गया था, सेवा मुक्त अथवा बर ास्त कर दिया गया था, अथवा जिन्होंनें देशभक्ति के उद्देश्य से अथवा राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के लिए नौकरी छोड दी थी, उनको भारत सरकार के अधीन फिर से नौकरी पान योग्य तो माना गया (परंतु बहाली संभव नहीं पाई गई, सिवाय उन मामलों के जिन में ऐसे आदेश पहले ही दिये जा चुके थे)। फिर से नोकरी में लिये जाने पर उन्हें वेतन में वृद्धियो के हेतू सेवा विच्छेद की प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के बदले में एक वेतन वृद्धि गिनने की अनुमति दी गयी थी, और सेवा से हटने आदि की तारीख को उनकी औसत वेतन की बकाया छुट्टी को भी हिसाब में लेने की अनुमति दी गई थी। इनके अतिरिक्त अप्रैल 1953 में आदेश जारी किये गये कि ऐसे कर्मचारी द्वारा की गयी पिछली अस्थायी सेवा को उसके फिर से नौकरी में आने पर पेंशन के प्रयोजन क लिए सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों में निर्दिष्ट सीमा तक "अर्हताप्रदायी सेवा" माना जाय। मैं 1957 में यह निर्णय भी किया गया कि पिछली सेवा की और फिर से नौकरी में आने से पूर्व सेवा विच्छेद की अवधि को वरिष्ठता के लिए भी गिना जाय। आदेशों में इस बात की भी व्यवस्था है कि संशोधित वरिष्ठता के कारण आवश्यक मुस्तकिली और तरक्की भी, उपयुक्तता का यथा सिद्धांत मूल्यांकन करने के बाद, पिछली तारीखों से दी जाय। परंतु ऐसी मुस्तकिली अथवा तरक्की सरकारी सेवा म फिर से आने की तारीख से पहले को तारीख से नहीं की जाय। इस किस्म के जिन सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक आय 5,000 रुपये से कम है वे यदि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 में दी गई अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों तो वे उक्त योजना के अधीन पेंशन पाने के भी हकदार है ।

तालाबन्दी के दौरान इण्डियन एयरलाइंस द्वारा एयर इंडिया के विमानों के प्रयोग के लिये शर्तें

5805. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालाबन्दी के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा एयर इण्डिया की विमान सेवाओं को इस्तेमाल करने की क्या-क्या शर्तें थीं ; और

(ख) इस संबंध में कितना अतिरिक्त व्यय किया गया और उससे कितनी आय हुई ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : इंडियन एयरलाइन्स ने 15जनवरी, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि के लिए कुछ देशीय सैक्टरों पर प्रयोग करने के लिए एयर इंडिया से 'वेट लीज़' के आधार पर एक बोइंग 707 विमान चार्टर किया है। इस चार्टर की दर प्रारंभ में 30.50 रुपए प्रति वैमानिक मील निर्धारित की गयी थी। इंधन के मूल्य में हुई अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरुप, इस दर के पुनरीक्षण पर विचार किया जा रहा है।

भारत जर्मनी संयुक्त उद्यम द्वारा निर्यात की गई गैर परम्परागत वस्तुओं का मूल्य

5806. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में केवल 12 भारत-जर्मनी संयुक्त उद्यमों द्वारा 5 करोड़ रुपये के मूल्य के गैर परम्परागत वस्तुओं का निर्यात किया गया ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 के पहले छः मही के दौरान निर्यात किए गए माल का रुपये में मूल्य कितना है ; और

(ग) भारत-जर्मनी संयुक्त उद्यमों के नाम क्या है तथा वे कहां पर स्थित है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारत-जर्मन संयुक्त उद्यमों द्वारा किये गये निर्यातों से संबंधित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है क्योंकि निर्यात व्यापार के जो आंकडे व्यापारिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा रखे जाते है, वे पूरे देश के लिए होते है फर्मवार नहीं। फिर भी कुछ प्रमुख भारत-जर्मन संयुक्त उद्यमो दवारा किये गये निर्यातों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

फर्म का नाम	स्थान (मुख्यालय)	मदें	1972-73 में निर्यात (लाख रु०)
1. मैसर्स गिडोर टुल्स . .	नई दिल्ली	दस्ती औजार	334·79
2. मैसर्स मोटर इंडस्ट्रीज कं० लि०	बंगलौर	आटोमोबाइल तथा डीजल इंजन के हिस्से	216·08
3. सीमेन्स इंडीया बम्बई लि० .	बम्बई	बिजली की मोटारें, स्विच गियर आदि।	149·81
4. हिन्दुस्तान डोइकाट स्टुल लि० .	नई दिल्ली	दस्ती औजार	81·78
5. डा० बैंक एण्ड कं० लि० .	बम्बई	वायर इनेमल इपोक्सी कंपाउडस	180.00

भारत में 300 से ऊपर भारत-जर्मन संयुक्त उद्यम है।

फलों का निर्यात

5807. श्री राजदेव सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कौन कौन से देश हमारे यहां से फलों का आयात करते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : कुवैत, ब्रिटेन, ईरान, बहरीन द्वीप समूह, कत्तार, मश्कत, दुबई, इथोपिया, फ्रांस, सिंगापुर, नेपाल और बंगला देश भारत से फलों के मुख्य आयातक हैं ।

कनाडा से ऋण के लिए करार

5808. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा कनाडा के बीच कनाडा से पोटाश के आयात के लिए, जिसमें पहली बार भाड़े की लागत भी शामिल है 7 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस करार द्वारा आगामी मौसम की आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी और पोटाश की और खरीद तथा आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि इस ऋण से 1974 के दो कृषि मौसमों के लिए पोटाश उर्वरकों की कुल आवश्यकता पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए अन्य स्त्रोतों से अतिरिक्त रीद के लिए प्रबन्ध किये गये हैं ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

5809. श्री वेंकटासुब्बया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष किन किन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कितनी बार बढ़ाए गए हैं और गत वर्ष की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ; और

(ख) प्रत्येक वस्तु के मूल्य बढ़ाने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) वर्ष के दौरान अनाज, वनास्पती, मिट्टी के तेल, साबुन और बड़ी मात्रा में बनने वाली कुछ औषधियों के मूल्यों में संशोधन करना पड़ा । वनास्पती के मामले में, मूल्य तीन बार बढ़ाए गए और दो बार कम किए गए जिससे 26.8 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई । मिट्टी के तेल की कीमतों में 3 नवम्बर, 1973 को वृद्धि की गयी थी लेकिन कुछ दिन बाद इनमें कमी कर दी गयी, जिससे मूल्यों में 32.2 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई । साबुन के मूल्य में जूलाई में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि की गयी जबकि वर्ष के दौरान बड़ी मात्रा में बनने वाली "औषधियों" के मामले में 10.7 प्रतिशत से 57.0 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति दी गयी । चावल, मोटे अनाजों और गेहूं के निर्गम-मूल्यों में नवम्बर 1973 में क्रमशः 25.3, 23.9 और 14.9 प्रतिशत की वृद्धि की गयी ।

(ख) अनाज के निर्गम मूल्यों में वृद्धि, उच्च वसूली मूल्यों को देखते हुए और राज-सहायता के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर की गयी थी। वनास्पती के मल्यों में परिवर्तन करने की आवश्यकता कच्चे तेलों के मूल्यों में घटबढ़ होने के कारण पड़ी। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होने और पेट्रोलियम पदार्थों की खपत को कम करने

7—35 L.S.S. (ND)/73

की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि करनी पड़ी। मिट्टी के तेल और उच्च-गति-डीजल के मूल्यों के बीच के अन्तर को दूर करने की वांछनीयता इस वृद्धि का एक अन्य कारण थी ताकि डीजल में की जाने वाली मिलावट को रोका जा सके। साबुन के संबंध में मूल्यों में वृद्धि की अनुमति इस लिए दी गयी थी कि इसके उत्पादन के लिए आवश्यक देसी तेलों आयातित चरबीदार (फैटी) पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हो गयी थी। बड़ी मात्रा में बनने वाली औषधियों के मूल्यों में वृद्धि लागत-बीमा-भाड़ा व्यय में वृद्धि होने अथवा उत्पादन की लागत बढ़ जाने के कारण की गयी थी।

उत्तर प्रदेश के विद्युत् बोर्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पंजाब नेशनल बैंक से ऋण की मांग

5810. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **वित्त** मंत्री उत्तर प्रदेश के बिजली बोर्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण की मांग के बारे में 24 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4292 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने स सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कार्य पद्धति के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों जिनमें बिजली बोर्ड भी सम्मिलित है, के सभी ऋण प्रस्ताव जो 6 करोड़ रुपये से अधिक के हैं, संबंधित बैंकों द्वारा ऋण अधिकार के लिये रिजर्व बैंक के पास भेजे जाने चाहिये। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को जिसमें पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल है, ऋण सुविधा देने के लिये कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें कुछ प्रस्तावों के लिये ऋण अधिकार दे दिया है। बैंकों में प्रचलित प्रथा तथा व्यवहार और बैंकिंग कम्पनी (प्रतिष्ठानों का अभिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार बैंकों के नाम और राशि की सूचना नहीं दी जा सकती।

Submission of charter of demands in regard to employees working in cooperative Banks

5811. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the All-India Bank Employees Association has submitted a charter of demands to Government in regard to the employees working in the Co-cperative banks ;

(b) whether the bank employees all over the country are organising agitations, demonstrations etc., in support of these demands ;

(c) if so, the main features of their demands ; and

(d) the difficulty in the way of accepting these demands by Government ?

The Minister of Finance (Shri Yeshvantrao Chavan) : (a) No charter of demands for All India Bank Employees Association appears to have been received either in the Department of Banking or in the Department of Co-operation.

(b) to (d) Do not arise.

Tourist Centres in Patna

5812. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have completed the work relating to the laying of foundation of a Tourist Centre on a plot of land near MLA flats in Patna ;

(b) if so, the date on which construction work of building will start and the time by which it is likely to be completed ; and

(c) the amount estimated to be spent thereon and whether this expenditure will be borne by the Government of India or it will be shared by the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Plans for construction of a 50 room hotel at this site by the Indian Tourism Development Co-operation, at an estimated cost of Rs. 43.00 lakhs have been finalised.

(b) The construction work started in August 1973.

(c) The expenditure on construction of the hotel will be borne by the I.T.D.C.

Disparity in pay scales of Inspectors working in L . I. C.

5813. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) where there is disparity in the pay scales of the inspectors working in the Life Insurance Companies and those working in the Geneial Insurance Companies :

(b) if so, the pay scales of the Inspectors of these companies separately ;

(c) whether the pay scales of the Inspectors of the General Insurance Companies have not been revised after nationalisation of these companies ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : (a) & (b) In L. I. C., for development of business, there are posts of Development Officers and no posts of Inspectors. The pay scales of Development Officers are as under :—

Grade II . . .	Rs. 170-10-220.
Grade I . . .	Rs. 230-15-320-20-360-EB-20-400-25-550-EB-30-760.

Barring a few insurance Companies (whose pay scales are indicated in the annexure **[placed in the Library. See L. T. 6094/73]** no other insurance Company had regular pay scales for Inspectors.

(c) and (d) The General Insurance Seivices Integration Committee has submitted its report containing recommendations on the pay scales of various categories of posts including those of Development Staff. The report is under consideration.

बाढ़ों से हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिये केन्द्रीय दलों का दौरा

5814. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरन्तर बाढ़ विभीषिका के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति के निराकरण के लिए उड़ीसा में, विशेषकर बालासोर और मयूरगंज जिलों में पुर्ननिर्माण और पुनर्वास कार्यों के लिए केन्द्रीय दलों (पहला तथा दूसरा दोनों) द्वारा कितनी राशि प्रदान करने की सिफारिश की गई है ; और

(ख) सरकार द्वारा अब तक वस्तुत: कितनी राशि दी जा चुकी है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) केन्द्रीय सहायता के लिए अर्हता प्राप्त प्राप्ति के संबंध में दो केन्द्रीय दलों ने यह सिफारिश की है कि बालासौर और मयूरगंज में अक्तूबर में बाढ़ों के लिए दिए गये 4.71 करोड़ रुपये सहित 11.74 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा रखी जाए। सिफारिश स्वीकार कर ली

गई है और राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है। राज्य सरकार को अभी तीन करोड़ रुपये की "ओन एकाऊंट" राशि दी गई है। और अधिक सहायता अधिकृत अधिकतम सीमा के मुकाबले व्यय में हुई प्रगति के आधार पर दी जायगी।

कृत्रिम धागों के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशें

5815. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर कृत्रिम धागों के बारे में टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) निणय कब तक कर लिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) टैरिफ आयोग ने मानव-निर्मित रेशों के संबंध में 1970 में निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत की :—

(1) मानव-निर्मित रेशें/धागे-विस्को स्टेपल रेशे/फिलामेंट धागे तथा एसिटेट रेशे/धागे की उचित बिक्री कीमतें ;

(2) मानव-निर्मित रेशे/धागे-सश्लिष्ट रेशे तथा धागे की उचित बिक्री कीमतें।

सरकार ने विस्कोस स्टेपल रेशे/फिलामेंट धागे तथा एसिटेट रेशे/धागे संबंधी टैरिफ आयोग की रिपोर्ट में उन की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करके विनिश्चय किया है और कच्चे माल, मजूरियों तथा श्रम की लागत में आई उन वृद्धियों और उत्पादन के स्वरूप में आये उन परिवर्तनों, जोकि मौलिक लागत अवधि से अब तक आ गये हैं, को ध्यान में रखते हुए उचित बिक्री कीमतों का अद्यतन करने के वास्ते उसे पुनः टैरिफ आयोग को भेज दिया है।

जहां तक दूसरी रिपोर्ट का संबंध है, उसकी सिफारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं। विनिश्चय शीघ्र ही किये जाने की संभावना है।

हथकरघों तथा विद्युत् करघों को धागे की सप्लाई

5816. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र आयोग ने देश के मुख्य हथकरघा और विद्युत करघा केन्द्र को उनकी आवश्यकतानुसार (काऊंटरवार) पूरे धागे की सप्लाई कर दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों की पिछले वर्ष की खपत तथा इस वर्ष इनको सप्लाई किए गए धागे के बीच, काऊंटवार कितनी कमी रही ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों को कोई तदर्थ आवंटन किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सूत के बल्क आबंटन वस्त्र आयुक्त द्वारा विभिन्न राज्यों को सूत नियंत्रण योजना के अन्तर्गत किये जाते हैं। हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा बुनकरों के बीच और आगे वितरण करने का दायित्व

राज्य सरकारों को सौंपा जाता है। आबंटन, जोकि काऊंट ग्रुपवार होते हैं अनुमानित उपलब्धता पर आधारित होते हैं। चूंकि इस अवधि के दौरान उत्पादन कम हुआ, अतः किये गये आबंटनों से हथकरघों तथा शक्तिचालित करघों की पूर्ण आवश्यकताएं पूरी होना जरूरी नहीं था।

(ख) इस संबंध में कोई परस्पर संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मार्च, 1973 से सितम्बर, 1973 तक विभिन्न राज्यों को किये गये सूत के पूरक आबंटन निम्न प्रकार हैं :—

राज्य	मात्रा लाख कि० ग्रा० में	
	हैंक	कोन
आन्ध्र प्रदेश	12.88	0.04
आसाम	0.82	..
गुजरात	0.63	1.02
केरल	2.50	..
मध्य प्रदेश	0.30	3.63
महाराष्ट्र	3.33	11.33
मैसूर	1.78	0.01
उड़ीसा	0.70	..
राजस्थान	0.05	0.30
तमिल नाडु	3.00	..
उत्तर प्रदेश	8.26	0.42
पश्चिम बंगाल	20.57	0.77
पांडिचेरी	0.12	..
त्रिपुरा	0.06	..
मेघालय	0.24	..

इण्डियन एयरलाइंस के लिये 'एयर बस' की खरीद

5817. **श्री मधु लिमये :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप में एयर बस इण्डस्ट्री, द्वारा बनाई गई 300 सीटों वाली 'एयर बस' की प्रदर्शन-उड़ानें हाल ही में भारत में की गयी हैं ;

(ख) क्या इस विमान को उपयुक्त पाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त विमान को इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के लिये खरीदने का है और यदि हां, तो कितनी संख्या में ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा खरीदे जाने वाले चौड़ी बाडी वाले विमान की उपयुक्तता के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

वाणिज्य मंत्री की योरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की यात्रा

5818. **श्री मधु लिमये :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्य मंत्री ने अपनी यूरोप की यात्रा के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से किन किन विषयों पर विचार विमर्श किया; और

(ख) प्राप्त की गई रियायतों और किये गये करारों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अक्तूबर-नवम्बर, 1973 में पश्चिम यूरोप की अपनी यात्रा के दौरान वाणिज्य मंत्री ने मुख्य रुप से निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया :

(1) वाणिज्यिक सहयोग करार ।

(2) 31 दिसम्बर, 1973 के बाद भी भारतीय पटसन तथा कयर उत्पादों का ब्रिटेन तथा डेनमार्क में निशुल्क प्रवेश जारी रखना ।

(3) ब्रिटन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश के परिणामस्वरुप भारत के लिए उठने वाली अन्य व्यापारिक समस्याएं ।

(ख) यात्रा के फलस्वरुप वाणिज्यिक मंत्री वाणिज्यिक सहयोग करार के संबंध में समुदाय के सदस्य राज्यों का समर्थन प्राप्त कर सके । करार के विभिन्न विषयों पर मतभेदों को भी दूर किया गया । इससे 17 दिसम्बर, 1973 को भारत तथा यूरोपीय समुदाय की परिषद् के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने का रास्ता खुला ।

31 दिसम्बर, 1973 के बाद भी ब्रिटेन तथा डेनमार्क में भारतीय पटसन तथा कयर उत्पादों के लिए निःशुल्क प्रवेश जारी रखने के प्रश्न पर वाणिज्य मंत्री के विचार–विमर्श के फलस्वरुप समुदाय अब 1974 के दौरान इन दोनों उत्पादों पर ब्रिटेन तथा डेनमार्क में निःशुल्क व्यवहार को जारी रखने के लिए सहमत हो गया है ।

विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

5819. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के ऋण देने संबंधी नीतीयों के बारे में बैंक के अध्यक्ष श्री राबर्ट मकनमारा और प्रधान मंत्री के बीच कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) चौथी योजना के दौरान विश्व बैंक के ऋणों का वास्तव में कितना उपयोग हुआ है ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) श्री रोबट एस० मक्नामारा हाल ही में नेपाल जाते हुए शिष्टाचार के नाते नयी दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिल थे ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय आयोजना में विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों से लगभग 750 करोड़ की राशि के उपयोग किए जाने की सम्भावना है।

'एवरो' विमानों का प्रयोग आरम्भ कर देने के पश्चात् उनमें पाई गई त्रुटियां

5820. **श्री मधु लिमये** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो 'एवरों' विमानों का फिर से प्रयोग आरम्भ कर देने के पश्चात् उन में त्रुटियों पैदा हो गई हैं;

(ख) क्या उन दोनों विमानों को उड़ाना बंद कर दिया गया है; और

(ग) उक्त त्रुटियों के क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) सहपक्ष कब्जे (एलरान हिंज) के फेल हो जाने की दुर्घटना के पश्चात्, जिस के कारण सितम्बर, 1973 में इण्डियन एयरलान्स के बड़े के एच० एस० 748 विमानों को अस्थायी तौर पर सेवा से हटाना पड़ा था, दो मामलों में एवरों विमानों में आकस्मिक बाधाएं उन्पन्न हो गयी। एक घटना हैदराबाद में 27-10-1973 को हुई थी जिस में एक परीक्षण उड़ान के दौरान 'एलरॉन कंट्रोल' जाम हुआ देखा गया था। एलरॉन्न को बदल दिया गया था और विमान को लगभग एक सप्ताह पश्चात् पुनः सेवा पर लगा दिया गया था। दूसरी घटना कलकत्ता में 1/2 नवम्बर को हुई थी जो कि एलरान हिंज के स्थान पर कुछ ढीली रिबटों के परिणामस्वरुप थी। रिबटों को बदल दिया गया था तथा विमान को दो दिन पश्चात् पुनः चालू कर दिया गया था।

इन दोनों घटनाओं का एलरॉन हिंज की उस त्रुटि के साथ कोई संबंध नहीं था जिस के कि कारण एवरों विमानों को पहले भूमिस्थ किया गया था।

विदेशों में भारतीय साइकिलों की मंडी

5821. **श्री के० मालन्ना** :
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारतीय साइकिलों की बड़ी मंडी किन किन देशों में पाई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारतीय साइकिलें बहुत से देशों को निर्यात की जा रही हैं जिनमें से मुख्य खरीदार ये हैं :—

इंडोनेशिया, ईरान, नाइजीरिया, बंगलादेश तथा संयुक्त राज्य अमरीका।

अन्य देशों को पेट्रोल डिस्पेंसिंग पम्प और अन्य गैराज उपकरणों आदि की सप्लाई

5822. **श्री के० मालन्ना** :
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पैट्रोल डिस्पेसिंग पम्प, अधिक शक्तिशाली स्नेहक और अन्य गैराज उपकरण सप्लाई करने के लिए क्रयादेश प्राप्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और वर्ष 1973–74 में उन देशों को निर्यात की जाने वाली मात्रा का ब्यौरा क्या है और कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ग) भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० ने पैट्रोल पम्पों तथा हाई प्रेशर स्नेहन तथा अन्य गैरज उपस्कर की-सप्लाई के लिए सोवियत संघ से क्रयादेश प्राप्त किये हैं। 1973–74 के दौरान निर्यात निम्न लिखित अनुसार होने की आशा है :

	मूल्य
पैट्रोल पम्प	49,62, 490 रुपये
हा० प्र० स्नेहन त । अवश्य गैरेज उपस्कर	1,78,30,313 रुपये

न्यूजीलैंड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत का योगदान

5823. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आकलैंड में हुए न्यूजीलैंड अंतराष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत को अपने योगदान के लिए बहुत सफलता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या है जिनके लिए आर्डर प्राप्त हुए हैं तथा कितने मूल्य के आर्डर प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां न्यूजीलैंड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रदर्शित किये गये भारतीय उत्पादों से काफी ध्यान आकर्षित हुआ। मैं डप में प्राप्त की गई 246 व्यापार पूछताछ पर भारतीय सप्लायरों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

मेले में भाग लने के फलस्वरुप शोंक अबजोरवर ओवर–करंट रिले तथा एग्रीकल्चरल स्प्रेयर्स वहां बाजार में चलने लगे हैं।

मेले में 9.33 लाख रु० मूल्य के आरंभिक आदेश प्राप्त हुए, बिक्री हुई। उनमें ये मदें शामिल थी छोट सराद, मिलिग तथा ड्रिलिंग मशीनें, ओवर करंवट रिले, ब्रिजली की मोटरी एग्रीकल्चरल स्पैयसे ब्रिजली के घरेलू उपकरण, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, हैडहिटिंग मशीन तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं।

गत तीन वर्षों में कच्चे रबड़ का निर्यात

5824. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने गत तीन वर्षो में कितने कच्चे रबड़ (कृत्रिम और परिष्कृत रबड़ सहित) का निर्यात किया ;

(ख) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी वार्षिक आय हुई; और

(ग) क्या सरकार प्राकृतिक रबड़ के आयात का पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहेगी और यदि नहीं तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे रबड़ (कृत्रिम और परिष्कृत रबड़ सहित) के निर्यात की मात्रा उसके मूल्य सहित निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	(मात्रा कि० ग्रा० में) निर्यात की मात्रा	(मूल्य हजार रु० में) मूल्य
1970–71.	2,69,807	378
1971–72.	6,93,980	906
1972–73.	10,81,402	1496
योग	20,45,189	2780

लाइसेंसिंग अवधि 1973–74 से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर पूर्ण रूपसे रोक लगा दी गयी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आय का लक्ष्य

5825. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **वित्त** मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आय का लक्ष्य के बारे में 24 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4154 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्तीय तथा अन्य लक्ष्य निर्धारित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार, सरकारी उद्यमों के लिए वित्तीय तथा अन्य लक्ष्य निर्धारित करने के जटिल विषय के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और इस विषय में अभी अंतिम निर्णय किया जाना है।

20 बड़े उद्योग-गृहों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गए ऋण

5826. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में 20 बड़े उद्योग गृह द्वारा, अलग-अलग, कुल कितने ऋण वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए !

(ख) क्या सरकार का उद्योगों में लगाए गए इन ऋणों को शेयरों में परिवर्तित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अखिल भारतीय दीर्घा वाधक सरकारी वित्तीय संस्थाएं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड ने पहले 20 बड़े औद्योगिक घरानों को जो औद्योगिक ला - सेंसि नीति जांच समिति के प्रवेदन में अनुबंध II वर्णित गत तीन वर्षो के दौरान अर्थात 1970–71, 1971–72 और 1972–73 (जुलाई–जून) घरानेवार, जो ऋण की राशि स्वीकृत तथा वितारत की, उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी०-6095/73] भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट को ऋण हीं देता है।

(ख) और (ग) सरकार ने सरकारी वित्त संस्थाओं को उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी, किए हैं ताकि व औद्योगिक एककों को जब पर्याप्त सहायता दें तो वे ऋण सहायता करारों की धाराओं में सहायता की रकम को जो शेयर पूंजी में परिवर्तन करने को शर्त रख सके। 2 जुलाई 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के उत्तर में मार्गदर्शन सिद्धान्त सभा पटल पर रखे गये थे। ऋणों को पूर्ण रुप से या आंशिक रुप से सामान्य शेयरों में परिवर्तन करने का वास्तविक विकल्प उपयुक्त समय पर संस्थाओं द्वारा ऋण करारों में लिखित परिवर्तन का अधिकार देने वाली धारा की शर्तों के अनुसार, बाद में प्रयोग में लाया जाएगा।

विदेशी सहायता में कमी

5827. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहायता में कमी करने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार विदेशी सहायता में और कमी करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना के प्रारुप में विदेशी सहायता सम्बन्धी दृष्टिकोण की रूपरेखा बता दी गयी है। यह प्रारुप सभा-पटल पर पहले ही रख दिया गया है।

मुद्रा परिचालन में कमी के लिए की गई कार्यवाही

5828. **श्री श्रीकिशन मोदी** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 20 लाख टन रुसी गेंहूं की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का मुद्रा परिचालन में कमी करने के लिए प्रयोग करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मुद्रा परिचालन में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक अन्तर्सरकारी करार के अनुसार, मई 1974 तक भारत को भेजे जाने के लिए, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ द्वारा, ऋण के आधार पर 20 लाख मेट्रिक टन गेहूं उपलब्ध किया जायेगा। सोवियत संघ

को इस ऋण की वापसी, अन्तिम सपुर्दगियों के दो वर्ष बाद शुरु होगी और बराबर-बराबर की वार्षिक किस्तों में पांच वर्षों में की जायगी। यद्यपि करार का मुद्रा-उपलब्धि के करेंसी रुपी भाग पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाग नहीं पड़ेगा, फिर भी अन्य बातें समान होते हुए, गेहूं की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकमों का मुद्रा-उपलब्धि पर संकुचनकारी प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) सम्भवत: इस बात का सम्बन्ध अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले मुद्रास्फीति-कारी दबावों को कम करने के उपायों से है। इस सम्बन्ध में किये गये उपायों में ये उपाय भी शामिल हैं;

(i) पिछली मई में बैंक-दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था। बैंकों के प्रारक्षित नकदी अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि करके उसे 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। नकदी अथवा नकदी जैसी परिसम्पत्तियों के सांविधिक अनुपात में भी प्रभावकारी वृद्धि की गयी है और 8 दिसम्बर, 1973 से यह अनुपात मांग और मीयादी देनदारियों का 32 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अधिक कामकाज के धातु मौसम में (नवम्बर, 1973 से अप्रल, 1974 तक) बैंक ऋण की रकम में जितनी वृद्धि कर सकते हैं उस की अधिकतम सीमा का सुझाव भी रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया है।

(ii) आयोजना-भिन्न और आयोजनागत खर्चों में मितव्ययता करके सरकारी व्यय में 400 करोड़ रुपये तक की कमी करने के सम्बन्ध में अगस्त, 1973 को आदेश जारी किये गये थे।

(iii) राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे 1972 में शुरु किये गये राहत सम्बन्धी निर्माण-कार्यों को बन्द कर दें। यह भी निश्चय किया गया है कि राहत सम्बन्धी निर्माण-कार्यों पर किये जाने वाले खर्च की अधिकतम वित्तीय सीमा फिर से लागू कर दी जाय।

(iv) चावल, मोटे अनाज और गेहूं के निर्गम-मूल्यों को बढ़ा दिया गया है ताकि खाद्य निगम को दी जाने वाली राजसहायता की राशि को कम किया जा सके।

एकाधिकार गृहों के पक्ष में लाइसेंस निती का उदार बनाया जाना

5829. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार गृहों के पक्ष में लाइसेंस नीति के उदार बनाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण है;

(ग) क्या चोटी के अर्थशास्त्रियों ने ऐसे किसी प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नही।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नही होते।

Advancing of loans by Nationalised banks to persons having sound health

5830. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the terms on which loans are advanced by Nationalised Banks to such poor persons of sound health who have no assets for starting business ;

(b) the number of persons given loans so far and the number of Adivasis among them ; and

(c) In case the facilities of advancing loans do not exist so far whether Government propose to modify the rules governing advancing of loans in order to give loans to such persons in future ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Under the Differential Interest Rate Scheme, public sector banks provide funds to borrowers in certain low-income categories, who cannot offer any security or collateral, at the concessional rate of interest of 4 per cent per annum. The Scheme is currently in operation in industrially backward districts. The main objectives of the scheme is to provide bank funds to persons of small means to enable them to take up productive endeavours.

(b) & (c) the information compiled by the banks does not provide for such classification as loans to Adivasis etc., According to the available information, the number of borrowal acconuts under the Differential Interest Rate Scheme as at the end of June 1973 was 1,08,178, the outstanding amount being about Rs. 4.33 crores.

टैक्स सर्टिफिकेट स्कीम

5831. **श्री रण बहादुर सिंह : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कर अधिकारियों के आठवें सम्मेलन में उत्पादन को प्रोत्साहन देने और अग्रेतर दो वर्षों के लिए विकास छूट उपबंध को बढ़ाने के लिए सरकार से टैक्स सर्टि-फिकेट स्कीम पुन: लागू करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं । सरकार को ऐसी किसी मांग के बारे में औपचारिक तौर पर कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित पर्यटन-केन्द्रों पर व्यय

5832. **श्री शंकर राव सावन्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन पर्यटन–केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनकी जरुरतें केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी की जाती है;

(ख) उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाती है; और

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

केन्द्र का नाम	प्रदत्त सुविधाओं का ब्यौरा	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	अब तक किया गया व्यय (लाख रुपयों में)
1. औरंगाबाद	युवा होस्टल, औरंगाबाद	2.96	2.23
2. बोरीवली	सफारी पार्क, बोरीवली	6.89	2.99
3. मिनी बसों की सप्लाई की गयी :			
(i) तदोबा नेशनल पार्क	तदोबा नेशनल पार्क	10.41	0.41
(ii) बोरीवली सफारी पार्क	बोरीवली सफारी पार्क	10.41	0.41
4. अजन्ता	जल सप्लाई	5.11	0.60
5. एलोरा	जल सप्लाई	2.35	2.00
6. एलोरा	पुरातत्वीय क्षेत्र की सड़कों पर तारकोल बिछाना ।	2.47	0.35

स्टाक एक्सचेंजों के प्रेजीडेंटों द्वारा ईक्विटी शेयरों के वायदा व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

5833. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक एक्सचेंजों के प्रेसीडेंटों ने ईक्विटी शेयरों के वायदा व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाए जाने की मांग की है ;

(ख) क्या उन्होंने, जब वे नवम्बर, 1973 में उनसे मिले थे, कोई अन्य मांगे कभी भी की थीं; और

(ग) इन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जी, हां । स्टाक एक्सचेंजों के प्रधान 23 नवम्बर, 1973 को वित्त मंत्री से मिले थे जब उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ शेयरों के वायदों के सौदों पर लगे, प्रतिबन्ध को हटाने का भी अनुरोध किया था । वित्त मंत्री ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था ।

भारत में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक

5834. **श्री शंकर राव सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अनुसूचित और गैर–अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक प्रकार के बैंकों पर स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक किस प्रकार का नियंत्रण रखते है; और

(ग) रिजर्व बैंक अथवा सरकार किन परिस्थितियों में गैर–अनुसूचित बैंकों को अनुसूचित बैंकों के साथ विलय के लिए बाध्य करती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस समय देश में बहत्तर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (अर्थात् दो पाकिस्तानी बैंकों जिनके कार्य भारत में शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षण में निहित कर दिये गये हैं और अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को छोड़कार) और 9 गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं।

(ख) अनुमान है कि माननीय सदस्य है ध्यान में अनुसूचित और गैर–अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर केन्द्रीय बैंकिंग संस्था द्वारा रखा जाने वाला नियंत्रण है। स्टेट बैंक यह नियन्त्रण नहीं रखता है बल्कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत केवल भारतीय रिजर्व बैंक यह नियंत्रण रखता है। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण उपबन्ध ये हैं :–

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934

(1) धारा 17, जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां निर्धारित की गयी हैं जिनपर रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों को ऋण मंजूर कर सकता है। यह शर्त लगाकर कि ऋण केवल विशेष स्थिति के अन्तर्गत, किसी विशेष सीमा तक और व्याज की विशेष दर पर उपलब्ध होंगे, रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के कार्यचालन पर पर्याप्त प्रभाव रखता है।

(2) धारा 42, रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्रदान करती है कि यह अनुसूचित बैंकों द्वारा, अपनी कुल मांग और सावधिक दायित्वों के, 3 प्रतिशत और 15 प्रतिशत के बीच इसके पास बनाए रखे जाने वाले नकद प्रारक्षित निधि की दर में फेर बदल कर सकता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

(1) धारा 21, रिजर्व बैंक को ऋणों के सम्बन्ध में वह नीति निर्धारित करने की शक्ति प्रदत्त करती है जिसके अनुसार वह बैंकिंग कम्पनियों को आमतौर पर और किसी विशेष बैंकिंग कम्पनी को खासतौर पर चलना पड़ता है।

(2) धारा 22, जिसके अन्तर्गत बक सम्बन्धी व्यवसाय चलाने के लिये बैंकिंग कंपनी को रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है।

(3) धारा 23, जिसमें यह निहित है कि किसी भी बैंकिंग कम्पनी को नये स्थान पर व्यवसाय शुरू करने या वर्तमान स्थान से किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय अन्तरित करने के लिये रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है।

(4) धारा 35, जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग कम्पनियों के निरीक्षण और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था की गयी है।

(5) धारा 35 क, जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह कतिपय परिस्थितियों में बैंकिंग कम्पनियों को निदेश जारी कर सकता है।

(ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की शर्तों के अनुसार रिजर्व, बैंक किसी बैंकिंग कम्पनी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से स्थगन आदेश के लिये तब अनुरोध करता है जब उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं। यदि केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक के आवेदनपत्र पर विचार करने के बाद, बैंकिंग कम्पनी के विरूद्ध सभी कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने के काम को निश्चित अवधि के लिये रोक कर स्थगन आदेश जारी कर देती है तो रिजर्व बैंक, यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि लोक–हित में या जमाकर्ताओं के हित में या बैंकिंग कम्पनी का समुचित प्रबन्ध करने के लिये या कुल मिलाकर देश की बैंकिंग प्रणाली के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह या तो पुनर्निर्माण की योजना या बैंकिंग कम्पनी को किसी अन्ध बैंकिंग संस्था में विलय करने की योजना तैयार करता है। रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार के विलय की योजना तैयार किये जाने पर वह उस समय लागू होती है जब केन्द्रीय सरकार किसी संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के इस योजना की स्वीकृति दे देती है।

एवरो विमान के बारे में धवन समिति की रिपोर्ट

5835. श्री जगन्नाथ मिश्रः क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरो (एच० एस० 748) विमान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त धवन समिति की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है और क्या वह रिपोर्ट सरकार को मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों की विशिष्ट बातें क्या हैं ;

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट सरकार को कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) धवन समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) रिपोर्ट के शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है।

वाणिज्य मंत्री का विदेशों का निर्यात सम्बर्द्धन दौरा

5836. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) संसद के सत्र से पूर्व मंत्री महोदय ने हमारे निर्यात में सम्बर्द्धन के लिये कितने देशों का दौरा किया है;

(ख) इस समय की विशेषकर कपडा, पटसन और इन्जीनियरी के सामान के क्षेत्र में हमारे देश की ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन का विदेशों को सीमांत अथवा अधिक लाभ पर निर्यात किया जा सकता है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या है जो पहले की अपेक्षा अब अधिक भारतिय पटसन की वस्तुएं और कपडा खरीदने के इच्छुक है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वाणिज्य मंत्री ने जापान, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, हालैण्ड, बेल्जीयम तथा पश्चिम जर्मनी का दौरा किया।

(ख) विश्व बाजारों में, मांग तथा सप्लाई के अनुसार समय-समय पर अन्तराष्ट्रीय व्यापार मालों की कीमतें घटती बढती रहती हैं। फलस्वरुप, किसी समय पर किसी वस्तु की किमत उस समय उस वस्तु की मांग तथा उस वस्तु की सप्लाई के पारस्पारिक प्रभाव के परिणाम पर निर्भर होती है। इस दृष्टि-कोन से विश्व बाजारों में कपडा, पटसन, तथा इंजीनियरी उत्पादों सहित भारतीय निर्यातों की कीमतों को प्रतियोगी बनाये रखने का सरकार का सतत प्रयत्न रहता है।

(ग) प्रस्तावित निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार की यह नीति है कि सभी देशों को परम्परागत तथा गैर-परम्परागत सभी प्रकार के माल के निर्यात को बढ़ावा दिया जाये।

Proposal to put Kota (Rajasthan) on Air Map

5837. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to put Kota (Rajasthan) on the air map ; and

(b) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Communication and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) Indian Air lines will consider the case for airlinking Kota (Rajasthan) during the Fifth Plan Period along with other Cities depending upon the traffic potential, the availability of aircraft, etc.

Visit by Trade Delegation Representing Textile Mills of India to U.S.S.R.

5838. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether a high level trade delegation representing textile mills of India propose to visit Russia to conclude a new agreement regarding the supply of ready made garment to that country in exchange of Russian cotton ;

(b) if so, the names of delegates and other details in regard thereto ;

(c) the time by which this agreement will come into force; and

(d) the extent to which both the countries are likely to be benefited therefrom indicating the details about the benefits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) There is no such proposal at present.

(b) to (d) Do not arise.

भारत के व्यापार-भुगतान पर येन के अवमूल्यन का प्रभाव

5839. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या जापान सरकार ने अपनी मुद्रा 'येन' का हाल में अवमूल्यन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस देश के साथ हमारे व्यापार-भुगतान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं। परन्तु, जापानी येन का जो फरवरी, 1972 से विनिमय दर से मुक्त है, नवम्बर, 1973 में अमरीकी डालर की तुलना में अवमूल्यन हो गया है। नवम्बर, 1973 के दौरान येन के मूल्य में अमरिकी डालर के रुप में लगभग 4.7 प्रतिशत की कमी हुई थी।

(ख) इससे भारत के व्यापार और शोधन पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पडा है।

राजधानी में होटल परियोजनायें

5840. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजधानी में एक से अधिक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र होने से होटल परियोजनाओं की क्रियान्विति में बाधा आती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : पर्यटन विभाग अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय पूर्वक होटलों के निर्माण के लिये दिल्ली में स्थानों के आवंटन के लिये कार्यवाही कर रहा है ।

अन्दमान-निकोबार द्वीपसमूह की पर्यटन क्षमता

5841. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान-निकोबार द्वीपसमूह का पर्यटक आर्कषण स्थान के रूप में विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त द्वीप समूह की पर्यटन क्षमता के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं , तो क्या सरकार का इस संबंध में अध्ययन करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) अंदमान–निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए इस केन्द्र शासित प्रदेश की पांचवी पंचवर्षीय योजना में 10.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) से (घ) जैसे ही इन द्वीपसमूह में पर्यटकों के प्रवेश पर लगे वर्तमान प्रतिबंधों में छूट दे दी जाएगी, पर्यटन के दृष्टिकोण से इन द्वीपसमूह के व्यापक विकास को हाथ में ले लिया जाएगा ।

केन्द्रीय पर्यटन निदेशालय के क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से पर्यटकों को दी जाने वाली जानकारी

5842. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय पर्यटन निदेशालय के क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से पर्यटकों को,दी जानेवाली अधिकतर जानकारी अद्यतन नहीं होती है ;

(ख) यदि हां , तो उसके क्या कारण है और क्या सरकार इस बारे में बराबर जाँच करते रहते के लिये कोई व्यवस्था कायम करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ग) क्या केन्द्रिय पर्यटन निदेशालय राज्य–एककों और अपनी क्षेत्रीय शाखाओं से बराबर सम्पर्क बनाये रखता है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार और कितने कितने समय बाद ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी, नहीं । इस बात का हर प्रयत्न किया जाता है कि क्षेत्रीय केन्द्रों के पास पर्यटकों को उपलब्ध कराने के लिये अद्यतन सूचना प्राप्त हो ।

(ग) जी, हां ।

8—35 LSS (ND)/73

(घ) देश भर में फैले भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों द्वारा पर्यटन सूचना का पत्रवार द्वारा व प्रशिक्षित सूचना कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में पर्यटन आकर्षण के स्थलों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करके संकलन, संधारण और उसे अद्यतन बनाया जाता है। इस सूचना का आदान–प्रदान भारत सरकार के सभी पर्यटन कार्यालयों/राज्य सरकार के पर्यटन कार्यालयों के बीच होता है ।

केन्द्र में बजट बनाने की नई पद्धति तैयार करने का प्रस्ताव

5843. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र में बजट बनाने की नई पद्धति तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो नई पद्धति की मूल रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से, केन्द्र और राज्यों दोनों के लेखों के लिए पहली अप्रैल 1974 से लेखापालन का संशोधित वर्गीकरण निर्धारित किया है। संशोधित वर्गीकरण मोटे तौर पर सरकार के क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के रूप में है।

चूंकि बजट का वर्गीकरण लेखापालन के वर्गीकरण के अनुसार किया जाता है इसलिए 1974-75 के बजट में अनुमानित प्राप्तियां और व्यय संशोधित वर्गीकरण के अनुसार दिखाये जायेंगे ।

एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें संशोधित वर्गीकरण की बुनियादी रूपरेखा दी गयी है ।

विवरण

लेखापालन के संशोधित वर्गीकरण की बुनियादी रूप रेखा

1 सरकारी कार्यों को तीन महत्वपूर्ण वर्गों में बाटा गया है अर्थात् :—

(i) सामान्य सेवाएं जैसे पुलिस, रक्षा, कर संग्रह, न्याय प्रशासन, जिला प्रशासन, जेलें, लेखा परिक्षा आदि ।

(ii) सामाजिक जौर सामुदायिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, लोक स्वास्थ, सूचना और प्रचार, श्रम तथा रोजगार, आवास आदि ।

(iii) आर्थिक सेवाएं जैसे, कृषि उद्योग, जल और विद्युत विकास, परिवहन और संचार आदि ।

2. प्रत्येक वर्ग में महत्वपूर्ण कार्यों तथा मुख्य कार्यक्रमों के लिए मुख्य लेखा शीर्षक निर्धारित कर दिए गए हैं इस समय बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मुख्य शीर्षक निर्धारित नहीं हैं । बड़ी संख्या में नये मुख्य शीर्षकों को लागू किया गया है जसे कला और संस्कृति, आवास, नगर विकास, सूचना और प्रचार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, विदेशी व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन, लघु सिंचाई, भूमि तथा जल संरक्षण, खाद्य और पोषण, डेरी विकास, ग्राम और लघु उद्योग पर्यटन आदि।

3. लेखा ढांचे में मुख्य शीर्षों को लघु शीर्षकों में बांटा गया है । कार्य संबंधी नियंत्रण के लिए लघु शीर्षक वर्गीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय लघु शीर्षक मुख्यत: संगठनों के द्योतक है और यह बात निष्पादन बजट तयार करने तथा कार्यक्रम चलाने में सहायक नहीं रही है । नए लघु शीर्षकों को खोला गया है, जो रोगों की रोक थाम तथा उन पर नियंत्रण, चिकित्सा संबंधी राहत, भाषाओं तथा साहित्य को प्रोत्साहन, छोटे और सीमान्तिक किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के लिए योजनाएं, नारी कल्याण, निर्धन तथा निराश्रितों का कल्याण आदि जसे मुख्य कार्यक्रमों का अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व करेंगे ।

4. पूंजीगत व्यय के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं इस समय सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किए गए सभी निवेश लेखों के एक बहुप्रयोजनी (ओमनीबस) शीर्षक के अन्तर्गत दिखाये जाते हैं, चाहे इन निवेशों का संबंध किसी कार्य से हो। वह शीर्षक "औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय" के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न परियोजनाओं में पूंजी निवेशों के आकार को ध्यान में रखते हुए निवेशों के लिए एक विस्तृत वर्गीकरण का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार "मशीनरी तथा इंजीनियरी उद्योग", "पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक उद्योग", "हवाई जहाज तथा जहाज निर्माण उद्योग", "दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग", "उपभोक्ता उद्योग", "खनन तथा धातु कर्मक उद्योग" आदि में निवेशों के लिए अलग-अलग मुख्य शीर्षक होंगे।

5. ऋणों के रूप में सरकारी परिव्ययों में असाधारण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऋणों के लेन-देनों के लिए लेखा वर्गीकरण को बिलकुल नया रूप दे दिया गया है। इस समय ऋणों का वर्गीकरण कार्यक्रम के उस प्रयोजन से संबंधित नहीं होता जिसके लिए ऋण दिए जाते हैं बल्कि उन पार्टियों से संबंधित होता है जिन्हें ऋण दिए जाते हैं, जैसे राज्य सरकारें, सरकारी कम्पनियां, गैर सरकारी पार्टियां, नगर पालिकाएं आदि।

6. सचिवालय के व्यय की व्यवस्था अब प्रशासानिक सेवाओं के एक भाग के रूप में एक शीर्षक के अन्तर्गत की जाती है। यह सचिवालय द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका का एक भ्रामक चित्र उपस्थित करता है। 1974-75 से सामान्य सेवाओं, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं से संबंधित सचिवालय व्यय को सम्बद्ध क्षेत्रों में तीन भिन्न-भिन्न मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाया जायगा।

7. लोक निर्माण कार्यों पर होने वाले सारे व्यय को चाहे वह इमारतों अथवा सड़कों पर किया गया हो, इस समय "लोक निर्माण कार्य" नामक एक ही मुख्य शीर्षक में दिखाया जाता है। इस प्रकार इस मुख्य शीर्षक के आवास, अस्पताल की इमारतों, कार्यालय की इमारतों, सड़कों, पुलों आदि पर व्यय शामिल है और इससे सरकार के कार्यों और कार्यक्रमों के अनुसार किए जाने वाले व्यय का रुप बिगड़ जाता है। संशोधित लेखा वर्गीकरण के अनुसार सड़कों और इमारतों पर व्यय का आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र में एक अलग मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायगा। इसी प्रकार आवास को सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के क्षेत्र में अलग से दिखाया जायगा। विद्यालय, अस्पताल आदि कार्य विषयक इमारतों पर होने वाले व्यय को सम्बद्ध कार्य विषयक मुख्य शीर्षकों जैसे "शिक्षा", "चिकित्सा" आदि, के अन्तर्गत दिखाया जायगा। इस प्रकार के विभाजन से किसी कार्यक्रम की कुल लागत का अर्थपूर्ण मूल्यांकन करने और लोक निर्माण कार्यों के व्यय के स्वरूप को समझने में भी सुविधा होगी।

8. लेखों के प्राप्ति शीर्षकों का भी संशोधन कर दिया गया है ताकि कर राजस्वों को कर भिन्न राजस्वों से अलग दिखाया जा सके। कर-राजस्वों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों को सुव्यवस्थित ढंग से दिखाया गया है।

भारत में उत्पादित मिल के धागों की तस्करी

5844. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समाचार की जानकारी है कि भारत में उत्पादित मिल के धागे को पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सीमावर्ती राज्यों में तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में धागे की तस्करी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा से बंगलादेश को भारतीय मिलों के धागे के तस्कर-निर्यात के कुछ मामले सरकार के नोटिस में आए है।

(ख) उत्तर-पूर्वी सीमा पर माल के तस्कर आयात-निर्यात की रोकथाम के लिए, जिसमें मिल के धागे भी शामिल हैं, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :--

सीमा पर, सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के अतिरिक्त, जिन्हें तस्कर-व्यापार विरोधी कार्य के लिए सीमाशुल्क अधिकारियों के रूप में कार्य करने की शक्ति भी प्रदान की गई है, सीमाशुल्क कर्मचारी तैनात किये गए हैं। इस संबंध में प्रचलित प्रवृत्तियों की संबंधित एजेन्सियों द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है तथा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। सीमा पर होने वाले तस्कर-व्यापार से संब्रंधित मामलों पर सूचना का आदान प्रदान करने तथा तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए समन्वित कार्यवाही की योजना बनाने के निमित्त, सीमाशुल्क विभाग तथा सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के बीच नियतकालिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) उपर (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात

5845. **श्री बक्शी नायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों को कुल कितना निर्यात व्यापार किया गया और उसी अवधि में इन देशों से कुल कितना आयात-व्यापार किया गया;

(ख) क्या इन देशों से आयात-व्यापार इन देशों को होने वाले निर्यात की तुलना में कहीं अधिक है और इसके परिणामस्वरुप रुपये की भारी राशी जमा हो गई है;

(ग) क्या श्री ब्रेजनेव की अभी हाल की भारत-यात्रा के दौरान इस बारे में उनसे कोई चर्चा हुई थीं; और

(घ) क्या इन देशों के साथ होने वाले आयात और निर्यात-व्यापार के बीच संतुलन करने के लिए कोई योजनायें बनाई गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ तथा पूर्व यूरोपीय देशों को भारत के निर्यात तथा वहां से भारत के आयात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :-

	1970-71	1971-72	1972-73
		(मूल्य करोड रुपयों में)	
निर्यात	362	344	470
आयात	228	209	218

निर्यातों की जो मात्रा आयातों से अधिक रहती है उसका उपयोग ऋण संबंधी भुगतान करने के लिए किया जाता है।

(ग) तथा (घ) इन देशों के साथ व्यापार तथा भुगतान करारों के उपबंधों के अधीन एक समयावधि में आयातों तथा निर्यातों में परस्पर संतुलन रहता है।

फिर भी, नवम्बर, 1973 में सोवियत नेता की यात्रा के समय हुए विचार विमर्शो में यह स्वीकार किया गया था कि संतुलित भुगतान आधार पर भारत-सोवियत व्यापार के विकास के लिए सोवियत संघ से भारत के आयातों में वृद्धि होनी चाहिए

प्रायोगिक जांच घर (पायलट टेस्ट हाउस)

5846. श्री बक्शी नायक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कई अन्य महानगरों में प्रायोगिक जांच घर स्थापित किये जाने की संभावना है जिस प्रकार के बम्बई में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा निर्यात को बढावा देने में इन प्रायोगिक जांच घरों से किस उद्देश्य की पूर्ति होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां, यथासमय दिल्ली कलकत्ता, मद्रास तथा कोचीन में। ये सर्व-मुखी जांच घर होंगे जो निर्यात संबंधी वस्तुओं का, क्वालिटी नियंत्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण का कार्य करेंगे।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल

5847. श्री पीलू मोदी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में कितने होटल भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित किये जा रहे हैं;

(ख) ये सभी होटल किस वर्ग के हैं, और इनके कमरों की दरें क्या हैं और इन कमरों की दरें भारत से बाहर इसी वर्ग के होटल के कमरों की दरों की तुलना में कम हैं अथवा अधिक;

(ग) क्या सरकार का विचार औसत आय वाले पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कम खर्च वाले होटल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम 12 होटलों का प्रबंध कर रहा है।

(ख) अभी तक केवल निम्नलिखित चार होटलों का स्टार वर्गों में वर्गीकरण किया गया है :–

अशोक होटल, नई दिल्ली	5-स्टार डीलक्स
होटल जनपथ, नई दिल्ली . . .	3-स्टार
लोधी होटल, नई दिल्ली	2-स्टार
रणजीत होटल, नई दिल्ली	2-स्टार

यद्यपि निम्नलिखित 8 होटलों का अभी वर्गीकरण होना शेष है तथापि प्रत्येक होटल को, उसके सामने दिखाये गये स्टार वर्गों के अनुरूप सेवा तथा सुविधाएं प्रस्तुत करने के लिये बनाया गया है :—

अकबर होटल, नई दिल्ली . .	5 स्टार
अशोक होटल, बंगलौर . .	5 स्टार
कुतुब होटल, नई दिल्ली . .	4 स्टार
कोवालम ग्रोव काटेजेज, कोवालम . .	3 स्टार
वाराणसी होटल, वाराणसी . . .	3 स्टार
लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर .	2 स्टार
औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद	2 स्टार
खजुराहो होटल, खजुराहो .	2 स्टार

इन 12 होटलों के लिए अनुमोदित टैरिफ दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। भारत से बाहर के होटलों के कमरों की किराया संबंधी सूचना केवल कुछ 5 स्टार होटलों के ही बारे में उपलब्ध है। इस सूचना के अनुसार, अधिकांश मामलों में, विदेशों में होटलों के कमरों के किराये भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में वसूल किये जा रहे किरायों से काफी अधिक है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा औसत साधनों वाले पर्यटकों के लिए नये होटलों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिए गये हैं तथा उन के लिए लगभग 960 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। जांच विषयक कार्य चल रहा है। ये प्रतिष्ठान किन स्थानों पर बनेंगे तथा उनका क्या आकार होगा, इस का निर्णय अभी अंतिम रूप से नहीं किया गया है।

विवरण

होटल का नाम	केवल कमरे के लिए (रुपयों में) वातानुकूलित सिंगल	वातानुकूलित डबल		सेवा प्रचार
अशोक होटल, नई दिल्ली	120	180		
अकबर होटल, नई दिल्ली	100	160		
जनपथ होटल, नई दिल्ली	60-75	110-130		
होटल अशोक, बंगलौर	95	145		
लोधी होटल, नई दिल्ली	50-55	75-85		
	35-40	55-65	(गैर-वातानुकूलित)	
औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद .	65*	110*		
	50*	90*	(गैर-वातानुकूलित)	
रणजीत होटल, नई दिल्ली	50–55	75-85		
	35-40	55-65	(गैर-वातानुकूलित)	
खजुराहो होटल, खजुराहो .	55	80		
	40	65	(गैर-वातानुकूलित)	
लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, .	55	80		
उदयपुर . .	40	65	(गैर-वातानुकूलित)	10%
कोवालम ग्रोव काटेजेज़, कोवालम	90	120		10%
वाराणसी होटल, वाराणसी .	60	100		
(सितम्बर, 1973 से कार्य कर रहा है)	45	85	(गैर वातानुकूलित)	
कुतुब होटल, नई दिल्ली	90	150		
(नवम्बर, 1973 से कार्य कर रहा है)		200	(सिंगल अपार्टमेंट)	
		300	(डबल अपार्टमेंट)	

*नाशता भी सम्मिलित है।

पटसन का निर्यात

5848. **श्री बक्शी नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में किये जाने वाले पटसन के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी; और

(ख) गत दो वर्षों में किये गये निर्यात प्राप्त विदेशी मुद्रा की तुलना में इस वर्ष विदेशी मुद्रा की प्रतिशतता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह अनुमान है कि चालू वर्ष अर्थात् 1973-74 के दौरान पसटन माल के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा आय लगभग 235 करोड़ रु० होगी ।

(ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसार निर्यात संभवत: 1971-72 तथा 72-73 के स्तरों पर नहीं पहुचेगी ।

सान्ताक्रुज निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना

5849. **श्री बक्शी नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान्ताक्रुज निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को औद्योगिक कारखाने स्थापित करने की अनुमति देने का सरकार ने निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए विदेशी कम्पनियों की किस आधार पर सरकार अनुमति देगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सांताक्रुज निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र में औद्योगिक एककों की स्थापना की अनुमति अनेक बातों जैसे कि प्रार्थी की पृष्ठभूमि, अन्तर्ग्रस्त प्रौद्योगिक का स्तर, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है, उत्पाद की मूल्य वृद्धि, देश में वर्तमान एककों के निर्यातों पर संभावित प्रभाव, विदेशों से की गई विपणन व्यवस्था आदि, को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रस्थापना के गुणदोष के आधार पर दी जाती है। विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुरोधों पर सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर विचार किया जाएगा ।

छपाई के श्वेत कागज का निर्यात

5850. **श्री अरविन्द एम० पटेल** :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने मूल्य का छपाई का श्वेत कागज निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार इस किस्म के कागज का निर्यात बंद करने पर विचार कर रही है क्योंकि देश में ऐसे कागज का अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) "छपाई का सफेद कागज" संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण की अन्तर्गत अलग से वर्गीकृत नहीं है यह "छपाई तथा लिखाई का अन्य

कागज (मशीन निर्मित) रोलों अथवा शीटों में" के अन्तर्गत आता है, जिसके निर्यात विगत तीन वर्षों में इस प्रकार हुए :

1970-71	248 लाख रु०
1971-72	76 लाख रु०
1972-73	57 लाख रु०

(ख) तथा (ग) लिखाई तथा छपाई का सभी प्रकार का कागज 30 नवम्बर, 1973 से निर्यात नियंत्रण आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग "क" के अन्तर्गत लाया गया है जिन मामलों में विदेशी खरीददारोंद्वारा 30 नवम्बर, 1973 से पहले अप्रतिसंहरणीय साख पत्र खोल लिये गये ह और भारतीय बैंकों द्वारा स्वीकार कर लिये गए है उन्हें छोडकर साधारणत: इस मद के निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

दिल्ली से जामनगर के बीच विमान-सेवा

5851. **श्री अरविन्द एम० पटल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से जामनगर के बीच कोई सीधी विमान सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सौराष्ट्र क्षेत्र को विमान-सेवा उपलब्ध करने के लिये दिल्ली से जामनगर के बीच विमान-सेवा प्रारम्भ करने की जनता ने भारी मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) जामनगर बम्बई के मार्ग से दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली तथा जामनगर के बीच सीधी विमान सेवा की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इंडियन एयरलाइंस को इस संबंध में जनता की किसी मांग की जानकारी नहीं है।

Expenditure incurred on Petrol consumed by staff cars of various Ministries

5852. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of expenditure incurred on petrol consumed by staff cars of various Ministries of the Central Government during the financial years 1970-71, 1971-72 and 1972-73?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : A statement is placed on the Table of the House containing the information to the extent readily available. [**Placed in the Library. See No. LT 6096/73.**] The complete information is being collected from the Ministries/Departments and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Value of goods exported to foreign countries during 1973-74

5853. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the estimated value in Indian currency of goods to be exported to foreign country during the financial year 1973-74 ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to promote export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The estimated value of exports (including re-exports) for the current financial year (1973-74) has been placed around Rs. 2072 crores.

(b) Continuous efforts are being made towards stepping up of export production and generation of export surpluses and exploration of foreign market. Suitable changes are made in the existing export promotion schemes as and when considered necessary. A high level Committee has also been set up under the Chairmanship of Prof. S. Chakravarty, Member, Planning Commission, to recommend a long term export strategy for the Fifth Five Year Plan and beyond.

Smuggled goods seized in Bombay

5854. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of the smuggled goods seized in Bombay during the last three years;

(b) the action taken against the persons involved and their number ; and

(c) the value of the gold in Indian currency out of goods seized ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) value of the smuggled goods including (gold) seized by the Customs authorities in Bombay The during the years 1973, 1971 and 1972 was as follows :—

Year	Value of goods seized in Bombay at market price (Rs. lakhs)
1970	1052
1971	1033
1972	1373

(b) The number of persons arrested in connection with the above seizures and the action taken against them was as follows :—

No. of persons arrested	1269
No. of persons sent up for prosecution	891
No. of persons convicted	516
No. of persons acquitted or discharged by the court . .	104
No of persons against whom prosecution proceedings vere dropped	33
No. of persons against whom prosecutions are pending .	232
No. of persons absconding	6

(c) The value of the gold, out of the goods seized, during these years was as follows :—

Year	Value of the gold seized at the Indian market rate (Rs. lakhs)
1970	603
1971	281
1972	194

बम्बई के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेकेजिंग के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

5855. **श्री मधु दंडवते :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेकजिंग के तीन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या ये तीन कर्मचारी इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेकेजिंग एम्प्लाइज एसोसियेशन के पदाधिकारी है;

(ग) क्या एसोसियेशन की ट्रेड युनियन गतिविधियों, जिसके साथ वे पदाधिकारी के रूप में सम्बद्ध हैं, को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध यह कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही रद्द कर देने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) तीन कर्मचारियों के खिलाफ या तो असंतोषजनक कार्य निष्पादन या अनुशासन हीनता के कारण कार्यवाही की जानी है, न कि उनकी "कर्मचारी संघ कार्य कला पों" के कारण ।

धागा नियंत्रण आदेश पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

5856. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धागा नियंत्रण आदेश को वैध ठहराने संबंधी 26 नवम्बर, 1973 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के नीति संबंधी आशयों पर क्या सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या ठोस उपाय किए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

मूंगफली के बदले में रूस से खाद्य तेलों का आयात

5857. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को जाने वाले जहाजों में मूंगफली के लदान का बहिष्कार किये जाने के समय रूस सरकार के प्रवक्ता ने आल इंडिया पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स फेडरेशन को आश्वासन दिया था कि यदि भारत सरकार द्वारा उपयुक्त माध्यम से अनुरोध किया जायेगा तो निर्यात की जानेवाली मूंगफली के बदले में भारत को उतनी ही मात्रा में खाद्य तेल भेजे जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रूस सरकार को इस नई व्यवस्था को स्वीकार करने की भारत की इच्छा से सूचित कर दिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सोवियत अधिकारियों द्वारा ऐसे किसी आश्वासन के दिये जाने के बारे में कोई जानकारी इस मंत्रालय को नहीं है । नही उसे आल इण्डिया पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स फेडरेशन को सोवियत सरकार के प्रवक्ता द्वारा इस आश्वासन के दिये जाने के बारे में जानकारी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फिजी के साथ विमान सेवा संबंधी करार

5858. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फिजी के बीच विमान सेवा संबंधी करार के ड्राफ्ट को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागरी विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि भारत तथा फिजी की नामित विमान कम्पनिया उक्त करार में विनिर्दिष्ट मार्गों पर किसी भी प्रकार के विमान से सप्ताह में दो सेवाओं तक का परिचालन कर सकती हैं।

कनाडा से ऋण के लिए करार

5859. **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री आर० पी० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक करोड़ कनाडियन डालर के ऋण के लिए भारत और कनाडा में करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस ऋण में से पश्चिम बंगाल के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। 27 नवम्बर, 1973 को कनडा के साथ 100 लाख कनाडी डालर (7 करोड़ रुपये) के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस ऋण का उपयोग, 1973-74 के दौरान कनाडा से पोटाश का आयात करने के लिये किया जायेगा। ऋण पर कोई ब्याज, वचनबद्धता या सेवा-प्रभार नहीं लगेगा तथा यह ऋण 50 वर्षों में चुकाया जायेगा जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है।

(ग) चूंकि ऋण की पूरी रकम का उपयोग कनाडा से पोटाश का आयात करने के लिए किया जायेगा, इसलिए इस ऋण में से किसी राशि का पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

Loans given to States

5860. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of outstanding loans given to various States including the Centrally administered States, separately upto 24th November, 1973 ;

(b) whethe Government propose to formitate any scheme to realise the amount of oans ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) The accounts of Government being kept on annual basis, it is possible to furnish the figures of the States' debt liability to Centre as at the end of a financial year. According to the provisional accounts for 1972-73, the States' debt liability to the Centre at the end of that year was as follows :—

A. *States* :	Amount outstanding
	(Rs. in crores)
1. Andhra Pradesh	689.99
2. Assam	369.15
3. Bihar	688.35
4. Gujarat	296.97
5. Haryana	213.53
6. Himachal Pradesh	117.57
7. Jammu & Kashmir	285.98
8. Kerala	344.21
9. Madhya Pradesh	414.83
10. Maharashtra	628.14
11. Manipur	34.25
12. Meghalaya	3.92
13. Karnataka	423.60
14. Nagaland	23.35
15. Orissa	468.21
16. Punjab	247.83
17. Rajasthan	703.19
18. Tamil Nadu	415.23
19. Tripura	33.61
20. Uttar Pradesh	821.53
21. West Bengal	752.74

B. *Union Territories with separate Consolidated*

Fund	(Rs. in Crores)
1. Goa, Daman and Diu	46.18
2. Mizoram	2.93
3. Pondicherry	10.83

(b) and (c) The loans are being realised in accordance with the terms and conditions prescribed in each case.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दादरा तथा नगर हवेली में किसानों को दिये गये ऋण

5861. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दादरा तथा नगर हवेली में किसानों के लिए निर्धारित राशि में से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें कुल कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : दादरा और नगर हवेली में किसानों को कृषि विकास प्रयोजनों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गये अग्रिमों और जून 1969 और मार्च 1973 के अन्त तक उनकी बकाया राशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

जून 1969	—
मार्च 1973 (अनन्तिम)	0.32

बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में ऋण देने के लिए पहले से कोई राशि निर्धारित नहीं की गयी है। किसी विशेष क्षेत्र में कृषि ऋण की सीमा, बहुत सी बातों पर निर्भर करती है जैसे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का विस्तार करना, बैंकों का संगठन, क्षेत्र में सहकारी समितियों की संख्या और कार्य निष्पादन, विस्तार सेवा, बस्ती में उपलब्ध कृषि के काम में आने वाली वस्तुएं और सिंचाई सुविधाएं, उस क्षेत्र के किसानों में बैंकिंग सम्बन्धी आदतें।

दादरा और नगर हवेली में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

5862. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नगर हवेली में गत तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत कितने बैंकों की कुल शाखाएं खोली गई ; और

(ख) उस क्षेत्र में आगामी पंचवर्षीय योजना में कितनी शाखाएं खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों ने देना बैंक ही एक मात्र ऐसा बैंक है जिस के दादरा और नगर हवेली के संघीय राज्य क्षेत्र में कार्यालय है और इस संघीय राज्य क्षेत्र में उसके चार कार्यालय हैं। चारों कार्यालय राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में खोले गये हैं अर्थात् एक 1969 में, दो 1970 में और एक 1971 में। जून 1973 के अन्त में दादरा और नगर हवेली में प्रतिबैंक कार्यालय के पीछे जनसंख्या अखिल भारतीय औसत 36,000 की तुलना में 19,000 थी।

(ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से शाखा विस्तार के लिए तीन वर्षीय आवर्ती आयोजना तैयार करने के लिए कहा है। 1974-76 की तीन वर्ष की अवधि के लिए आयोजना को अभी अंतिम रूप देना बाकी है।

बम्बई हवाई अड्डे के यातायात विभाग में काम कर रहे कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

5863. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर तो इण्डियन एयरलाइंस के प्रबंधक अपने कर्मचारियों के समयोपरि बिलों में कमी करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी ओर बम्बई हवाई-अड्डे के यातायात विभाग के कुछ कर्मचारियों से समयोपरि काम करने से इंकार करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है ; और

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) एयरलाइन परिचालनों की प्रकृति ही कुछ इस प्रकार की है कि प्राय: कार्य-भार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्मचारियों को एक शिफ्ट में काम करने के बाद आगे भी रखने को बाध्य हो जाना पड़ता है व नियमों में ऐसी व्यवस्था विद्यमान है कि यदि कर्मचारी ऐसा करने से इंकार कर दें तो उन्हें दण्डित किया जा सकता है। अत: प्रबंधक वर्ग द्वारा कुछ ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने सेवा की अपेक्षाओं के अंतर्गत अनिवार्य समयोपरि कार्य करने से इन्कार किया था, चेतावनी देना कोई गलत काम नहीं है।

वस्तुत: प्रबंधकवर्ग परिचालनों की दक्षता एवं सुरक्षा के हित में कार्यभार व कर्मचारियों का अनुपात ठीक करने, व्यर्थ की कार्य-प्रणालियों को समाप्त कर के उत्पादकता में वृद्धि करने तथा समयोपरि भत्ते में परिहार्य कमी करने, जो कि अत्यधिक सीमा तक पहुंच चुका था, का प्रयत्न कर रहा है।

फ्लाइंग क्लबों द्वारा उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद करना

5864. **श्री एम० सुदर्शनम : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ फ्लाइंग क्लबों ने उड़ान प्रशिक्षण कायक्रमो को बंद कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे क्लब अब क्या कार्य कर रहे हैं?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) विमानन इंधन के मूल्य में हाल में हुई वृद्धि से क्लबों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है तथा कुछ क्लबों ने नागर विमानन महानिदेशालय को सूचित किया है कि यदि सरकार उनकी सहायता नहीं करती तो उन्हें अपने उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम निलम्बित करने पड़ सकते हैं।

(ग) फ्लाइंग क्लबें निम्नलिखित कार्य करती हैं :—

(i) निजी विमानचालक लाइसेंस जारी करने तथा वाणिज्यिक वर्गों के विमानचालक लाइसेंसों के नवीकरण के लिए सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(ii) एन० सी० सी० के केडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(iii) हाबी उडान ;

(iv) जाय राइड, एयर रैली, रेस, आदि आयोजित करना।

जस्ते के आयात पर प्रतिबंध

5865. **श्री एम० सुदर्शनम् : क्या वाणिज्यिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जस्ते के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों के शिक्षित नवयुवकों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि तथा स्व-नियोजन के प्रयोजन हेतु सुविधा पूर्वक ऋण दिया जाना

5866. **श्री नारायणचन्द पाराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों को देश के पर्वतीय क्षेत्रों के शिक्षित नवयुवकों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि और स्व-नियोजन के प्रयोजनों हेतु सुविधापूर्वक ऋण देने के लिए राजी करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें यह सुविधा दिलाने के लिए कोई योजना बनाई है; और यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की विस्तृत जांच करने के लिए विशेष समिति गठित करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) यह सरकार की स्वीकृत नीति है कि उन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को, जो रोजगार के अवसरों, विशेषकर आत्म नियोजन प्रयास के रूप में निर्मित किये जाने वाले रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने योग्य हैं और पर्वतीय क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों को अधिक बैंक ऋण दिया जाना प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बहुत सी योजनाएं बनायी हैं। इस प्रकार जहां जून, 1969 के अन्त में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम उनके कुल अग्रिमों का 14.9 प्रतिशत थे, वहां जून 1973 के अन्त में यह अनुपात बढ़ कर 23.8 प्रतिशत हो गया था।

सरकार ने सितम्बर, 1973 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुझाव दिया था कि वे छोटे उद्यमकर्ताओं की रोजगार संबंधी योजनाओं के लिए और छोटे व्यापारिक उद्यमों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि करें। इन सुझावों में अन्य बातों के साथ साथ ये बाते भी हैं :—

(1) सक्षमता के आधार पर ऋण आवेदनपत्रों के शीघ्र और जहां तक हो सके दो महीने के अंदर निपटान किये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करना और इसके लिये संगठन तथा कार्यविधि की समीक्षा करना ;

(2) ऐसी योजनाओं के लिए व्याज उचित दरों पर लिया जाना; जो मामले विभेदी व्याज दर योजना के गन्तर्गत नियत मानदण्ड पर पूरे उतरते हों; उनके लिए केवल 4 प्रतिशत की दर से व्याज लिया जाएगा;

(3) तकनीकी उद्यम कर्ताओं के लिए, जिनके लिए कोई मार्जिन धन राशि निर्धारित नहीं है योजनाओं को और अधिक बढ़ाने के लिये लगातार प्रयत्न करने के लिए उचित मार्जिन निर्धारित, करना, जो छोटे ऋणों के मामले में समुचित रूप से कम रखा जाए;

(4) राज्य सरकारों और उनके संबद्ध अभिकरणों के छोटे उद्यमकर्ताओं को परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था के लिए प्रयत्नों में वृद्धि करना; और

(5) जिला और राज्य प्राधिकरणों और राज्य वित्तीय तथा निगमित निकायों के साथ निकट संपर्क स्थापित करना ताकि सक्षम परियोजनाओं को ऋण देने के लिए शीघ्र निर्णय किए जा सकें।

इसके अलावा विभेदी व्याज दर की एक योजना है जिसमें कुछ निम्न आय वर्ग के कुछ ऋणकर्ताओं को 4 प्रतिशत व्याज की रियायती दर पर बैंक ऋण देने की व्यवस्था है। इस समय इस योजना को औद्योगिक रूप से पिछडे जिलों, जिनमें पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं, चालू कर रखा है, मुख्य विचार यह था कि इस प्रकार की योजना में पिछडे जिलों को प्राथमिकता दी जाए।

आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

5867. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्यों और दिल्ली तथा चंडीगढ़, संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1973 के दौरान आयकर अधिकारियों ने कितने छापे मारे ; और

(ख) किन-किन व्यक्तियों और फर्मों के ठिकानों पर छापे मारे गये और इन छापों में कुल कितनी राशि पकडी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्यों और दिल्ली और चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकार रखने वाले दिल्ली और पटियाला के आयुक्तों के कार्यक्षेत्रों में, नवम्बर, 1973 तक, 1973 में आयकर प्राधिकारियों द्वारा 57 तलाशियां ली गयी थीं।

(ख) तलाशियों में 44.84 लाख रुपये की आस्तियां बरामद की गई। जिन व्यक्तियों/फर्मों की तलाशी ली गई उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए है। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-6097/73]**

इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों को मिले भत्ते पर आयकर की अदायगी से छूट

5868. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को ऐसे कौन से भत्ते मिलते हैं जिन पर आयकर नहीं लगता ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : इंडियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों को मिलने वाले निम्नलिखित भत्तों पर आयकर नहीं लगाया जाता :—

(i) चार्टर भत्ता
(ii) विशेष यात्रा भत्ता
(iii) विश्राम भत्ता
(iv) भोजन भत्ता
(v) दैनिक भत्ता
(vi) किट रखरखाव भत्ता
(vii) टेलीफोन भत्ता
(viii) मकान किराया भत्ता
(ix) परिवहन/सवारी भत्ता

उपर्युक्त भत्तों के अतिरिक्त उनको निम्नलिखित लाभ भी दिये जाते हैं :—

(i) प्रत्येक उडान के पहले भूमि पर हल्का नाश्ता
(ii) मुफ्त और रियायती यात्रा
(iii) लाइसेंस बीमा की हानि की प्रतिपूर्ति
(iv) पारस्परिक लाभ निधि/विशेष वार्षिकी

उपर्युक्त मदों में से कुछ मदों की कर योग्यता की जांच की जा रही है।

Advance of loans by Nationalised Banks to Industries Institutions for More than Rs. one crores

5869. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the industries or institutions which have been advanced loans of more than one crore of rupees by the nationalised banks during the last two years ;

(b) the figures in this regard ; and

(c) the total amount of loans given and the amount realised so far out of it ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) In accordance with practice and usage customary among bankers and also in conformity with the provisions of the Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 banks are enjoined by statute not to divulge information in respect of their individual constituents. It is, therefore, not possible for the banks to divulge details of the nature asked for. However a statement giving number of units which have been sanctioned by nationalise. banks, individual limits/enhancement of Rs. 1 crore and above, during the year ended on 31st December, 1971 and during half years ended on 30th June, 1972 the 31st December 1972 and the 30th June, 1973 are given below :—

	No. of Parties	Aggregate limits sanctioned
		(Rs. in crores)
During the year ended on 31st December, 1971	27	86.77
During the half year ended on 30th June, 1972	20	44.44
During the half year ended on 31st December 1972	42	135.40
During the half year ended on 30th June, 1973	49	148.83

Operating within these limits, the borrowers draw funds from or repay to the concerned banks from time to time. These are normally reviewed periodically and suitable cancellations reductions/enhancements/modifications made depending upon the performance of the concerns and their needs of the particular type of facility.

Capital amount of Life Insurance Corporation of India

5870. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the total capital amount of the Life Insurance Corporation of India and the amount out of it involved in loans and shares ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohatgi) : Under Section 5(1) of the Life Insurance Corporation Act, 1956, a sum of rupees five crores was provided by the Central Government as the original capital of the Life Insurance Corporation of India. It was intended for payment of Compensation to the insurers whose business was taken over and not for granting loans or purchasing shares.

महाराष्ट्र तथा गुजरात में सेंट्रल बैंक की श्रीकुटा और पेठ शाखाओं में हुई जालसाजी

5871. श्री विक्रम महाजन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं तथा विशेष कर पूना में श्रीकुटा और पेठ शाखाओं और अहमदाबाद में मोठाकलो शाखा में कृषि कार्यों के लिए दिये गये 650 करोड़ रुपये की जालसाजी सरकार के ध्यान में आई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि महाराष्ट्र और गुजरात में जुलाई 1973 में कृषि ऋणो को कुल बकाया रकम क्रमश: 25.00 करोड़ रुपये और 3.50 करोड़ थी जिनमें से 31 मार्च, 1973 को महाराष्ट्र और गुजरात में क्रमश: 2.21 करोड़ रुपये और 0.79 करोड़ रुपये की रकमें अतिदेय थीं। इस प्रकार अतिदेय रकम भी उस 650 करोड़ रुपये से बहुत कम हैं जिनके बारे में जालसाजी में अंतर्ग्रस्त होने का आरोप लगाया गया है।

जहां तक श्री गौण्डा, पेठ और मोठाकलो शाखाओं में कृषि ऋणों का सम्बन्ध है सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने यह सूचना दी है :—

(1) श्री गौण्डा शाखा :

जून 1973 तक कुओं, पम्पसेटों और फसल ऋणों के रूप में 1075 किसानों को कुल 41 लाख रुपये के ऋण दिये गये थे। 1972-73 में देय 35 लाख रुपये में से केवल 6 लाख रुपये वसूल हुए थे पिछले तीन वर्षों में 29 लाख रुपये की जो रकम बकाया रह गयी वह आंशिक रूप से अभाव की स्थिति के कारण और आंशिक रूप से एक और कारण से हुई। वह यह था कि स्थानीय सहकारी चीनी कारखाने के चालू होने में, जिसमें 1971 में पिराई का काम आरम्भ हो जाने की आशा थी, असाधारण देरी लग जाने से गन्ने के विपणन करने में 1970-71 में उत्पादकों को कठिनाई हुई उस कारण भी वसूली नहीं हो सकी थी। इसलिये गन्ना फसल-ऋण की रकम को जो अतिदेय रकम की 70 प्रतिशत बैठती थी, सावधिक ऋणों में बदल दिया गया था ताकि ऋणकर्ता इस रकम की पुनर्अदायगी तीन वर्षों में कर सकें। ये सारे ऋण भूमि बन्धक रखे जाने के कारण प्रतिभूत ऋण हैं। श्री गौण्डा सहकारी चीनी कारखाने में पिराई का काम 1973 में शुरू हुआ और बैंक को अतिदेय रकम वसूल करने की स्थिति में होना चाहिए।

(2) पेठ शाखा :

ये ऋण मुख्यत: फसल ऋण थे जो 1969-70 से आलू का उत्पादन करने के लिए दिए गये थे, प्रतिवर्ष लगभग 700 किसानों को 16 लाख रुपये की रकम का भुगतान किया गया था। इसके मुकाबले, 1969-70 और 1970-71 में वसूली क्रमश: 97 प्रतिशत और 89 प्रतिशत हुई थी। 1971-72 में सूखे की स्थिति होने से फसल को हुई भारी क्षति के कारण वसूली बहुत ही कम अर्थात् केवल 17 प्रतिशत हुई। दैवी विपत्तियों से प्रभावित किसानों की पुर्नअदायगी की अवधि बढ़ाई जाने के अनुरोध पर बैंक द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया है। इसके अलावा, शाखा ने 1969-70 से पम्पसेटों की योजनाओं की मंजूरी दे दी है और सितम्बर 1973 तक 350 ऋणकर्त्ताओं की 14 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। इन ऋणों में से दुकानदारों द्वारा, पम्पसेट की सप्लाई न किये जाने से सम्बन्धित अनियमितताओं के 37 मामले बैंक की नजर में लाए गए हैं। इनमें से 16 मामलों में दुकानदारों ने ऋण की रकम वापस कर दी है और अन्य 19 मामलों में जल्दी ही ऋण की रकम वापस किये जाने की आशा है। शेष दो मामलों में बैंक का कानूनी कार्रवाई करने का विचार है।

(3) मीठाकली शाखा :

सितम्बर 1973 तक कुओं और पम्पसेटों के लिये कुल मिलाकर 63.14 लाख रुपये के ऋण दिये गये थे। 1969-70, 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में क्रमश: 66 प्रतिशत, 43 प्रतिशत, 26 प्रतिशत और 9 प्रतिशत वसूली हुई है। ऋणों की रकम वापस न किये जाने का कारण कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के कारण फसल न होना और पम्पसेटों का न चलाया जाना था—किसानों को इतना लाभ नहीं हुआ जिसकी आशा थी। ऋण भी शाखा से 75 मील के घेरे में 268 गावों को दिये गये थे। बैंक ने 1972 से वसूली का जोरदार अभियान शुरू कर दिया है और वसूली की जा रही है। उचित कारण होने पर बैंक ने ऋणकर्ताओं के ऋण की किस्तों के नये कार्यक्रम तैयार करने के लिये भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। कागजात तर करते समय हुई गलतियों को भी ठीक कर दिया गया है। बैंक के पास इन सभी ऋणों के सम्बन्ध में कागजाता शेष रकम के सम्बन्ध में पुष्टिपत्र हैं।

सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने यह सूचना और दी है कि इन सभी मामलों में इन किसानों से अतिदेय रकम की वसूली की समस्या को हल करना है जिनकी तलाश की जा चुकी है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो जालसाजी को प्रकट करता हो।

जहां तक मोठाकली शाखा से दिये गये कृषि ऋणों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय जांच कार्यालय ने जिसने इस मामले की जांच की है, अपनी रिपोर्ट बैंक को पेश कर दी है, और बैंक उस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन

5872. श्री शशि भूषण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम के दिल्ली डिवीजन में वर्ष 1956 और 1973 के दौरान डिवेलपमेंट आफिसर, ए० बी० एम०, ब्रांच मैनेजर, डिवीजनल मैनेजर, क्लर्क, एसिस्टेंट और सुपरिन्टेंडेंट का श्रेणीवार वेतन क्या रहा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

नागर विमानन विभाग द्वारा विमान-चालन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये दिये गये ऋण

5873. कुमारी कमला कुमारी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागर विमानन विभाग ने विमान-चालन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को कितना ऋण दिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकारें भी अपने यहां के उम्मीदवारों को ऋण देती है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना और किन शर्तों पर ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) नागर विमानन विभाग विमानचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए किसी प्रकार के ऋण अथवा छात्रवृत्तियां नहीं देता है तथापि, प्रशिक्षणार्थी व्यक्तिगत रूप से निजी विमान-चालक लाइसेंस स्तर तक के लिए फ्लाइंग क्लबों में उपदान-प्राप्त उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) और (ग) कुछ राज्य सरकारें क्लबों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने व्यक्ति नामित करती है और ऐसे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों द्वारा देय उड़ान शुल्कों

की पूर्ति के लिए छात्रवृत्तियां देती हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किये जाने वाली छात्रवृत्तियों की धनराशि एवं शर्तों के बारे में ठीक ठीक ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं।

पश्चिमी जर्मनी द्वारा पूंजी निवेश

5874. **श्री के० कोंड्डा रामी रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी की सरकार और उसके उद्योगपतियों से हमारे देश को कितनी सहायता मिली और उन्होने हमारे देश में कितनी पूंजी लगाई ; और

(ख) किन-किन उद्योगों के लिए सहायता दी गई है और किन-किन उद्योगों में पूंजी लगाई गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख)

वित्तीय सहायता :

ऋण :

जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने अब तक 544.061 करोड़ ड्यूश मार्क (1681.1 करोड़ रुपये) के ऋण दिये हैं जिसमें 1973–74 के लिए दिये गये ऋण भी शामिल हैं। इनमें 428.930 करोड़ ड्यूश मार्क (1325.4 करोड़ रुपये) सामान और सेवाओं के आयात के लिए तथा 115.131 करोड़ ड्यूश मार्क (355.7 करोड़ रुपये) मूल धन की वापसी अदायगी का पुर्ननिर्धारण करने के लिए ऋण राहत के रूप में हैं। इसके अलावा, जर्मन संघीय गणराज्य से कुल 32.6 करोड़ ड्यश मार्क (100.7 करोड़ रुपये) के सम्भरक ऋण भी प्राप्त हुए हैं। इन ऋणों से इन उद्योगों को लाभ हुआ है : रसायन उर्वरक और पेट्रोरसायन, खनन, इस्पात, मिश्र धातु और विशेष इस्पात, विद्युतशक्ति, मोटरगाड़ी और बिजली इंजीनियरी उद्योग, जहाज और जहाज-निर्माण उद्योग, रेलवे आदि।

अनुदान :

(1) **ऋण राहत :** पहले के ऋणों पर ब्याज प्रभारों के रूप में अब तक 11.86 करोड़ ड्यूश मार्क (36.7 करोड़ रुपये) के अनुदान प्राप्त हुए हैं।

(2) **अनाज सहायता :** अन्तर्राष्ट्रीय अन्न सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1969 में 2.65 करोड़ रुपये के मूल्य के अनुदान प्राप्त हुए थे।

तकनीकी की सहायता :

जर्मन संघीय गणराज्य जर्मन विशेषज्ञों, भारतीयों को प्रशिक्षण की सुविधाओं, और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा, दूरदर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसे क्षेत्रों में उपकरणों और सामान की पूर्ति के रूप में अनुदानों के आधार पर तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। मार्च 1973 के अन्त तक प्राप्त तकनीकी सहायता का कुल अनुमानित मूल्य 12 करोड़ रुपये बैठता है।

निवेश :

मार्च 1970 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार जर्मन संघीय गणराज्य के गैर-सरकारी निवेश की भारत में, दीर्घावधिक पूंजी के रूप में 74 करोड़ रुपये की रकम लगी हुई थी। जिन क्षेत्रों में यह पूंजी लगी है, वे हैं : निर्माण उद्योग, खनन और सेवाएं।

टिप्पणी : वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में उल्लिखित ड्यूश मार्क की रकमों का हिसाब रुपये के सम-मूल्य की चालू विनिमय दर अर्थात् ड्यूश 1 मार्क=3.09 रुपये के अनुसार आंका गया है ।

'बेनलक्स' देशों द्वारा भारत में पूंजी निवेश

5875. **श्री के० कोंड्डा रामी रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "बेनेलक्स" देशों तथा उनके उद्योगपतियों द्वारा देशवार, हमारे देश में कितनी पूंजी लगाई गई है और सहायता दी गई है ; और

(ख) किन उद्योगों के लिए पूंजी लगाई गई है तथा सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख)

निवेश :

बेल्जियम लक्समबर्ग :

भारत में बैल्जियम/लक्समबर्ग के दीर्घकालीन गैर-सरकारी निवेशों की मार्च, 1970 के अन्त में बकाया रकम 9.5 करोड़ रुपये थी। जिन क्षेत्रों में ये निवेश किये गये हैं वे हैं : खनन, निर्माण उद्योग और सेवाएं ।

नीदरलैंडस :

मार्च, 1970 के अन्त तक भारत में दीर्घकालीन गैर-सरकारी डच निवेशों की बकाया रकम 17.5 करोड़ रुपये थी। जिन क्षेत्रों में डच पूंजी लगाई गई है वे हैं: निर्माण उद्योग और सेवाएं ।

सहायता : लक्समबर्ग से अब तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

बैल्जियम :

भारत को बैल्जियम से 1962-63 से ऋण प्राप्त होने शुरू हुए थे और 1965-66 तक ये पूरी तरह सम्भरकऋणों के रूप में थे। अब तक प्राप्त सम्भरकऋणों की कुल रकम 250 करोड़ बैल्जियम फ्रांक (40.5 करोड़ रुपये) है।

एक सरकार से दूसरी सरकार को दिए जाने वाले ऋणों के रूप में बैल्जियम ने 1966-67 से ऋण देने शुरू किए थे और इनकी कुल रकम 131 करोड़ बैल्जियम फ्रांक (21.22 करोड़ रुपये) बैठती है। इस रकम में बैल्जियम से माल और सेवाओं के आयात के लिए 85.5 करोड़ बैल्जियम फ्रांक (13.85 करोड़ रुपये) और ऋण राहत के रूप में 45.5 करोड़ बैल्जियम फ्रांक (7.37 करोड़ रुपये) शामिल है ।

बैल्जियम से आयात की जाने वाली मुख्य मदों में ये शामिल हैं : बड़ी मात्रा में सामान ढोने वाले जहाज; रेलगाड़ियों के इंजन ; क्रास-बार उपकरण; मशीनी औजार; स्वचालित करघे ; उर्वरक और रासायनिक संयंत्रों के लिए उपकरण ; बिजली पैदा करने के उपकरण ; उर्वरक ; इस्पाती रोल ; और कांच उद्योग के लिए कच्चा माल ।

नीदरलैंड :

नीदरलैण्ड, सामान्य प्रयोजन ऋणों और सम्भरक ऋणों के रूप में 1962 से भारत को वित्तीय सहायता देता आ रहा है। अब तक प्राप्त कुल सहायता की रकम 55.93 करोड़ डच गिल्डर (125.44 करोड़ रुपये) है, जिसमें से सामान्य प्रयोजन ऋणों की रकम 46.15 करोड़ डच गिल्डर (103.5 करोड़ रुपये) और सम्भरक ऋणों की रकम 9.78 करोड़ डच गिल्डर (21.94 करोड़ रुपये) है। सम्भरक ऋण अब बन्द कर दिये गये हैं

और इन्हें पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पिछले कुछ वर्षों में सामान्य प्रयोजन ऋणों में, पिछले ऋणों पर ब्याज की दर में कमी के रूप में ऋण राहत का तत्व शामिल है।

इस ऋण के अधीन नीदरलैण्ड से आयात की गयी मुख्य मदों में, उर्वरक संयंत्रों और तलकर्षण के लिए सेवाओं और जानकारी के अलावा बिजली और इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों के लिए उपकरण, संघटक और कच्चा माल; उर्वरक; रासायन, नाइलान का धागा; इस्पात तलकर्षक, नौकाएं (पौटून) आदि शामिल है।

टिप्पणी : इन दोनों देशों द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में बैल्जियम प्रबंध और डच गिल्डर के रुपया सम-मूल्य का हिसाब 1 बैल्जियम फ्रांक = 0.162 रुपये और 1 डच गिल्डर = 2.243 रुपये की मौजूदा केन्दीय दर के अनुसार लगाया गया है।

स्केन्डिनेवियन देशों द्वारा पूंजी निवेश

5876. **श्री के० कोंड्डा रामी रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कैन्डिनेवियन देशों में से प्रत्येक देश और वहां के उद्योगपतियों से सहायता और पूंजी निवेश के रूप में भारत को कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ख) किन-किन उद्योगों में पूंजी निवेश किया गया और किन के लिए सहायता दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख)

निवेश :

1. डेनमार्क :

डैनमार्क के गैर-सरकारी निवेशकों द्वारा लम्बी अवधि के लिए भारत में लगाई गयी पूंजी मार्च 1970 के अन्त में 1.3 करोड़ रुपये की थी। जिन क्षेत्रों में डैनिश पूंजी लगी वे है : निर्माण उद्योग और सेवाएं।

2. नार्वे :

नार्वे के गैर-सरकारी निवेशकों द्वारा लम्बी अवधि के लिए भारत में लगायी गयी पूंजी मार्च 1970 के अन्त में 0.5 करोड़ रुपये की थी। जिन क्षेत्रों में यह पूंजी लगी है वे हैं : निर्माण उद्योग और सेवाएं।

3. स्वीडन :

स्वीडन के गैर-सरकारी निवेशकों द्वारा लम्बी अवधि के लिए भारत में लगायी गयी पूंजी मार्च 1970 के अन्त में 13.7 करोड़ रुपये की थी। स्वीडन की यह पूंजी निर्माण उद्योगों और सेवाओं के क्षेत्र में लगी हुई है।

4. फिनलैंड :

फिनलैंड के गैर-सरकारी निवेशकों द्वारा लम्बी अवधि के लिए भारत में लगायी गयी पूंजी मार्च 1970 के अन्त में 1.7 करोड़ रुपये की थी। फिनलैंड की उक्त पूंजी निर्माण उद्योगों और सेवाओं के क्षेत्रों में लगी हुई है।

सहायता :

1. डेनमार्क :

हम 1969 से डेनमार्क से सहायता प्राप्त करते रहे हैं। अब तक, डेनमार्क ने कुल मिला कर छः ऋण दिये हैं जिनमें कुल 11.50 करोड़ डैनिश क्रोनर (12 करोड़ रुपये) के चार सामान्य प्रयोजन ऋण और 6.00 करोड़ डैनिश क्रोनर (6.25 करोड़ रुपये) के दो खाद्य ऋण हैं। सामान्य प्रयोजन ऋणों का उपयोग डेरी की मशीनों, समुद्री डीजल इंजनों- गैरेज उपकरणों संघटकों और अतिरिक्त पूर्जों और पूंजीगत उपकरण आयात करने के लिए किया गया है नथा खाद्य ऋणों का उपयोग, मुख्यत: दूधचूर्ण (दूध का पाउडर) आयात करने के लिए दिया गया है।

2. नार्वे :

हमने, मीनक्षेत्र उद्योगों के लिए मछली पकड़ने के जहाजों, उपकरणों तथा अतिरिक्त पुर्जोंका आयात करने के उद्देश्य से 1968 में नार्वे से 150 लाख नार्वेजियन क्रोनर (1.64 करोड़ रुपये) का केवल एक ऋण प्राप्त किया था। इस ऋण का एक अंश 1971 में अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया था। इस ऋण में से केवल 16 लाख नावजियन क्रोनर (17.5 लाख रुपये) की रकम उपयोग की गयी थी और शेष राशि व्यपगत हो गयी है।

3. स्वीडन :

स्वीडन, 1964 से भारत को सहायता देता रहा है और अब तक उसने कुल मिला कर 38.10 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (57.61 करोड़ रुपये) की सहायता दी है। चूंकि पिछले दो वर्षों से स्वीडन से ऋणों और खुले अनुदानों के रूप में सहायता मिल रही है, इसलिए अनुदान की राशि का उपयोग केवल स्वीडन से आयात करने के लिए किया जाता है। चूंकि यह सहायता अनाबद्ध है और इसका उपयोग किसी भी देश से आयात करने के लिए किया जा सकता है इसलिए यह सहायता हमारे लिए बहुत मूल्यवान है क्योंकि यह राशि हमारे अपने मुक्त संसाधनों के स्थान पर उपयोग की जा सकती है।

यद्यपि स्वीडन से सामान्य प्रयोजनों के लिए सहायता मिलती है फिर भी 1971 में सहायता का एक अंश, विशेष रूप से डेरी विकास के लिए दिया गया था। स्वीडन ने साइलो (गेहूं गोदाम) परियोजना के लिए 1971 में भी 2.60 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (39.30 करोड़ रुपये) का एक ऋण दिया था। इसके अतिरिक्त, जब भारत को सर्व-प्रथम पहले के ऋणों के सम्बन्ध में व्याज प्रभारों की अदायगी करनी थी तब स्वीडन ने 1972-73 में अनुदान के रूप में 5.1 लाख डालर (0.37 करोड़ रुपये) की ऋण राहत दी थी।

4. फिनलैंड :

फिनलैण्ड से अभी तक वैसी सहायता नहीं मिली है जो एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को दी जाती है।

टिप्पणी :— तीनों देशों द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता के सन्दर्भ में उल्लिखित डैनिश, नार्वेजियन तथा स्वीडिश क्रोनरों का रुपयों में मूल्य वर्तमान केन्द्रीय विनियम दर अर्थात 1 डैनिश क्रोनर=1.043 रुपये, 1 नार्वेजियन क्रोनर=1.095 रुपये और 1 स्वीडिश क्रोनर=1.512 रुपये के अनुसार आंका गया है।

विदेशों द्वारा पूंजी निवेश

*877. **श्री के० कोंड्डा रामी रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में अमरीका, कनाडा, स्विटजरलैण्ड, जापान और आस्ट्रेलिया में से प्रत्येक देश तथा वहां के उद्योगपतियों से कितनी सहायता प्राप्त की गई है और उनके द्वारा कितनी पूंजी निवेश किया गया है ; और

(ख) किन-किन उद्योगों में पूंजी निवेश किया गया है और किन के लिए सहायता दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख)

निवेश :

1. संयुक्त राज्य अमेरिका :

भारत में दीर्घावधिक अमरीकी निवेशों की बकाया रकम मार्च 1970 के अन्त में 426.2 करोड़ रुपया थी। जिन क्षेत्रों में अमरीकी निवेश किये गये, वे हैं : बगान, पैट्रोलियम, निर्माण उद्योग और सेवाएं।

2. कनाडा :

कनाडा द्वारा भारत में किये गये दीर्घावधिक निवेशों की बकाया रकम मार्च, 1970 के अन्त में 20.7 करोड़ रुपया थी।

3. स्विटजरलैण्ड :

भारत में दीर्घावधिक स्विस निवेशों की बकाया रकम मार्च, 1970 के अन्त में 44.5 करोड़ रुपया थी। जिन क्षेत्रों में स्विस निवेश किये गये, वे हैं : वगान, निर्माता उद्योग और सेवाएं।

4. जापान :

भारत में दीर्घावधिक जापानी निवेशों की बकाया रकम मार्च 1970 के अन्त में 65.1 करोड़ रुपया थी। जिन क्षेत्रों में ये निवेश किये गये, वे हैं : पैट्रोलियम, निर्माता उद्योग और सेवाएं।

5. आस्ट्रेलिया :

आस्ट्रेलिया द्वारा किये गये निवेशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी मांगी गयी है जो अभी प्राप्त नहीं हुई ; वह बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

सहायता :

1. संयुक्त राज्य अमेरिका :

संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त ऋण दो विशिष्ट श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं, उदाहरणार्थ

(i) विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण ; और

(ii) रुपयों में चुकाये जाने वाले ऋण।

विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋणों, तथा रुपयों में चुकाये जाने वाले ऋणों की कुल राशि क्रमशः 3015.98 करोड़ रुपया और 5027.63 करोड़ रुपया है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1968-69 से मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज

की अदायगी को स्थगित करके ऋण-राहत सहायता भी दी है। 1971-72 तक कुल 26.20 करोड़ रुपये की ऋण-राहत दी गयी है।

सहायता के आंकड़े उद्योगवार नहीं रखे जाते।

2. कनाडा :

कनाडा से प्राप्त सहायता की कुल रकम 125.079 करोड़ कनाडी डालर (908.70 करोड़ रुपया) बैठती है, जिसमें 53.0544 करोड़ कनाडी डालर (385.44 करोड़ रुपया) ऋणों के रूप में 71.2284 करोड़ कनाडी डालर (517.47 करोड़ रुपया) अनुदानों के रूप में, (जिनमें दो गेहूं ऋण शामिल हैं) और 79.60 लाख कनाडी डालर (5.78 करोड़ रुपया) ऋण-राहत के रूप में है।

कनाडा द्वारा जिन मुख्य उद्योगों को सहायता मिली है वे इन क्षेत्रों में हैं—सिंचाई और बिजली, संचार, परिवहन, पैट्रोलियम और खनिज विकास, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान आदि। कनाडा ने कच्चे माल सहित खाद्य वस्तुओं, उर्वरकों तथा औद्योगिक वस्तुओं के आयात के लिए भी सहायता दी है।

3. स्विटज़रलैण्ड :

स्विटज़रलैण्ड भारत को 1960 से सहायता दे रहा है और अब तक इस देश से कुल 30 करोड़ स्विस फ्रांक (56.88 करोड़ रुपया) की सहायता प्राप्त हो चुकी है। कुल आयातों की लागत का 10 प्रतिशत भाग भारत सरकार अपने ही मुक्त साधनों से वहन करती है और शेष 90 प्रतिशत की वित्त-व्यवस्था ऋण के अन्तर्गत की जाती है। 3.5 करोड़ स्विस फ्रांक के उस विकास ऋण के अन्तर्गत किये जाने वाले आयातों को छोड़ कर, जो ओबरा-सुल्तानपुर-लखनऊ की 400 किलो वोल्ट की प्रेषण योजना के साथ आबद्ध है, ऋण की सारी रकम केवल स्विटज़रलैण्ड में तैयार वस्तुओं के आयात के लिए उपलब्ध है। स्विस ऋण के अन्तर्गत आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं हैं, बिजली के उपकरण जिनमें ट्रांसफार्मर शामिल हैं, मशीनी औजार, सूक्ष्म औजार, वस्त्र उद्योग की मशीनें, और लट्ठे बनाने के उपकरण।

4. जापान :

जापान भारत को भारत सहायता संघ के सदस्य के रूप में 1958 में संघ की स्थापना के समय से ही ऋण दे रहा है। मार्च 1973 के अन्त तक जापान द्वारा दी गई सहायता की कुल रकम 275.574 अरब येन (661.38 करोड़ रुपय) थी जिसमें —

(i) 231.064 अरब येन (554.55 करोड़ रुपये) की रकम जापान से सामान और सेवाओं का आयात करने के लिए ; और

(ii) 44.51 अरब येन (106.83 करोड़ रुपये) की रकम ऋण-राहत के लिए है।

2.70 लाख येन (465 लाख रुपये) की बाकी थोड़ी सी रकम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की बम्बई उच्च परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। उपर्युक्त के अलावा, 1958 से 1971 के वर्षों में जापान ने कुल 75 अरब येन (180 करोड़ रुपये) के सम्भरक ऋण भी दिये हैं।

1973-74 के चालू वर्ष के लिए जापान की सरकार ने 33 अरब येन (79.2 करोड़ रुपये) की रकम की पेशकश की है जिसमें 7.022 अरब येन (16.8 करोड़ रुपये) वस्तु सहायता, 14.978 अरब येन (36 करोड़ रुपये) ऋण-राहत और 11 अरब येन (26.4 करोड़ रुपये) परियोजना-सहायता के रूप में हैं। करारों पर अभी हस्ताक्षर किये जाने हैं।

जापानी ऋणों से लाभान्वित उद्योग ये हैं : उर्वरक सहित रसायन, खनन और धातु कर्मक उद्योग, विशेष और मिश्रित इस्पात, बिजली, वस्त्र, जहाज और जहाज-निर्माण, तेल, पैट्रोरसायन आदि ।

5. आस्ट्रेलिया :

आस्ट्रेलिया ने भारत को कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष अनुदानों और तकनीकी सहायता के रूप में सहायता दी है। अभी तक आस्ट्रेलिया से ऋण के रूप में कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

टिप्पणी : इन देशों से प्राप्त सहायता के सन्दर्भ में अमरीकी डालर, कनाडी डालर, स्विस फ्रांक, जापानी येन के बराबर के रुपयों का हिसाब 1 अमरीकी डालर = 7.50 रुपये ; 1 कनाडी डालर = 7.265 रुपये ; 1 स्विस फ्रांक = 1.396 रुपये और 1 येन = 0.024 रुपये की दर से लगाया गया है।

रूस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों द्वारा भारत में किया गया पूंजी निवेश

5878. **श्री के० कोंड्डा रामी रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में से प्रत्येक द्वारा हमारे देश में लगाई गई पूंजी और देश को उसके द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) किन-किन उद्योगों में पूंजी लगाई गई है तथा किन-किन उद्योगों के लिए सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) नीचे की सारणी में, भारत को रूस तथा अन्य पूर्व-यूरोपीय देशों से अब तक प्राप्त ऋणों का देशवार व्यौरा दिया गया है।

(करोड़ रुपयों में)

देश का नाम	अब तक हस्ताक्षरित ऋण-करारों की कुल रकम	31-10-73 को दिये गये संविदाओं का मूल्य
सोवियत संघ	1,021.14	765.17*
बल्गारिया .	11.25	2.25
चेकोस्लोवाकिया .	176.20	92.91
हंगरी . .	25.00	4.86
पौलैण्ड .	38.16	38.16
रूमानिया . .	20.15†	20.15
युगोस्लाविया . .	59.64	59.64
जोड़ .	1,351.54	983.14

*765.17 करोड़ रुपये के आंकड़े 30-9-1973 तक दिये गये संविदाओं के हैं।

†ऋण की कुल रकम अनिर्दिष्ट है लेकिन अभी तक 20.15 करोड़ रुपये तक का उपयोग किया गया है ।

इसके अतिरिक्त सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ और अन्य पूर्व यूरोपीय देशों से सामान्य वाणिज्यिक शर्तों पर आस्थिगत अदायगी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ।

(ख) निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों के उद्योगों के लिये उपर्युक्त सहायता दी गयी है :

लोहा और इस्पात ;

भारी उद्योग, जैसे भारी मशीनें बनाने के कारखाने, कोयला खनन यंत्र बनाने के कारखाने आदि ;

बिजली के सामान के निर्माण के लिए मशीन ;

तेल की खोज और उत्पादन, जिसमें तेल परिष्करणशालाओं की स्थापना शामिल है ;

अलौह धातुएं ;

फल और सब्जी संसाधन ;

औषध और रसायन ;

मशीन औजारों के निर्माण के लिए उपकरण ;

उर्वरक कारखानों के लिए उपकरण ;

दूर संचार उपकरण (सूक्ष्म तरंग उपकरणों की खरीद) ;

बिजली का सामान और फ्लूरोसेंट लैम्पों के निर्माण के लिए मशीनें ;

कोयला खनन मशीनें और उपकरण ;

समुद्री जहाजों की खरीद ;

विद्युत संयंत्रों की खरीद ।

सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि

5879. श्री एम० कतामुतु :

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या वाणिज्य मंत्री 24 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही की है ; और

(ग) सूती कपड़े के निर्यात के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) चालु वर्ष के दौरान सूती कपड़े के निर्यात विगत वर्ष की अपेक्षा बेहतर रहे हैं । जनवरी-सितम्बर, 1973 के दौरान निर्यात बढ़कर 155.16 करोड रुपये तक पहुंच गए जबकि 1972 में इसी अवधि के दौरान ये 125.38 करोड़ रु० के थे ।

Financial Assistance to States

5880. **Shri Chandu Lal Chandrakar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have asked for assistance from the Central Government in proportion to the population of the State ;

(b) if so, the main features thereof ;

(c) whether Government will consider giving help to the backward classes of Madhya Pradesh on the same basis ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of the State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No such request has been received by the Government of India.

(b) to (d) Does not arise.

Co-operation by Private Companies in the Operation of Skeleton Air Service due to Lock-out in Indian Airlines

5881. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether as a result of lock-out in the Indian Airlines, private companies extended their co-operation in the operation of the skeleton air service ; and

(b) if so, the income earned as a result thereof ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir. Certain private operators have been allowed to operate non-scheduled services on a day to day basis on some Indian Airlines routes.

(b) Information regarding the income earned by these private operators is being collected.

नई दिल्ली में खनिज तथा धातु व्यापार तथा राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण पर हुआ व्यय

5882. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण पर क्वार्टर–वार तथा टाईप–वार, कितना धन व्यय हुआ है ;

(ख) घटिया सामग्री को बदलवाने के लिए कितना भुगतान रोका गया तथा ठेकेदारों और वास्तुशिल्पों को अब तक अलग अलग कितना भुगतान किया गया ;

(ग) कितने ठेकेदारों तथा वास्तुशिल्पियों को ठेके दिए गए तथा इस कार्य को पूरा करने के लिए अलग–अलग कितना समय निर्धारित किया गया ;

(घ) नई दिल्ली में खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम के आवास कालोनी में उस के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए विभिन्न साधनों से कितनी मात्रा में नियंत्रित सामग्री प्राप्त की गई थी तथा उसका मूल्य कितना था ; और

(ङ) क्या ठेकेदारों ने समय पर काम को पूरा कर दिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने में विलम्ब के कारण निगमों को कितनी हानि उठानी पड़ी तथा निर्माण कार्य के पूरा होने की तिथि क्या है और कर्मचारियों को वस्तुत: क्वार्टरों का आवंटन किस तिथि को किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अनुमानित लागतें इस प्रकार हैं :—

टाइप–ए .	13,330 रु० प्रति क्वार्टर	(सीढ़ी तथा गलियारे सम्मिलित क्षेत्रों सहित)
टाइप–बी .	13,700 रु० प्रति क्वार्टर	वही
टाइप–सी .	18,600 रु० प्रति क्वार्टर	वही
टाइप–डी .	39,000 रु० प्रति क्वार्टर	(सीढ़ी तथा गलियारे के सम्मिलित क्षेत्रों तथा स्टिल्ट फर्शों सहित)

(ख)

क्वार्टर का टाइप	रोकी गई राशि सभी टाइप के क्वार्टरों के लिए	सभी टाइप के क्वार्टरों के लिए ठेकेदारों को किया गया भुगतान	सभी टाइप के क्वार्टरों के लिए अब तक वास्तुशिल्पियों को किया गया भुगतान
	रु०	रु०	रु०
ए .	23,000	20,16,500	6,06,466
बी .	22,000	35,92,167	..
सी .	45,000	22,72,546	..
डी .	24,000	37,68,000	..

(ग)

क्वार्टर का टाइप	ठेकेदार का नाम	निर्माण पूरा करने के लिए निर्माण समय
ए	मेसर्स इस्टर्न कन्स्ट्रक्शन कं०	22-1-1972
बी	मेसर्स बी० डी० शर्मा अन्ड कं०	5-9-71 (3 ब्लॉक्स) 5-11-71 (3 ब्लॉक्स) 5-1-72 (4 ब्लॉक्स)
सी . .	मेसर्स इन्दरसिंग भंडारी अँन्ड सन्स	22-1-1972
डी . .	मेसर्स वैश ब्रदर्स अँन्ड कं० (प्रा) लि०	24-9-1072

सभी क्वार्टरों के लिये वास्तुशिल्पी मेसर्स मास्टर, साठे और कोठारी, नई दिल्ली थे।

(घ)

	मात्रा (मे० टन)	लागत (रुपये)
(1) एम० एस० बार्स . .	131.500	1,88,339.00
(2) सीमेंट . . .	9,468.55	17,90,059.24

(ङ) भारत–पाक युद्ध के कारण सामग्री श्रमिकों तथा परिवहन आदि की दुर्लभता से क्वार्टरों के तैयार होने में कुछ देरी हुई है। क्वार्टरों के तैयार होने में देरी होने का अर्थ यह नहीं लगाया गया है कि उससे निगमों को कोई हानि हुई है, क्यों कि विलम्ब तो अनिवार्य ही था।

तैयार होने तथा स्टाफ को आवंटन की तारीखें नीचे दी जाती है :—

		पूरा होने की वास्तुशिल्पी द्वारा प्रमाणित तारीख	स्टाफ को किये गए वास्तविक आवंटन की तारीख	
			ख० तथा वा० व्या० नि०	रा० व्या० नि०
टाइप ए	.	15–3–1973	19–2–1973	1–7–73
टाइप बी	.	15–11–1972 (3 ब्लाक)	4–11–72 23–12–72	1–7–73
		15–11–1972 (3 ब्लाक) 15–3–1973 (4 ब्लाक)	..	1–7–73
टाइप सी	.	31–3–1973	27–6–1973	1–7–73
टाइप डी	.	काम चल रहा है। 31–3–1974 तक तैयार हो जाएंगे ।	पूरे होने की संभावना है ।	

दिल्ली में आने वाले पर्यटकों तथा दर्शकों को कुशल परिवहन की सुविधा देने का प्रस्ताव

5883. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली आने वाले पर्यटकों तथा दर्शकों को जिन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सुविधापूर्ण तथा तेज रफ्तार के सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परिवहन व्यवस्था की मुख्य बातें क्या है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम तथा निजी चालकों द्वारा सड़क परिवहन सुविधाएं डी० एल० जैड०/डी० एल० वाई० टैक्सियां तथा पर्यटक कोचें प्रदान की जाती है। इन सुविधाओं में समय समय पर आवश्यकतानुसार वृद्धि कर दी जाती है। दिल्ली परिवहन निगम भी जो कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवायें परिचालित करता है, विशेष पर्यटक बसें चलाकर पर्यटकों तथा दिल्ली-दर्शकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से आयात तथा उनको निर्यात

5884. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में (जनवरी से नवम्बर तक) युरोपीय आर्थिक समुदाय के नौ देशों को किन वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा वहां से किन वस्तुओं का आयात किया गया ; और

(ख) यह आयात तथा निर्यात कितने-कितने मूल्य का हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) केवल मई 1973 तक के ही आंकड़े ही उपलब्ध हैं। जून-मई, 1973 की अवधि के दौरान यू० आ० स० के देशों को भारत से निर्यातों और उनसे आयातों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपये)

देश	आयात	निर्यात
बेल्जियम	24.39	15.74
फ्रांस . .	16.00	20.37
जर्मन संघीय गणराज्य	64.11	27.03
इटली .	19.64	22.83
लक्जेमबर्ग	नगण्य	नगण्य
नेदरलैंड	15.41	15.98
ब्रिटेन .	94.17	80.42
डेनमार्क	0.85	2.44
आयरलैंड	नगण्य	2.53
योग .	234.57	187.34

उपर्युक्त देशों के संबंध में वस्तुवार ब्यौरे हाल फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी व्यय में मितव्ययता

5885. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी व्यय में मितव्ययता लाने के बारे में सरकार द्वारा हाल ही में घोषित योजनाओं को उचित तरीके से तथा पूरी तरह से लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा 1 अगस्त, से 30 नवम्बर, 1973 के पांच महीनों के दौरान कितना धन बचाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6098/73**]

पर्यटन होस्टलों का निर्माण करने का प्रस्ताव

5886. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपेक्षाकृत कम आय वाले हजारों विदेशी पर्यटकों तथा विशेषकर विद्यार्थियों के लिए देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यटक होस्टलों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) इस श्रेणी के पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधीष्ठ पर्यटक होस्टलों तथा पर्यटक बंगलों के निर्माण के लिए 1973–74 के दौरान सरकार का कार्यक्रम नीचे दिया गया है :—

1. पर्यटक होस्टल : 15

(अमृतसर, औरंगाबाद, भोपाल, डलहौज़ी, दार्जीलिंग, गांधी नगर, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, नैनीताल पणजी, पंचकुला, पटनी, टॉप, पुरी तथा त्रिवेन्द्रम)

2. पर्यटक बंगले : 11

(धर्मशाला, दार्जीलिंग, गौहाटी, जैसलमेर, लुधियाना, मंत्रालय, पोरबन्दर, रामेश्वरम, साहिबी नदी, सूरज कुंड तथा वारंगल)

युवा होस्टलों, पर्यटक बंगलों, होटलों, शिबिर स्थलों आदि के लिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में हाथ में लिए जाने वाले नए निर्माण-कार्यों के ब्यौरे विचाराधीन हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चालू वर्ष के दौरान बचत का लक्ष्य

5887. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष के लिये निर्धारित बचत लक्ष्य प्राप्त कर लिये जाएंगे ; और

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1973 के अन्त तक के बचत के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–6099/73**]

Arrears of Taxes against Shareholders of Maruti Ltd.

5888. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the shareholders having shares of Rs. 1,000 or more in the Maruti Ltd., who are in arrears of taxes ;

(b) the amount of taxes outstanding against each of them ;

(c) the nature of taxes which are outstanding for more than three years ; and

(d) the measures taken to realise those outstanding taxes and what further action is proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

आयुर्वेदिक औषधियों के निर्यातकों को दी गई नकद सहायता

5889. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 के दौरान आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करके निर्यात करने वालों को कुल कितनी नकद सहायता दी गई ;

(ख) आयुर्वेदिक औषधियों के निर्यातकों को इस समय क्या निर्यात–प्रोत्साहन दिया जाता है अथवा देने का विचार है ; और

(ग) ऐसी औषधियों के पंजीकृत निर्यातकों के नाम तथा पते क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नकद सहायता के भुगतान के बारे में जानकारी "रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों" के ग्रुप के लिए समग्र रूप में रखी जाती है और अलग से वस्तुवार नहीं ।

(ख) आयुर्वेदिक औषधियों अलग से वर्गीकृत नहीं है । रेड बुक खंड 2 में इंडेक्स के अनुसार आयुवदिक औषधियों राज्य औषधियां नियंत्रक द्वारा (इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित एक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित) बी० II. I. (औषधियां तथा औषधी मध्यवर्ती पदार्थ) के अन्तर्गत वर्गीकृत है, जिन पर 20 प्रतिशत निर्यात प्रतिपूर्ति तथा 20 प्रतिशत नकद सहायता दी जाती है ।

(ग) आयुर्वेदिक औषधियों के कुछ रजिस्टर्ड निर्यातकों के नाम तथा पते संलग्न सूची में दिये गये है ।

विवरण

1. मैसर्स बोरिंगर-नैल लि०, बम्बई ।
2. मैसर्स हमदर्द (बक्फ) लबोरेट्रीज, दिल्ली ।
3. मैसर्स जे० हेमचन्द एण्ड कम्पनी, बम्बई ।
4. मैसर्स जे० नागिनदास एण्ड कं०, बम्बई ।
5. मैसर्स केसरी कुटीराम प्रा० लि०, मद्रास ।
6. मैसर्स नवरत्न फर्मासियुटिकल्स लबोरेट्रीज़, कोचिन ।
7. मैसर्स पैसिफिक ट्रेडर्ज, बम्बई ।
8. मैसर्स सपत एण्ड कं०, बम्बई ।
9. मैसर्स रत्नसभापति चेट्टियार एण्ड सन्स, नागापत्तिनम ।
10. मैसर्स दि रेक्स ट्रेडिंग कं०, मद्रास ।
11. मैसर्स दि कलकत्ता केमिकल्स कम्पनी लि०, कलकत्ता ।
12. मैसर्स झंडु फर्मासियुटिकल्स वर्क्स लि०, बम्बई ।

छोटे किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋण देने के लिये योजनाएं बनाना

5890. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे किसानों को विभिन्न प्रकार के ऋण देने के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको ने क्या योजना अथवा योजनाएं बनाई हैं ;

10—35 L.S.S. (ND)/73

(ख) क्या बैंकों के अधिकारियों को यह काम सौंपा गया है कि वे ऋण देने के लिए सीधे छोटे किसानों के पास जाए और ऋण संबंधी औपचारिकताएं पूरी करें ; और

(ग) क्या सरकार ने छोटे किसानों द्वारा ऋण लिये जाने और उसका भुगतान किये जाने में उनकी सहायता करने हेतु विभिन्न बैंकों के फील्ड कर्मचारियों को स्थान स्थान पर नियुक्त करने की व्यवहारिकता पर कभी विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक छोटे किसानों सहित कृषक समुदाय के लिये ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। इनमें फसल ऋणों के लिये दिये गये अल्पावधिक ऋण और विभिन्न कृषि कार्यों तथा अन्य सहायक कार्यों के लिये दिये जाने वाले सावधिक ऋण शामिल हैं। अधिक से अधिक लघु सीमान्तिक कृषकों और कृषि श्रमिकों को इन ऋणों की व्यवस्था को सुनिश्चयन करने के लिये बैंक अपने आप ही लघु कृषक विकास अभिकरणों/सीमान्तिक कृषक कृषि श्रमिक अभिकरणों के साथ सहयोग कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक समूह इन क्षेत्रों में अपनी कृषि विकास शाखाएं स्थापित करने को तरजीह दे रहे हैं। बैंकों ने विभिन्न क्षेत्रों में कृषक सेवा समितियां भी स्थापित करनी शुरू कर दी हैं ताकि लघु/सीमान्तिक कृषकों के अधिक से अधिक क्षेत्र को इन सुविधाओं के अन्तर्गत लाया जा सके।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लघु/सीमान्तिक कृषकों और कृषि श्रमिकों को कई प्रकार की रियायतें दी हैं जो इस प्रकार हैं :—जोत के आकार के अनुसार ब्याज की रियायती दरें लेना, पात्र वर्गों को ब्याज की विभेदी दरों पर ऋण देना तथा इन कृषकों से प्राप्त ऋण के विभिन्न प्रस्ताओं पर उनके द्वारा किये गये कानुनी व्यय को ऋणों में शामिल करना, भूमि बन्धक रखने के लिये जोर न देते हुए किसी निश्चित सीमा तक ऋण की व्यवस्था करना; सामूहिक गारण्टी आदि के अधीन ऋण देना आदि। बैंक के क्षेत्रीय कर्मचारियों को कृषकों के ऋण आवेदनपत्रों के फार्मों को ठीक प्रकार से भरने में तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता करने का कार्य सौंप दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार भी बैंकों से आग्रह कर रहे हैं कि वे अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र में अपनी ऋण सुविधाओं का विस्तार करें और विशेष रूप से लघु/सीमान्तिक कृषकों को अपनी उनकी उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऋण प्राप्त करने में सहायता दें।

Reduction in Expenditure

***5891. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the manner in which the expenditure has been reduced in the country indicating the names of the items on which the expenditure has been reduced and the total amount of expenditure likely to be reduced during this Budget year ; and

(b) whether as a result of economy drive the work relating to any project has either been abandoned or its pace slowed down due to paucity of funds and in case the work has been abandoned or its pace slowed down, the names of such projects ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) : A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library See No. L. T.* 6100/73]

Seizure of Gold and Currency during Raid by Income-Tax Authorities in Shahbad

5892. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the income-tax authorities recovered gold, silver and currency notes to the tune of Rs. 10.15 lakhs from Shahbad town during the month of November, 1973;

(b) if so, the name of the person from whose house these were recovered ; and

(c) the action taken against the owner of the house from which these were recovered?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) As a result of searches made by the Income-tax authorities on the 8th and 9th November, 1973 in the residential and business premises of Messrs Surkutti Lal Devi Dayal, Shahbad the following assets were seized :—

	Rs.
Cash . . .	30,000
Gold ornaments .	1,40,000
Silver ornaments .	38,300

(c) Proceedings under Section 132(5) of the Income-tax Act, 1961 are in progress.

Emoluments of Technicians in Indian Air Force and Indian Airlines

5893. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the maximum emoluments which an I.A.F. Technician gets at the time of his retirement from service at present as also the emoluments which the Technician of the Indian Airlines gets at the time of his appointment and retirement and the reasons for disparity in their emoluments ?

The Minister of Communication, Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : The entire pay structure of I.A.F. service personnel below officer rank is based on the pay of the fully trained infantry soldier who at present is equated with a person described as a semi-skilled worker by the First Pay Commission. These personnel are entitled to concessions in the shape of free rations, free accommodation, service uniform etc. subject to prescribed regulations. Their terms and conditions of service are different from those of technicians of Indian Airlines and as such it may not be realistic to compare the emoluments of I.A.F. technicians with those of the technicians of Indian Airlines which is a commercial enterprise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में लघु उद्योगों को दिया गया ऋण

5894. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री 30 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2870 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों को ऋण देने के संबंध में उत्तर बिहार के दरभंगा; सहरसा, चम्पारन तथा अन्य जिलों की घोर उपेक्षा करने और उसके पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और उनको बिहार के अन्य जिलों तथा देश के शेष भागों के समकक्ष लाने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) कितने नये लघु उद्योगों को ऋण दिये गये है तथा जिलावार कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं तथा कितनी अवधि से पड़े हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) किसी क्षेत्र में लघु उद्योग एककों को मिलने वाले बैंक ऋण की सीमा उस क्षेत्र में ऐसे एककों की संख्या और उनके किस्म पर निर्भर करती है और यह साधनों की उपलब्धी, तकनीकी और परामर्शदात्री सेवाओं की उपलब्धी, आधारभूत सुविधाओं, उद्यमकर्ताओं आदि जैसे कारणों पर आधारित होती है। वित्तीय संस्थान, अपनी ओर से लघु औद्योगिक एककों को, विशेष करके बैंक रहित क्षेत्रों में जिसमें बिहार राज्य शामिल है, ऋण की उपलब्धी में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय

कर रहे हैं। 1970 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बिहार राज्य का सर्वेक्षण करने के लिए एक अन्तर–संस्थागत अध्ययन दल की स्थापना की थी जिसका कार्य उस राज्य में औद्योगिक विकास की गुंजाइश का मुल्यांकन करना था। इस अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रश्न पर एक अन्तर–संस्थागत दल विचार कर रहा है। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को संगठित करने, विकास केन्द्रों की स्थापना करने, और राज्य में सक्षम केन्द्रों में नयी औद्योगिक बस्तियों के निर्माण कार्य करने के लिए एक तकनीकी परामर्शदात्री केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) बैंकों में जिस तरह आंकड़े रखे जाते हैं उस वर्तमान व्यवस्था में वित्त पोषित नये एककों की संख्या अथवा अनिर्णित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या के संबंध में सूचना संकलन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। दिसम्बर, 1972 के अन्तिम शुक्रवार तक बिहार राज्य के उत्तरी जिलों में लघु उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया रकमों से सम्बन्धित जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे नीचे दिये गये हैं :—

जिला	बकाया रक़म (लाख रुपयों में)
1. चम्पारण (पूर्वी चम्पारण और पश्चमी चम्पारण) .	27
2. दरभंगा (मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर) . .	14
3. मुजाफरपुर (सीमामढ़ी मुजफरपुर और वैशाली) . . .	40
4. पूर्णिया (कटिहार और पुर्णिया)	72
5. सहरसा	7
6. सरन (शिवान और सरन)	16

(नये जिलों के नाम कोष्ठों में दिये गये हैं)

जीवन बीमा निगम द्वारा "अपना घर बनाओ योजना" के अन्तर्गत राज्यों को दिये गये ऋणों की राशि

5895. श्री माधुर्य हालदर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान 'अपना घर बनाओं योजना' के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशिला रोहतगी) : जीवन बीमा निगम, "अपनी मालिकी का घर बनाओ" योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को ऋण नहीं देती। यह ऋण व्यक्तिगत पालिसी धारियों को दिये जाते हैं। पूर्ववर्ती तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में "अपनी मालिकी

का घर बनाओ योजना" के अन्तर्गत जो ऋण मंजूर किये गये हैं उनका विवरण नीचे दिया गया है :—

राज्य	1970-71	1971-72	1972-73
1. आंध्र प्रदेश . .	26,68,000	48,01,000	39,46,000
2. असम (जिसमें मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल है)	14,92,000	15,94,000	17,67,000
3. बिहार . .	11,71,500	16,23,500	18,03,000
4. गुजरात .	22,31,500	22,28,000	32,64,000
5. केरल . .	9,64,500	18,73,500	20,30,500
6. मध्य प्रदेश .	16,11,200	20,39,500	20,80,500
7. महाराष्ट्र . . . (संघ राज्य क्षेत्र गोवा को शामिल कर के)	31,06,000	37,36,250	35,04,000
8. कर्नाटक . .	26,48,500	34,01,000	43,60,300
9. उड़ीसा . . .	3,00,000	5,59,000	7,12,500
10. पंजाब . . . (इसमें जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के राज्य शामिल हैं)	19,99,000	23,30,000	18,02,000
11. राजस्थान . .	18,67,500	20,87,000	21,77,500
12. तमिलनाडु . . . (इसमें संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी शामिल है)	68,07,100	99,46,600	99,48,900
13. उत्तर प्रदेश .	33,63,500	35,97,500	45,31,000
14. पश्चिम बंगाल . .	13,47,800	10,11,500	9,81,000
15. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली . . (इसमें हरियाणा राज्य शामिल है)	82,92,000	96,78,000	74,57,000
16. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ . (इसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य अंशतः शामिल हैं)	13,38,500	12,27,000	7,75,000

भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार करार

5896. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'भारत सहायता सार्थ समूह' के अधीन वर्ष 1973-74 के लिये भारत और बेल्जियम के बीच अब तक किए गए करार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपरोक्त सहायता को देश में, राज्यवार, किस प्रकार वितरित किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत और बेल्जियम की सरकारों के बीच 19 अक्टूबर, 1973 को ब्रसेल्स में 25 करोड़ बेल्जियम फ्रांक (केन्द्रीय विनियम दर के अनुसार 4.05 करोड़ रुपये) की रकम के लिये एक सामान्य प्रयोजन ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस ऋण की रकम में ऋण राहत सहायता की 750 लाख बेल्जियम फ्रांक (121.5 लाख रुपये) की राशी शामिल है जो नकद मिलेगी इस ऋण पर 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज लगेगा और यह 10 वर्ष की रायायति अवधि सहित 30 वर्षों में वापस चुकाया जायेगा।

(ख) इस ऋण का उपयोग भारत में उद्योगों के लिये पुंजीगत उपकरणों, कच्चे माल तथा अतिरिक्त पुर्जों और संघटकों के आयात के लिये किया जायेगा। ऋण की रकम का राज्यवार कोई वितरण नहीं किया गया है।

1972-73 में चिथड़ों का आयात

5897. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972-73 के दौरान चिथड़ों के नाम पर कितने वस्त्रों का आयात किया गया तथा बाजारमें बेचा गया;

(ख) अब तक चिथड़ों के रूप में बेचे जाने वाले आयातित वस्त्रों से संबंधित कितने मामले पकड़े गए हैं; और

(ग) इन मामलों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) चिथड़ों के रूप में पहनने योग्य आयातित कपड़ों के दुरुपयोग के मामलों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत संबंधित आयात लाइसेंसों की शर्तों के उल्लंघन में आयातित ऊनी चिथड़ों की गैर-प्राधिकृत बिक्री के अबतक 10 मामले लुधियाना की 10 फर्मों के विरुद्ध दर्ज किए हैं। इन 10 मामलों में से एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने के लिये लाइसेंसिंग प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। एक दुसरे मामले में आयातित माल की अवैध बिक्री के संबंध में जांच रिपोर्ट पर उनके द्वारा वैधानिक जांच की जा रही है। शेष मामलों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों के विमानों की पालम हवाई अड्डे पर फंस जाना

5898. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों के अनेक विमान हाल ही में पालम हवाई अड्डे पर उड़ान के समय या उतरते समय फंस गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं की कोई जांच कराई है ; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) निकट अतीत में ऐसे दो मौके आए हैं जब विमान विमानचालकों को गलती के कारण पालम के धावनपथ का अतिलंघन कर आगे निकल गए । दोनों ही मामलों में विमान (एक बी०-747 तथा एक बी०-707) क्षतिग्रस्त नहीं हुए तथा उन्हें खींचकर सुरक्षित निकाल लिया गया । इन दुर्घटनाओं की कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

24 मार्च, 1973 को अन्य व्यक्तियों की टिकटों पर यात्रा करने के सम्बन्ध में जांच

5899. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री अन्य व्यक्तियों की टिकटों पर यात्रा करने पर 24 मार्च, 1973 को मीनाम्बकम हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के बारे में 17 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8376 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1973 को अन्य व्यक्ति की टिकटों पर यात्रा करने के संबंध में मद्रास में पुलिस द्वारा की जा रही जांच का काम पुरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) मद्रास पुलिस अधिकारियों ने संबंधित यात्रियों के विरुद्ध जालसाजी का केस रजिस्टर किया है और इसके परिणाम की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

सूती धागे का वितरण

5900. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती धागे के वितरण पर नियंत्रण के मामले में हाल में कोई ढ़ील दिये जाने की घोषणा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित वर्गों तथा विवरणों के सूत के वितरण पर कानूनी नियंत्रण में ढील दी गई है :—

(1) 80 एस तथा उस से कम काऊंट का सूत,

(2) 80 एम तथा उससे कम काऊंट का 2 प्लाई वाला फोल्डेड सूत,

(3) सभी काऊंटों का 3 प्लाई तथा उससे अधिक प्लाइयों वाला फौल्डेड सूत,

(4) ब्लेंडेड धागा, जिसमें 33 1/3 प्रतिशत अथवा अधिक मानव-निर्मित सेल्यूलोसिक अथवा गैर-सेल्यूलोसिक, प्राकृतिक रेशम अथवा उनी रेशा मिला हुआ हो,

(5) मिश्रित धागा अर्थात् एक ही हैंक या कोन में विभिन्न काउंटों का धागा हो, और

(6) हार्ड वेस्ट ।

तथापि, उपर्युक्त वर्गों तथा विवरणों के संबंध में दी गई ढीलों से किन्हीं ऐसी पक्की वचनबद्धताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पहले ही वस्त्र आयुक्त के साथ की जा चुकी हों ।

बम्बई और मंगलौर के बीच बोइंग 737 विमान की उड़ान

5901. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई और मंगलौर के बीच बोइंग 737 विमान चलाया जाने लगा है;

(ख) क्या नैवीगैशनल सुविधाओं और धावनपथ में थोड़ा सा सुधार कर देने से वर्षा ऋतु में भी बोइंग 737 विमान मंगलौर हवाई अड्डे पर उतर सकता है; और

(ग) क्या बरास्ता गोवा बंगलौर से बम्बई तक नियमित सेवा के रूप में बोइंग 737 विमान चलाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) एक नियमित बोइंग सेवा (उड़ान आई० सी० 163/164-बम्बई-गोवा-मंगलौर) 17-9-1973 से चालू की गयी थी जो कि इण्डियन एयरलाइंस में तालाबंदी के कारण अस्थायी तौर पर निलंबित करनी पड़ी है

वर्षा ऋतु के दौरान बोइंग सेवाओं का परिचालन करने के लिए मंगलौर के विमानक्षेत्र तथा सम्बद्ध सुवि ाओं में पर्याप्त सुधार करने की आवश्यकता होगी ।

विदेशों में भारतीय पटसन वस्तुओं के लिये कड़ी प्रतियोगिता

5902. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय पटसन वस्तओं के लिये कड़ी प्रतियोगिता है; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने हाल ही में हैसियन तथा कालीन अस्तर वस्त्र पर निर्यात शुल्कों में कमी की घोषणा की है । टाट पर निर्यात शुल्क को हटा दिया गया गया है । लागतों को कम करने और निष्पादन स्तरों को सुधारने के लिये गवेषणा तथा विकास को गहन बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत के विदेश व्यापार में 1.85 करोड़ रुपये का अधिक व्यापार

5903. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'इकानामिक टाइम्स' दिनांक 4 सितम्बर 1973 में प्रकाशित इस आशय के समाचार को पढ़ा है कि मार्च 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत के विदेश व्यापार में 1.85 करोड़ रुपये के अधिक व्यापार का होना बात थी; और

(ख) यदि हां तो इस समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1972-73 के व्यापार अधिशेष का होना सही बात थी ।

(ख) वाणिज्यिक जानकारी तथा असंकलन महानिदेशक द्वारा प्रकाशित सीमाशुल्क आंकड़ों के आधार पर 1972-73 के दौरान निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि तथा आयातों में थोड़ी सी कमी के परिणामस्वरूप भारत के पक्ष में 164 करोड़ रु० का व्यापार अधिशेष था ।

Central Assistance to Rajasthan under the Famine Relief Programme

5904. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the nature of the Central assistance provided to Rajasthan under the famine relief programme during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The financial assistance given to Rajasthan during the last three years towards brought relief expenditure is as under :

(Rs. in crores)

Year	Loan	Grant	Total
1970—71	19.50	5.51	25.01
1971—72	..	..	..
1972—73	9.10	1.90	11.00@

@Includes assistance for flood relief expenditure.

लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये जर्मन सहायता

5905. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने शीघ्र परिणाम देने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये भारत सरकार को सहायता की पेशकश की है; और

(ख) क्या सरकार ने से इस पेशकश को मंजुर कर लिया है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) जर्मन संघीय गणराज्य ने लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये कोई विशेष सहायता देने की पेशकश नहीं की है । किन्तु जर्मन संघीय गणराज्य के आर्थिक सहयोग मंत्री डा० एरहार्ड रपलर ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में हाथ में लिये जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये भारत को सहायता देने के बारे में अपनी इच्छा तथा पश्चिमी जर्मन सरकार की अभिकार्य व्यक्त की थी । जर्मन संघीय गणराज्य से प्राप्त की जाने वाली इस प्रकार की सहायता के लिये उपर्युक्त क्षेत्रों तथा औपचारिकताओं के विषय में दोनों सरकारें विचार कर रही है ।

हंगेरी के शिष्टमण्डल द्वारा भारत का दौरा

5906. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवंबर 1973 के तीसरे सप्ताह में हंगेरी के एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां तो बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसमें क्या निर्णय किए गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) हंगेरी के शिष्टमंडल ने भारत सरकार के साथ कुछ अनिर्णीत वित्तीय मामलों तथा विभिन्न मुद्राओं के मुल्यों में हुए उतार-चढ़ावों से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र में उत्पन्न अनिश्चितताओं

के भारत-हंगेरी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात-चीत की थी । दोनों पक्षों ने इन विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और वे इस बात पर सहमत हो गए कि एक-दूसरे के साथ विचार विमर्श जारी रखा जाए ताकि विभिन्न समस्याओं का सन्तोषजनक हल निकाला जा सके ।

रेयन टायर यार्न का उत्पादन

5907. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन टायर यार्न का उत्पादन बन्द होने की स्थिति में है क्योंकि इसकी लुगदी का स्टाक कम हो रहा है; और

(ख) यदि हां तो इन निर्माताओं को लुगदी की तुरन्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) रेयन टायर डोरी का उत्पादन करने के लिये रेयन ग्रेड लकड़ी की लुगदी का आयात इस समय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है तथा इसकी उपलब्धता संबंधी स्थिति कठिन है क्योंकि राज्य व्यापार निगम द्वारा निकाले गए टैंडर के उत्तर में कोई भी प्रस्ताव इसके पास प्राप्त नहीं हुआ है इस समय उपलब्धता में लगभग 25 प्रतिशत की कमी है । स्वदेशी खपत के लिये रेयन टायर डोरी के उत्पादन के लिये उपयुक्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी साधनोंका का पता लगाया जा रहा है ।

———

(तभी दर्शक दीर्घा में कुछ व्यक्तियों ने शोर मचाया तथा वहां से सदन में कुछ पर्चियां फेंकने का प्रयास किया)

(At this stage some persons shouted from the visitor's gallery and attented to throw some leaflet from there on the floor of the House.)

———

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

REGARDING ADJOURNMENT MOTION

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! मैंने स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नया मामला नहीं है । इसे बार-बार उठाने का प्रयत्न न करें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : कल सत्र का अंतिम दिन है तथा लोको कर्मचारियों की हड़ताल जारी है । श्री सभापति नई दिल्ली में आये हुए हैं अतः रेल मंत्री को उनसे बातचीत करनी चाहिये जिससे हड़ताल समाप्त की जाये । **(व्यवधान)**

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Concerned ministeı should make statement on the latest position of Railways and the Indian Air Lines.

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों को किसी न किसी रूप में पिछले कई दिनों से उठाया जाता रहा है । मैंने उनपर आपत्ति भी नहीं की । मैं मानता हूं कि हड़ताल और उससे जनता को हुई असुविधा के लिये आपकी चिंता न्यायसंगत है । मैं दोनों मंत्रियों से कहूंगा कि वे कल विस्तृत वक्तव्य दें ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1970–71 के प्रतिवेदन के भाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1973, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक)—के निम्नलिखित भागों की एक-एक प्रति :—

भाग नौ. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन ।

भाग दस. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन ।

[**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—6101/73 ।**]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1287 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—6102/73 ।**]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1331 और 1332 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6103/73 ।**]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1288 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 दिसंबर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 1333 जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा०सां०नि० 525(ङ) और 526(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6104/73 ।**]

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : महोदय, इस महीने की 17 तारीख को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बारे में सरकारी आदेशों के औचित्य पर सदन में बहुत समय तक चर्चा हुई थी। उस अवसर पर आपने यह टिप्पणी की थी कि यह अनुचित है कि इसे आज सदन में नहीं लाया गया। उसी शाम को कृषि मंत्री ने मूल्य नियंत्रण के बारे में सभा पटल पर एक अधिसूचना रखी थी। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री ने आपकी टिप्पणी का पालन क्यों नहीं किया।

दूसरे, मैं नहीं चाहता कि सभा-पटल पर पत्र रखा जाना एक औपचारिकता बनकर रह जाए। इस संबंध में चौथी लोक सभा की लोक लेखा समिति ने अपने 111वें प्रतिवेदन में कहा था कि संसद में प्रस्तुत किये जाते समय अधिसूचनाओं के साथ जोड़े गए ज्ञापनों में उसके आर्थिक पहलू का भी उल्लेख होना चाहिये। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया था। किन्तु इस मामले में सरकार ने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित ढंग से वित्तीय पहलूओं का हवाला नहीं दिया गया।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

सरकार ने न विलम्ब के कारण बताये हैं और न वित्तीय पहलू के बारे में कोई उल्लेख किया है।

श्री के० आर० गणेश : हम लोक लेखा समिति की सिफारिश का पालन करेंगे।

श्री सेझियान : वित्तीय आशय तथा मुद्रा संबंधी आशय भिन्न भिन्न हैं। लोक लेखा समिति ने कहा था कि वित्तीय आशय प्रत्येक मामले में दिया ही जाना चाहिये तथा मुद्रा संबंधी आशय का भी उल्लेख होना चाहिये। इस ज्ञापन में वित्तीय आशय नहीं दिये गए। इसके क्या कारण हैं?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Is it not a matter of disrespect to the House that the papers, which were to be laid on the Table are being laid there today? Government have not taken the House in the confidence regarding the financial implication of this measure.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सरकार ने लोक लेखा समिति की जिन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था क्या उनको लागू न किये जाने से यह उपाय प्रभावोत्पादक हो सकता है? उन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिये।

लोक लेखा समिति ने यह भी सिफारिश की है कि शुल्क सूची का विभाजन सरकार द्वारा अधिसूचनाओं के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिये। शुल्क सूची के निर्धारण का अधिकार संसद का है। इस बारे में भी सरकार ने संसद की अवहेलना की है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक आदेश का सम्बन्ध है सरकार ने उसे प्राधिकृत कर दिया है तथा अध्यक्ष महोदय ने उसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दी है। जहाँ तक दूसरी बात है उस पर कोई निर्णय करने से पूर्व अध्यक्ष पीठ तथा मंत्री को इन पत्रों को पढ़ना पड़ेगा। अत: इस बारे में चर्चा करने के लिये कोई अन्य अवसर निर्धारित किया जा सकता है। किन्तु मैं मंत्री महोदय से यह अवश्य जानना चाहूंगा कि क्या इस ज्ञापन में वित्तीय आशयों का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात पर कोई प्रकाश डाल सकते हैं? मंत्री महोदय माननीय सदस्यों को यह बतायें कि इसमें विलंब क्यों हुआ, दूसरे इस ज्ञापन के साथ वित्तीय आशय क्यों नहीं दिये गए? यदि वे इस समय इन बातों का उत्तर दे सकें तो बहुत उत्तम अन्यथा वह इनका किसी अन्य अवसर पर उत्तर दे दें।

श्री के० आर० गणेश : मैं कल एक विवरण प्रस्तुत कर दूंगा।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :

(एक) (क) इंडियन ड्रग्स एंड फारमेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—6105/73।]

(दो) (क) हिन्दुस्तान ओरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हिन्दुस्तान ओरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6106/73।]

एयर इन्डिया के वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे, तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा वायुयान (आठवां संशोधन) नियम, 1973

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(6) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एयर इंडिया के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(7) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत एयर इंडिया के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षित प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—6107/73।]

(8) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (आंठवां संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1347 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6108/73।]

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपात कमीशन प्राप्त तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1973

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपात कमीशन प्राप्त तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रती जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1357 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—6109/73।]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

नौवहन और परीवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के 29-3-1972 से 31-3-1973 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का 29-3-1972 से 31-3-1973 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई : देखिए संख्या एल० टी०—6110/73।]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अतर्गत पत्र

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1167 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6111/73।]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 352(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6112/73।]**

(3) (एक) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद का 30 जून, 1971 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने को हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6113/73।]

कीटनाशी औषधियों और उनसे निर्मित औषधियों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1973, तथा रूई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1973

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कीटनाशी औषधियों और उन से निर्मित औषधियों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०आ० 3322 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6114/73।]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत रुई नियंत्रण (संशोधन)आदेश, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 428 में प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धिपत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 3046 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—6115/73।]**

खान तथा खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं खान तथा खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) खनन पट्टे (अवधि का रूपभेद) (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1195 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज रियायत (छठा संशोधन) नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1196 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6116/73।]

(तीन) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(चार) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6117/73।]

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1973

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1312 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6118/73।]**

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत म्युइर मिल्स लिमिटेड, कानपुर नामक औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध के संबंध में अधिसूचना संख्या सा०आ० 523(ङ) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्न दिनांक 27 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6119/73।]**

आश्वासनों का विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्नों के दौरान मंत्रियों के द्वारा किये गये विभिन्न आश्वासनों, बचनों और की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ :

चौथी लोक सभा

1. विवरण संख्या 32	पांचवां सत्न, 1968
2. विवरण संख्या 32	नौवां सत्न, 1969
3. विवरण संख्या 34	दसवां सत्न, 1970
4. विवरण संख्या 22	ग्यारहवां सत्न, 1970
5. विवरण संख्या 24	बारहवां सत्न, 1970

पांचवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 12	पहला सत्न, 1971
2. विवरण संख्या 26	दूसरा सत्न, 1971
3. विवरण संख्या 17	तीसरा सत्न, 1971
4. विवरण संख्या 17	चौथा सत्न, 1972
5. विवरण संख्या 11	पांचवां सत्न, 1972
6. विवरण संख्या 9	छठां सत्न, 1972
7. विवरण संख्या 10	सातवां सत्न, 1973
8. विवरण संख्या 4	आठवां सत्न, 1973
9. विवरण संख्या 1	नौवां. सत्न, 1973

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—6120/73।]

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I would like to refer to the Seventh Report of the committee on Government Assurances. It has been stated therein: "If Government, however, foresaw any genuine difficulties in implementing assurances within the stipulated period of three months, such cases may be reported to the committee for extension of the time limit for implementing them.

In reply to my question regarding the shareholders of Maruti Ltd. put in the month of August, the hon. minister said that information was being collected and would be laid on the Table of the House. The same reply was given on 21st November in this connection by the Government. Since then, four months have been passed. May I know the steps taken in this regard ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : लोको कर्मचारियों की गत हड़ताल के दौरान श्री एल० एन० मिश्र ने कुछ आश्वासन दिये थे किन्तु उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया । उन आश्वासनों को पूरा कराया जाए ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उत्तर प्रदेश को उर्वरकों के आबंटन के बारे में पैट्रोलियम और रसायन मंत्री ने कुछ आश्वासन दिये थे । मेरा अनुरोध है उस बारे में कि चालू सत्र में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 28 नम्वम्बर को आधे घंटे की चर्चा के दौरान पैट्रोलियम और रसायन मंत्री ने इस दो विशिष्ट बातों की जानकारी एकत्र करने तथा सभा-पटल पर रखने का आश्वासन दिया था । किन्तु मंत्री महोदय ने यह जानकारी न देने का निर्णय किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यक्तिगत आश्वासनों के बारे में मंत्री महोदय को कुछ कहने को विवश नहीं कर सकता । मैं इसकी अनुमति भी नहीं दूंगा । श्री मधु लिमये ने जो मामला उठाया है समय-सीमा के बारे में वह महत्वपूर्ण है । सभा में जो भी आश्वासन दिया जाये उसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

इण्डियन स्कूल आफ माइंस, धनबाद के वर्ष 1970–71 के प्रमाणित लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के वर्ष 1970–71 के लेखे आदि

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) (एक) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब और (दो) उनके अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—6121/73]

(2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के वर्ष 1970-71 के लेखे संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6122/73]

अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों का संशोधन

AMENDMENTS TO DIRECTION BY THE SPEAKER

महासचिव : महोदय ! मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के संशोधन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

11—35 LSS(ND)/73

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : महोदय ! मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा 18 दिसम्बर, 1973 को अपनी बैठक में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 में लोकसभा द्वारा 12 दिसम्बर, 1973 को किये गये संशोधनों से सहमत हुई ।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 1973 को पास किये गये विनियोग (रेल) संख्या 4 विधेयक, 1973 के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

32वीं से 35वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखा गया

35वां प्रतिवेदन—स्वीकृत

श्री अमर नाथ चावला (दिल्ली सदर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 32वीं से 35वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

7वां प्रतिवेदन

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुंद्री) : मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 7वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

48वां प्रतिवेदन

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : मैं वित्त मंत्रालय-अनुदानों की मांगों के स्वरूप तथा विषय सूची के पुनरीक्षण के संबंध में प्राक्कलन समिति के 24वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 48वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : This is very important report regarding reservation of the form and contents of the demands for grants. I had asked a question from the Prime Minister on 19th December regarding purchase of sophisticated electronic gadgetry from U.S.A. and Japan to spy on political rivals and the reply was that it is not in the public interest to give the information in Lok Sabha. Estimates Committee and Public Accounts Committee should have full control on income and expenditure. In case the details are not furnished then how can we know that a particular amount is being spent on a particular item and there is no misuse? Will you kindly give directions in this respect?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो निवेदन किया है वह रिकार्ड में है और उसका अध्ययन किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मेरी जानकारी के अनुसार सरकार ने इन उपकरणों पर 13 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
43 वां, 45 वां, और 46 वां प्रतिवेदन

डा० महिपतराव मेहता (कच्छ) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धि समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 31वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 43वां प्रतिवेदन।

(2) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 27वें प्रतिवेदन में की गई शिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

(3) सरकारी उपक्रमों की भूमिका तथा उपलब्धियां केन्द्र-सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकरण सम्बन्धी लोक उद्यम ब्यूरों के वार्षिक प्रतिवेदनों के स्वरूप तथा विषय सूची के सम्बन्ध में समिति के 40वें प्रतिवेदन के पैरा 3.58 पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS
15 वां प्रतिवेदन

श्री नाथू राम अहिरवार (टीकमगढ़) : मैं याचिका समिति का 15वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

महालेखकार के कार्यालय, त्रिवेन्द्रम् में होनेवाली हड़ताल के बारे में
RE. IMPENDING STRIKE IN A.G'S OFFICE, TRIVANDRUM

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : केरल सरकार के कर्मचारियों को आन्दोलन के कारण वेतन नहीं मिल रहा है। वहां के महा लेखापाल के कार्यालय पर दिल्ली स्थित महालेखा परीक्षक और नियन्त्रक का नियन्त्रण है। त्रिवेन्द्रम में महालेखापाल के कार्यालय में पहले ही हड़ताल थी। वहां पर पुनः हड़ताल होने वाली है और केरल सरकार के एक भी कर्मचारिको वेतन नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री को इस मामले पर विचार करना चाहिए ताकि महालेखापाल के कार्यालय में हड़ताल न हो।

12—35 LSS (ND)73

आपात स्थिति संबंधी उद्घोषणा वापस लिए जाने के बारे में

RE : WITHDRAWAL OF PROCLAMATION OF EMERGENCY

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : सर्वोच्च न्यायालयन ने कल एक निर्णय दिया है जिसमें अधिकांश न्यायाधीशों ने कहा है कि निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को नजर बन्द करने की अधिकतम अवधि निर्धारित करना संसद् का कर्तव्य नहीं है। तद्नुसार अधिकांश न्यायाधीशों ने यह भी कहा है कि निवारक नजरबन्दी भारत रक्षा नियम 1971 की अवधि समाप्त होने तक वर्तमान कानून के अधीन नजर बन्दी विधि संगत होगी। न्यायाधीश पी० एन० भगवती ने अपने निर्णय में कहा है कि जब तक इस देश में भारत रक्षा नियम लागू है और आपात स्थिति है तब तक किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जा सकता है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर तत्काल चर्चा की जाए ताकि जनता को मूलभूत आधिकारों से वंचित न रखा जाए।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडिवाश) : आपात स्थिति जारी रखने का अब क्या औचित्य है? सरकार को इसे समाप्त कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इतना ही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Government should lift the emergency.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The entire opposition is of the view that emergency should be scrapped.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : आपात स्थिति की उदघोषणा के दो वर्ष बाद सरकार को बताने चाहिए कि उसके बाद आपात स्थिति जारी रखने का क्या औचित्य है?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस मामले की ओर ध्यान देगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि वह आपात स्थिति हटा देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही है।

संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक

PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL

विधि मंत्रालय, न्याय तथा कम्पनी कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to draw your attention towards the report of the Joint Committee of offices of profit. It contains :

The Board of directors engaged executive and financial powers and were there by in position to wield influence, they recommended disqualification of the office of Directorship, even though the amounts paid were less than "compensatory allowance".

I want to stress that the quantum of honourarium paid to these Directors, Chairman and Secretaries should also be taken into account apart from the financial powers. This information may be placed before the House.

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर चर्चा के समय आप संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Montion was adopted

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधिन मामला

MATTERS UNDER RULE 377

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं सदन का ध्यान नेताजी जांच आयोग से सम्बन्धित कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। आयोग की स्थापना के समय सरकार ने सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया था कि वह पहले की शाहनवाज खां जांच समिति की रिपोर्ट समर्थन नहीं करेगी न विरोध करेगी। परन्तु नेताजी जांच आयोग की स्थिति से ऐसा आभास होता है कि सरकार ने अपना रवैया बदल लिया है।

सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज देने का वचन दिया था। पंडित जवाहर लाल नेहरु की सरकारी फाइल में से जो आयोग को दी गई थी, 31 मदें या तो नष्ट कर दी गई थी या गायब है। नेताजी द्वारा 1946 में मंचुरिया से नेहरू जी को लिखा गया पत्र फाइल से गायब है। श्री च्यांग काई होक का पत्र भी गायब है।

प्रतिरक्षा मंत्री ने बहुत से दस्तावेज दिए हैं परन्तु उनमें से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब है।

श्री एम० ए० अय्यर का वक्तव्य जिसमें उस जापानी गुप्तचर विभाग के अधिकारी का नाम था। जिसने नेताजी को जनरल टेराऊयी के अनुदेशों पर बचाया था और जिसने नेताजी के विमान दुर्घटना के चार वर्ष बाद जीवित होने का दावा किया था, समय पर नहीं दिया गया था। इस प्रकार आयोग अपनी टोकियो यात्रा के दौरान अथवा उसके बाद उसकी जांच नहीं कर सका।

लगभग 400 संसद सदस्यों की मांग पर सरकार ने इस आयोग का गठन स्वीकार किया था। किन्तु जिस ढ़ंग से फाइले तथा दस्तावेज जांच आयोग को दिए गए उससे यह जांच कार्य व्यर्थ हो गया है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पंडित नेहरू की फाइल के तथा अन्य दस्तावेज आयोग को क्यों नहीं दिए गए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 11 नवम्बर को अध्यक्ष महोदय के साथ हमारी एक बैठक हुई थी और उन्हों ने उसमें यह स्वीकार किया था कि नियम 377 के अन्तर्गत केवल कुछ चुने हुए मामलों को लिया जाएगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ द्वारा तरह तरह के निर्देश इस प्रकार जारी करना वांछनीय नहीं है और न ही संभव है। आपने जो भी कहा है वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जा चुका है और इस पर ध्यान देना सरकार का काम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : ऐसी रिपोर्ट है कि परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के एक उपक्रम, केन्द्रीय सड़क परिवहन नियम को, जिसमें आसाम तथा पश्चिम बंगला सरकारों के शेयर हैं, बन्द करने की सिफारिश की है। यदि मंत्रालय की सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है तो देश में बेकारी की समस्या और जटिल हो जाएगी। यह एक अवलम्बनीय विषय है। सरकार यह आश्वासन दे कि इसे बन्द नहीं किया जाएगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : इस सम्बन्ध में मुझे कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यदि सड़क परिवहन निगम बन्द कर दिया जाएगा तो सैंकड़ों कर्मचारियों को इससे कठिनाई होगी। मैं ज्योतिमय बसु के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Delhi Hindustani Mercantile Association has sent a telegram to all Ministers and Members of Parliament informing that no bank is accepting cheques or drafts for Delhi Clearing House. As a result of this the business have come to a stand still in Delhi. The Finance Ministry should immediately intervene in the matter and see that normal working is restored in the Clearing House.

श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर (औसग्राम) : दुर्गापूर इस्पात संयन्त्र के प्रबन्धकों ने आज से 1500 टन क्षमता-वाली धमन भट्टी को खनिज लोहे के उपलब्ध न होने के कारण बन्द करने का निर्णय किया है। इससे हजारों कर्मचारियों के रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। सम्बन्धित मंत्री इस बारे में सदन मे एक वक्तव्य दें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम राज्य तथा केन्द्रीय विधान मण्डल के चुनाओं में अत्यधिक तथा अनावश्यक विलम्ब के प्रश्न को अनेक बार उठाते रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश का झांगीर-स्थान 12 अगस्त, 1972 को रिक्त हो गया था परन्तु वहां अभी तक चुनाव नहीं कराया गया। इसमें शीघ्रता की जाए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर) : कैलिको कैमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स डिवीजन, अनिल चेम्बर, बम्बई के कर्मचारियों ने अगस्त 1973 से हड़ताल की हुई है। यह कारखाना बहुत महत्वपूर्ण माल का उत्पादन करता है। सरकार को सम्बन्धित पक्षों में बातचीत कराकर तुरन्त हड़ताल समाप्त करानी चाहिए।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : It has been reported in today's papers that the Governments of Bihar and Bengal have been showing laxity in the matter of rice procurement and their procurement have been the lowest in the country. It means that in both these states the procurement policy is being sabotaged. Government should pay due attention to this matter, otherwise the situation in these two states will become serious.

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : INTERNATIONAL SITUATION

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : कल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर यहां विशेष चर्चा हुई थी। मैं केवल कुछ मुख्य बातों का ही जवाब दे पाऊंगा। क्योंकि समय का अभाव है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे उनके सुझाओं से अत्यधिक लाभ हुआ है।

सबसे पहले मैं बांगला देश को लेता हूं। बंगला देश ने इस वर्ष 16 दिसम्बर को अपनी स्वतन्त्र सत्ता के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन दो वर्षों में बंगला देश ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है प्रायः सभी शरणार्थी बंगला देश वापिस जा चुके हैं। इन दो वर्षों में बंगला देश ने संसदीय प्रणाली पर आधारित लोकतान्त्रिक संविधान अपनाया है। हमें बंगला देश द्वारा की गई प्रगति पर हार्दिक प्रसन्नता है। बंगला देश की खातीर कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी। हमारे जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा तथा बंगला देश की स्वतन्त्रताहेतु अपना रक्त बहाया, कई यातनाएँ सही ऐसे मौके पर मैं उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

बंगला देश में राजनीतिक स्थिति में स्थिरता आ रही है । अब सरकार और वहां के लोग युद्ध में विध्वस्त अपनी अर्थव्यवस्था के पुर्ननिर्माण के महाकार्य में लग गये हैं । उन्होंने काफी प्रगति कर ली है । उनके साथ हमारी मित्रता पारस्परिक सहयोग पर आधारित है और यह बड़े संतोष की बात है कि श्री शेख मुजिबुर्रहमान ने समय समय पर स्पष्ट वक्तव्य दिए हैं कि भारत के साथ बंगला देश की मित्रता अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में बंगला देश की नीति में आधारभूत स्तम्भ है । जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, दिल्ली में हुए समझौते के बाद युद्धबन्दियों की तीन पक्षीय अदला-बदली 19 सितम्बर, को आरंभ हुई थी और 17 तक कुल 1,34,328 लोग अपने अपने देशों को लौटाये जा चुके हैं । इनमें 36,474 पाकिस्तानी युद्ध बन्दी और भारत से अन्य नागरिक नजर बन्द शामिल है ।

दिल्ली समझौते के अनुसार 195 युद्धबन्दियों की समस्या का हल बंगला देश, भारत और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय बैठक में ढूंढा जाएगा क्योंकि इस बात की सम्भावना है कि बंगला देश इन बैठकों में केवल प्रभुसत्ता के आधार पर ही भाग ले सकता है । अतः यह पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वह ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिससे बंगला देश इन बैठकों में भाग ले सकें ताकि इस मामले पर चर्चा की जा सके और इसे सौहार्द पूर्ण ढंग से हल किया जा सके । इसके लिए स्वदेश वापिसी की सारी प्रक्रिया पूरा होने की भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़गी ।

हमने पाकिस्तानी नेताओं के कथित वक्तव्य देखे हैं जिनमें कहा गया है कि बंगला देश को तब तक मान्यता नही दी जा सकती जब तक कुछ शर्तें पूरी न की जाएं । जैसे कि सभी युद्धबन्दियों की वापिसी जिसमें कि वह 195 बन्दी भी शामिल है जिन पर कि बंगला देश द्वारा मुकद्दमा चलाया जाना है । पाकिस्तानी नेताओं द्वारा पूर्व शर्तों की बात करना अनुचित प्रतीत नहीं होता है जबकि इन सब मामलों पर दिल्ली समझौते के दौरान चर्चा हो गई है । अतः हमें आशा है कि पाकिस्तान सरकार दिल्ली समझौते के अन्तर्गत किए अपने वचन को पूरा करेगा ।

यह प्रसन्नता का विषय है कि पाकिस्तान ने विश्व न्यायालय में इन 195 युद्धबन्दियों के बारे में की गई अपनी शिकायत को वापिस ले लिया है ।

कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने ऐसे भी वक्तव्य दिए हैं जोकि शिमला समझौते की भावना के विरुद्ध है हमने पाकिस्तान सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है ।

जहाँ तक संचार व्यवस्था पुनः लागू करना, विमान यातायात, यात्रा, दोनो देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे सामान्य करने संबंधी कुछ उपायों की कार्यान्विति का संबंध है इस संबंध में पाकिस्तान की इच्छा के अनुसार किसी भी समय बातचीत आरंभ की जा सकती है । हम अपनी ओर से इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र बातचीत करने के लिए तैयार हैं ।

हमने प्रेस में इस आशय के भी समाचार पढ़े हैं जिनमें पाकिस्तानी नेताओं ने टिपण्णी की है कि भारत ने अपनी रक्षा सेवाओं को कम करने संबंधी पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है । यह बिल्कुल गलत वक्तव्य है । पाकिस्तान स्वयं अपने सम्पूर्ण बजट का 50 प्रतिशत सैनिक परिव्यय पर खर्च कर रहा है । पाकिस्तान के साथ लगी लम्बी सीमा और लम्बी समुद्रतटीय सीमा के अतिरिक्त अपनी व्यापक और विस्तृत सीमा के कारण बहुत अधिक आवश्यकता के बावजूद भारत अपनी रक्षा पर अनुपाततः बहुत कम खर्च कर रहा है । फिर भी हमने पाकिस्तान के किसी भी विषय पर चर्चा से कभी इन्कार नहीं किया है । किन्तु वास्तविकता यह है कि रक्षा संबंधी मामलों पर सार्थक चर्चा करने की पूर्वापेक्षा यह है कि शिमला समझौते के अनुसार स्थाई शान्ति की स्थापना की जाए ।

13—35 LSS/ND/73

[श्री स्वर्ण सिंह]

नेपाल और भूटान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। नेपाल के साथ हमारे आर्थिक संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। नेपाल को अनेक सुविधाओं की व्यवस्था करने, उनकी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ करने और समाजिक सेवाओं की व्यवस्था करने हेतु नेपाल को हमारा सह-योग बना रहेगा और नेपाल के विकास में हमने बहुत योगदान दिया है।

भूटान के साथ भी हमने मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाए हैं जो भूटान और भारत, दोनों के पार-स्परिक हितों में है।

बर्मा के साथ हमने अपने संबंधों को और सुदृढ किया है। मैंने उच्चशक्ति प्राप्त शिष्ट-मंडल के साथ बर्मा की यात्रा की है वहां के मंत्रियों से मिले हैं। बर्मा के मंत्री तथा वहां आर्थिक मामलों पर कार्य करने वाले अनेक लोगों ने भारत के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। मुझे आशा है कि इन संबंधों से हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और औद्योगिक संबंध और सुदृढ होंगे।

श्री लंका के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अनेक उच्चस्तरीय यात्राए हुई हैं। हमें आशा है कि श्रीलंका की प्रधान मंत्री जनवरी में यहां आएंगी। उनकी भारत यात्रा से हमारे मैत्री संबंध और सुदृढ़ होंगे।

जहां तक अफगानिस्तान का संबंध है सरकार अफगानिस्तान गणराज्य की स्थापना का स्वागत करती है। अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारी मित्रता परम्परागत रही है। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक समान विचारों का आदान प्रदान किया है जिससे अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ होंगे।

पाकिस्तान के दूसरी ओर ईरान भी हमारा एक अन्य पड़ौसी है। गत सप्ताह ईरान के विदेश मंत्री हमारे बीच ही थे। उनके साथ एक सांस्कृतिक समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत हमारा शैक्षणिक और तकनीकी आदान प्रदान और अधिक बढ़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री के साथ हुई बातचीत से यह स्पष्ट हो गया है कि अपने क्षेत्र और समूचे एशिया में स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु दोनों देशों को मिलकर कार्य करना चाहिए।

आर्थिक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने की काफी गुंजाइश है। दोनों देशों के संयुक्त आर्थिक आयोग की दिल्ली में अगले महीने के मध्य में बैठक आयोजित की जाएगी। हमें विश्वास है कि तेल शोधक कारखानों और पैट्रोरसायन के क्षेत्र में सहयोग से दोनों देशों का पारस्परीक लाभ बढ़ेगा।

हिन्द महासागर के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ की तदर्थ समिति के 15 सदस्यों में भारत और ईरान भी सदस्य है। इस क्षेत्र में पारस्परिक वैमनस्य तनाव और बड़ी शक्तियों की नौसेना की उपस्थिति को दूर करना हमारा लक्ष्य है जो अफ्रीका और एशिया की शान्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया के बारे में अरब राष्ट्रों और इसराइल के बीच हाल ही में हुआ युद्ध वास्तव में विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना और चिंता का विषय है। युद्ध विराम करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सहयोग से शान्ति स्थापित करने में अमरीका और रूस ने आपसी सहयोग से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किन्तु अभी भी कुछ कठिनाईयां है जिनसे नया संघर्ष हो सकता है। इन सब कठिनाईयों के बावजूद भी हम यह अनुभव करते हैं कि पहले की तुलना में अब पश्चिम एशिया में स्थाई शान्ति पैदा करने के अच्छे अवसर हैं। अधिकांश राष्ट्र यह समझने लगे है कि शांति स्थापित करने के दो ही उपाय हैं। पहला हथियार इलाकों से इसरायली सेनाओं को हटाना, दूसरे शांति स्थापना के लिए अविलम्ब चर्चा प्रारम्भ करना। हमारा

विश्वास है कि स्थायी शांति राज्यों के अस्तित्व के अधिकारों पर आधारित होनी चाहिए और फिलिस्तीनी लोगों को उनके पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए। जेनेवा में रूस अमरीका की सह अध्यक्षता में शांति सम्मेलन शुरू होने वाला है जिसके प्रथम चरण में संयुक्त राष्ट्र सचिव अध्यक्षता करेंगे । अरब देशों ने अधिक सूझबूझ दिखाई है और इस समस्या के शान्तिपूर्ण हल के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। आशा है कि इसरायल भी असलियत समझेगा और इस मामले में विश्व की राय मानेगा ताकि यह लम्बी अवधि से चली आ रही समस्या को इस क्षेत्र के सभी देशों के हितार्थ हल किया जा सके। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर हम इस मामले में अपना समर्थन न दे तो हम बेहतर तरीके से मध्यस्थता की भूमिका अदा कर सकते हैं लेकिन हमें न्यायसंगत मामले में समर्थन देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए ।

एक प्रकार से श्री मिश्र की टिप्पणी ठीक है । इस विशेष मामले में अमरीका और सोवियत संघ ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है । उस सीमा तक तर्क वैध है।

उसके अतिरिक्त जहां युद्ध हो रहा हो उस स्थिति में यदि हमे इस बात का पता लगे कि स्पष्ट रुप से न्याय एक पक्ष के प्रति किया जा रहा है तो हमें अपना समर्थन देने में संकोच नहीं करना चाहिए । अरब-वासियों के साथ हमारा भ्रातृत्व सम्बन्ध है । मै समझता हूं कि इस तर्क का कोई प्रतिरोध नहीं करेगा जो हमने अपनाया है । जो देश आरंभ में संकोच कर रहे थे वे भी बाद में हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करने लगे ।

श्री ब्रेजनेव की यात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । उनकी यात्रा के परिणाम-स्वरूप अनेक समझौते हुए । मैंने उन समझौतों को जितनी जल्दी हो सका, सभा-पटल पर रखा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : एक समझौता क्यों नहीं रखा जा रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : श्री मिश्र अपने भाषण में इसका उल्लेख करना भूल गये थे । मै यह अपेक्षा कर रहा था कि वह इसका उल्लेख करेंगे ताकि उस सम्बन्ध में मैं कुछ कह सकूं ।

जब से हमें स्वाधीनता मिली है तभी से भारत और सोवियत संघ के बीच दृढ़ मैत्री सम्बन्ध हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि ये सम्बन्ध इतने दृढ़ होते जा रहे हैं कि ये भविष्य में हमारे लिये चिंता का विषय बन सकते हैं। हम 27 वर्ष से स्वाधीन हैं और इस अवधि में सभी महत्वपूर्ण राजनैतिक मामलों पर हमें सोवियत संघ का समर्थन मिला है ।

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापूर) : ताशकंद में क्या हुआ ?

श्री स्वर्ण सिंह : वह अलग मामला है । मैं ताशकंद समझौते को मानता हूं और उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हूं ।

क्या आपको कोई ऐसा क्षण याद है जब सोवियत संघ ने इस घनिष्ठ सम्बन्ध का किसी राजनैतिक या अन्य प्रयोजन हेतु हमें कठिनाई में डालने के लिये प्रयोग किया हो ?

श्री अटल बिहारी वाजपाई (ग्वालियर) : सोवियत संघ ने पाकिस्तान को हथियार क्यों दिये ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं अभी इस विषय पर आता हूं ।

यह बिल्कुल स्पश्ट है कि राजनैतिक मामलों में सोवियत संघ का समर्थन मिलता रहा है। आर्थिक मामलों में भी हमारे देश में अनेक परियोजनाओं की सोवियत संघ के सहयोग से स्थापना की गई है । उन्होंने हमसे यह आग्रह कभी नहीं किया कि हम किसी कार्य को इस ढंग से करें या उस ढंग से । उन्होंने संयंत्रों की स्थापना से सम्बधित हमारे सुझावों पर सदैव सहमति प्रकट करने का प्रयास किया है। तब फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि इस सहयोग से वे हम पर प्रभाव डालेंगे जो हमारे हितों के विरुद्ध होगा ?

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें सोवियत संघ जैसे मित्र के साथ सम्बन्धों का मूल्यांकन करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : जो बात कही गई है वह यह है कि उन पर हमारी निर्भरता उचित सीमा से आगे बढ़ रही है ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री और अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : किसी प्रकार की निर्भरता नहीं है ।

श्री स्वर्ण सिंह : सोवियत संघ के साथ आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे संबंध ऐसे हैं कि हमने उनसे सभी प्रकार की मशीनें खरीदी हैं और हम उन्हें उनकी कीमत चुका रहे हैं । यह सच है कि एक बार उन्होंने हमें उपहारस्वरूप लगभग 2 करोड़ रुपये की कृषि की मशीन दी थी ।

हमारे व्यापार को लीजिये । हम उनकी वस्तुएं लेते हैं और अपनी वस्तुएं बाजार मूल्य पर बेचते हैं । हम रक्षा सम्बन्धी उपकरण सोवियत संघ से लेते हैं परन्तु हम उन उपकरणों की कीमत चुकाते हैं।

एक प्रश्न उठाया गया है कि दोनों देशों के योजना आयोग के बीच अधिक सहयोग क्यों है । हमने अपना विकास कार्यक्रम आरंभ कर दिया है । हमारी आकांक्षा है कि हम औद्योगीकरण के क्षेत्र में हम अधिकाधिक प्रगति करें । हमें अधुनातन प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी चाहिए । जहां से भी हमें प्रौद्योगिकी संसाधन मिल रहे हैं वहीं से हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं । हम सोवियत संघ तथा अन्य देशों को इंजीनियरी वस्तुएं निर्यात करना चाहते हैं । हमें इस बात का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं । इसके लिये दोनों देशों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने योजना कार्यक्रमों भविष्य की योजनाओं तथा विकास के क्षेत्र का ठीक ढंग से अध्ययन करें ।

किसी वांछनीय क्षेत्र में दीर्घावधि करार करने पर हमें ध्यान देना चाहिए और अब भारत विश्व के किसी भी राष्ट्र के साथ दीर्घावधि आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में है ।

हमारे देश में विभिन्न देशों के नेता आ रहे हैं अत: विरोधी पक्ष के मेरे मित्र यह न समझे की हम अपने सम्बन्धों का विकास एक ही दिशा में कर रहे हैं । एक परिपक्व राष्ट्र के रूप में हमें यह बात भली भांति समझनी चाहिए कि वास्तव में हमारा मित्र कौन है और कौन वास्तव में हमारा साथ देगा ।

जो भी देश इस मल दृष्टिकोण की अवहेलना करेगा वह अपने हितों की अवहेलना करेगा ।

भारतीय साम्यवादी दल के एक सदस्य ने एक संकल्प प्रस्तुत किया । अब इस पर चर्चा करने का अवसर आ गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या मंत्री महोदय के इस संकल्प के वापस लिये जाने में कुछ कहना था ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि माननीय सदस्य मतदान के लिये कहते तो मैं इसकी वापसी के लिये मत देता ।

विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के दौरान एशियाई सामूहिक सुरक्षा के लिये सोवियत संघ के प्रस्ताव का उल्लेख किया है। संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए श्री ब्रेजनेव ने एशिया में सामूहिक सुरक्षा के सम्बन्ध में सोवियत संघ के विचार को स्पष्ट किया ।

हिन्द-चीन की स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है । कम्बोदिया में अभी भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है । दक्षिण वियतनाम में भी पेरीस-समझौते के उल्लंघन के आरोप लगाये गये हैं । भारतीय उपमहाद्विप में सामान्यकरण की प्रक्रिया में अभी और प्रगति होनी है । पाकिस्तान अभी भी बंगला देश को मान्यता देने की नकारात्मक नीति अपनाये हुए है । पश्चिम एशिया में 6 वर्षों के भीतर अरब इसरायल संघर्ष पुन: उठ खड़ा हुआ है । इसके अतिरिक्त एशिया में "सेन्टो" और "सीटो" दो सैनिक गुट हैं । ये सभी बातें एशिया के लोगों के लिये रुचिकर नहीं है । हम इन पहलुओं को बदलना चाहते है और पारस्परिक विश्वास पैदा करना चाहते है । इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रस्ताव का स्वागत है ।

मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि मित्रता का वातावरण सैनिक गुट बंदी से नहीं बन सकता और न ही किसी देश के विरुद्ध देशों का गुट बनाने से, अपितु वह तो सद्भावना और सहयोग से ही बन सकता है। अत: हमें इस प्रकार के विचारों से भयभीत नहीं होना चाहिये चाहे किसी देश ने ऐसे विचार रखे हों ।

जब से हमें स्वाधीनता मिली है हमने अन्तर्राष्ट्रीय जटिलताओं को समझा है ।

यह तर्क दिया गया है कि हमें सामूहिक सुरक्षा के विचार में योगदान नहीं देना चाहिए। यदि पूर्व अनुभव से किसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन मिलता है तो हम अपने सर्वोत्तम हितों की देखभाल करेंगे ।

भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच मित्रता बहुत पुरानी है । डा० हुसक हमारे देश में पहली बार आये । हमें इस बात की प्रसन्नता है ।

5 दिसम्बर को की गई संयुक्त भारत-चेकोस्लोवाकिया घोषणा में गुट निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित भारत की शांतिपूर्ण नीति की प्रशंसा की गई है ।

समझोते के अन्तर्गत चेकोस्लोवाकिया ने भारत के औद्योगिक विकास विशेषकर विद्युत उत्पादन, रेलों का विद्युतीकरण, इंजीनियरी उद्योगों और उर्वरकों के उत्पादन के सम्बन्ध में अपनी सहायता देते रहने का वचन किया है ।

मैं कुछ बातें अमरीका के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में कहना चाहता हूं । अमरीका के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य तथा मजबूत बनाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे ।

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापुर) : हिन्द महासागर के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे खुशी है कि इनकी प्रतिक्रिया अब काफी स्वस्थ है (**व्यवधान**)।

वर्ष 1971 के अन्तिम दिनों से भारत और अमरीका ने अपने सम्बन्धों में सुधार करने के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। हमें प्रसन्नता है कि पी० एल० 480 निधि के सम्बन्ध में हुई बातचीत संतोषजनक रही है तथा इस सम्बन्ध में दोनों देशों को संतोष है।

प्रसन्नता की बात है कि अमरीकी प्रशासन ने इस समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण को समझा है। राजनीतिक सम्बन्धों में कुछ उदासीनता होने पर भी हम सामान्य आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने में कभी नहीं हिचके।

दक्षिणी वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार तथा राजकुमार सिंहानूक के साथ सम्बन्धों का प्रश्न भी उठाया गया है। सरकार इन मामलों पर विचार करती रहती है। हमने अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया है और हम और आगे क्या किया जाए इस पर विचार कर रहे हैं।

जहां तक कम्बोदिया का सम्बन्ध है हमने राजकुमार सिंहानूक के साथ सम्पर्क बढ़ाया है। प्रधान मंत्री ने अपनी यूगोस्लाविया यात्रा के दौरान उनसे टेलिफोन पर बात की थी। वह उन्हें अजिल्यर्स में मिली थीं।

न्यूयार्क स्थित हमारा स्थायी प्रतिनिधि गुट-निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखता है ताकि राजकुमार सिंहानूक की सरकार को मान्यता देने के प्रश्न पर चर्चा के दौरान समन्वय बनाया जाए। हमारे प्रतिनिधि ने राजकुमार सिंहानूक के प्रतिनिधिमण्डल के पक्ष में मत दिया था।

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया है। उसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र को बड़े नौसैनिक राष्ट्रों की छेड़ का केन्द्र न बनाया जाए। महासभा के सामान्य आदेशों को कार्यान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है। हमारी नौसैनिक शक्ति को सदैव क्षेत्र में शांति को मजबूत करने के लिए प्रयोग किया जाएगा और यह किसी देश के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लायी जायेगी।

हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक दस्ते के आने का उल्लेख भी किया गया है। इस पर हमारे विचार स्पष्ट हैं। हमने अमरीका को बता दिया है कि नौसैनिक दस्तों को इस प्रकार लाना किसी भी देश को अच्छा नहीं लगता। इस कार्यवाही से सभी निकटवर्ती देशों जिनमें भारत भी है को चिंता हुई है। हम किसी बाहर के देश के बड़े पैमाने पर दस्ते लाने के पक्ष में नहीं हैं। हम यह मांग करते रहेंगे कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बने रहने दिया जाए।

आयकर (संशोधन) विधेयक

INCOME TAX (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

ऐसे मामलों में जहां अन्तरण दस्तावेज में घोषित सम्पत्ति का मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम हो केन्द्रीय सरकार को अचल परिसम्पत्तियों को अपने अधिकार में लेने हेतु शक्ति प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम का गत वर्ष संशोधन किया गया था। केन्द्रीय सरकार को अन्तरण पत्र में घोषित सम्पत्ति के समान राशि तथा ऐसी सम्पत्ति का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में देना है। इस शक्ति का केवल तभी

प्रयोग किया जा सकता है जब कि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक हो जाय और इस बात का कारण हो कि दो पक्षों के बीच स्वीकृत सम्पत्ति अन्तरण कर्ता द्वारा करापवंचन को सुलभ बनाने की दृष्टि से अन्तरण दस्तावेज में न दिखाई गई हो । करापवंचन और काले धन के परिचालन को रोकने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण उपबन्ध किए गए हैं। इन उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां आई हैं ।

सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में एक सूचना के प्रकाशन द्वारा सम्पत्ति के अर्जन की कार्यवाही की जाए । यह सूचना सरकारी राज पत्र में सम्पत्ति के अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज को पंजीकृत किए जाने वाले महीने की अन्तिम तिथि से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले प्रकाशित की जानी चाहिए । दुर्भाग्य से पता चला है कि कई मामलों में भारत सरकार मुद्रणालय को भेजी गई ये सूचनाएं निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुई हैं ।

इनमें से कुछ मामलों में अर्जन की कार्यवाही को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई और चुनौती का आधार यह है कि सूचनाएं निर्धारित अवधि में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुई थीं । इन उपबन्धों के व्यावहारिक कार्यकरण से पता चला है कि अर्जन करने की कार्यवाही कानून के अन्तर्गत अपर्याप्त है। अर्जन करने की कार्यवाही में कई बातें पूरी करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी को भारत सरकार के मुद्रणालय में सूचनाएं काफी समय पहले भेजनी पड़ती है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में यह समय-सीमा बढ़ाई गई है जिसके अन्दर सम्पत्ति के अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज को पंजीकृत किए जाने की अन्तिम तिथि से छः महीने की अवधि बढ़ा कर नौ महीने की जानी चाहिए । इस विधेयक में उन मामलों में जहां छः महीने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् सम्पत्ति के अर्जन की कार्यवाही की सूचनाएं सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं परन्तु सम्पत्ति के अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज को पंजीकृत किए जाने के महीने की अन्तिम तिथि से नौ महीने की अवधि समाप्त नहीं हुई हो, की गई गत कार्यवाही, को वैध करार करना है ।

इस विधेयक में आयकर अधिनियम में 1 जनवरी, 1974 से संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि ऐसे मामले में जहां अन्तरण दस्तावेज में घोषित सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रुपये से अधिक न हो कोई विवरण देने की आवश्यकता न पड़े ।

मैं विधेयक में प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

श्री मधु लिमये के कुछ संशोधन हैं जिनकी सूचना दी गई है । वह यहां उपस्थित नहीं है । अत: वे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : पहले के अधिनियम के उपबन्धों को कठोरता से लागू करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक उपाय करने के बजाय इन उपबन्धों से जो अब किए आ रहे हैं सम्पत्ति अर्जन की कार्यवाही में और विलम्ब होगा । यदि विभाग में कर्मचारियों की कमी है तो भर्ती की जानी चाहिए । यदि कार्यवाही करने में विलम्ब होगा तो सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य का साक्ष्य प्राप्त करने में और अधिक कठिनाइयां आयेंगी । यह विधेयक आयकर कानून को लागू करने में सरकार के अकुशल प्रशासन का एक उदाहरण हैं । एकाधिकार-गृह और बड़े व्यापार-गृह आयकर का भुगतान नहीं कर रहे हैं और आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए उचित कदम भी नहीं उठाए जा रहे है । हमारी अर्थ व्यवस्था को काले धन से बहुत धक्का पहुंच रहा है । कितने मामलों में कार्यवाही की गई है और सम्पत्तियों का अर्जन किया जा रहा है ?

श्री डी० के० पंडा (भन्जनगर) : करापवंचन की समस्या से निपटने में सबसे बड़ी बाधा हमारा कमजोर प्रशासन है। यहां पर दिए गए अनेक सुझावों के उपरान्त इस कानून को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। उनमें इस कानून को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इस विधेयक से ऐसा कोई विश्वास नहीं होता है कि इस विशेष संशोधन से यह अवधि 3 महीने और बढ़ा कर हम वास्तव में वसूलियों को सम्भव बना सकेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इन संशोधनों से न केवल वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकेंगे अपितु उच्च स्तर की कोई प्रशासनिक कार्यवाही करनी होगी।

करों की बकाया राशि बढ़ती जा रही है और यह बढ़कर 565.73 करोड़ रुपये हो गई है। काले धन और करापवंचन में भी वृद्धि हो रही है। जब भी कोई अधिकारी तुरन्त और समय पर कार्यवाही न कर सके तो उसे तुरन्त दण्ड दिया जाना चाहिए। जहां तक एकाधिकारगृह और बड़ीबड़ी कम्पनियों का सम्बन्ध है इस बारे में सरकार को यह तर्क नहीं देना चाहिए कि वह कुछ नहीं कर सकती है। उसे कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। इस विधेयक में ऐसे कुछ दाण्डिक उपबन्ध होने चाहिए जिनसे उन लोगों को दण्ड दिया जा सके जो करों का भुगतान करने से बचना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बैतूल) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

जहां तक अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण का सम्बन्ध है, 1972 में हमने एक नया अध्याय 20 क जोड़ा था जिसके द्वारा सरकार को उस व्यक्ति की सम्पत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार दिया गया था जो अपने कर दायित्वों को कम करने अथवा जो अपनी आय को छिपाने का प्रयत्न करता है। अध्याय 22 क के बनने के बाद सरकार को लगभग 30 लाख मामले जांच के लिए मिले हैं। इस अध्याय की धारा 269(ग) का उद्देश्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति कर से बचने के लिए अपनी आय को छिपाता है तो केवल उसी दिशा में जांच की कार्यवाही की जा सकती है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि छह महीने का समय क्यों नहीं पर्याप्त था।

यद्यपि सक्षम अधिकारी इस बात से पूर्णतया सन्तुष्ट होता है कि किसी प्रकार के कर की चोरी नहीं की गई है फिर भी कार्यवाही की जानी चाहिए है। मंत्रालय यह स्पष्ट आदेश क्यों नहीं देता कि इस अध्याय 20क को लाने का उद्देश्य केवल कर अपवंचकों को पकड़ना है न कि सक्षम अधिकारियों को तंग करना।

लेन देन की 30 लाख मामले हैं और सरकार कल्पना कर सकती है कि इसमें कितना समय लगेगा। परन्तु वास्तविक कर अपवंचक स्वतन्त्र घूम रहे हैं। टाटा, बिड़ला और पटनायक जिन्हें पहले से पता है बच जाएंगे।

मंत्री महोदय ने तीन महीने का समय मांगा है क्योंकि उसे समय पर नहीं भेजा गया और उसे प्रकाशित नहीं किया जा सका। मैं आशा करता हूं कि वे इसकी सावधानी से जांच करेंगे तथा विभाग की ओर से इस प्रकार की जानकारी प्रकाशित करने में कोई त्रुटि अथवा विलम्ब नहीं होगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री महोदय इस अध्याय को लागू करने सम्बन्धी नीति स्पष्ट करें। मैं चाहता हूं कि 50 या 100 मामलों में कार्यवाही शुरू कर दी जाएं और सम्पत्ति अधिग्रहीत कर ली जाये न कि 30 लाख आवेदन पत्रों की जांच कराई जाए और इससे कोई लाभ नहीं होगा।

इस संशोधन के अनुसार 10,000 रुपये तक की किसी सम्पत्ति को आवश्यक विवरण में शामिल नहीं किया जायेगा। 10,000 रुपये तक के लेन देन को इस अध्याय से बाहर रखना एक बहुत खतरनाक उपबंध है क्योंकि इससे कर-अपवंचकों को बहुत से अवसर मिल जायेंगे और किसी प्रकार का विवरण न देने के अनेकों अवसर खोज निकालेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : विरोधी दल इस बात पर सहमत हो गये हैं कि वे इस विधेयक के बारे में और निवेदन नहीं कर रहे हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : जी, नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : वह अगला विधेयक है।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : सरकार के प्रतिदिन के कार्यकरण में असफलता का आयकर (संशोधन) विधेयक, 1973 एक ज्वलन्त उदाहरण है।

यदि सरकार का वास्तव्य में समय बढ़ाने का इरादा है तो उसे भविष्य के लेन-देन पर लागू करना चाहिये। भूतलक्षी कानून लागू करना स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार 1957 से चली आ रही नीति से क्यों हट रही है।

सरकार ने माना है कि सम्पत्ति का मूल्यांकन करने में काफी समय लगता है। इसी कारण प्रवर समिति में यह सुझाव दिया गया था कि सम्पत्ति का सही मूल्य ज्ञात करने हेतु नीलामी करने के प्रस्ताव पर विचार क्यों न किया जाये। यदि सरकार वास्तव में उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी सम्पत्ति का निर्धारण किया जाना है, और स्वयं के प्रति न्याय करना चाहती है तो अभी विलम्ब नहीं हुआ है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक कितनी अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया है ?

मुझे स्मरण है कि वित्त मंत्री ने प्रवर समिति में विशेष रूप से आश्वासन दिया था कि केवल परीक्षण के लिये वही मामले लिये जायेंगे जिन के सम्बन्ध में सरकार को यह पूरा निश्चय होगा कि काला धन बड़ी मात्रा में अंतर्ग्रस्त हैं। हम सब को विदित है कि वित्त विधेयक पारित होने के बाद सरकार आयकर संशोधन के तीन विधेयक ला चुकी है। क्या इतने अधिक संशोधनों से अनिश्चय एवं असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होती ? सरकार करदाताओं में जानबूझकर अविश्वास पैदा कर रही है।

हमें पता है कि काला धन हमारे लिए विषम स्थिति पैदा कर रहा है और सरकार इसे खोज पाने में असमर्थ है।

श्री सेझियान : इस विधेयक के लाये जाने के सम्बन्ध में यह कारण बताया गया है कि अधिग्रहण के बहुत से मामलों में छः महीने का समय बहुत ही कम रहा, यहां तक कि सरकारी मुद्रणालय में भेजे गये नोटिस भी समय पर नहीं छप सके।

कराधान नियमों में कुछ स्थिरता रहनी चाहिए। कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 1971 में पुरःस्थापित हुआ और प्रवर समिति में विचार के पश्चात् 1972 में पारित हुआ। पिछले वर्ष विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मंत्री महोदय ने वर्ष 1970 में प्रमुख नगरों में सम्पत्ति हस्तातंरण के पंजीकृत मामलों की संख्या, बम्बई में 12,140, कलकत्ता में 12,000 तथा दिल्ली में 38,000 थी।

बम्बई में सरकार ने कितने फ्लैटो का अधिग्रहण किया।

प्रेस के विलम्ब के कारण कितने मामलों में कार्यवाही करने में देरी हुई। यदि प्रेस के कार्यकरण में कोई खराबी हों, तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि केवल संशोधन लाने में नहीं अपितु उसके लागू करने में भी शीघ्रता एवं ईमानदारी बरती जाये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I wish that my amendments may be given serious consideration.

It is true that persons involved in tax evasion should be severly dealt with. But the small tax payers should not be unnecessarily harassed.

In Bombay a propeity has been sold @ Rs. 85 lakhs but the amount shown in books is 35 lakhs and the remaining 50 lakhs have been paid as black money in cash.

The valuation of that building is 94-96 lakh rupees. The cost of stamp duty comes to Rs. 7,50,000. The property yields Rs. 9 lakhs rent per year.

In the Bill provision has been made for nine months. I have suggested 6 months. In specific cases one year can be allowed.

It would be very difficult to catch the black marketers. The Government should seriously think so that poor people are not harassed.

My principle is that the responsibilities and jurirdiction of every officer should be determined. The Government is acquiring more and more powers. So long as the Government does not put a check on the powers of the officers, the sense of responsibility would not arise.

Shri M. C. Daga (Pali) : This act was enacted in 1972 and this amendment is being introduced in order to tease thousands of people.

Would the hon. Minister state as to in how many cases notices were issued? Who was at fault for not publishing them in time?

Kumari Mani Ben Patel (Sabarkantha) : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घंटी बजाई जाये । अब कोरम हो गया है ।

Shri M. C. Daga : It has been stated in the Public Accounts Committee Report for 1972-73 :

> "The gross collection of income tax went up by 33% from 636.40 crores in 1967-68 to 843.69 crores in 1970-71 while the expenditure on collection went up by 61 per cent."

The number of income tax officers on assesment duty had increased from 1701 to 2234. The expenditure on collection of Income Tax has also increased from 11 scrores to 18 crores. I want to know what is the position in regard to purchase of Government propeity in Auction.

श्री के० आर० गणेश : वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। यह व्यवस्था 15 नवम्बर, 1972 से लागू है । पहली बात यह है कि इस अवधि को छः मास से बढ़ाकर नौं मास क्यों करना चाहते हैं ? माननीय सदस्यों को पता है कि सामान्यतः धारा 269 डी के अन्तर्गत नोटिस साप्ताहिक गजट में प्रकाशित होते हैं । फरीदाबाद से छपने वाले गजट के प्रकाशन में विलम्ब हुआ । प्रकाशित किए जाने वाले नोटिसों की संख्या 1024 तक पहुंच गई । इससे छः महीने से अधिक समय बढ़ाये जाने का औचित्य सिद्ध हो जाता है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : ऐसा लगता है कि नोटिस सामान्यतः समय पर भेजे जाते हैं ।

श्री के० आर० गणेश : नोटिसों की संख्या बहुत बढ़ गई थी तथा बिजली की कमी के कारण प्रेस कार्य का समय पर निपटारा नहीं कर पाया । राज्यों पंजीकरण अधिकारियों को

मास में दो बार संजोकृत मामलों को विवरणियां भेजनी पड़ती है । सक्षम अधिकारी द्वारा 28 लाख प्रतिवेदन प्राप्त हुए । इसके लिए कुछ शर्तें निहित हैं । जैसे हस्तांतरण 25000 रुपए से अधिक का मामला हो तथा दिखाए गए मूल्य में बाजार भाव से 15 प्रतिशत से अधिक का अंतर हो । यह कार्य मूल्य निर्धारण करने वाले अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जाता है ।

यह उपबन्ध 15 नवम्बर, 1972 से लागू हुआ था । भारी संख्या में मूल्यांकन अधिकारियों की नियक्ति को जानी थी । लगभग 1794 मामलों में नोटिस जारी किये गये हैं । बंबई में 139 नोटिस जारी किये गये हैं । अभी तक किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया गया । परन्तु कुछ मामले अधिग्रहण के तैयार हो गए है ।

इसमें कुछ कठिनाइयां हैं । परन्तु मैं श्री साल्वे के इस मत से सहमत हूं कि हमें मामले का अध्यापन करना पड़ेगा । हमें इस सुझाव पर ध्यान देना होगा कि हमें बड़े बड़े मामलों पर ध्यान देना चाहिए । इस बारे में मैं आश्वासन नहीं दे सकता । मानगीय सदस्य ने यह भी कहा है कि अधिग्रहण के मामले को बहुत लम्बी अवधि तक खींचा नहीं जाना चाहिये । वांचू समिति ने भी इस मामले पर ध्यान दिया है और उनका मत है कि अधिग्रहण के मामलों का निपटारा शीघ्र किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम 1961 का और संशोधन करने वाले विधयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सालवे ने 3 संशोधन प्रस्ताव रखे हैं । वह उन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । श्री लिमये उपस्थित नहीं है । नियमों के अनुसार यदि प्रस्तावक स्वयं उपस्थित नहीं है तो दूसरे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सकते ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2, 3, और 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 2, 3, 1, The enacting Formula, and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

दिल्ली नगर कला आयोग विधेयक

DELHI URBAN ART COMMISSION BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों का सरकारी कार्य लेंगे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इससे पूर्व, मैं अनुरोध करता हूं कि विपक्ष के नेता दूसरे विधेयक को बिना चर्चा के निपटाने के लिये सहमत हो गए हैं । इसे मतदान के लिये रखा जा सकता है । यह विवादास्पद नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि अनुरोध अनियमित है फिर भी मैं इसे नियमित करूंगा ।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दिल्ली के अन्दर नगरिय और पर्यावाहिक रुपांकन के सौंदर्यात्मक स्वरूप को संरक्षित रखने, उसका विकास करने और उसे बनाये रखने के उद्देश्य से दिल्ली नगर कला आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के अन्दर नगरीय और पर्यावाहिक रुपांकन के सौंदर्यात्मिक स्वरूप को संरक्षित रखने उसका विकास करने, और उसे बनाये रखने के उद्देश्य से दिल्ली नगर कला आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभी इस बात से सहमत हैं कि संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 27 तक विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 27 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 27 were added to the Bill.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, The Enacting Formula and The Title were added to the Bill.

श्री भोला पासवान शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेते हैं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

35वां प्रतिवेदन

श्री अमरनाथ चावला (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 35 वें प्रतिवेदन से जो 19 दिसम्बर, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 35 वें प्रतिवेदन से जो 19 दिसम्बर 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. NEED-BASED MINIMUM WAGES FOR WORKERS

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० सरदीशराय द्वारा 7 दिसम्बर, 1973 को पेश किये गए इस संकल्प पर "कि यह सभा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारतीय श्रमिकों की घटती हुई वास्तविक मजदूरी और पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने में सरकार की असफलता पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करती है" आगे चर्चा होगी । डा० सरदीश राय अपना भाषण जारी रखें ।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : संविधान के अनुच्छेद 43 में राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि राज्य सभी श्रमिकों को सुन्दर जीवन निर्वाह के लिये उचित वेतन प्रदान करने का प्रयास करेगा । जहां कर्मचारियों को उनके जीवन निर्वाह के लिये उचित वेतन नहीं मिल पाता है वहां राज्य उनकी सहायता करेगा । संविधान को लागू हुए 20 वर्ष हो गये हैं परन्तु न तो किसी राज्य सरकार ने और न ही केन्द्र ने न किसी नियोजक ने देश के श्रमिक वर्ग के लिये जीवन-निर्वाह के लिये उपयुक्त वेतन सुनिश्चित करने का प्रयास किया है ।

अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के अनेकों श्रमिक गरीबी से भी नीचे के स्तर पर जीवन-यापन करते हैं । आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन ही उचित वेतन है । केन्द्रीय सरकार ने उचित वेतन के संबंध में 1948 में एक समिति नियुक्त की थी जिसने न्यूनतम वेतन के बारे में इस प्रकार बताया है : न्यूनतम वेतन से तात्पर्य केवल पेट भर भोजन प्रदान करना ही नहीं है अपितु शिक्षा, चिकित्सा तथा अन्य सुविधायें प्रदान करके श्रमिकों की क्षमता को बनाये रखना है ।

[डॉ० सरदीश राय]

समिति ने न्यूनतम वेतन की स्पष्ट परिभाषा दी थी परन्तु इसकी मात्रा का मूल्यांकन कठिन कार्य था। यह कठिनता 1957 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में दूर कर दी गई। इस सम्मेलन विभिन्न विभागों के केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यों के प्रतिनिधियों, मजदूर संघों के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ यह निश्चय किया गया कि जहां तक न्यूनतम वेतन निर्धारण की बात है यह तय किया गया कि न्यूनतम वतन आवश्यकता पर आधारित होना चाहिये और सब चीजों से बने अतिरिक्त न्यूनतम नवीन आवश्यकतायें सुनिश्चित करायी जानी चाहियें। सम्मेलन में न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिये सिद्धांत निर्धारित किए गए। यह संकल्प 17 वर्ष पूर्व पारित किया गया था। परन्तु इसे कार्यरूप अभीतक नहीं दिया गया है। देश के एक भी उद्योग में इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। कर्मचारी संगठन आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के लिये कब से आन्दोलन कर रहे हैं परन्तु इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। यहां तक कि दूसरे और तीसरे वेतन आयोगों ने भी कर्मचारियों की इस मांग को रद्द कर दिया।

वस्तुओं के मूल्यों में अभीतक वृद्धि नहीं हुई है यह सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का ही परिणाम है। भारतीय श्रमिकों की आय 1960 की तुलना में 1970 में दो प्रतिशत कम है। यदि वास्तव में देखें और अधिकृत आंकड़ों पर ध्यान दें आज के श्रमिक का वेतन 1939 की तुलना में भी कम ठहरता है।

असंगठित मज़दूरों की आज स्थिति और भी बुरी है। उनमें 40 प्रतिशत गरीबी से भी नीचे के स्तर पर जीवन स्यापन कर रहे हैं। सरकार लोगों से उनको धोखा देने के विचार से तथ्यों को छुपा रही है। विपक्ष पर आरोप लगाये जाते हैं कि वे लोगों को उकसा रहे हैं।

पांचवीं योजना में श्रमिकों के लिये सद्भावनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वस्तुओं के मूल्य अभी और बढ़ेंगे। यदि सरकार यह समझती है कि श्रमिक वर्ग इसे सहन कर लेगा तो वे गलती पर हैं। श्रमिक वर्ग से इसका चहुमुखी विरोध किया जायेगा।

[श्री सेझियान पीठासीन हुये
SHRI SEZHIYAN *in the Chair*]

मेरे प्रस्ताव पर दो संशोधन पेश किये गये हैं। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वे मेरे प्रस्ताव के विरोध में नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय श्रमिकों की घटती हुई वास्तविक मज़दूरी और पन्द्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने में सरकार की असफलता पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करती है"।

Shri D.N. Tiwary (Gopalganj) : There can be no disagreement with the proposition that workers should be given adequate wages, which should enable them to meet their needs. But the wages of the workers can not be fixed without taking into consideration the general economic condition of the country. About 40 percent people in the Country are Living below the poverty line the Government Should pay maximum attention to their Condition.

Nobody can deny that the wages of the workers should be improved but it is a fact that wages of the workers in the organised sector are much better than the earnings of the common people. The wages of the workers have increased with the increase in the cost of living. So the condition of the workers better than the condition of many people. As the economic condition of the country will improve, employees may get higher wages. The wages of agricultural labour are much lower than the wages of the workers in the organised sector. Their condition has to be improved.

The Indian Labour Conference has laid down certain norms on the basis of which minimum wages should be calculated. That is an ideal but the question is whether the country is in a position to give to the workers that much minimum wage.

I am not against the payment of higher wages to the workers. But that is possible only when the country is economically sound and can afford to bear that much of expenditure Such a resolution should be brought at a proper time.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : It has been said that the economic condition of the country does not allow us to pay higher wages to workers. We have to consider as to who is responsible for this miserable state of affairs. The Congress party have ruled the country all these years. They are responsible for the present condition of the country.

The fifteenth labour conference have unanimously decided that the Government should try to Pay need-based minimum wages to the workers. The third pay commission have arrived at a figures of Rs. 314 as minimum wage but have recommended Rs. 196.00 to be given at present. If the Government is not in a position to give a minimum wage of Rs. 314 they should at least accept it in principle.

Prices are soaring high. Economic disperities are growing. Who is responsible for this? The policies of the Government are responsible to bring the country on the verge of colapse.

It is not a fact that the gap between the poverty and the prosperity has become wider. There are only 75-76 big houses controlling the entire economy of our country. On the other hand most of the people of our country have been living at below poverty line. They are unable to provide milk and food to their children. The value of Rupee has decreased to only 42 paise. There are certain people who have so much money to spend on luxurious things while certain people are unable to purchase even petty things like baloons, for their children. I am totally opposed to the law of average. The law of average can never indicate the real economic condition of our country. I therefore, demand that Government should take positive steps to check black marketing and profiteering and to bring down prices at least at the level of that of 1970. The amount of Rs. 314 is not much most of the employees draw all kinds of advances. Even than they are not in the positoion of meeting their minimum requirements. In there circumstances people want to get rid of this life full of dismay and sarrow.

I therefore support the proposal of minimum wage and request that the hon. minister should accept this demand. Prime Minister should have explained this position. But she did not perhaps thought it necessary. It is a matter of great concern that Government could not succeed in bringing down the prices since last 26 years.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): There can not be two opinions that the workers should get need-based wage. But we can not have a one-sided approach in this matter. The case of organised labour is pleaded so often. But no body pays attention to the pitiable condition of unorganised labour and casual labour. Besides, there are people in our country living below the poverty line. We have to take steps to improve their lot also.

The real need of the country is increased production. But the leaders of the opposition who plead for higher wages for workers should also not instigate the workers to go on strike because of the fact that strikes adversely affect our production. It is the duty of the opposition leaders to ask the workers to do their best to increase production and not to go on strike.

[Shri Nathu Ram Ahirwar]

It has been observed that the industrialist have evolved a new practice to maintain their rate of profit by increasing the prices of their products without any increase in the investment as a counter-attack on the labour since the opposition leaders have entered the Trade Unions. As a results of this poor consumers have to suffer. It is quite strange that those, who plead for removal of economic disparity, line in air conditioned houses. Actually they have developed a habit to come in the way of each and every progressive measure taken by the Government. Recently, whole-sale Trade in wheat was taken over by the Government to ensure proper and timely distributions of wheat to the people living in scarcity hit areas. But they brought disorder in the Railway services resulting in stopping the movement of foodgrains.

They have earned lakhs of rupees from the Traders in this matters. It was their organised move to increase the prices and create wide spread troubles and unrest in the country. Trains are being looted and workers are being instigated to resort to violant activities. On the one hand the leaders of the opposition demand removal of poverty and on the other hand they don't allow the Government to implement their programmes to remove the poverty. I, therefore suggest that the members of opposition should give the co-operation implementing all the measures taken by the Government in this regard.

श्री या० किशतिनन (शिवगंज): महोदय ! मैं इस संकल्प के लिये डा० सरदोश राय को बधाई देता हूं । विपक्षी दलों पर आरोप लगाये गये हैं कि हमनें देश में हड़ताल आदि कराई हैं हम अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं तथा मैं मानता हूं कि हमने आंदोलन कराये हैं । किन्तु सरकार को इस बात पर आवश्यक विचार करना चाहिये कि आन्दोलन किये जाने के क्या कारण हैं ।

पहला कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार की मजूरी के बारे में नीति नितांत दोषपूर्ण है । मिजूरी नीति का मूल उद्देश्य यह होना चाहिये कि श्रमिकों को कम से कम इतनी मजूरी अवश्य मिले जिससे वह उपयुक्त स्तर पर जीवन यापन कर सकें ।

भारत सरकार ने 1948 में उचित मजूरी संबंधी समिति नियुक्त की थी जिसने 1949 में दिये अपने प्रतिवेदन में मजूरी के तीन स्तर बताये थे; न्यूनतम मजूरी, निर्वाह मजूरी तथा उचित मजूरी । न्यूनतम मजूरी वह है जिसके द्वारा श्रमिक अपनी कार्यकुशलता को बनाये रख सकता है । निर्वाह मजूरी में श्रमिक अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं । उचित मजूरी की परिभाषा नहीं दी गई थी । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि श्रमिकों को उचित मजूरी मांगने का हक है किन्तु हमें देना कठिन है । विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड के गठन की भी सिफारिश की गई थी । इन सिफारिशों के अनुसार में मार्च 1957 में कपड़ा उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड बनाया गया । इसके बाद अन्य प्रमुख उद्योगों के लिये भी मजूरी बोर्ड स्थापित किये गयें । इन मजूरी बोर्डों को यह आदेश दिये गये थे कि उचित मजूरी के बारे में उचित मजूरी संबंधी समिति की सिफारिशों तथा 1957 में हुए भारती श्रम संमेलन में पारित संकल्प को ध्यान में रखा जाए किन्तू प्रत्येक मंजूरी बोर्डने नाजूनतम मजूरी का अर्थ भिन्न-भिन्न लगाया ।

भारतीय श्रम सम्मेलन के 1957 में हुए 15वें अधिवेशन में न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये थे :

(1) एक श्रमिक परिवार के उपयोग का स्तर तीन वयस्कों के बराबर माना जाय तथा महिला और बच्चों की आय को श्रमिक की आय में न जोड़ा जाये ।

(2) खाद्यान्न की आवश्यकता का हिसाब 2700 कैल्योरी के आधार पर लगाया जाय ।

(3) कपड़े की आवश्यकता प्रतिव्यक्ति 18 गज कपड़ा प्रतिवर्ष के हिसाब से लगाई जाय ।

(4) मकान के लिये सरकार द्वारा निम्न आम वर्ग के लिये राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत वसूल किये जाने वाले निम्नतम किराये के नियम लागू हों ;

(5) फुटकर खर्च कुल निम्नतम मजूरी का 20 प्रतिशत ।

इन कसौटियों के आधार पर आवश्यकता के आधार पर मजूरी 314 रुपया बनती है । राष्ट्रीय आर्थिक विकास में सही तथा ठोस मजूरी नीति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । अतः भारतीय श्रम सम्मेलन के 15 वें अधिवेशन में निर्धारित सूत्रों की दृड़ता से पालन किया जाना चाहिये । आवश्यकता पर आधारित मजूरी का सिद्धांत दो लक्ष्यों की पूर्ति करता है । इससे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिये अधिक धन-राशि नियत करने का प्रोत्साहन मिलता है तथा श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ती है और देश के उत्पादन में वृद्धि होती है ।

श्रम आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में उत्पादन का स्तर इन वर्षों में बढ़ा है पर उनकी मजदूरी उस अनुपात में नहीं बढ़ी हैं । वर्ष 1952 और 1961 के बीच श्रमिको ने उत्पादन में 63 प्रतिशत की वृद्धि कि है । कुल उत्पादन लागत की तुलना में मजूरी की लागत घटी है । उत्पादन बढ़ा है परन्तु उसमें सहायक श्रमिको को कुछ मिला तो है ही नहीं वरन् 1965 के बाद बढ़ते हुये मूल्यों के कारण उनकी मजदूरी भी घट गई है । जबकि दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों तथा ऐसे ही अन्य कर्मचारियों की आय मूल्य-वृद्धि के साथ-साथ बढ़ी है । इस प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न करने वाली मजूरी नीति का होना न होने से भी बदतर है ।

एक उद्योगपति ने एक ऐसी मजूरी नीति की हिमायत की है जिसमें उत्पादन के साथ-साथ स्वतः मजूरी में वृद्धि होती रहे । यह उन्हीं उपक्रमों में लाग होनी चाहिये जिनमे श्रमिको को निर्वाह मजूरी मिल रही है ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग का कहना है कि उत्पादकता का श्रेय केवल श्रमिको को ही नहीं जाता । पुंजी, औद्योगिकी, और प्रबन्ध भी श्रम के साथ अपना योगदान देते परन्तु ये एक समान नहीं होते । मजदूरी को उत्पादन से जोड़ना भी सही नहीं है क्योंकि मजदूरी सौदेबाजी के आधार पर तय होती है तथा इस सौदे-बाजी में जिसका पक्ष अधिक सशक्त होता है उसको अधिक लाभ होता है । किन्तु हम सौदेबाजी के अतिरिक्त सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

श्रमिकों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि के हिमायतियों को यह भी सुनिश्चित कराना चाहिये कि उन्हे आवश्यकता पर आधारित मजूरी मिले तथा उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी मिले । उन्होने यह जान लिया है कि गत वर्षों में उत्पादन में वृद्धि करने से भी उन्हे कुछ नहीं मिला । कुछ उद्योगों ने उन्हे बेरोजगार भी कर दिया है ।

मजूरी सम्बन्धी कोई भी नयी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कम से कम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोका न जाए क्यों कि यही एक प्रमुख कारण है जिससे आर्थिक विषमता बढ़ रही है । कर्मचारियों द्वारा निम्नतम मजूरी की मांग के उत्तर में सरकार बार बार यह कहति है देश में अनेक व्यक्ति बेरोजगार है । यह कोई न्याय संगत उत्तर नहीं है । सरकार ने स्वयं माना है कि रुपया की कीमत घटकर 36 पैसे रह गई है । उसने यह भी माना है अनेक उपाय किये जाने पर महंगाई नहीं रूकपाई है । जब की सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में मामूली भी वृद्धि की घोषणा की नहीं है व्यापारी वस्तुओं के दाम और बढ़ा देते हैं जिससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि व्यर्थ हो जाती है । सरकार की दोष पूर्ण नीतियों के कारण देश में मुद्रा स्थिति का प्रसार हो रहा है । सरकार न कर अपवंचन को रोक सकी और न काले धन का पता लगा सकी । ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की मांग पूर्णतः न्याय संगत है । सरकार को अपने कर्मचारियों को सहकारी समितियों के माध्यम से सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की योजना बनानी चाहिये

[श्री या० किसतिमन]

जिसका बाजार पर अच्छा प्रभाव पड़े। सरकारी कर्मचारियों की यह मांग पूर्णतः न्यायसंगत है कि निम्नतम मजूरी 314 रुपया हो। अत्यंत खद की बात है कि 26 वर्षों में सरकार संविधान में निहित अधिकारों को भी कर्मचारियों को नहीं दिलापाई। निर्वाह मजूरी का संविधान में उल्लेख है जिसको सरकार क्रियान्वित नहीं करपाई। सरकारी कर्मचारियों को कम से कम, बैंरो, भारतीय तेल निगम आदि जैसे सरकारी उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बराबर वेतन अवश्य देना चाहिये। इन शद्वों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizmabad) : I have heard the speech of Shri Banerjee and fully appreciate his views. Every citizen of this country should get food, shelter and clothing. The economic condition of the country can only improve with increased production. Our food consumption is on the average 40 per cent less than the rest of the world

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[SHRI K. N. TEWARI *in the Chair*]

The farmers are responsible to feed the 55 crores people of the country. The workers in the fertiliser units and also Government employees should also discharge their duties honestly.

Today farmers face difficulty in getting fertiliser, water and the other. The second season of sowing is coming but due to strike of railwaymen the farmers cannot get fertilizers. Such of the striking railway employees should be severely dealt with.

The wealth produced in the country is being made use of by ten or fifteen persons whereas the remaining 85 do not get anything.

There are people in the country whose condition is much worse than those of the Government employees. Till the condition of the people at large is improved, no more amenities should be given to the employees.

We should act on the principle of "produce and share the produce".

Shri M. C. Dage (Pali): I congratulate Dr. Saradish Roy for drawing the attention of the country towards this important issue.

In the absence of social and economic rights political rights have no value.

Article 39 of the Constitution contains :

"The state shall, in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;

Today Government officers get Rs. 3500 whereas numerous people cannot meet both ends. How much time the Government would take to implement these Directive Principles of State Policy.

In the context of national wage policy the hon. Minister stated that it was being considered. But what does it mean? It means that the Government does not want to take a decision.

Sixty percent of workers are living below normal conditions. We have to ensure the minimum needs of the people. There should be ceilings on rural and urban properties. Monopoly should also be done away with. We have to see that the basic needs of the people are met.

Shri Madhu Limaye (Banka) : In reply to a question the Minister intimated the basic wage of textile workers. In Bombay it is Rs. 40 and in Kanpur it is Rs. 38. There has been rise of Rs. 10 in 30 years.

The procedure of giving dearness allowance is adopted in order to protect the basic wage of the workers. But there is found in the preparation of price index in Labour Ministry. The Government does not take into consideration the actual prices prevailing in the market but make their calculations on the basis of controlled prices of certain items, at which only a small percentage of there articles are available.

The Government have no national policy on wages, income and expenditure. That is the reason for discontentment among the vorkers and that is the reason for strikers taking place in the country. The difference between the wages of the highest and the lowest be narrowed down. The ratio between the two should not be more than 10:1.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी दिये जाने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 43 में 'निर्वाह वेतन आदि' का उल्लेख हुआ है।

श्री बनर्जी ने प्रत्येक कर्मचारी के लिये 314 रु० प्रतिमास वेतन की बात कही है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने के लिए 45,216 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जबकि वर्ष 1973-74 का कुल उत्पादन उतने ही का होगा।

भारत सरकार के सचिव का वेतन 3500—4000 रु० होता है जबकि एक संदेश वाहक का 194 रु० है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में देश व्यापी एक मत स्थापित होना चाहिए। इसे न्यूनतम स्तर से लागू करके क्रमशः ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहिए।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : This resolution has two parts, firstly there is a decline in the real wages of a worker and secondly, workers should get a wage sufficient to enable them to purchase essential conditions for their subsistance.

Seventy-five per cent people live in villages. They never think in terms of organizing the villagers. The workers living in industry in urban areas are better off than those living in ruarl areas. The people living in rural areas have no facilities, for water, cloth and food. But nobody is worried for them.

The workers of cement factory get Rs. 350. We say that fertilizers are needed but they have succeeded in stopping the trains. In villages the ladies and children have also to tail together with men.

I strongly oppose this proposal.

Shri Panna Lal Barupal (Ganganagar) : The resolution brought forward by the hon. member is not in accordance with the present conditions. But wherefrom will the funds come to meet the expenditure to the incurred on account of increased salary and facilities. They are out to ruin the country. They express feelings of sympathy towards poor and are themselves millioners. They do not plead the ccase of common man in various field of life but the organised section of the society.

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun) : I congratulate the mover of this resolution. Iev-is correct that nobody is ready to realise the plight of the workers in villages. We have always been redressing the grievances of the people from cities. Our friends from opposition have been pleading the cause of already highly paid employees of the Bank, Life Insurance Corporation, Indian Airlines and Railway by ignoring the miserable plight of the section living beyond the poverty line. I demand that a commission should be constituted to go into the living standard and states of the main leaders of opposition. They talk here about poor people (*Interruptions*).

[Shri Mulki Raj Saini]

Agriculture is the main industry of our country. It is not known as to why railwaymen are provoked to go on strike (*Interruption*). Calls to go on strike is given without sufficient notice. What type of democracy is this and what type of trade union movement is this? Only high income group is resorting to strikes. Nobody is representing the cause of poor. The term 'Indian worker' should also include agricultural labour.

सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : CONTEMPT OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि उन व्यक्तियों ने जो अपने को श्याम चरण और राम मूर्ति पाण्डे बताते हैं, और जो दर्शक-दीर्घा से चिल्लाये और जिन्होंने वहां से आज 12.02 बजे सभा में पर्चे फेंकने का प्रयत्न किया तथा जिनको वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गंभीर अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के दोषी हैं।

"सभा यह भी संकल्प करती है कि उन्हें 22 दिसम्बर, 1973 को मध्याह्न पश्चात 6 बजे तक के साधारण कारावास की सजा दी जाये और केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेजा जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हर्बर) : इस बारे में मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि सम्बद्ध व्यक्तियों को शीघ्र रिहा किया जाय।"

यह जलप्रतिनिधियों का सदन है। लेकिन यहा कोई नहीं आ सकता। यह परलोक सभा है, लोक सभा नही।

Shri Madhu Limaye (Banka) : These two persons should be set free by 6 P.M. to-day.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I am not supporting these two persons. लेकिन मेरा संशोधन यह है कि उन्हें प्रताड़ना दी जाये तथा शीघ्र रिहा किया जाय।

सभापति महोदय द्वारा श्री ज्योतिर्मय बसु का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment moved by Shri Jyotirmoy Bosu was put and negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि उन व्यक्तियों ने, जो अपने को श्याम चरण और राम मूर्ति पाण्डें बताते हैं, और जो दर्शक-दीर्घा से चिल्लाये और जिन्होंने वहां से आज 12.02 बजे सभा में पर्चे फेंकने का प्रयत्न किया तथा जिनको वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गंभीर अपराध किया है और वे इस सभा के अवमान के दोषी है।

सभा यह भी संकल्प करती है कि उन्हें 22 दिसम्बर, 1973 को मध्याह्न पश्चात 6 बजे तक के साधारण कारावास की सजा दी जाये और केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली भेजा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी के बारे में संकल्प (जारी)

RESOLUTION RE : NEED BASED MINIMUM WAGES FOR WORKERS (Contd.)

Shri Vasant Sathe (Akola) : I support the resolution because it provides us with and opportunity to discuss an important issue.

Shri Jagannath-rao Joshi (Shajapur): Sir, I rise on a point of order. How much time is likely to be given for this discussion.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): How long will the proceedings of the House continue.

सभापति महोदय : साढ़े छः बजे तक ।

श्री. अटल बिहारी बाजपेयी : मंत्री तथा संकल्प प्रस्तुतकर्ता को भी उत्तर देना है ।

सभापति महोदय: वें बहुत कम समय लेंगे **(व्यवधान)**

Shri Vasant Sathe : We should reconsider the whole policy of labour wages. 80 per cent of workers in the country consist of villagers. When we talk of workers, we also mean farmers living in the villages. ...(*interruptions*) No amendment is required. We will have to curtail the income of the people in cities. foi giving justice to the weaker section of the community.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : माननीय सदस्य ने भारतीय श्रम सम्मेलन का जिक्र किया है। उन्होंने संकल्प में अपने ही हित की बात की है।

1957 से 1967 तक विभिन्न संगठित उद्योगों के लियें मजदूरी ढांचा बनाने के लिये त्रिपक्षीय मज़दूरी बोर्ड बनाये गये। उन सब ने आवश्यकता पर आधारित फार्मुले पर विचार किया।

देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखे बिना हम इस संकल्प को लागू नहीं कर सकते। आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी देने के विषय पर राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 1969 में विस्तार से विचार किया था। आयोग ने कहा था कि भुगतान करने की क्षमता को ध्यान में रखना होगा। मैं कहता हूं कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाये। लेकिन समय आने दीजिये **(व्यवधान)**

मैं मानता हूँ कि रुपये का मूल्य गिरने के कारण मज़दूरी कम हुई है। परन्तु अत्यधिक आर्थिक उन्नति के बिना हम वर्तमान स्थिति को सुधार नहीं सकते।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवश्यकता के आधार पर मजदूरी देने की बात पर विचार करते समय तीसरे वेतन आयोग ने कहा है कि 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम वेतन निश्चित करने पर सारे बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की इस मांग को महसूस करते हुए निम्न कारणों से इसे सम्भव नहीं माना।

(1) इस मांग के मानने पर 600 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष और खर्च करना पड़ेगा (2) इससे अन्य कर्मचारी भी इसकी मांग करेंगे जिसके परिणामस्वरुप वास्तविक आय में कमी होगी और कर्मचारियों में निराशा फैल जाएगी। (3) इस गैर आयोजना व्यय के कारण संसाधनों के विकासोन्मुखी गतिविधियों के बजाय अनुत्पादक गतिविधियों में लगाना पड़ेगा जिससे देश के विकास संबंधी प्रयत्नों और रोजगार के उद्देश्यों को आघात पहुंचेगा।

[श्री बाल गोविन्द वर्मा]

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 185 रुपये प्रति मास निश्चित किया। सरकार ने इसे बढ़ाकर 196 रुपये कर दिया है तथा श्रेणी 2, 3 और 4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में नए वेतनमान आयोग द्वारा सुझाई तिथि 1–3–1973 के बजाय 1 जनवरी 1973 से लागू होंगे।

मैं इस बात को मानता हूँ कि महंगायी से वेतनमांगी वर्ग के काफी धक्का लगा है। इस बात से इन्कार नही किया जा सकता है कि मूल्यों में वृद्धि से वेतन श्रेणी बर्ग बहुत हद तक प्रभावित हुआ है।

निस्संदेह गत कुछ कर्जों से रुपये की क्रय शक्ति में काफी गिरावट आई है। कर्ज 1960 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो 100 था, सितम्बर 1973 में बढ़कर 248 हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि 12–13 वर्षों में रुपये का मूल्य 60 प्रतिशत तक गिरा, वर्ष 1963 से वर्ष 1967 के दौरान रुपये की क्रय शक्ति में तेजी के साथ गिरावट आई, इस अवधि के दौरान दो बार भयंकर सूखा पड़ा तथा हमें चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी देखना पड़ा वर्ष 1971 से वर्ष 1973 के दौरान दुबारा भयंकर सूखा पड़ा तथा बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित हुआ, बंगला देश के संकट के कारण भी यहां मूल्यों में काफी वृद्धि हुई, इस सबके परिणामस्वरुप रुपये का मूल्य सितंम्बर, 1973 के दौरान 40.3 पैसे तक गिर गया।

मूल्य वृद्धि और रुपये के क्रय मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने मांग और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए कई उपाय अपनाये, जैसे केन्द्रीय सरकार के परिव्यय में 400 करोड़ रुपयों की कमी रना ताकि घाटे की अर्थव्यवस्था को कम से कम किया जा सके, गैर योजना व्यय में कटौती करना, खाद्आन्नों को भी जाने बाली आर्थिक सहायता में निरंतर कमी करना पेट्रोलियम उत्पादों से बडे हूए मूल्यों से अधिक राजस्व प्राप्त करना।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ऋण विस्तार पर रोक लगाने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। ऋण की दर छह से सात प्रतिशत तक बढ़ाने के अलावा सांविधिक आरक्षित निधि तीन से सात प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज के वसूली मूल्य में वृद्धि से भी काफी लाभ पहूंचा है। लगभग सभी बड़े उद्योगों में अलक-अलग महंगाई भत्ता योजनाएं अपनाई जा रही हैं ताकि जीवन निर्वाह व्यय के बढ़ने पर महंगाई भत्ता का समयोजन स्वतः हो सके।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, वेतन आयोग ने 300 रुपय तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 100 प्रतिशत तक पूरा मंहगाई भत्ता और 301 रुपये से 900 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 75 प्रतिशत तक मंहगाई भत्ता देने की सिफारिश की है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम 1948 में यह व्यवस्था की गई है कि जीवन निर्वाह मूल्य को देखते हुए मजूरी का पुनरीक्षण किया जाये।

उपरोक्त बातों को देखते हुए मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापिस ले लें। सरकार श्रमजीवी वर्गों की कठिनाईयों से अवगत है और इस संबंध में वह कार्यवाही करेंगी।

डा० सरदीश राय : माननीय सदस्य श्री नायक ने मेरे संकल्प का समर्थन करते हुए यह भ्रांतिहर्ण तर्क दिया है कि सभी लोगों के लिए जीवन निर्वाह मजूरी प्रति व्यक्ति 314 रुपये होनी चाहिए। यदि वे 15 वें श्रम सम्मेलन के संकल्प को देखते, तो उन्हें पता चलता कि इसमें उस कर्मचारी के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजुरी की व्यवस्था है, जिसके आश्रितों की संख्या तीन है और इस प्रकार यह 314 रूपये का हिसाब बैठता है परन्तु उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह मजूरी 314 रुपये निर्धारित करने की बात कही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने खेतिहर श्रमिकों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने "गरीबी हटाओ" का नारा दिया था तथा बहुमत प्राप्त करने के बाद उन्होंने भूमिहीन श्रमिकों

को भूमि देने की बात कही थी परन्तु वास्तव में उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने उनसे बड़े बड़े कायदे किये, आपने फालतू भूमि वितरित करने की बात कही परन्तु हुआ कुछ भी नहीं, गांवों में खेतिहर मजदूरों को नियंत्रित मूल्यों पर राशन नहीं मिल रहा है, उन्हें नियंत्रित मूल्यों पर राशन मिलना चाहिए। आपने असंगठित निर्धन खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी को लागू करने के बारे में कुछ नहीं किया है। मंत्री महोदय का यह कहना कि मजूरी में वृद्धि से मुद्रास्फिति पैदा होती है, पूर्णतया गलत है।

वेतन आयोग ने न्यूनतम मजूरी 185 रुपये निर्धारित की है परन्तु बाद में सरकार ने उसे 196 रुपये तक बढ़ा दिया। संभवत: सरकार को सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन के कारण ऐसा करना पड़ा,। यदि आप आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी निर्धारित नहीं करते हैं तो इससे सरकारी कार्यालयों कारखानों आदि में हड़ताल शुरु हो जाएगी।

संविधान में जीवन निर्वाह योग्य वेतन देने की बात कही गई है। इसके बावजूद भी हम केवल आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी देने की मांग कर रहे हैं, आपने इसको भी स्वीकार नहीं किया है। देश का श्रमजीवी वर्ग अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन छेड़ेगा, उन्होंने अब तक अपनी मांगे संघर्ष का मार्ग अपनाकर ही मनवाई हैं और मुझे आशा है कि संघर्ष के द्वारा इस मांग को भी पूरा करवायेंगे।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं ?

डॉ० सरदीश राय : मैं अपना संकल्प वापिस नहीं ले रहा हूँ। आप इसे सभा में मतदान के लिए रख सकते है।

सभापति महोदय : इस संकल्प में कुछ संशोधन है। मैं श्री डागा का संशोधन रखता हूँ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 1 वापिस लेने के लिए सभा से अनुमति चाहता हूँ।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : मैं अब श्री बनर्जी का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 2 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय श्रमिकों की घटती हुई वास्तविक मजदूरी और पन्द्रहवें भारतीय श्रमसम्मेलन द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी देने में सरकार की असफलता पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. FREE AND FAIR ELECTIONS

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I beg to move the following Resolution :—

"This House expresses concern over the growing influence of money-power and abuse of official machinery in elections and in order to ensure, free and fair elections directs the Government that—

(i) recognised political parties be given elections grants as recommended by the Wanchoo Committee;

(ii) recommendations of the Joint Committee on Amendment to Election Law regarding equal radio-time for recognised political parties, making of Election Commission a multi-member body, reducing voting age to 18 years, and examination by high-power Committee of feasibility of adopting List System, be implemented;

(iii) Ministers be prohibited from using official machinery such as aircrafts, helicopters, vehicles and other facilities except on terms of partiy with other recognised political parties; and

(iv) counting of votes be conducted booth-wise."

Shri Madhu Limaye (Banka) : The U. P. elections are impending. The resolution of Shri Vajpayee may be passed without discussion.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना वक्तव्य अगली बार जारी रख सकते हैं। अब यह सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोकसभा शनिवार, 22 दिसम्बर 1973/ 1 पौष, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, December, 22 1973 Pausa 1, 1895 (Saka).

भा०स०मु०का०--विभाग 6--35 लोक सभा (नई दिल्ली)/73--22-3-74--000